

लघु-शोध परियोजना

(रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट योजनान्तर्गत)

शोध परियोजना का शीर्षक

उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी की थारू जन-जाति की शैक्षिक स्थिति, सामाजिक-आर्थिक स्तर, समायोजन एवं समस्याओं का अध्ययन

(पत्रांक संख्या-93/2021/1401/सत्तर-4-2021-4(28)/2021, दिनांक 22.10.2021)



उ0प्र0 शासन द्वारा स्वीकृत शोध परियोजना के अन्तर्गत

प्रस्तुत लघु शोध-प्रबन्ध रिपोर्ट

(2022-2025)

सह-प्रमुख शोधकर्ता

डा० दीपा अवस्थी

सहायक आचार्य

मुख्य शोधकर्ता

प्र० सुनील कुमार

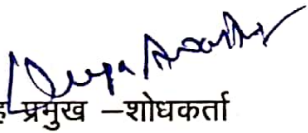
आचार्य

आचार्य नरेन्द्र देव टीचर्स ट्रेनिंग पी०जी० कॉलेज, सीतापुर, उ०प्र०

घोषणा-पत्र

हम डॉ० सुनील कुमार, प्रमुख शोधकर्ता, प्रोफेसर, बीएड विभाग, ए० एन० डी० टीचर्स ट्रेनिंग (पीजी) कॉलेज, शीतापुर एवं डॉ० दीपा अवस्थी, सह प्रमुख शोधकर्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, बीएड विभाग, आचार्य नरेंद्र टीचर्स ट्रेनिंग पीजी कॉलेज शीतापुर यह प्रमाणित करते हैं कि प्रस्तुत किया गया यह लघु शोध परियोजना कार्य शीर्षक उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी की थारू जनजाति की शैक्षिक स्थिति, सामाजिक आर्थिक स्तर, समायोजन एवं समस्याओं का अध्ययन पूर्णतः मौलिक है। यह लघु शोध परियोजना कार्य शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा स्वीकृत और अनुदानित है। इस लघु शोध परियोजना कार्य को 01.04.2022 से 31.03.2025 की अवधि में पूर्ण कर लिया गया है। इस शोध प्रतिवेदन में समाविष्ट अनुसंधान कार्य को किसी भी ग्रंथ, पुस्तक में प्रकाशन हेतु अथवा किसी डिग्री डिप्लोमा की उपाधि हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है।

हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि शोध प्रतिवेदन में पूर्ववर्ती आध्याताओं के शोध कार्यों का उपयोग करते समय उनको उचित श्रेय देते हुए संदर्भित किया गया है और साथ ही उनके कार्यों के प्रति निष्ठा पूर्वक आभार ज्ञापित किया गया है। हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि अन्यो के कार्यों, अनुच्छेद, ऑकड़ों, परिणामों आदि को जिन शोध पत्रिकाओं, पुस्तकों, पत्रिकाओं, प्रतिवेदनों, शोध ग्रंथों, वेबसाइट आदि से लिया गया है उनका इस शोध ग्रंथ में उपयोग मौलिक कार्य के रूप में नहीं किया गया है यह शोध प्रतिवेदन मौलिक रूप से सर्वेक्षण में एकत्र ऑकड़ों के आधार पर पूर्ण किया गया है।


सह-प्रमुख -शोधकर्ता

डॉ० दीपा अवस्थी

असिस्टेंट प्रोफेसर

शिक्षा विभाग-बी०एड०


प्रमुख शोधकर्ता

डॉ० सुनील कुमार

प्रोफेसर

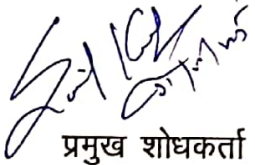
शिक्षा विभाग-बी०एड०

आभार—प्रदर्शन

मैं अपने महाविद्यालय के प्रबन्ध समिति के सचिव श्री रामशंकर अवरथी जी, प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष श्री गया प्रसाद मिश्र जी, प्राचार्य प्रो० एस०पी० सिंह जी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करना अपना परम कर्तव्य समझता हूँ। आप लोगों के द्वारा समय-समय पर दिये गये प्रोत्साहन से ये कठिन कार्य सम्भव हो सका।

मैं अपने महाविद्यालय के समस्त शिक्षकों व अन्य साधियों का समय-समय पर सहयोग प्रदान करने के लिये धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने इस शोध कार्य में दत्त संकलन कार्य में लगे सभी सहयोगियों का धन्यवाद देता हूँ। मैं दत्त संकलन में सहयोग करने वाले सभी माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों, शिक्षकों व अन्य स्टाफ का दत्त संकलन कार्य में सहयोग हेतु धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं दत्त संकलन में सहयोग करने वाले राजकीय डिग्री कॉलेज, पलिया व युवराज दत्त महाविद्यालय, लखीमपुर खीरी के प्राचार्य, शिक्षकों व अन्य स्टाफ का दत्त संकलन कार्य में सहयोग हेतु धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं आई०टी०आई० चन्दन चौकी व लखीमपुर खीरी के प्राचार्य, शिक्षकों व अन्य स्टाफ का दत्त संकलन कार्य में सहयोग हेतु धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं थारु जनजाति क्षेत्र के समस्त ग्राम प्रधानों, जनप्रतिनिधियों व महिला सशक्तिकरण की प्रतीक आरती राना जी जो कि थारु महिलाओं के स्वावलम्बन हेतु लम्बे समय से कार्य कर रही हैं, के प्रति दत्त संकलन कार्य में सहयोग हेतु धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं दत्त संकलन में सहयोग करने वाले एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, सौनहा, बेला परसुआ, चन्दन चौकी व छाउछ, लखीमपुर खीरी के राजकीय आवासीय विद्यालयों के प्रधानाचार्य व प्रधानाचार्या, शिक्षकों व अन्य स्टाफ का दत्त संकलन कार्य में सहयोग हेतु धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं दत्त संकलन में सहयोग करने वाले सभी विद्यार्थियों व क्षेत्रीय जनता का दत्त संकलन कार्य में सहयोग हेतु धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं एकीकृत थारु जनजाति विकास परियोजना के निदेशक श्री यू०के० सिंह जी एवं उनके कार्यालय के स्टॉफ का दत्त संकलन कार्य में सहयोग हेतु धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं सबसे पहले उ०प्र० शासन व उच्च शिक्षा विभाग का इस शोधकार्य हेतु अनुदान प्रदान करने के लिये मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं जनजातीय संग्रहालय, हैदराबाद व इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय,

अमरकण्टक, मानव संग्रहालय व राज्य संग्रहालय भोपाल, मध्य प्रदेश के निदेशक महोदय व उनके समस्त स्टाफ का उनके सहयोग हेतु धन्यवाद देता हूँ। मैं एन0सी0ई0आर0टी0 पुरतकालयाध्यक्ष व उनके समस्त स्टाफ का उनके सहयोग हेतु धन्यवाद देता हूँ। मैं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी महोदय लखनऊ एवं उनके कार्यालय के समस्त स्टाफ का धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने परिवार के सदस्यों का उनके सहयोग हेतु धन्यवाद देता हूँ। मैं इस लघु-शोध परियोजना की सह प्रमुख शोधकर्ता डॉ0 दीपा अवस्थी जी का उनके महत्वपूर्ण सहयोग हेतु धन्यवाद देता हूँ। मैं मूल्यांकन एवं अनुश्रवण समिति के सभी सम्मानित सदस्यों का उनके सहयोग और मार्गदर्शन हेतु धन्यवाद देता हूँ। मैं इस शोध रिपोर्ट को टंकित करने के लिये कौल प्रिन्टर्स, सीतापुर को धन्यवाद देता हूँ। अन्त में मैं इस परियोजना के लिये प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से सहयोग पदान करने वाले सभी सहयोगियों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।



प्रमुख शोधकर्ता

डॉ0 सुनील कुमार

प्रोफेसर

शिक्षा विभाग-बी0एड

विषय-सूची

1. अध्याय प्रथम-प्रस्तावना, अध्ययन की पृष्ठभूमि एवं अध्ययन की आवश्यकता पृष्ठ संख्या(01-28)
 - 1.1 प्रस्तावना
 - 1.2 अध्ययन की पृष्ठभूमि
 - 1.3 अध्ययन की आवश्यकता
 - 1.4 समस्या कथन
 - 1.5 शब्दों का परिभाषीकरण
 - 1.6 अध्ययन के उद्देश्य
 - 1.7 परिकल्पना
 - 1.8 सीमांकन
2. सम्बन्धित साहित्य का सर्वेक्षण पृष्ठ संख्या(29-58)
3. शोध अभिकल्प पृष्ठ संख्या(59-69)
 - 3.1 शोध विधि
 - 3.2 जनसंख्या
 - 3.3 न्यादर्शन विधि एवं न्यादर्श
 - 3.4 आंकड़ों का संकलन
 - 3.4.1 अध्ययन के उपकरण
 - 3.4.2 आंकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण
4. आंकड़ों का विश्लेषण एवं निर्वचन पृष्ठ संख्या(70-98)
5. परिणाम, निष्कर्ष एवं सुझाव पृष्ठ संख्या(99-128)

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

परिशिष्ट—

(i) —प्रश्नावली

(क)—समस्या अनुरूची

(ख)—सामाजिक—आर्थिक स्तर मापनी

(ग)—समायोजन मापनी

1. एडजस्टमेंट इन्वेन्टरी फॉर स्कूल स्टूडेंट डा० ए०के०पी० सिन्हा (पटना)

एवं डा० आर०पी०सिंह (पटना)

2. एडजस्टमेंट इन्वेन्टरी फॉर कॉलेज स्टूडेंट— डा० ए०के०पी० सिन्हा (पटना)

एवं डा० आर०पी०सिंह (पटना)

(ii) दत्त संकलन हेतु चयनित शैक्षिक संस्थाओं के प्रमाण—पत्र

(iii) लखीमपुर खीरी जनपद का मानचित्र

(iv) लखीमपुर खीरी जनपद के थारु जनजाति के ग्रामों की सूची

(v) चित्र वीथिका

(vi) सेमिनार प्रमाण पत्र

(vii) प्रकाशित शोध पत्र

प्रथम अध्याय

1. प्रस्तावना
2. समस्या का चयन
3. अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व
4. समस्या कथन
5. प्रमुख शब्दों का परिभाषीकरण
6. अध्ययन के उद्देश्य
7. अध्ययन की अवधारणाएं एवं परिकल्पनाएं
8. अध्ययन का सीमांकन

अध्याय— प्रथम प्रस्तावना एवं पृष्ठभूमि

प्रस्तावना

भारत विविधताओं वाला देश है, जहाँ विभिन्न समुदायों के लोग निवास करते हैं जिनकी अपनी पृथक संस्कृति, पृथक धर्म, पृथक विश्वास एवं आस्थाएं हैं। इन्हीं समुदायों में से एक है जनजातीय समुदाय, जिसकी देश की सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहर में विशिष्ट भूमिका रही है।

यह समुदाय प्रारम्भ से ही जंगलों, पहाड़ों एवं दूर-दराज के इलाकों में आधुनिक सभ्यता के लाभों से वंचित, प्रगति की दौड़ में पिछड़े, अशिक्षा तथा शोषण का शिकार, कृषि, उद्योग-धन्धों आदि से अनभिज्ञ तथा आदिमानव से कुछ ही अधिक विकसित रहा है। पहाड़ी धरातल, अनुपजाऊ भूमि, अविकसित यातायात एवं सघन वन जनजातीय क्षेत्रों की प्रमुख विशेषता रही है। यह समुदाय अपने सीमित संसाधनों से केवल जीवित रहना ही सीख सका है और आज भी 21वीं शताब्दी की विज्ञानवादी सभ्यता की पहुँच से भी काफी दूर है।

2011 की जनगणना के भारत में जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत 8.6 था। लगभग सभी जनजातियाँ ऐसे भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती हैं जहाँ सभ्यता का प्रकाश नहीं पहुँचा है। आज भी अनेक जनजातियाँ निम्न स्तर पर ही अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं, जबकि दुनिया के अधिकाँश देश प्रगति के पथ पर अग्रसर हैं। अतः यदि हमें देश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाना है तो निश्चित ही हमें अपने देश के सभी निवासियों को समान शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराते हुए उनका शैक्षिक विकास करना होगा। जनमानस के शैक्षिक उन्नयन द्वारा ही हम देश के विकास को गति दे सकेंगे।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342, खण्ड-एक में जनजातियों को इस प्रकार स्वीकार किया गया है, “राष्ट्रपति सार्वजनिक सूचना द्वारा जनजातियों, जनजातीय समुदायों या जनजातियों के भीतर समूह परिगणित किये जायेंगे, वे सब अनुसूचित जनजाति (शेड्यूल ट्राइब्स) कहलायेंगे।”

ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में ट्राइब (जनजाति) शब्द एक विशेष वंश परम्परा से स्वयं को जोड़ने वाले, एक मुखिया के प्रभुत्व को स्वीकार करते हुए जीवन यापन करने वाले ऐसे मानव-समूह का वाचक है, जो विकास की आदिम और बर्बर अवस्था में स्थित है। द इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका प्रायः आदिम अवस्था में स्थित छोटे समूहों पर आधारित ऐसे सामाजिक संगठनों को 'जनजाति' (ट्राइब) मानता है जो सामान्यतः अपनी परम्परागत मान्यताओं द्वारा अनुशासित हों, जिनका स्थायी या अस्थायी रूप से परिवार की सीमा से ऊपर उठकर एक राजनैतिक संगठन (क्बीला) हो, जो प्रायः एक जैसी भाषा, संस्कृति एवं आदर्श से जुड़े हुए हों, जिनके नाम कुछ विशिष्टता लिए हों और एक क्षेत्र विशेष से सम्बन्ध हों तथा व्यापार, कृषि, भवन-निर्माण, युद्ध एवं विभिन्न संस्कारों के अवसर पर जिनकी पर्याप्त हिस्सेदारी हो।

इम्पीरियल गजेटियर ऑफ इण्डिया में जनजाति को इस प्रकार परिभाषित किया गया है "जनजाति परिवारों का वह संकलन है जिसका एक अपना सामान्य नाम होता है, जो सामान्य भाषा बोलती हैं तथा जो सामान्य प्रदेश में रहते हैं।" मजूमदार(1937) ने अपनी परिभाषा में जनजाति की सभी विशेषताओं को स्पष्ट किया है। इनके अनुसार "जनजातीय समुदाय परिवारों तथा परिवारों के समूह का हिस्सा होता है जिसका एक सामान्य नाम होता है, जिसके सदस्य एक निश्चित भू-भाग पर निवास करते हैं, सामान्य भाषा बोलते हैं और विवाह, व्यवसाय-उद्योग के विषय में कुछ निषेधों का पालन करते हैं और एक निश्चित एवं उपयोगी परस्पर आदान प्रदान की व्यवस्था का विकास करते हैं।" डॉ० आर. एन. मुखर्जी (1997) के अनुसार "एक जनजाति वह क्षेत्रीय समूह है जो भू भाग, भाषा, सामाजिक नियम और आर्थिक कार्य आदि विषयों में एक सामान्यता के सूत्र में बंधा होता है।" 7 वाल्टन के अनुसार "जनजातियाँ ऐसे लोगों का समूह होती हैं जिनकी अपनी एक सामान्य संस्कृति होती है।"

गिलिन और गिलिन(1948) के अनुसार "स्थानीय जनजातीय समूहों का एक समुदाय जनजाति कहा जाता है, जो एक सामान्य क्षेत्र में निवास करता है तथा जिसकी एक सामान्य संस्कृति है।"

रिवर्स के अनुसार "जनजाति एक सामाजिक समूह है जिसके सदस्य एक सामान्य भाषा का प्रयोग करते हों और युद्ध आदि सामान्य उद्देश्यों के लिए सम्मिलित रूप से कार्य करते हों।" बोआम के अनुसार "जनजाति का अर्थ आर्थिक दृष्टि से ऐसा स्वतंत्र

जनसमूह है जो एक भाषा बोलता है और बाह्य आक्रमण से सुरक्षा के लिए संगठित होता है।”

विद्यार्थी(1963) ने लिखा है, “एक अनुसूचित जनजाति दूसरे समाजों से पूर्ण अथवा आंशिक मात्रा में अलग-थलग, समान अव्ययी, अलग व्यक्तित्व वाली होती है। जमीन तथा प्राकृतिक सम्पदाओं पर उसके कानूनी अधिकार होते हैं। जनजातियों का सामाजिक नियम एवं जीवन पद्धति विशिष्ट होती हैं तथा सामाजिक समस्याओं को सुलझाने के लिए पंचायत व्यवस्था होती है। इनमें सांस्कृतिक एकता, सांस्कृतिक जीवन एवं सांस्कृतिक निरंतरता भी परिलक्षित होती है।”

उपरोक्त सभी परिभाषाओं से स्पष्ट है कि ‘जनजाति’ शब्द भारतीय सन्दर्भ में विशिष्ट अर्थ को परिभाषित करने वाला है। आदिवासी, जनजाति, वन्यजाति, वनवासी, आदिम जाति, प्राचीन निवासी आदि शब्दों से भी इन्हें पूर्व में ‘जाना जाता रहा है। जनजातियों की इस प्रकार से व्याख्या की जा सकती है कि जनजातियों का एक ऐसा समुदाय होता है, जिसकी अपनी बोली, भाषा सब एक प्रकार की होती है। जनजातियाँ आधुनिक सभ्यता से दूर जंगलों में प्राचीन काल से निवास करते हुए अपनी जाति के अन्दर ही वैवाहिक परम्पराओं का निर्वाह करते हैं तथा एक ही प्रकार की सामाजिक व्यवस्था पर आधारित हो। एक विशिष्ट जनजाति के सांस्कृतिक तत्वों में एकरूपता पाई जाती है जिससे उन्हें अन्य समुदायों से एकदम अलग किया जा सकता है।

भारत में सबसे ज्यादा जनजातियाँ मध्य प्रदेश में (जनसंख्या के आधार पर) तथा पूर्वोत्तर राज्यों में प्रतिशत के आधार पर निवास करती हैं। आदिवासी समुदाय या जनजातियाँ भारत की मूल जातियाँ मानी जाती हैं, और यह जनजातियाँ हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी को छोड़ कर पूरे भारत में फैली हैं, तथा वर्तमान समय में सरकारी अभिलेखों में 705 जनजातियाँ मान्यता प्राप्त हैं, जिन्हें भारत सरकार ने जनजाति संवर्ग में वर्णित किया है।

जनजाति समाज का इतिहास हजारों वर्षों पुराना है, परन्तु इतिहासकारों ने विधिवत तरीके से इनका इतिहास नहीं लिखा। इनकी उत्पत्ति के सन्दर्भ में अनेकों किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। जनजाति समाज के साथ एक कल्पित रहस्यमय कहानी जुड़ी है। जनजाति समाज का इतिहास वैदिक काल से माना जाता है। मानव विकास के इतिहास से स्पष्ट होता है कि मानव हजारों वर्षों में विकास की एक लम्बी प्रक्रिया से गुजरते हुए

वर्तमान अवस्था तक पहुँच सका है। एक लम्बे समय तक मानव जंगलों और पहाड़ों में भटकता हुआ जानवरों के शिकार और फल-फूल के द्वारा अपनी उदर पूर्ति करता रहा है। गुफाएँ और जंगल ही इनके आवास रहे हैं। कृषि के आविष्कार और पशुपालन के आरम्भ होने से विभिन्न मानव समूहों ने स्थानीय रूप से विशेष भू-भाग पर रहना आरम्भ कर दिया। विभिन्न मानव समूहों के विकास की प्रक्रिया भी एक-दूसरे से भिन्न रही। कुछ समूहों को अपने क्षेत्र में विशेष संसाधन मिल पाने से वे तेजी से आगे बढ़ गये, जबकि अनेक मानव समूह जंगलों, पहाड़ों और दुर्गम क्षेत्रों में रहने के कारण एक सरल जीवन व्यतीत करते रहे हैं।

जनजातियों के वितरण की दृष्टि से विश्व में अनेक विशालतम राष्ट्र हैं, उन्हीं में से एक भारत भी है जहाँ पर अनेकों जनजातियाँ निवास करती हैं। यह जनजातियाँ वर्तमान समय में आधुनिक सभ्यता से काफी दूर हैं। कालान्तर से भारतीय घरा विभिन्न प्रजातीय समूहों की शरणस्थली रही है। पर-संस्कृतिकरण की प्रक्रिया भी भारतीय समाज में प्रारम्भ से रही है, किन्तु इस सब के बाद भी यहाँ ऐसे अनेक मानव समूह हैं, जो बाहरी सभ्यता के सम्पर्क में रहने के पश्चात् भी अपनी मौलिक सांस्कृतिक विशेषताओं को बनाये हुए हैं, इसलिए वैरियर एल्विन(1963) ने जनजातियों के सम्बंध में कहा कि "आदिवासी भारतवर्ष की वास्तविक स्वदेशी उपज है, ये वे प्राचीन लोग हैं जिनके नैतिक आधार व दावे हजारों वर्ष पुराने हैं। भारतीय समाज विभिन्न प्रजातीय समूहों का संगम स्थल रहा है। जनजातियाँ प्रायः शहरी सभ्यता से बहुत दूर घने जंगलों, पर्वतों, घाटियों एवं पठारी क्षेत्रों में निवास करती हैं। प्रारम्भ में निरन्तर शुद्ध जलवायु एवं कन्द मूल फल के सेवन से इनका जीवन निरोग एवं स्वस्थ बना रहता था। स्वतः रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति का विकास होता रहता था परन्तु वर्तमान में औद्योगीकरण और शहरीकरण तथा जनसंख्या के बढ़ते दबाव के कारण औद्योगीकरण ने इनके सम्पूर्ण परिवेश को ही दूषित कर दिया है। किसी भी समाज के विकास तथा उन्नति के लिए शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। शिक्षा के अभाव में विकसित एवं सभ्य समाज का निर्माण, कल्पना मात्र है। भारत एक विशाल देश है जिसमें अनेक विविधताएँ हैं। आदिकाल से ही यह विभिन्न धर्मों, मतों, सम्प्रदायों, संस्कृतियों, प्रजातियों, जनजातियों की कर्मभूमि रहा है। प्रायः अधिकांश जनजातियाँ ऐसे भौगोलिक क्षेत्रों में निवास करती रही हैं जहाँ सभ्यता का प्रकाश बहुत कम पहुँच पाया है। भारतीय संविधान में उन वर्गों के कल्याण तथा उत्थान के लिए विशेष प्रकार के

प्रावधान दिये गये हैं, जो कि समाजिक, आर्थिक, राजनैतिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। जनजाति या आदिम जाति जैसे नामों से पहचाना जाने वाला समुदाय स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात किए गए तमाम संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद आज भी समाज में अपनी गजबूत स्थिति बना पाने में सफल नहीं रहा है। इन्हें आधुनिक समाज की अर्थदृष्टि अनुत्पादक मानती है। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जनजातियों का महत्वपूर्ण स्थान है। जनजातीय समूह देश के सबसे पिछड़े हुए वर्ग में रखे जा सकते हैं। विकास की दृष्टि से भारत की जनजातियों को विभिन्न अवस्थाओं में रखा जा सकता है। वर्तमान में सम्य समाज की तुलना में पिछड़े हुए हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, इनकी कुल आबादी लगभग 10.43 करोड़ की है तथा ये देश की कुल आबादी का 8.6 प्रतिशत भाग का गठन करते हैं। कुल जनजातीय आबादी में से लगभग 5.24 करोड़ पुरुष हैं तथा लगभग 5.19 करोड़ महिलाएँ। इसी प्रकार से, जनजातीय लोगों का सबसे बड़ा भाग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। भारत वर्ष में जनजातियों की संख्या कुल जनसंख्या के अनुपात में निरंतर वृद्धि हो रही है जैसा कि तालिका 1.1 दर्शाती है।

तालिका-1.1

वर्ष	जनजाति जनसंख्या	दशकीय वृद्धि दर							
		प्रतिशत	ग्रामीण	प्रतिशत	शहरी	प्रतिशत	कुल	ग्रामीण	शहरी
1961	3,01,30,184	6.9	2,93,57,790	8.1	7,72,394	1.0			
1971	3,80,15,162	6.9	3,67,20,681	8.4	12,94,481	1.1	26.2	25.1	67.6
1981	5,16,28,638	7.6	4,84,27,604	9.2	32,01,034	2.0	35.8	31.9	147.3
1991	6,77,58,380	8.1	6,27,51,026	10.1	50,07,354	2.3	31.2	29.6	56.4
2001	8,43,26,978	8.2	7,73,39,335	10.4	69,87,643	2.4	24.5	23.2	39.5
2011	10,42,81,034	8.6	9,38,19,162	11.3	1,04,61,872	2.5	23.7	21.3	49.7

स्रोत-सेन्सस ऑफ इण्डिया 2011

भारत में जनजातियों का अस्तित्व :- भारत की जनजातियाँ ही यहाँ की आदिवासी तथा मूलतः निवास करने वाली जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनके जीवनयापन का ढंग वर्तमान में भी प्राचीन पद्धतियों से ही संचालित होता आ रहा है। अब भले ही कुछ जनजातियों ने स्थायी ढंग से कृषि पशुपालन आदि कार्यों में रुचि लेना प्रारम्भ कर दिया है किन्तु उनकी अधिकांश जनसंख्या शिकार करने, मछली पकड़ने, लकड़ी काटने

आदि कार्यो द्वारा ही जीवन निर्वाह करती हैं। भारत में जनजातीय समुदाय के लोगों की काफी बड़ी संख्या है किन्तु भारत में जनजातियों की प्राचीनता का विश्लेषण करना आवश्यक है ।

भारत में मानव की उत्पत्ति आज से लगभग 400 पीढ़ियों पहले पूर्व पाषाणकाल में अस्तित्व में आयी आरम्भ में मनुष्य असभ्य प्राणी के रूप में जंगली पहाड़ियों पर जीवन बसर करता था। भोजन के लिए कन्दमूल फल एवं जानवरों के शिकार पर निर्भर था। उसके जीवन का यह आदि स्वरूप था। उसका यह क्रम हड़प्पा सभ्यता के विकसित होने तक चलता रहा। यद्यपि सिन्धु सभ्यता के लोग किस प्रजाति से थे। यह एक विवादास्पद प्रश्न रहा है किन्तु अब यह सिद्ध हो चुका है कि सिन्धु घाटी सभ्यता यहाँ के मूल निवासियों और जनजातियों की एक विकसित शहरी सभ्यता थी। अभी तक मानव समाज में वर्ण या जाति व्यवस्था का अस्तित्व नहीं था लगभग 2000 ई० पूर्व के आस-पास आर्य सभ्यता अस्तित्व में आयी जिसमें पहली बार समाज चार वर्णों में विभाजित हुआ। जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र लेकिन इन चार वर्णों से बहार जनजातियों का अस्तित्व भी था जो किसी वर्ण में शामिल नहीं थीं। ऋग्वेद में अनेक जनजातियों—जैसे भरत, पुरु, यदु, तुर्वसु, मत्स्य, मल्लन, पक्थ, वैकर्ण, क्रिवि, शिवो, अणु, दुह्य आदि का उल्लेख है। माना जाता है कि भरत जनजाति के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। इसी प्रकार अथर्ववेद में बाहलीक, कम्बोज, ऐतरेय ब्राह्मण में मद्र, कुरु अम्बस्थों, बंग पुण्डो, आन्धो, विदर्भ, ऐतरय शतपथ ब्राह्मण में शाकाल, अम्बस्थो, पाचाल, कौशल आदि जनजातियों का उल्लेख है। इन अनार्य जनजातियों के लिए दास या दस्यु शब्दों का उल्लेख मिलता है। ये भारत के मूल निवासी थे। और आर्यों के शत्रु थे। इनमे से कुछ जनजातियों का आर्यों के साथ युद्ध भी हुआ। जैसे दिवोदास नामक आर्य सेनापति ने संबर नामक दास (जनजाति) सेनापति को हराया था । सुदास का शत्रु वृत्र भी एक अनार्य आदिवासी सेनानायक था। आर्यों के बाद 6ठी शताब्दी में वर्णव्यवस्था जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गयी। फलतः जहाँ एक तरफ अनेक जातियाँ अस्तित्व में आयी वहीं जनजातियों का अस्तित्व भी बना रहा। माना जाता है कि इस समय उत्पन्न होने वाले 16 महाजनपदों में से कुछ महाजनपद जनजातियों से विकसित हुए। जैसे कुरु महाजनपद कुरु जनजाति से पांचाल (महाजनपद इनमे पाँच जनजाति जैसे क्रिवि, तुर्वस, केशिन, श्रीन्याय सोमक शामिल थीं।) पांचाल जनजाति से पांचाल, कौशल जनजाति से कौशल महाजनपद

अस्तित्व में आया। कम्बोज जनजाति से कम्बोज महाजनपद बना, मत्स्य जनजाति के नाम पर मत्स्य महाजनपद का निर्माण हुआ। मौर्योत्तरकाल में पोण्ड्रक गोंड, द्रविड, कम्बोज, किरात, कलिंग पुलिन्द उषिनार, मेकल, लाट, पोण्ड्र, दरद आदि जनजातियों का उल्लेख है। इस काल में पहली बार जनजातियों को परंपरागत सामाजिक व्यवस्था में मान्यता प्रदान करने की कोशिश की गई है। गुप्तकाल में भी विन्ध्याचल की पहाड़ियों व जंगलों में रहने वाली पुलिन्द, शबर, किरात जनजातियों का उल्लेख मिलता है। जिनमें अपने देवता को नरबलि चढ़ाने, शिकार से आजीविका चलाने, मांसाहार मद्यपान करने, बलात अपहरण की गई स्त्रियों से विवाह करने जैसे अनोखी प्रथाएँ प्रचलित थीं। गुप्तोत्तर काल में समाज एक नयी प्रक्रिया से गुजरा जिसमें जातियों की संख्या में वृद्धि हुई तथा नयी जनजाति जैसे भील आदि अस्तित्व में आयी। सल्तनत काल व मुगलकाल में देश की सीमा पर रहने वाले अनेक जनजातिय कबीलों का उल्लेख मिलता है। मुगल बादशाहों को उत्तर पश्चिम सीमाप्रान्त में रहने वाली अनेक जनजातियों के विद्रोह के कारण सैनिक अभियान करने पड़े थे।

ब्रिटिश काल में देश के विभिन्न पहाड़ी व जंगली दोनों क्षेत्रों में जनजातियों का अस्तित्व था जिन्होंने समय-समय पर अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए अंग्रेजों के खिलाफ आवाज भी उठायी और राष्ट्रीय आन्दोलन की मुख्य धारा से जुड़ने का प्रयास किया। देश की आजादी के बाद आदिवासियों के विकास तथा उन्हें समाज की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए सरकार ने कदम उठाये। सर्वप्रथम उन्हें संविधान की 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी तथा अनुसूचित जातियों के साथ अनुसूचित जनजातियों को एक ही श्रेणी में रखा। वर्तमान में भारत में लगभग 700 जनजातियाँ हैं। जो सम्पूर्ण जनसंख्या का 8.6 प्रतिशत (10.5 करोड़ 2011 की जनगणना के अनुसार) हैं। जिन्हें भौगोलिक दृष्टि से 5 क्षेत्र समूहों में बाँटा गया है।

1 पूर्वोत्तर क्षेत्र— पूर्वोत्तर क्षेत्र में कश्मीर शिमला, लेह, हिमाचल प्रदेश, बंगाल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, लूसाई की पहाड़ियाँ, मिसमी असम, नेचा तथा सिक्किम का इलाका आता है इस क्षेत्र में लिम्बू, लेपचा, आका, दपला, रामा, कचारो, गोरो, खासी, नागा, कुकी, चकमा, लूसाई, गुरड आदि प्रमुख जनजातियाँ हैं।

2 मध्य क्षेत्र: — इस क्षेत्र में बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा आता है। जनसंख्या व उनके महत्त्व की दृष्टि से यह सबसे बड़ा क्षेत्र है। इसमें गोंड, काध, खडिया, सावरा, गदब, भूरिया, गरिया, उरावं, गुंडा, रांथाल, हो, साहारिया, पहाडिया, थारू, जौनसारी, राजी, बुवसा, भोटिया आदि जनजातियाँ निवास करती हैं।

3 पश्चिम क्षेत्र:— इसमें राजस्थान गुजरात के क्षेत्र आते हैं। इस क्षेत्र की प्रमुख जनजातियाँ भील, भीणा आदि हैं।

4 दक्षिण क्षेत्र:— इस क्षेत्र में दक्षिणी आन्ध्रप्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल आदि आते हैं। इस क्षेत्र में चेचू, टोडा, परिया, कादर, कणीदर, कुरावन आदि प्रमुख जनजातियाँ हैं।

5 द्वीप समूह क्षेत्र:— अण्डमान निकोबार द्वीप समूह में रहने वाली जनजाति इस क्षेत्र में आती हैं। इनमें जरवा, सोयपेन, आगे जनजाति प्रमुख हैं। इस प्रकार विश्लेषण बताता है कि भारत जनजातियों की दृष्टि से एक धनी देश है।

संविधान में कहीं भी जनजाति शब्द की सुव्यक्त परिभाषा नहीं है वस्तुतः इसकी संपूर्ण और स्पष्ट व्याख्या कहीं भी नहीं मिलती। आम आदमी के लिए यह शब्द अपने विलक्षण आचरणों एवं रीति रिवाज के साथ पर्वतों और जंगलों में रहने वाले सीधे सरल जनसमूह की ओर इंगित करता है। जिन्हें कुछ अधिक जानकारी है वह इस शब्द का अर्थ के उन लोगों से लगाते हैं जो अपने नृत्य, गीत और वन औषधी के लिए विख्यात हैं प्रशासन की दृष्टि में यह नागरिकों का वह वर्ग है जिसकी विशेष जिम्मेदारी भारत के राष्ट्रपति पर है और मानव शास्त्री के लिए भी यह एक सामाजिक वर्ग के अध्ययन का विशेष क्षेत्र है अपने-अपने दृष्टिकोण में यह सभी अवधारणा सही हैं।

संविधान में जनजाति की परिभाषा को सीमांकित करते हुए कहा गया है कि अनुसूचित जनजातियों वे हैं जिन्हें राष्ट्रपति के अनुच्छेद 342 की लोक अधिसूचना द्वारा जनजातीय या जनजाति समुदाय अथवा जनजातीय जनजाति समुदायों के भागों को विनिर्दिष्ट किया गया है स्वाधीनता के उदय और स्वतंत्र भारत का संविधान लागू हो जाने के बाद उनके विकास और कल्याण का दायित्व राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के माध्यम से लोकप्रिय सरकार को सौंपा गया। नीति निर्देशक तत्वों का अनुगमन करने के लिए

अनुसूचित जातियों जनजातियों के कल्याण के लिए विशेष अनुच्छेदों की व्यवस्था की गई इनमें से ज्यादातर दोनों वर्गों के लिए एक समान है किंतु ऐसे भी हैं जो इन दोनों में से किसी एक पर लागू होते हैं निम्नलिखित विषय वस्तु के आधार पर इन संवैधानिक उपबंधों को बँटा गया है—

अनुच्छेद 14 कानून की नजर में समानता या सबको समान कानूनी संरक्षण।

अनुच्छेद 15— धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के खिलाफ भेदभाव निषेध।

अनुच्छेद 15(4)— सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक हितों को प्रोत्साहन।

यद्यपि अनुच्छेद 15 में संविधान द्वारा धर्म मूल वंश जाति लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव के निषेध किया गया है। फिर भी इसी अनुच्छेद के अनुसार से एक छूट की व्यवस्था है जिसके अनुसार राज्य को अनुसूचित जनजातियों और जातियों एवं सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से पिछले नागरिकों की उन्नति एवं प्रगति के लिए कोई भी उपबंध बनाने का अधिकार दिया गया है। यह उपबंध अनुच्छेद 46 में परिकल्पित इस नीति के अनुरूप है कि राज को पूरी जिम्मेदारी के साथ कमजोर वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को प्रोत्साहित करना एवं सामाजिक अन्याय से उनकी रक्षा की जानी चाहिए।

अनुच्छेद 16 (4)— पदों और नौकरियों में आरक्षण और अनुच्छेद 19(5) संपत्ति के मामलों में जनजातियों के हितों की सुरक्षा हालाँकी संविधान में प्रत्येक नागरिक को भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आवागमन हेतु संरक्षण उसके किसी भी भाग में बसने निवास करने और संपत्ति का क्रय विक्रय करने के अधिकार की गारंटी दी गई है।

अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिषेध आदि— इसके द्वारा मानव का दुर्व्यवहार बेगार एवं अन्य प्रकार के बलात् श्रम प्रतिषेध किए गए हैं यह बहुत महत्वपूर्ण प्रबंध है क्योंकि अनुसूचित जनजातियों का शोषण करना बड़ा आसान है और उनके लोगों को बंधुआ बनाया जा सकता है वास्तव में देश की जनजातियों के सदस्यों का एक बड़ा हिस्सा बन्धुआ होने के कारण बहुत ही विषम जीवन बिता रहा था।

अनुच्छेद 29 सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29(2) यह अनुच्छेद 15 की धारा 4 से नियंत्रित है। प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा संविधान में सम्मिलित इसने अनुच्छेद 1529 को अनुच्छेद 16 (4) 46 और 340 के अनुकूल बना दिया है। यह अनुच्छेद

अनुसूचित जनजातियों को अपनी भाषाओं और संस्कृतियों को बनाए रखने के लिए संरक्षण प्रदान करता है। राज्य द्वारा कानून बनाकर उन पर कोई संस्कृति या भाषा लादी नहीं जा सकती।

अनुच्छेद 38-सरकार सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित और संरक्षित कर जनसामान्य के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए काम करेंगे।

अनुच्छेद 46 - अनुसूचित जनजातियों और जातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और आर्थिक हितों की अभिवृद्धि।

अनुच्छेद 275((1) अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने और अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन के स्तर को सुधारने के लिए अनुदान अनुच्छेद 330,332,335 लोकसभा एवं विधानसभाओं में आरक्षण अनुच्छेद 340 सरकार सामाजिक और शैक्षिक तौर पर पिछड़े वर्गों की स्थिति का पता लगाने के लिए एक आयोग की नियुक्ति करेगा।

अनुच्छेद 342 सरकार जनजाति समुदायों को अनुसूचित जातियों के तौर पर चिन्हित करेगी।

पाँचवी अनुसूची-अनुसूचित क्षेत्र प्रशासन और जनजातीय सलाहकार परिषदों के गठन के लिए निर्देश देती है। यह परिषदें जनजातीय समुदाय के मामलों की निगरानी करेंगी और उपयुक्त सलाह देंगी।

छठी अनुसूची-असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम में कुछ खास इलाकों को स्वतंत्र जिले या स्वायत्त क्षेत्र घोषित कर तथा जिला परिषदों के गठन के जरिए अनुसूचित क्षेत्र का प्रशासन।

संविधान संशोधन 73वां और 74वां संशोधन तथा पंचायत (अनुसूचित क्षेत्र का विस्तार) कानून 1996(अनुसूचित जनजातियों को सशक्त और सक्षम बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम इन समुदायों को अपनी ही पहल कदमी के जरिए खुद के हितों और कल्याण को बढ़ावा देने में सक्षम बनाया गया पैसा संवहनी; है स्वायत्ता जनजातीय शासन सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान करता है। समाज चाहे जनजातीय हो या आधुनिक औद्योगिकृत सभी समाजों में कुछ न कुछ समस्याएँ जरूर होती हैं। ये समस्याएँ सामाजिक व आर्थिक दोनों प्रकार की होती हैं।

थारु जनजाति का परिचय :-

आज से लगभग 2000 वर्ष पहले उपरोक्त जनजातियाँ भारत में विशेष रूप से पहचान में आ चुकी थीं और धीरे-धीरे वह भारतवर्ष में अनेक भागों—उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार के क्षेत्रों में फैल गयी। वर्तमान में थारु जनजाति का बहुत बड़ा समुदाय उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल में देखने को मिलता है। थारु जनजाति के समुदाय के लोग भी उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल में बहुत बड़ी संख्या में निवास करते हैं। आज भी इनकी अपनी मौलिक संस्कृति है और अपना जीवन दर्शन है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन का मूल विषय उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद की थारु जनजाति से संबंधित है किन्तु मूल विषय पर विस्तृत अध्ययन करने से पहले भारत में जनजातियों का अस्तित्व कब से है इस पर संक्षिप्त प्रकाश डालना आवश्यक है। उत्तर प्रदेश में थारु, बुक्सा, खरवार, सहरिया, बैगा, गोण्ड, चेरो आदि जनजातियाँ निवास करती हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की सम्पूर्ण जनजातीय जनसंख्या का 0.6 प्रतिशत जनजाति भाग उत्तर प्रदेश में निवास करता है। जनजातीय समाज सम्य समाज से बहुत पिछड़ा हुआ है। उसका प्रमुख कारण यह है कि जनजातीय समुदाय के लोग आज भी अपनी प्राचीन परम्पराओं व संस्कृतियों को अपनाये हुए हैं, जिस वजह से वह मुख्यधारा से दूर है। समय के साथ कुछ परिवर्तन समाज में जरूर हुए हैं और इससे जनजातीय समाज प्रभावित भी हुआ है। सामाजिक परिवर्तन का प्रभाव थारु जनजाति में भी हुआ। इस जनजाति का सामाजिक संगठन तथा आर्थिक व्यवस्था भी प्रभावित हुई है। प्रत्येक स्थान और काल के साथ साथ इस व्यवस्था में भी परिवर्तन हुए हैं। जनजातियों को आदिवासी, पिछड़े हिन्दू आदि नामों से सम्बोधित किया जाता है। जनजातियाँ वास्तव में सम्य समाज से बहुत दूर थी, इस कारण इन्हें असम्य, जंगली एवं आदिवासी कहा जाता था। समय के साथ हुए परिवर्तन में जनजातियाँ भी अपने आप को नहीं बचा सकी। सामाजिक व आर्थिक संगठन में इस परिवर्तन का प्रभाव पड़ा और आधुनिकीकरण, शहरीकरण ने इन जनजातियों को विशेष प्रकार से प्रभावित किया है। इस प्रकार के हुए परिवर्तनों से जनजातीय परिवारों में अनेकों प्रकार की समस्याएँ आ गयी हैं, जिस कारण जनजातीय समाज में असुरक्षा का वातावरण व्याप्त हो गया है। इन सभी समस्याओं का विस्तृत अध्ययन, विश्लेषण तथा निदान आवश्यक है।

थारु वर्ग का पूर्व में कई समाज वैज्ञानिकों द्वारा अध्ययन किया जा चुका है। लेकिन सामाजिक-आर्थिक स्तर जाने बिना उसके विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। प्रस्तुत शोध में भी थारु जनजाति के पहलुओं पर गहराई से अध्ययन कर उनकी समस्याएँ समाधान और निष्कर्ष निकाले जाएँगे आज थारु अपनी संस्कृति और कला के अस्तित्व के लिए चिन्तित है। इनकी परम्परागत प्रथाएँ, राजनीतिक व्यवस्था, रीति-रिवाज, लोक-कलाएँ परम्परागत कार्य और पहचान खोती जा रही हैं थारु जनजाति आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से बहुत पिछड़ी हैं। इसे विकास और मुख्य धारा से जोड़ने के लिए और अधिक कार्यक्रम और योजनाएँ संचालित करनी होंगी।

थारुओं का मूल निवास स्थान राजस्थान भी माना गया है। अधिकांश थारुओं का कहना है कि उनकी उत्पत्ति मेवाड़ के राणा वंश में हुई है। उनका मानना है कि जब मुगल सम्राट अकबर ने राजस्थान की मेवाड़ रियासत पर हमला किया तो वहाँ के राजा महाराणा प्रताप सिंह ने मुगल सेना का मुकाबला किया तथा अन्ततः जब वे पराजित हो गये तो स्वजनों की रक्षार्थ वे जंगल की ओर पलायन कर गये। इस युद्ध में चित्तौड़ के लोगों ने राजा राणा प्रताप सिंह का साथ दिया था। युद्ध में पराजय के पश्चात् मुगलों द्वारा बन्दी बनाये जाने तथा सजा के डर से ऐसे लोगों ने अपना घर छोड़कर जंगलों की शरण में जाना उचित समझा, जहाँ मुगलों का शासन नहीं था। अतः ये सभी लोग तराई क्षेत्र में रहने लगे। धीरे-धीरे पहाड़ी स्त्रियों से सम्बन्ध स्थापित होने पर आज वे इतने विस्तृत क्षेत्र में फैल गये। इसके विपरीत कुछ थारुओं का मानना है कि वह राजस्थान की राजपूत स्त्रियों की संतान है। तेरहवीं, चौदहवीं शताब्दी में बाहरी आक्रमणकारियों द्वारा हमले में जब राजपूतों की हार हो गई तब राजपूत रानियों ने इनके चंगुल में पड़ने के डर से अपने विश्वस्त सैनिकों के साथ वहाँ से भाग जाना उचित समझा। उन सैनिकों ने तराई के घने जंगलों में शरण ली। उन राजपूत स्त्रियों के सैनिकों के साथ यौन सम्बन्ध स्थापित हो गये तथा इनसे उत्पन्न संतानें बाद में थारु कहलाई।

स्वयं थारु समाज का यह मत है कि इन लोगों का मूल उद्गम स्थल थार राजस्थान है, इसलिये ये थारु कहे जाते हैं वास्तविक प्रतीत नहीं होता, क्योंकि यदि हम मानव वैज्ञानिक आधार पर देखें तो वंशानुक्रमण के सिद्धान्त के अनुसार इनकी शारीरिक एवं बौद्धिक, मानसिक, यहाँ एक तक कि सामाजिक, सांस्कृतिक विशेषताएं राजस्थान के राणा एवं राजपूत लोगों से अत्यन्त भिन्न हैं। इनकी यह बात भी गले नहीं उतरती कि

मुगल काल में मुगल बादशाहों के जुल्मों का शिकार होकर यह उनसे बचने के लिए यहाँ आकर छुप गये क्योंकि ऐसा संभव नहीं कि एक बादशाह से परेशान होकर कोई किसी के शासन क्षेत्र में छुप सके हालाँकी मुगल काल में यहाँ पर भी मुगल बादशाह का शासन था। थारु जनजाति के लोगों का भोजन सामान्य ग्रामीण जैसा ही होता है। इनके भोजन में मैदानी और पर्वतीय दोनों क्षेत्रों के भोजन की मिश्रित विशेषतायें पायी जाती है। तराई क्षेत्र की प्रमुख फसल धान है। थारु लोग धान की कृषि करते हैं तथा वही उनका प्रमुख भोजन है। थारु लोगों का मुख्य भोजन 'चखनला भात' है। 'चखना' रसोदार सब्जी तथा भात पके हुए चावलों को कहा जाता है। प्राचीन समय से ही थारु अत्यधिक मांस मछली तथा मदिरा का सेवन करते हैं। अतः मदिरा थारुओं के भोजन का ही अंग मानी जाती है। थारु प्रायः खुद तैयार की गई कच्ची शराब का प्रयोग करते हैं जिसे वह चावल से बनाते हैं। दैनिक जीवन तथा उत्सवों और त्यौहारों के समय थारुओं में शराब का प्रयोग भारी मात्रा में किया जाता है। शादी विवाह में आने वाले कुल खर्च का आधे से अधिक भाग मदिरा (शराब) पर खर्च होता है। मछली भी थारुओं के भोजन का एक प्रिय अंग है। मछली खाने के लिये ये मछली पकड़ने का भी कार्य करते हैं। शिकार करने में भी ये निपुण होते हैं। अतः वन्य पशु पक्षियों का शिकार करते हैं। ये पशुपालक भी हैं, सुअर तथा मुर्गियों को पालते हैं तथा कभी-कभी उनका भोजन भी व्यवहार में लाते हैं।

कुछ विद्वानों ने थारु शब्द की व्युत्पत्ति से इनके विकास का अनुमान लगाया है जैसे थारु शब्द का अर्थ है ठहराव या ठहरे हुए या ठिठुरना अर्थात् सदियों से यहाँ ठहरे होने के कारण यह थारु कहलाए।

एक अन्य मत के अनुसार तराई के तर शब्द से थर शब्द की व्युत्पत्ति हुई जिसका अर्थ होता है नमी युक्त दलदली भूमि अर्थात् ऐसी नमी युक्त दलदली भूमि पर रहने वाले या लोग थारु कहलाए। थार का एक शाब्दिक पर्याय मदिरा भी है अर्थात् अत्यधिक मदिरापान करने के कारण इन्हें क्षेत्रीय राजाओं द्वारा जंगलों में खदेड़ दिया गया और कालांतर में इनका नाम थारु पड़ गया।

डी०एन० मजूमदार ने थारु जनजाति का वैज्ञानिक अध्ययन करके या सिद्ध करने का प्रयास किया कि तारों की उत्पत्ति मंगोल और पहाड़ी जातियों के संपर्क से हुई। नवी शताब्दी में जब राजपूतों द्वारा मंगोलों को पराजित कर खदेड़ा गया तब यह मंगोल तराई के जंगलों में आकर छुप गए क्योंकि उस समय हारे हुए मंगोलों को उनके समाज में

स्वीकारा नहीं जाता था इसलिए वह मजबूर होकर इन घने जंगलों में आकर चुपके धीरे-धीरे इन मंगोलों ने यहां की क्षेत्रीय स्त्रियों के साथ संपर्क स्थापित किए और उनसे जो नई प्रजाति जन्मी वह थारु कहलायी। इस अध्ययन के लिए डी एन मजूमदार ने थारु जनजाति के लोगों का रक्त परीक्षण कराकर इस तथ्य की पुष्टि की है।

थारु जनजाति भारत में रहने वाली विभिन्न जनजातियों में से एक है जिसे भारत सरकार द्वारा 1967 में अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया या जनजाति मुख्य रूप से हिमालय के गिरिपाठ तराई क्षेत्र में सघन रूप से अधिवास करती है तराई क्षेत्र सघन वनों से आच्छादित एवं वन्य संसाधनों से संपन्न है उत्तर प्रदेश राज्य का लखीमपुर खीरी जिला थारु अधिवास के प्रमुख स्थलों में से एक है।

भारत के उत्तर में स्थित नेपाल देश की दक्षिण पश्चिम सीमा को स्पर्श करते हुए भारतीय संघ राज्य क्षेत्र के उत्तर प्रदेश नामक राज्य के अंतर्गत लखनऊ मंडल का प्रशासनिक जिला लखीमपुर खीरी अवस्थित है जिसे संक्षेप में खीरी के नाम से भी पुकारा जाता है लखीमपुर खीरी जिला हिमालय की तराई में सघन वनों एवं वर्ष पर्यन्त बहने वाली सदानीरा नदियों जैसे शारदा, घाघरा, गोमती आदि द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित अत्यंत हरा-भरा एवं कृषि की दृष्टि से अत्यंत उपजाऊ भूमि वाला क्षेत्र है। लखीमपुर खीरी जिले का भौगोलिक रूप से अक्षांशीय विस्तार 27 अंश 6 मिनट उत्तर से 28 अंश 6 मिनट डिग्री उत्तर तथा देशांतरीय विस्तार 40 अंश 34 मिनट डिग्री पूर्वी से 88 अंश 30 मिनट डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य है। अपने आधार में त्रिकोणी रूप के साथ लगभग लखीमपुर खीरी जिले का क्षेत्रफल 7680 वर्ग किलोमीटर के लगभग है जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। लखीमपुर खीरी उत्तर दिशा में नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा होने तथा अपनी इसी सीमा में सघन वन श्रृंखला के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी बेहद संवेदनशील है। लखीमपुर खीरी जिला पूर्व में बहराइच, पूर्व दक्षिण में सीतापुर, दक्षिण में हरदोई, दक्षिण पश्चिम में शाहजहांपुर एवं पश्चिम में पीलीभीत जिले से घिरा है। जिले को प्रशासनिक दृष्टि से सात तहसीलों में क्रमशः लखीमपुर, मोहम्मदी, गोला गोकर्ननाथ, निघासन, धौराहरा, पलिया एवं मितौली में विभाजित किया गया है। ऐतिहासिक दृष्टि से लखीमपुर जिला महाभारत काल से भी अपना जुड़ाव रखता है जिसके प्रमाण यहां स्थित कुछ प्राचीन स्थलों की खुदाई से प्राप्त मूर्तियों एवं सिक्कों से प्राप्त होते हैं। प्रमुख स्थलों में एक

प्रमुख स्थल बल अभिया बढ़कर तहसील मोहम्मदी में स्थित है जिसो महाभारत कालीन राजा द्रुपद के पांचाल राज्य के पूर्वी सीमांत क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया जाता है। मध्यकालीन युग में 10 वीं शताब्दी के दौरान लखीमपुर खीरी का उत्तरी भाग नेपाल से निकटता के कारण राजपूत गतिविधियों का केंद्र बना और परिणाम स्वरूप नेपाल के राजपूत घरानों से भारतीय राजपूत घरानों के वैवाहिक संबंध भी स्थापित हुए। 14 वीं शताब्दी में जब नेपाल के शासकों का सैन्य हस्तक्षेप भारतीय क्षेत्र में बढ़ने लगा तब क्षेत्रीय भारतीय राजपूत शासकों द्वारा क्षेत्र की किलेबंदी कर भारतीय सीमा को सुरक्षित रखने का प्रयास किया गया जिसके प्रमाण आज भी सीमांत क्षेत्रों में बने किलों एवं महलों के रूप में विद्यमान हैं। आधुनिक युग में अट्टारह सौ सत्तावन ईसवी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लखीमपुर खीरी जिले का मोहम्मदी क्षेत्र क्रांति का प्रमुख केंद्र बना। आगरा से 1858 ईसवी के अंत में ब्रिटिश अधिकारियों ने लखीमपुर खीरी क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर इसे 4 जिलों के रूप में गठित किया और इसका मुख्यालय मोहम्मदी से हटाकर लखीमपुर खीरी स्थानांतरित कर दिया तथा अट्टारह सौ सत्तावन की क्रांति के उपजे आक्रोश को हमेशा के लिए दबा दिया गया।

लखीमपुर खीरी का पूर्व नाम लक्ष्मीपुर के नाम से जाना जाता है यह नाम इस क्षेत्र में माता लक्ष्मी जी के मंदिर के कारण अस्तित्व में आया बताया जाता है। क्षेत्रीय मान्यता के अनुसार माता लक्ष्मी जी के इस मंदिर की स्थापना महाभारत के युद्ध के उपरान्त भगवान कृष्ण ने स्वयं कब की थी जब वह भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन-कर नेपाल क्षेत्र से वापस लौट रहे थे। यह मंदिर आज भी लखीमपुर नगर के मध्य संकटा माता मंदिर के नाम से धार्मिक आस्था के केंद्र के रूप में विद्यमान है तथा क्षेत्र के लोग यहां नित्य प्रति पूजा अर्चना के लिए एकत्र होते हैं। पर्यावरण एवं वन्य संसाधनों की दृष्टि से लक्ष्मीपुर क्षेत्र चारों ओर से खैर के वृक्षों से आच्छादित होने के कारण इस क्षेत्र को लक्ष्मीपुर खैर क्षेत्र कहा जाने लगा जोकि धीरे-धीरे वर्तमान रूप में लखीमपुर खीरी के नाम से अस्तित्व में जाना जाता है।

लखीमपुर खीरी जिले में सघन वनों एवं इन वनों में रहने वाले वन्यजीवों के कारण भारत सरकार ने 1872 ईस्वी में यहां एक टाइगर रिजर्व क्षेत्र के रूप में दुधवा नेशनल पार्क की स्थापना की इस टाइगर रिजर्व में वन्य जीवों के अतिरिक्त यहाँ के सघन जंगलों में थारु जनजाति भी अधिवास करती चली आ रही है। थारु जनजाति इन घने जंगलों

के मध्य कब से अधिवास कर रही है इसका कोई ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं है लेकिन उत्तर प्रदेश में अधिवास करने वाली जनजातियों में यह थारु जनजाति जनसंख्या बल के आधार पर सबसे अधिक मात्रा में इन्हीं वन्य क्षेत्रों में निवास करती है। थारु जनजाति उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, लखीमपुर बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, गोरखपुर आदि तराई के जिलों में अधिवास करती है तराई के इन जिलों में थारु समुदाय के लोग पूरे जिलों में सामान्यतः निवास करते हैं लेकिन मुख्य रूप से अपनी परंपरागत शैली में या जनजाति सामान्य जनजीवन से दूर प्राकृतिक वातावरण में जंगलों के मध्य रहना अधिक पसंद करती है। यही कारण है कि लखीमपुर खीरी जिले में मुख्य रूप से अपनी परंपरागत शैली में जीवन यापन करते हुए यह जनजाति जिले की उत्तरी सीमा में स्थित पलिया कलां, निघासन तहसीलों में नदियों के किनारे स्थित घने जंगलों में अधिवास करती आ रही है विशेषकर दुधवा नेशनल पार्क के घने जंगलों में। जिले के मध्य में बहने वाली शारदा नदी के उत्तर और नेपाल की अंतरराष्ट्रीय सीमा के दक्षिण में स्थित सघन वन वाले दुधवा क्षेत्र में यह जनजाति सदियों से अपनी सामाजिक सांस्कृतिक परंपराओं को सुरक्षित रखते हुए एक आत्मनिर्भर जनजाति के रूप में अपना जीवन यापन करती चली आ रही है।

थारु जनजाति भारत में उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखण्ड, असम, बिहार, बंगाल में हिमालय से लगे तराई क्षेत्र में पायी जाती है। यद्यपि देश की सम्पूर्ण थारु जनजाति का बड़ा भाग उत्तराखण्ड के चम्पावत, टकनपुर, सितारगंज, खटीमा क्षेत्र में पाया जाता है। यह उत्तर प्रदेश की भी सबसे बड़ी जनजाति है, जो उत्तर प्रदेश के, महाराजगंज, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, गोरखपुर, गोण्डा, पीलीभीत, जहाँ पर लखीमपुर खीरी के पलिया कलां तथा निघासन ब्लॉक के गांवों में थारु जनजाति विद्यमान है। यद्यपि जिले की सम्पूर्ण जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार) 4021243 है। जिसमे 49675 जनसंख्या थारु जनजाति की हैं। प्रस्तुत शोध में लखीमपुर खीरी में विद्यमान थारु जनजाति की ऐतिहासिकता के साथ उनकी उत्पत्ति, उनका सामाजिक- आर्थिक स्तर, उनकी शैक्षिक स्थिति, उनके विद्यार्थियों का समायोजन एवं उनकी समस्याओं का अध्ययन किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों में सर्वाधिक जनसंख्या थारु जनजाति की है यह जनजाति तराई क्षेत्र के मुख्यतः नैनीताल, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, गोंडा, बहराइच

और गोरखपुर जिलों में निवास करती है तथा बिहार के चंपारण और दरभंगा जिलों में पूर्व में असम की जलपाईगुड़ी से पश्चिम में कुमाऊं, उत्तर प्रदेश की पांचों अनुसूचित जनजातियों में सर्वाधिक जनसंख्या थारू जनजाति की है। थारू जनजाति में अनेक उपजातियां भी पाई जाती हैं जिनमें से उत्तर प्रदेश में रहने वाली प्रमुख उपजातियां निम्न हैं—

1. राणा थारू— यह थारू उच्च कुल के माने जाते हैं यह स्वयं को राणा प्रताप के वंशज मानते हैं इनका निवास मुख्य रूप से नैनीताल जिले के शितारगंज खटीमा व लखीमपुर खीरी जिले के पलिया तथा निघासन विकासखंड में है।
2. कठेरिया— इनके संबंध में विद्वानों का कथन है कि काठ घास का यज्ञोपवीत सूत्र धारण करने के कारण इन्हें कठेरिया कहा जाता है यह मुख्य रूप से लखीमपुर खीरी जिले के पलिया तथा निघासन एवं गोरखपुर जिले के नौतनवा क्षेत्र में निवास करते हैं इसके अतिरिक्त उनकी कुछ जनसंख्या गोंडा व बहराइच जिलों में भी पाई जाती है इनकी अधिकांश जनसंख्या नेपाल देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहती है।
3. डंगरा— इनका नाम डांग घाटी में निवास करने के कारण पड़ा जो नेपाल में स्थित है। इनका विस्तार उत्तर प्रदेश और नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में हुआ है। मुख्य रूप से बहराइच में (सिरसिया) बिछिया) मीहीपुरवा व गोंडा जिले के पंचपेड़वा वह गैंसड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं।
4. जोगिया— क्रूक के अनुसार यह हिंदू जाति के पिछड़े वर्ग के थे, जो जोगी रूप में जाने जाते थे। कुछ समय बाद यह थारूओं से प्रभावित होकर अपने को थारूओं में आत्मसात कर लिए और राणा थारूओं के यहां नौकरी करने लगे धीरे-धीरे राणा थारूओं ने इनको जोगिया थारू कहना आरंभ कर दिया। इस उपजाति समूह की विशेषताएं इनका खानाबदोश होना है। जिसका प्रसार समय-समय पर नैनीताल से नेपाल और नेपाल से नैनीताल होता रहता है।
5. पछिमहा— यह उपजाति समूह राणा थारूओं के बाद उच्च सामाजिक स्तर रखने वाला है। जिनका नाम पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर पूरब के लोगों द्वारा पछिमहा कहा जाने लगा लेकिन यह समूह अपने को राणा थारूओं से कम नहीं मानता। यह मुख्य रूप से गोरखपुर जनपद में नौतनवा क्षेत्र में निवास करते हैं।

अध्ययन का महत्व (Significance of the Study)

भारत एक विशाल देश है जो अनेक भौगोलिक क्षेत्रों में बँटा हुआ है। ये भौगोलिक क्षेत्र एक-दूसरे से भिन्न तथा पृथक् विशेषताओं के कारण अपनी भिन्न पहचान रखते हैं। सामान्यता इन क्षेत्रों में रहने वाले निवासियों के रहन-सहन, धर्म, कला, भाषा और साहित्य के साथ-साथ सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थितियों में भी भिन्नता पाई जाती है। इन भिन्नताओं को आधार मानते हुए हम मोटे तौर पर भारत की जनता को तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। प्रथम वर्ग वह है जो सम्पूर्ण सुविधाओं से परिपूर्ण सामाजिक ढाँचे के शीर्ष पर है। इस वर्ग के पास कहीं कोई कमी नहीं है, संसाधनों तक इसकी पहुँच, सत्ता में दखल, वे सभी प्रकार की जानकारीयों से ओत-प्रोत हैं और हर प्रकार की सुविधाओं को प्राप्त करने का कौशल इसके पास है। दूसरा वर्ग जो सम्पूर्ण सुविधाओं से परिपूर्ण न होते हुए भी अपने अधिकारों के प्रति सजग, अधिकारों को पाने की क्षमता और अप्रत्यक्ष रूप से राज व्यवस्था को प्रभावित करने में सक्षम है। तीसरा वर्ग जो कि समाज की सबसे निम्नतम स्थिति में होते हुए मूलभूत सुविधाओं से वंचित होकर अभावपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा है। इसी निम्न वर्ग में से एक जनजातीय समुदाय भी है जो कि देश के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक ढाँचे के हाशिये पर खड़ा है। विकासात्मक गतिविधियों एवं समाज की मुख्यधारा से अलग-थलग पड़ा यह समुदाय दुर्गम, बीहड़ क्षेत्रों में मानवीय मूल्यों से ओत-प्रोत परन्तु आधुनिक सभ्यता के लाभों से वंचित, प्रगति की दौड़ में पिछड़ा, शिक्षा के वरदान से अछूता, शोषण का शिकार, आधुनिक कृषि एवं उद्योग-धन्धों से अनभिज्ञ तथा सभ्यता के आरम्भिक सोपानों में अवस्थित है। पहाड़ी धरातल, अनुपजाऊ भूमि, अविकसित यातायात एवं सघन वन जनजातीय क्षेत्रों की प्रमुख विशेषता रही है। जनजातीय संस्कृति समग्र भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर है और जनजातीय क्षेत्रों का विकास देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना के बाद से ही प्रमुख प्राथमिकता का क्षेत्र रहा है किन्तु स्वतंत्रता के 76 वर्षों के पश्चात् भी जनजातीय विकास के पूर्ण लक्ष्य की प्राप्ति अभी बहुत दूर है। निश्चित ही जनजातीय समुदाय हमारे समाज का सबसे पिछड़ा हुआ हिस्सा है। उसे राष्ट्र की मुख्यधारा से जोड़ना और उस तक विकास की पहुँच बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। यह कार्य अकेले सरकार या नौकरशाही द्वारा सम्भव नहीं है। इसी कारण स्वैच्छिक

संगठनों को जनजातीय विकास में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्योंकि ये संगठन जनसहभागिता, जनसहयोग के साथ-साथ स्थानीय लोगों की प्राथमिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अधिक संवेदनशील होकर कार्य करते हैं। साथ ही, वर्तमान में यह बहस जोरों पर है कि सतत विकास तथा सामाजिक तकनीकी हस्तांतरण में गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका दिनों-दिन बढ़ रही है।

शोध विषय प्रत्यक्ष तौर पर शिक्षा के साथ मानवशास्त्र, समाजशास्त्र विवेचनों से भी जुड़ा है। किसी भी समाज की तरह जनजातीय समाज भी हमारे समाज का महत्वपूर्ण अंग है। किन्तु विडम्बना है कि इतिहास के पन्नों में उनकी समस्याएँ व विकास दोनों ही ओझल स्थिति में हैं। विगत सैकड़ों वर्षों तक भारत का जनजातीय समाज सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक प्रगति से नदारद रहे हैं और आज भी वे ज्ञान के अभाव में कम ही लाभान्वित हैं। जनसंख्या का बड़ा भाग होने के बाद भी ये पिछड़ेपन की मार झेल रहे हैं। इसलिए आज के प्रगतिशील वैज्ञानिक युग में जब मानव चांद तक पहुंच गया है। ऐसी ऊर्जावान परिस्थिति में पिछड़ी जनजातियों की तरफ बार-बार ध्यान आकर्षित होना स्वाभाविक है क्योंकि वे आर्थिक रूप से पिछड़े व यान्त्रिक विकास की गति से अनभिज्ञ होने के कारण देश के विकास के लिए साथ-साथ चलने में कठिनाइयों का अनुभव कर रहे हैं। इन सभी कठिनाइयों को समझना उनका निदान करना हम सभी का कर्तव्य है क्योंकि अतीत में सभी मानव जातियों को इस अवस्था से गुजरना पड़ा यद्यपि कुछ लोग विकास के प्रयत्नों में पिछड़ गये हैं तो उन्हें अपने समाज से भिन्न नहीं समझना चाहिए अपितु उन्हें साथ लाने के लिए प्रयत्न करने हेतु उनकी समस्याओं को समझकर समाज के सामने प्रस्तुत करना आवश्यक है ताकि सबका साथ सबका विकास के तहत राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए अल्पविकसित देशों में गरीबी पिछड़ेपन के दुष्चक्र को समाप्त करने हेतु दुर्गम क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजातियों की समस्याओं को समझकर निवारणार्थ प्राथमिकता के आधार पर विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उन्हें जागरूक करते हुए उनके सामाजिक-आर्थिक स्तर, उनकी शैक्षिक स्थिति, उनके विद्यार्थियों का समायोजन एवं उनकी समस्याओं का अध्ययन हेतु थारु जनजाति को शोध के लिए चुना गया ताकि उनके सामाजिक-आर्थिक विकास, समस्याओं व विद्यार्थियों के समायोजन को जानने हेतु उनके बीच जाकर अध्ययन करते हुए उनके विकास के महत्व को समझाया

जा सके ताकि इन्होंने क्या खोया और क्या पाया पर विचार करते हुए उनके उत्थान हेतु आवश्यक कदम उठाये जा सकें।

शोध को भौगोलिक दृष्टि से लखीमपुर खीरी जिले के अंतर्गत रहने वाले थारु जनजाति के समुदाय तक सीमित रखा गया है। लेकिन अंततः इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि शोध कार्य लखीमपुर खीरी जनपद के ही थारु समुदाय का प्रतिनिधित्व करें।

समस्या कथन— प्रस्तुत शोध कार्य हेतु समस्या का चयन निम्न प्रकार से किया गया है उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी की थारु जनजाति की शैक्षिक स्थिति, सामाजिक-आर्थिक स्तर, समायोजन एवं समस्याओं का अध्ययन।

प्रमुख शब्दों का परिभाषीकरण— समस्या कथन में प्रयुक्त प्रमुख शब्दों का परिभाषीकरण निम्न प्रकार से हैं।

उत्तर प्रदेश —उत्तर प्रदेश शब्द भारत के 29 राज्यों में से एक उत्तर प्रदेश राज्य के आबादी की दृष्टि से सबसे बड़ा तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा बड़ा राज्य है जिसकी प्रशासनिक राजधानी लखनऊ है।

जनपद लखीमपुर खीरी भारत के उत्तर में स्थित नेपाल देश की दक्षिण पश्चिम सीमा को स्पर्श करते हुए भारतीय संघ राज्य क्षेत्र के उत्तर प्रदेश नामक राज्य के अंतर्गत लखनऊ मंडल का प्रशासनिक जिला लखीमपुर खीरी अवस्थित है जिसे संक्षेप में खीरी के नाम से भी पुकारा जाता है लखीमपुर खीरी जिला हिमालय की तराई में सघन वनों एवं वर्ष पर्यन्त बहने वाली सदानीरा नदियों जैसे शारदा, घाघरा, गोमती आदि द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित अत्यंत हरा-भरा एवं कृषि की दृष्टि से अत्यंत उपजाऊ भूमि वाला क्षेत्र है। लखीमपुर खीरी जिले का भौगोलिक रूप से अक्षांशीय विस्तार 27 अंश 6 मिनट उत्तर से 28 अंश 6 मिनट डिग्री उत्तर तथा देशांतरीय विस्तार 40 अंश 34 मिनट डिग्री पूर्वी से 88 अंश 30 मिनट डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य है। अपने आधार में त्रिकोणी रूप के साथ लगभग लखीमपुर खीरी जिले का क्षेत्रफल 7680 वर्ग किलोमीटर के लगभग है जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। लखीमपुर खीरी उत्तर दिशा में नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा होने तथा

अपनी इसी सीमा में सघन वन श्रृंखला के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी बेहद संवेदनशील है। लखीमपुर खीरी जिला पूर्व में बहराइच, पूर्व दक्षिण में सीतापुर, दक्षिण में हरदोई, दक्षिण पश्चिम में शाहजहांपुर एवं पश्चिम में पीलीभीत जिले से घिरा है। जिले को प्रशासनिक दृष्टि से सात तहसीलों क्रमशः लखीमपुर, मोहम्मदी, गोला गोकर्णनाथ, निघासन, धौराहरा, पलिया एवं मितौली में विभाजित किया गया है।

थारु जनजाति :- थारु शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में कोई ऐतिहासिक प्रमाण तथा विचारों की एक मतता देखने को नहीं मिलती है। जनगणना प्रतिवेदन (1867:67) में थारु शब्द की उत्पत्ति तरुवा शब्द से मानी गई है जिसका अर्थ भीगना होता है। जो थारु के निवास स्थान तराई में होने वाली वर्षा की प्रकृति के लिये प्रयुक्त किया जाता है।

नेस फील्ड (1885:115) ने थारु शब्द की उत्पत्ति थार शब्द से मानी है। उस समय थार शब्द का अर्थ स्थानीय बोली में 'जंगलवासी' से लगाया जाता था। चूंकि ये लोग यहाँ के स्थाई निवासी हैं और सदियों में जंगलों में निवास करते आ रहे थे। अतः समयान्तराल में थार शब्द थारु के रूप में परिवर्तित हो गया। जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसायटी ऑफ बंगाल (1887:450) में इन जनजाति के लिये 'अथवारु' शब्द का प्रयोग किया गया है। जिसका अर्थ होता है निजी का आठवां दिन अर्थात् ऐसा व्यक्ति जो सप्ताह में एक दिन अपने मालिक के यहाँ बेगारी करने को बाध्य होता था।

अवध गजेटियर (1896:385) में विलियम क्रुक ने थारु शब्द की उत्पत्ति दारु नाम से मानी है। क्योंकि यह समुदाय दारु अर्थात् मद्यपान का अत्यधिक शौकीन हुआ करता था। जिन्हें धीरे-धीरे थारु नाम से सम्बोधित किया जाने लगा। मजूमदार के अनुसार ये लोग पहले अथर्ववेद के ज्ञाता थे, अतः उन्हें अथरु कहा जाता था जो बाद में बिगड़ते हुए थारु हो गया। जलाल (1992:52) मो० नोल्स के अनुसार थरना एक पहाड़ी भाषा का शब्द है। जिसका अर्थ होता है घूमना अर्थात् परिभ्रमण करना। यह थारु लोग तराई क्षेत्र में इधर उधर अपनी आजीविका की तलाश में भटकते रहते थे। अतः इनकी घुमक्कड़ प्रवृत्ति के कारण पहाड़ी भाषा में इनको थरना शब्द के आधार पर थारु अथवा थरुआ की संज्ञा दी गई। कौशिक (1995:308) के अनुसार थारु शब्द ठहरु शब्द का अपभ्रंश है। जिसका अर्थ होता है ठहरे या ठहराने वाले लोग तराई तथा भावर की दलदली भूमि में भयंकर बीमारियों, वर्षा, बाढ़ आदि से लड़ते हुए विपरीत परिस्थितियों में ही यहाँ हजारों वर्षों से ठहरे हुए हैं। अतः इन्हें 'ठहरु' और अपभ्रंश रूप में थारु कहा जाने लगा होगा।

नार्थ वेस्टर्न प्रोविन्सेज गजेटियर (1881:354) में थारु जनजाति के लिये 'थरथराना' शब्द का प्रयोग किया गया है। इस शब्द का अभिप्राय कांपना या भागना से लगाया जाता है। चूंकि राजपूत और मुगलों के बीच हुए युद्ध के समय जब राजपूत राजा और सिपाही युद्ध में मारे गये तो राजपूत रानियाँ अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ भागकर उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में बस गईं। इन रानियों ने बाद में इन्हीं सुरक्षा कर्मियों से विवाह सम्बन्ध स्थापित कर लिया। जिनके वंशज बाद में थारु राणा कहलाये।

प्रस्तुत अध्ययन में प्रयुक्त शब्द थारु जनजाति का प्रयोग लखीमपुर जनपद के पलिया तहसील व ब्लाक के चन्दन चौकी थारु क्षेत्र व निघासन तहसील के बेला परसुआ थारु क्षेत्र में रहने वाली जनजाति के सन्दर्भ में किया गया है।

शैक्षिक स्थिति— प्रयुक्त शब्द शैक्षिक स्थिति से तात्पर्य थारु क्षेत्र में प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा, तकनीकी व व्यवसायिक शिक्षा की स्थिति व उपलब्ध शैक्षिक संसाधन तथा इन संसाधनों की दशा से है।

सामाजिक आर्थिक स्तर—

समाज के उद्भव काल से ही मनुष्य की सामाजिक स्थिति पर आर्थिक स्तर का प्रभाव रहा है। मनुष्य समाज में सामाजिक सम्बन्ध तथा आर्थिक स्थिति के कारण समाज में एक स्थिति प्राप्त करता है। सामाजिक-आर्थिक स्थिति से तात्पर्य उनका रहन-सहन, समाज में सामाजिक आर्थिक सम्बन्धों का उच्च या निम्न स्थिति का होना है। इसी स्थिति के आधार पर मनुष्य समाज में अनेक समूह में बँट जाता है।

समूह के निर्धारण में मनुष्य की आर्थिक स्थिति का बहुत बड़ा महत्व होता है। संसार के सभी मनुष्य जन्म के समय एक जैसे होते हैं परन्तु सामाजिक-आर्थिक स्थिति के कारण उनमें विभिन्नता आ जाती है। इससे तात्पर्य उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करना है।

समायोजन :

समायोजन का अर्थ सुव्यवस्था या अच्छे ढंग से परिस्थितियों को अनुकूल बनाने की प्रक्रिया से है जिससे व्यक्ति की आवश्यकताएं पूरी हो जाये तथा उसमें मानसिक द्वन्द्व न उत्पन्न होने पाये।

सामान्यतः व्यक्ति के भीतर दो प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं— प्राथमिक आवश्यकताएं तथा मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं। आवश्यकताएं व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। आवश्यकताओं के कारण ही व्यक्ति लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है। यदि उसका यह प्रयास सृजनात्मक और परिस्थितियों के अनुकूल होता है तो वह वातावरण के साथ समायोजन स्थापित कर लेता है अन्यथा नहीं।

शेफर सोवन के अनुसार—

“साधारण रूप में समायोजन एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें मानसिक एवं व्यवहारिक दोनों ही प्रकार के प्रत्युत्तर निहित रहते हैं और इनके द्वारा ही एक व्यक्ति अभाव तनाव, भगनाशा आदि को व्यक्त करता है, तथा इन आन्तरिक मॉर्गों तथा वाह्य परिस्थितियों के मध्य सामंजस्य कर लेता है।”।

टाइसन के अनुसार—

“समायोजन को कुछ विशिष्ट शब्दों में व्यक्त किया जाता है, जैसे— ग्रहण करने की योग्यता, स्नेह करने की क्षमता, सन्तुलित जीवन अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता, भगनाशा, सहनशीलता रसकिता, सम्भाव, वस्तुनिष्ठता एवं अन्य वस्तुएं”

अतः कहा जा सकता है कि समायोजन एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके द्वारा जीवित प्राणी स्वयं की आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों में संतुलन स्थापित करता है। प्रस्तुत अध्ययन थारु क्षेत्र के माध्यमिक व उच्च विद्यार्थियों के अपनी परिस्थितियों के साथ संतुलन को देखता है।

समस्याएं— प्रस्तुत अध्ययन में प्रयुक्त शब्द समस्याओं से तात्पर्य लखीमपुर खीरी जनपद में रहने वाली थारु जनजाति की विभिन्न प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक व शैक्षिक अन्य सभी प्रकार की समस्याओं से है जो उनके जीवन पर प्रभाव डाल रही हैं।

शोध अध्ययन के उद्देश्य :—

किसी भी समाज का अध्ययन करने हेतु उस समाज की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक पारिस्थितिकी जन्म विषमताओं को जानना आवश्यक है। जिसके आधार पर हम उस समाज के अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, प्रादेशिक व स्थानीय स्तर पर विकास

की सम्भावनाओं को प्रकट कर सकते हैं। चूँकि लखीमपुर खीरी जिले की थारु जनजाति का विकास सम्भावनाओं की अपेक्षा कम हुआ क्योंकि प्राप्त क्षेत्रीय संसाधनों का उपयोग उनके हित में पर्याप्त नहीं किया गया है। इसलिए उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ही लखीमपुर खीरी जिले की थारु जनजाति के जीवन से जुड़े इस पहलू का अध्ययन करते हुए उनकी समस्याओं को समझकर उन्हें समाज के सामने रखने के साथ उनके विकास के लिए बनाई गई योजनाओं पर अमल बताते हुए उनके सर्वांगीण विकास हेतु सुझाव प्रस्तुत करना ही अध्ययन का मूल उद्देश्य है। इन उद्देश्यों को निम्नलिखित तथ्यों में देखा जा सकता है।

प्रस्तुत शोध कार्य के निम्न उद्देश्य हैं—

1. लखीमपुर खीरी जनपद के थारु जनजाति की प्राथमिक शिक्षा की सुविधाओं का अध्ययन करना।
2. लखीमपुर खीरी जनपद के थारु जनजाति की माध्यमिक शिक्षा की सुविधाओं का अध्ययन करना।
3. लखीमपुर खीरी जनपद के थारु जनजाति की उच्च शिक्षा की सुविधाओं का अध्ययन करना।
4. लखीमपुर खीरी जनपद के थारु जनजाति की तकनीकी व व्यवसायिक शिक्षा की सुविधाओं का अध्ययन करना।
5. लखीमपुर खीरी जनपद के थारु जनजाति के सामाजिक-आर्थिक स्तर का अध्ययन करना।
6. लखीमपुर खीरी जनपद के थारु जनजाति के विकास हेतु सामाजिक आर्थिक योजना प्रस्तुत करना।
7. लखीमपुर खीरी जनपद के थारु जनजाति के माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों के समायोजन की अध्ययन करना।
8. लखीमपुर खीरी जनपद के थारु जनजाति के माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत छात्र व छात्राओं के समायोजन की तुलना करना।

- 23 लखीमपुर खीरी जनपद के थारु जनजाति क्षेत्र की उच्च शिक्षा में अध्ययनरत छात्राओं के समायोजन का अध्ययन करना।
- 24 लखीमपुर खीरी जनपद के थारु जनजाति क्षेत्र की उच्च शिक्षा में अध्ययनरत छात्र व छात्राओं के समायोजन की तुलना करना।
- 25 लखीमपुर खीरी जनपद के थारु जनजाति क्षेत्र की उच्च शिक्षा में अध्ययनरत छात्र व छात्राओं के गृह समायोजन की तुलना करना।
- 26 लखीमपुर खीरी जनपद के थारु जनजाति क्षेत्र की उच्च शिक्षा में अध्ययनरत छात्र व छात्राओं के स्वास्थ्य समायोजन की तुलना करना।
- 27 लखीमपुर खीरी जनपद के थारु जनजाति क्षेत्र की उच्च शिक्षा में अध्ययनरत छात्र व छात्राओं के संवेगात्मक समायोजन की तुलना करना।
- 28 लखीमपुर खीरी जनपद के थारु जनजाति क्षेत्र की उच्च शिक्षा में अध्ययनरत छात्र व छात्राओं के सामाजिक समायोजन की तुलना करना।
- 29 लखीमपुर खीरी जनपद के थारु जनजाति क्षेत्र की उच्च शिक्षा में अध्ययनरत छात्र व छात्राओं के शैक्षिक समायोजन की तुलना करना।
- 30 लखीमपुर खीरी जनपद के थारु जनजाति क्षेत्र की थारु जनजाति के माध्यमिक व उच्च शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों के उचित समायोजन हेतु योजना प्रस्तुत करना।
- 31 लखीमपुर खीरी जनपद के थारु जनजाति क्षेत्र की थारु जनजाति की प्रमुख समस्याओं का अध्ययन करना।

शोध अध्ययन की अवधारणाएं :-

1. लखीमपुर खीरी जनपद के थारु जनजाति की शैक्षिक स्थिति में सुधार हो रहा है।
2. लखीमपुर खीरी जनपद के थारु जनजाति के सामाजिक-आर्थिक स्तर में सुधार हो रहा है।
3. लखीमपुर खीरी जनपद के थारु जनजाति की समस्याएं कम हो रही हैं।

शोध अध्ययन की परिकल्पनाएं :-

1. लखीमपुर खीरी जनपद के थारु जनजाति के माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत छात्र व छात्राओं के समायोजन में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

17. लखीमपुर खीरी जनपद के थारु जनजाति क्षेत्र की उच्च शिक्षा में अध्ययनरत छात्र व छात्राओं के स्वास्थ्य समायोजन में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
 18. लखीमपुर खीरी जनपद के थारु जनजाति क्षेत्र की उच्च शिक्षा में अध्ययनरत छात्र व छात्राओं के सेवेगात्मक समायोजन में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
 19. लखीमपुर खीरी जनपद के थारु जनजाति क्षेत्र की उच्च शिक्षा में अध्ययनरत छात्र व छात्राओं के सामाजिक समायोजन में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
 20. लखीमपुर खीरी जनपद के थारु जनजाति क्षेत्र की उच्च शिक्षा में अध्ययनरत छात्र व छात्राओं के शैक्षिक समायोजन में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
3. सीमांकन- प्रस्तुत अध्ययन का सीमांकन निम्न प्रकार से किया गया है :-
1. प्रस्तुत अध्ययन को केवल लखीमपुर जनपद तक के उन क्षेत्रों तक सीमित रखा गया है जहाँ थारु जनसंख्या मूल रूप से निवास करती है।
 2. प्रस्तुत अध्ययन के अन्तर्गत थारु क्षेत्र के अन्तर्गत स्थापित शैक्षिक संस्थानों एवं जनपद लखीमपुर के माध्यमिक व उच्च शिक्षा संस्थाओं से ही ऑकड़ों का संकलन किया गया है।
 3. प्रस्तुत अध्ययन थारु जनजाति क्षेत्र के बाहर की प्राफेशनल या तकनीकी संस्थाओं को केन्द्र में नहीं रखा गया है।
 4. प्रस्तुत अध्ययन को केवल लखीमपुर जनपद तक के थारु क्षेत्र पलिया व निघासन तक सीमित रखा गया है जहाँ थारु जनसंख्या मूल रूप से निवास करती है।

द्वितीय अध्याय

सम्बन्धित साहित्य का सर्वेक्षण

अध्याय-2

सम्बन्धित साहित्य का सर्वेक्षण

2.1 सम्बन्धित साहित्य का अर्थ :

सम्बन्धित साहित्य से तात्पर्य अनुसंधान की समस्या से सम्बन्धित उन सभी प्रकार की पुस्तकों, ज्ञान कोषों, पत्र-पत्रिकाओं, प्रकाशित तथा अप्रकाशित शोध प्रबन्धों एवं अभिलेखों आदि से हैं, जिनसे अध्ययन की रूपरेखा तैयार करने एवं कार्य को योजनानुसार करने में सहायता मिलती है। जॉन डब्लू0 वेस्ट;के अनुसार, “किसी भी क्षेत्र का साहित्य उसकी नींव को बनाता है, जिसके ऊपर भविष्य का कार्य किया जाता है। यदि हम साहित्य की समीक्षा द्वारा प्रदान किये गये ज्ञान की नींव बनाने में असमर्थ होते हैं तो हमारा कार्य सम्भवतया तुच्छ और प्रायः उस कार्य की नकल मात्र ही होता है जो कि पहले ही किसी के द्वारा किया जा चुका है।”

सम्बन्धित साहित्य किसी भी विषय पर चर्चा, परिचर्चा और उसके वर्तमान दृष्टिकोण को समझने में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इसी के द्वारा विषय की गम्भीरता और उसके स्वरूप को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। सम्बन्धित साहित्य के अध्ययन से शोधकर्ता यह निश्चित कर सकता है कि उसके द्वारा प्रस्तावित शोध से सम्बन्धित विषयों पर विचारणीय कार्य पहले हुआ है अथवा नहीं। सम्बन्धित साहित्य का अर्थ उन सभी प्रकार की पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं, प्रकाशित व अप्रकाशित सामग्री, शोध-प्रबन्धों, अभिलेखों, रिपोर्ट आदि से है, जिसके अध्ययन से अनुसंधानकर्ता को अपने अध्ययन की रूपरेखा तैयार करने एवं शोध को आगे बढ़ाने में सहायता मिलती है। इससे यह ज्ञात होता है कि सम्बन्धित क्षेत्र में कितना कार्य हो चुका है, इस कार्य में पूर्व में किन विधियों का उपयोग हुआ और इन विधियों के अतिरिक्त और कौन-कौन सी विधियाँ सम्बन्धित क्षेत्र में उपयोगी हो सकती हैं। इस प्रकार सम्बन्धित साहित्य एक दिशा-निर्देशक का कार्य करता है। किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान व शोध हेतु यह आवश्यक है कि उससे सम्बन्धित उपलब्ध साहित्य का विश्लेषणात्मक व गहन अध्ययन किया जाए, ताकि महत्वपूर्ण तथ्य व निष्कर्ष प्राप्त हो सकें। जनजातीय समुदायों का अध्ययन लम्बे समय से मानवशास्त्रियों एवं समाजशास्त्रियों द्वारा समय समय पर किया जाता रहा है। उत्तराखण्ड की जनजातियों का जीवन भारत की शेष जनजातियों के

जीवन से कुछ अलग रहा है। यही कारण है कि इस जनजाति का अध्ययन बहुत से शोधकर्ताओं ने किया है। ज्यादातर अध्ययन मानवशास्त्रियों एवं समाजशास्त्रियों ने किया भौगोलिक दृष्टि से इस जनजाति क्षेत्र का अध्ययन नाममात्र का हुआ है।

प्रथम वर्ग के साहित्य का शुभारंभ 18वीं सदी के उत्तरार्ध से प्रारम्भ होता है। सर विलियम जोन्स द्वारा 'एशियाटिक सोसायटी ऑफ बंगाल' (1747) की स्थापना की गयी इसके बाद भारत में जनजाति जीवन पर शोध कार्य प्रारंभ हुआ। प्रारंभिक अध्ययन रिजले (1821 तथा 1851) डाल्टन (1872) के हैं। 1916 में प्रकाशित रसेल और हीरालाल द्वारा लिखित "ट्राइब्स एण्ड कास्ट्स ऑफ सेन्ट्रल प्रॉविन्सज ऑफ इण्डिया" संभवतः मध्यप्रदेश की सभी जातियों एवं जनजातियों पर लिखा गया सर्वप्रथम मानक ग्रंथ है। इस क्रम में एटकिन्सन (1882) विलियम कुक (1896) तथा नेविल (1904) के नाम महत्वपूर्ण हैं। जिन्होंने अपने उत्तर पश्चिमी प्रदेशों के सर्वेक्षण तथा डिस्ट्रिक्ट गजेटियर के माध्यम से जनजातियों की जीवन शैली को तथ्यात्मक आधार पर स्पष्ट किया। रिजले हरबर्ट (1891) 'द पिपुल्स ऑफ इण्डिया ग्रन्थ' के अन्तर्गत आदिवासियों की समस्याओं के विभिन्न रूपों का अध्ययन किया है इन्होंने अपने अध्ययन में आदिवासियों के पिछड़ेपन की समस्या के कारणों पर प्रकाश डालते हुए बताया है कि आदिवासियों के पिछड़े होने का प्रमुख कारण उनकी अज्ञानता है जिस वजह से अन्य लोग उनका शोषण करते हैं।

मजूमदार, डी.एन.(1944) 'द फोरच्यून ऑफ ट्राइब्स' पुस्तक के अन्तर्गत जनजातीय समाजों की सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का विस्तृत अध्ययन किया गया है। इस शोध पत्र में वैज्ञानिकों द्वारा भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों के आधार पर जनजातीय समुदायों के भिन्न-भिन्न पक्षों का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया है। जनजातीय समुदायों में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण जैसी आधारभूत आवश्यकताओं से जुड़े हुए पक्षों का भी अध्ययन किया गया।

जनजातियों से सम्बन्धित अध्ययन :

यद्यपि भारत में विभिन्न जनजातियाँ निवास करती हैं किन्तु जिस तदाद में यहाँ जनजातियाँ विद्यमान हैं। उस स्तर से उन पर शोध कार्य नहीं हो पाया है। अतः अपने विषय पर शोध कार्य करने से पहले व शोध करते हुए इन पुस्तकों का अध्ययन किया। 'विद्युत जोशी' की 'ट्राइब्स स्वचवेशन इन इण्डिया (2003)' 'शिवानन्द नौटियाल' की 'उत्तराखण्ड की जनजातियाँ' 'एस० डी० पंत' की 'दि सोशल इकोनॉमी ऑफ दि हिमालय

1955)' 'शक्ति प्रसाद सकलान' की 'तराई रुद्रपुर का इतिहास (2000)' 'शेर सिंह बिस्ट' की 'मध्य हिमालयी समाज संस्कृति एण्ड पर्यावरण' 'बी०जी०पाण्डे' की 'कुमाऊँ का इतिहास (1990)' 'बी०आर०पन्त' की 'फूड एण्ड न्यूट्रिशन ऑफ द थारु ट्राइव (1996)' 'एस० के० श्रीवास्तव' 'दि थारुज ए स्टडी इन कल्चरल आइनामिक्स (1958)' 'रभींग फैंस्टिवल अमांग द थारु (1948)' 'देवराही की' 'बर्थ करटम अमांग द थारु (1932)' 'आर०सी० शर्मा' की 'विलेज बनकटी (तहसील निघासन डिस्ट्रिक्ट खीरी) विलेज सर्वे मोनोग्राफ सेंस ऑफ इण्डिया (1961)' 'जी० के० अग्रवाल' की 'सामाजिक मानवशास्त्र (1996)' 'अजय रावत' की 'तराई के वन तथा वनवासी (1997)' 'हरिश्चन्द्र चप्रेती' की 'भारतीय जनजातियाँ (1970)' 'डी०एन० मजूमदार' की 'सम एक्सपर्ट ऑफ द इकनॉमिक लाइफ ऑफ द तराई (1937)', तथा 'दि थारु एण्ड देयर ब्लडग्रुप (1942)' 'सुभाष चन्द्र वर्मा' की 'थारु जनजाति एक समाजशास्त्रीय अध्ययन (2008)' 'समीरा मीतो' की "दि थारु देअर आर्ट्स एण्ड क्राफ्ट्स (2004)' 'एच०देव० प्रधान' की 'सोशल इकॉनॉमिक्स इन द तराई द थारु (1937)' 'एन० कुमार' की 'ए – जैनेटिक सर्वे अमांग द राना थारु ऑफ नैनीताल डिस्ट्रिक्ट इन यू०पी० (1968)' 'योगेश चन्द जोशी' की 'थारु जनजाति एक अध्ययन (शोध प्रबन्ध 2000)' 'गिरधर सिंह' की नेगी 'शोका जनजाति एक अध्ययन (1988)' 'पी०सी० राय चौधरी' की "द थारु सांग (1957)' 'एस माथुर' की 'अमांग द थारु ऑफ चन्दन चौकी (1957)' 'ए० हसन' की 'द सोशल प्रोफाइल ऑफ ए वार्डर थारु विपेज (1968)' 'राकेश प्रवीर' की 'थारु पहचान के लिए संघर्षरत जनजाति (2005)' 'डॉ० विजय कुमार तिवारी' की 'भारत की जनजातियाँ (1998)' 'सी०टी० ह०' की 'डेमोग्राफिक स्टडी ऑफ विलेज चन्दनपुर (1955)' 'मैरीज वाई एक्सचेज अमांग द थारु (1957)' 'आर०एल०सिंह' की 'दि थारु ए स्टडी इन हुसैन इकोलॉजी (1956)' 'वी०के० कोचर' की 'साइज एण्ड कम्पीटिशन ऑफ फैमिली इन ए थारु विलेज (1963)' 'फिशियन एण्ड सिग मेनटेशनस प्रोसेस इन द ज्वाइंट फैमिली ऑफ द थारु विपेज (1965)' जी एस घुरिए' की 'दि सिडुल ट्राइब्स' "अजय खर्ते" की 'आदिवासी कौन है । (2018)' 'मीना जनकसिंह और मीना कुलदीप सिंह' की 'भारत के आदिवासी चुनौतियाँ एवम सम्भावनाएँ (2018)' "रवीन्द्रनाथ मुखर्जी" की सामाजिक मानवशास्त्र की रूपरेखा (1997)' 'डॉ० संजीव कुमार सिंह' की 'थारु जनजाति अर्थव्यवस्था एवं समाज (2017)' 'डॉ० शारदा प्रसाद' की 'थारु जनजाति जीवन और संस्कृति (2018)' 'दीपशिखा रघुवंशी' की 'अवध की थारु

जनजाति संस्कार एवं कला (2018)' आदि विद्वानों ने थारु जनजाति के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया ।

गुप्ता, रमणिका(2008) ने 'आदिवासी कौन' पुस्तक के अन्तर्गत आदिवासी संस्कृति को प्रस्तुत किया है। इन्होंने बताया है की आदिवासी संस्कृति की अपनी एक विशिष्ट पहचान होती है। इसके अंतर्गत जाति समानता, लिंग समानता, सहभागिता, सहयोगिता, सामूहिकता, भाईचारा एवं सबसे विचित्र प्रकृति से निकटस्थ सम्बन्ध एवं प्रकृति प्रेम है, जो अन्य सभी संस्कृतियों से आदिवासी संस्कृति को पृथक करता है।

चौहान, विद्या सिंह एवं राय, श्री(2008) ने 'भारत की जनजाति उत्तराखण्ड के विशेष सन्दर्भ में' पुस्तक के अन्तर्गत लिखा है कि, उत्तराखण्ड की जनजातियाँ देश के अन्य भागों की जनजातियों से एकदम भिन्न है और एक अलग प्रकार के सांस्कृतिक वातावरण में अनेकों वर्षों से जीवनयापन कर रहे हैं।

यादव, वीरेन्द्र सिंह(2012) ने 'आदिवासी विमर्श' पुस्तक के अन्तर्गत बताया है कि जनजाति समुदाय संकटग्रस्त स्थिति में है, क्योंकि ये वैश्विक सभ्यता में स्वयं को उपेक्षित और उत्पीड़ित महसूस करते हैं। इन्होंने प्रस्तुत अध्ययन में जनजातियों की ऐतिहासिक उत्पत्ति को धार्मिक स्तर पर इण्डो-ट्राइबल सभ्यता की रूपरेखा तथा जनजातीय समाज के सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहलू को दर्शाया है।

शर्मा, डी.डी.(2018) ने 'उत्तराखण्ड का लोकजीवन एवं लोक संस्कृति' पुस्तक के अन्तर्गत उत्तराखण्डी लोक जीवन की पृष्ठभूमि का विस्तृत अध्ययन किया है। इन्होंने ग्राम व्यवस्था, कृषक जीवन, उत्तराखण्ड की विशिष्ट सामाजिक एवं सांस्कृतिक लोकपरम्पराएँ तथा जनजातीय समाजों की विशिष्ट सामाजिक एवं सांस्कृतिक परम्पराओं का अध्ययन किया है और उत्तराखण्डी लोकसंस्कृति की पृष्ठभूमि को भी समझाया है।

मजूमदार, डी.एन(1949) ने 'द चेन्जिंग केनवास ऑफ ट्राइबल लाइफ' शोधपत्र में नैनीताल जनपद के थारु एवं बुक्सा जनजाति के आर्थिक जीवन पर प्रकाश डालते हुए इनकी सांस्कृतिक विशेषताओं का अध्ययन किया तथा थारु जनजाति में बाहरी समूहों के प्रभाव से उत्पन्न परिवर्तन की प्रकृति को भी समझाया।

श्रीवास्तव,एस.के.(1958) ने 'थारु ए स्टडी इन कल्चर डायनामिक्स' शीर्षक के अन्तर्गत बताया है कि जनजातीय समाजों की सामाजिक-आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति अन्य समुदाय से अलग होती है भारत में थारु जनजाति पर व्यापक शोध-कार्य करने का

श्रेय इनको जाता है। नैनीताल जनपद की थारु जनजाति की संस्कृति का आनुभविक अध्ययन इस परिकल्पना को लेकर किया कि इस जनजाति में सांस्कृतिक परिवर्तन की सीमा क्या है। श्रीवास्तव ने थारु जनजाति की उन समस्त संस्थाओं पर प्रकाश डाला जो उनकी संस्कृति को समझाने में सहायक हैं। इन्होंने अपने अध्ययन में थारु जनजाति के सामाजिक ढाँचे व उनके संगठन का वर्णन किया है। इनका अध्ययन मुख्य रूप से सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों जैसे सामाजिक स्तरीकरण, विवाह, परिवार, महिलाओं की स्थिति पर आधारित है। इन्होंने जिस प्रकार से थारु जनजाति से सम्बन्धित अध्ययन प्रस्तुत किये हैं वो एक प्रशस्त मार्ग का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

एल्विन(1964) ने 'द ट्राइबल वर्ल्ड ऑफ वेरियर एल्विन' शीर्षक के अन्तर्गत बताया है कि एक जनजाति परिवार के लिए अपने बच्चों को स्कूल भेजना आवश्यक रूप से आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। इससे इनके जीवन यापन के संघर्ष तथा परस्परिक श्रम विभाजन की योजना गड़बड़ा जाती है। बहुत से माँ-बाप ऐसी स्थिति में नहीं होते हैं कि अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें।

थुसु(1968) ने 'द धुर्वा ऑफ बस्तर' शीर्षक के अन्तर्गत जनजातियों में सामाजिक परिवर्तन सम्बन्धी अध्ययन में इस तथ्य को स्पष्ट किया है कि ज्यादातर जनजातियाँ कृषि कार्य में ही संलग्न होती हैं।

विद्यार्थी(1968) ने 'कल्चर चेन्ज इन ट्राइबल ऑफ मॉडन इण्डिया' शीर्षक के अन्तर्गत अध्ययन में बताया है कि जनजातीय जीवन पर परिवर्तन औद्योगीकरण के कारण हुआ है। इन्होंने जनजातियों पर अध्ययन कर यह निष्कर्ष निकाला है कि औद्योगीकरण से परम्परागत जीवन बिखर सा गया है। तेजी से बदलते वातावरण के साथ तालमेल बिठाने के लिए जनजातियाँ जूझ रही हैं। कुल मिलाकर जनजातियों लोगों का पेशा, जमीन सब विस्थापन में छूट गया और हाथ लगी तो बेरोजगारी और प्रवासी कुशल श्रमिकों के साथ अनुचित प्रतियोगिता, ऊँची आकांक्षा एवं गहरी कुंठा।

चटजी(1975) 'भोटियाज ऑफ इण्डो तिब्बत बार्डर ऑफ उत्तराखण्ड' शोधपत्र में जनजातीय लोगों के सामाजिक व्यवहार, प्रथाओं, रूढ़ियों और अभिवृत्तियों का अध्ययन किया है। इसके साथ ही इनके ऐतिहासिक, राजनैतिक पृष्ठभूमि, जनजातियों की उत्पत्ति तथा इनके पूर्वजों का इतिहास व मौलिक स्थान का विस्तृत अध्ययन किया गया है, इसके अतिरिक्त जनजातियों के मानवशास्त्रीय, समाजशास्त्रीय व नृजातीय विशेषताओं और

सामाजिक अन्तः क्रियाओं के प्रतिमान, अनुष्ठान, धार्मिक विश्वासों, आर्थिक स्थिति और जीविकापोजन के साधनों को भी विस्तार से प्रस्तुत किया है।

हसन(1978) ने 'बुक्सऑफ तराई' शीर्षक के अन्तर्गत बुक्सऑफ के बदलते हुए सामाजिक ढाँचे का अध्ययन किया तथा इस अध्ययन में बुक्सऑफ के निवास स्थान, ग्रामीण संगठन, धार्मिक विश्वास, प्रथाओं, आर्थिक जीवन, भूमि हीनता आदि पहलुओं को समझाया है।

नेसफील्ड(1985) 'डिरिक्शन ऑफ मेनर्स, इण्डस्ट्रीज एण्ड रिलीजन ऑफ द थारु एण्ड बोक्सा ट्राइब ऑफ अपर इण्डिया' शोधपत्र में थारु एवं बुक्सा जनजातियों के व्यवहार, प्रतिमानों, आर्थिक जीवन एवं धार्मिक मान्यताओं पर प्रकाश डाला।

श्रीवास्तव(1992) ने 'भारत के कमजोर वर्ग' पुस्तक में अपने विचार प्रस्तुत करते हुए कहा कि आधुनिक सभ्यता से दूर अलग तथा दूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाला जनजातीय बच्चा देश के भूगोल व इतिहास, औद्योगीकरण, तकनीकी विकास जैसी महत्वपूर्ण जानकारी के प्रति कम रुचि रखेगा उसके लिए तो अपने पड़ोसी समुदायों, ग्रामीण जीवन, सामाजिक संगठनों, रीति-रिवाजों, विश्वासों तथा परम्पराओं के विषय में उसके गाँव, राज्य, देश तथा विदेशों से संबंधित जानकारी उनके विकास में सहायक होगी। इन्होंने जनजातियों पर आधुनिक प्रभाव संबंधी अध्ययन में यह भी पाया कि औद्योगीकरण से इन क्षेत्रों का भौगोलिक सांस्कृतिक वातावरण बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। जनजातियों में शिक्षा, स्वास्थ्य समस्याएँ भी बढ़ी है।

बिष्ट(1993) ने 'थारु जनजाति में सामाजिक संगठन के स्वरूप एवं उनका आर्थिक जीवन पर प्रभाव' शीर्षक के अन्तर्गत थारु जनजाति के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक संगठन व उनके जीवन में होने वाले आर्थिक प्रभावों की व्याख्या की।

बिष्ट(1996) ने 'उत्तराखण्ड की जनजातियाँ एवं जातीय समीकरण' शीर्षक के अन्तर्गत उत्तराखण्ड की जनजाति की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का विश्लेषण किया गया है। विभिन्न घटनाक्रमों में सामाजिक-आर्थिक व सांस्कृतिक परिवर्तनों की व्याख्या की गयी है। जनजातीय समुदायों में से राजी जनजाति पर किया गया अध्ययन स्वीकार किया गया है। इन्होंने अपने शोध पत्र में राजी जनजाति की सामाजिक संरचना एवं सामाजिक संगठन पर भी प्रकाश डाला।

ध्यानी(2002)द्वारा 'गढ़वाल क्षेत्र की भोटिया एवं जौनसारी जनजातियों की शैक्षिक समस्याओं का तुलनात्मक अध्ययन' विषय पर अध्ययन किया गया। उक्त अध्ययन में निष्कर्ष प्राप्त किया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों के जनजाति के विद्यार्थियों में 72 प्रतिशत विद्यार्थी अपने पाठ्यक्रम को जटिल समझते हैं साथ ही शिक्षण का माध्यम, अनियमित उपस्थिति, माता-पिता की जागरूकता की कमी भी इनके शैक्षिक स्तर में गिरावट का प्रमुख कारण है।

धिलडियाल(2006) ने अपने अध्ययन में लखीमपुर खीरी जनपद में निवास करने वाले थारु लोगों के स्वास्थ्य और स्वच्छता एवं उनके शैक्षिक परिप्रेक्ष्य पर ध्यान केन्द्रित किया इस अध्ययन से निष्कर्ष निकला कि थारु लोगों में स्वास्थ्य और स्वच्छता की जानकारी संतोषजनक नहीं थी। शोधकर्ता ने कहा कि कम शिक्षित ग्रामीणों की अपेक्षा कृषि, स्वास्थ्य तथा अन्य क्षेत्रों में हुई प्रगति की जानकारी रखने वाले लोगों में शिक्षा के प्रति रुचि आसानी से जागृत की जा सकती है परन्तु इससे पूर्व सरकार को थारु लोगों हेतु उचित शैक्षिक कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करने की आवश्यकता है।

मिश्रा एवं अन्य(2006) ने अपने अध्ययन में गोंड जनजाति में स्त्रियों की स्थिति, सहभागिता एवं आर्थिक सशक्तिकरण में वन आश्रित अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका को मुख्य रूप से दर्शाया। शोधकर्ताओं ने अपना अध्ययन छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के अंतागढ़ ब्लॉक में स्थिति 6 गांवों में किया। अध्ययन में पाया गया कि वनोपज संग्रहण में पुरुषों (41.56 प्रतिशत) की अपेक्षा स्त्रियों (58.44 प्रतिशत) की सहभागिता अधिक है। परन्तु संग्रहण के पश्चात् विक्रय में पुरुषों की सहभागिता दर (66.88 प्रतिशत) स्त्रियों की (33.12 प्रतिशत) सहभागिता दर से अधिक है। घरेलू कार्यों में कार्यशील एवं अकार्यशील आयु वर्ग की स्त्रियां संलग्न पायी गयीं। यह निश्चित रूप से परिवार की आर्थिकी को सुदृढ़ता प्रदान करने का कारण है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि अंतागढ़ विकासखण्ड के गोंड जनजाति में स्त्रियों की स्थिति एवं आर्थिक क्रियाओं में सहभागिता आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

लवानिया एवं जैन(2007) द्वारा 'भारत में जनजातियों का समाजशास्त्र' शोधपत्र में उत्तराखण्ड के जनजातीय समुदाय में शिक्षा, स्वास्थ्य, और पोषण की स्थिति का ज्वलंत चित्रण प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। इन्होंने अपने अध्ययन में आदिवासी जीवन के अनछुए पहलुओं को भी स्पष्ट करने का प्रयास किया है। जनजाति समाज पर बहुत

अधिक प्रभाव डालती है। इन्होंने जनजातियों का भौगोलिक, प्रजातीय एवं भाषाई विवरण, जनजातियों के आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन पर भी प्रकाश डाला है। जनजातीय समाज में महिलाओं की स्थिति को प्रस्तुत किया है। जनजातीय समाज के धार्मिक जीवन तथा सामाजिक स्थिति को भी समझाया गया है। जनजाति समाज में प्रचलित नातेदारी व्यवस्था, गोत्र की परम्परा युवागृह के महत्व आदि का सूक्ष्म अध्ययन इनकी पुस्तक में किया गया है, तथा जनजातियों के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों एवं योजनाओं के बारे में भी जानकारी प्रस्तुत की गई है।

नुरुटी(2008) ने बस्तर जिले के कोण्डागांव तहसील के मुरिया जनजाति के विकास में जनजातीय विकास योजनाओं की भूमिका का समाजशास्त्रीय अध्ययन किया तथा पाया कि 88 प्रतिशत उत्तरदाता अपने विकास में जनजातीय विकास योजनाओं को आवश्यक मानते हैं। सर्वेक्षित उत्तरदाताओं में 95 प्रतिशत मानते हैं कि जनजातीय विकास योजनाओं का लाभ केवल प्रभावशाली वर्ग को मिलता है। 51 प्रतिशत उत्तरदाता योजना क्रियान्वयन के बाद अधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा कार्यों की समीक्षा होने की बात स्वीकार करते हैं। 52 प्रतिशत उत्तरदाता मानते हैं कि उन्होंने योजनाओं से लाभ प्राप्त किया है। शोधकर्ता द्वारा जनजातीय विकास योजनाओं के सम्बन्ध में विभिन्न सुझाव भी दिए गए।

कुशवाहा(2009) थारु क्षेत्र भौगोलिक विषमताओं के कारण काटा होने से विकास की पहुंचे यहां उतने नहीं हुई है जिसे जितनी कि मैदानी और समतल क्षेत्र में पहुंची है इस कारण से यह लोग विकास के शोभा ने पीछे रह गए हैं इसी कारण से यह थारु लोग आज भी सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं आर्थिक उन्नति और राष्ट्र की मुख्य धारा में समावेश होने से ही थारो जनजाति का विकास हो सकेगा इनका एकाकी जीवन समाप्त होकर सघन वन पहाड़ और दस क्षेत्र का कष्ट मय जीवन दूर हो सकेगा।

जोशी(2010) ने थारु जनजाति सम्बन्धित अपने अध्ययन से निष्कर्ष निकाला कि आवश्यकता अब थारु जनजाति के लोगों को नितान्त नया माहौल प्रदान करने की है जिसमें वे महसूस करें कि वे भारतीय समाज के महत्वपूर्ण सदस्य तथा राष्ट्र के नागरिक हैं और शासन उनके हितों की पूर्ण सुरक्षा ही प्रदान नहीं करता है, अपितु उनकी प्रगति के लिए प्रयास भी करता है। इसी से थारु राष्ट्र की मुख्य धारा में आकर राष्ट्र के उत्थान में योगदान कर सकते हैं। समय की माँग है कि थारुओं के साथ अभी तक जैसा

बर्ताव हो रहा है, उसके नितान्त भिन्न व्यवहार उनसे किया जाये तथा उनके समुचित विकास हेतु राष्ट्र की सुलभ सभी सुविधायें उन्हें प्रदान की जायें।

राय(2010) ने 'जनपद बलरामपुर की साक्षरता और थारु युवा' नामक अपने शोधपत्र में लिखा कि सबसे कम महिला साक्षरता की रीढ़ी पर नीचे से आने वाला बलरामपुर प्रदेश का दूसरा जनपद है। आपने बताया कि बलरामपुर में शिक्षा सुविधाओं के पहुँचने से थारु युवाओं के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आने शुरू हो गये हैं, इसलिए सरकार सहित अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं को इनके विकास में अविलम्ब हाथ बढ़ाना चाहिए।

तोमबिंग(2011) ने मणिपुर के इम्फाल जिले के हाई स्कूल के आदिवासी विद्यार्थियों की समस्याओं पर अध्ययन किया। सर्वेक्षण हेतु न्यादर्श के रूप में इम्फाल के हाई स्कूल के आदिवासी विद्यार्थियों में से 05 आदिवासी जनजातियों यथा पैते, हमर, कुकी, मिजो-लुशाई तथा तांगखुल के 500 विद्यार्थियों (277 लड़के तथा 223 लड़कियाँ) को लिया गया। अध्ययन में आदिवासी विद्यार्थियों के समूहों का 8 विभिन्न क्षेत्रों में अनुभव की गयी समस्याओं के सम्बन्ध में अध्ययन किया गया तथा पाया गया कि शैक्षिक समस्यायें विद्यार्थियों के लिए से सम्बन्धित पायी गयीं जबकि आर्थिक समस्यायें विद्यार्थियों की आदिवासी पृष्ठभूमि तथा विद्यालय के सरकारी तथा निजी होने से। अध्ययन में भावात्मक समस्याओं को काफी हद तक सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों से सम्बन्धित पाया गया। लड़कों में अधिक सामाजिक समस्यायें पायी गयीं।

राव(2011) ने किशोरवय विद्यार्थियों की मनोवैज्ञानिक समस्याओं, व व्यवधान का अध्ययन किया जिसमें न्यादर्श हेतु कुल 50 किशोरवय विद्यार्थियों को चुना गया। जिनमें 25 हाईस्कूल स्तर के तथा 25 कालेज स्तर के (इसमें 17 इंटर के तथा 8 डिग्री प्रथम वर्ष के) विद्यार्थियों को सम्मिलित किया गया। शोधकर्ता ने निष्कर्षतः यह पाया कि किशोरावस्था के बालकों द्वारा कक्षा की गतिविधियों में रुचि से भाग न लेने, ध्यान की कमी तथा एकाग्रचित्ता को बनाये रखने में कमी उनकी शैक्षिक समस्याओं के मूल कारण थे। इसके कारण जो समस्यायें उत्पन्न हुई वे थीं— शिक्षा में रुचि की कमी, भविष्य के प्रति चिंता, विद्यालय/कालेज का डर, परीक्षाओं का भय, शिक्षा के बारे में नकारात्मक सोच, अध्ययन से डर, भूलना, एकाग्रचित्ता की कमी, छात्रावास से डर तथा शिक्षा में

उद्देश्य पूर्ण की कमी। शोधार्थी ने अनुभव किया कि महत्वाकांक्षी अभिभावक अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए बच्चों पर दबाव बनाते हैं जिससे उनमें द्वन्द की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। शारीरिक गतिविधियों, व्यायाम, खेलकूद की कमी के कारण विद्यार्थियों की भावनाएँ, व उग्रताएँ बाहर नहीं निकल पाती हैं जो उनके लिए संघर्ष और चिंता का कारण बनती हैं।

पातंजलि(2011) ने तराई, व नेपाल की जनजातियों का एक तुलनात्मक अध्ययन (थारू-बोक्सा के विशेष संदर्भ में) किया। अध्ययन में ऐतिहासिक विधि द्वारा अध्ययन कर थारू तथा बोक्सा जनजाति का परिचय दिया गया, उनके सामाजिक जीवन, सांस्कृतिक जीवन आदि पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। निष्कर्षतः अपने अध्ययन में आपने चौदह प्रकार के थारूओं का उल्लेख किया। आपने बताया कि बोक्सा व थारू समाज के लोग एक माह तक होली का त्यौहार मनाते हैं। दशहरे से पूर्व बोक्सा व थारू समाज रामलीला का आयोजन करता है तथा दशहरे वाले दिन नये वस्त्र पहनकर मेलों में भाग लेते हैं। बोक्सा लोग शान्त तथा खुशमिजाज प्रकृति के होते हैं।

राणा(2012) ने थारू जनजाति में राजनीतिक सहभागिता का अध्ययन जनपद ऊधम सिंह नगर के विशेष सन्दर्भ में किया जिसमें थारू समुदाय की प्रमुख समस्याओं के रूप में निर्धनता, अशिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ऋणग्रस्तता, ईंधन एवं वन सम्बन्धी समस्या, धर्मान्तरण, कला एवं संस्कृति सम्बन्धी समस्या, अन्धविश्वास, कृषि भूमि सम्बन्ध समस्या, सामाजिक पिछड़ापन, स्वास्थ्य सुविधा एवं पोषण की समस्या, राजनीतिक समस्या, सरकार का दोहरा मापदण्ड तथा नशा को पाया। अन्य समस्याओं के अन्तर्गत परिवहन एवं सरकारी समस्या, सिंचाई एवं विकास की समस्या, स्वच्छ पेयजल की समस्या, सरकारी ऋण न मिलने की समस्या, अनाज गोदामों एवं सही विपणन की समस्या को पाया तथा इन समस्याओं के समाधान भी बताये।

सिंह(2012) ने अनुसूचित जनजाति के शहरी व ग्रामीण छात्रों का समायोजन, आर्थिक स्थिति तथा सामाजिक परिवर्तन के प्रति दृष्टिकोण का तुलनात्मक अध्ययन किया। अध्ययन में उत्तराखंड के गढ़वाल मण्डल के देहरादून जिले में रहने वाले ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के अनुसूचित जनजाति के छात्रों को सम्मिलित किया गया। अध्ययन में अनुसूचित जनजाति के शहरी व ग्रामीण छात्रों (बालक व बालिकाओं) के समायोजन में

कोई अन्तर नहीं पाया गया। अनुसूचित जनजाति के शहरी छात्रों (बालक व बालिकाओं) की आर्थिक स्थिति ग्रामीण छात्रों (बालक व बालिकाओं) से उच्च पायी गयी। अनुसूचित जनजाति के शहरी छात्रों (बालक व बालिकाओं) का सामाजिक परिवर्तन के प्रति दृष्टिकोण ग्रामीण छात्रों (बालक व बालिकाओं) से अधिक धनात्मक पाया गया।

शर्मा(2014) ने छत्तीसगढ़ की भुंजिया जनजाति में महिला सशक्तिकरण का मानवशास्त्रीय अध्ययन किया। उन्होंने अध्ययन में पाया कि शिक्षा का निम्न स्तर महिलाओं के सशक्तिकरण में सबसे बड़ी बाधा है। भुंजिया जनजाति की महिलाओं में साक्षरता दर 39-59 प्रतिशत पाई गई जो बहुत कम है। आर्थिक कार्यों में महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत उच्च पाया गया। राजनैतिक क्षेत्रों में महिलाओं में उदासीनता पायी गयी। महिलाओं द्वारा अपने खान-पान की अनदेखी के कारण इनके स्वास्थ्य में भी गिरावट पायी गयी। अतः शोधकर्ता द्वारा निष्कर्षतः बताया गया कि भुंजिया महिला, अभी सशक्तिकरण की स्थिति से बहुत पीछे हैं। इनमें सशक्तिकरण जैसी मानसिकता जागृत करने की आवश्यकता है। हालांकि कई क्षेत्रों जैसे - कन्या भ्रूण हत्या, वं दहेज (दबावपूर्वक मांग) जैसे मुद्दों पर इनकी स्थिति सशक्त कही जा सकती है।

हसीना(2014) ने केरल में आदिवासी जनजाति के विद्यार्थियों में शिक्षा की संभावनाओं, वं ड्रापआउट का अध्ययन किया। आपने लिखा कि जनजातियों को मुख्य धारा में जोड़ने के स्थान पर उन्हें कम स्थिति तक ही सीमित कर दिया गया है और अक्सर भौतिक और सामाजिक रूप से उन्हें अलग ही रखा जाता है। मनोवैज्ञानिक रूप से अनुसूचित जनजाति के लोग अक्सर अपने साथ उदासीनता पूर्ण व्यवहार का अनुभव महसूस करते हैं जोकि उन्हें शैक्षिक अवसरों, सामाजिक भागीदारी और अपनी भूमि के उपयोग से अपवर्जन की ओर ले जाता है। सभी जनजातीय समुदाय, क जैसे नहीं होते। वे विभिन्न ऐतिहासिक और सामाजिक स्थितियों की उत्पत्ति होते हैं। अतः निष्कर्षतः अध्ययन द्वारा इन सभी कारणों को आदिवासियों के शिक्षा से वंचित तथा ड्रापआउट होने का मूल कारण माना गया।

साहू(2014) ने छत्तीसगढ़ में जनजाति आन्दोलन का जनजाति विकास पर प्रभाव का अध्ययन बस्तर जिले के विशेष सन्दर्भ में किया तथा पाया कि 40 प्रतिशत लोग ही शासकीय योजनाओं का लाभ उठा पाते हैं। जबकि 60 प्रतिशत लोग मानते हैं कि ग्रामीण

विकास के लिये राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार की भूमिका होती है। उत्तरदाता मानते हैं कि शिक्षित व जागरूक सरपंचों के क्षेत्रों में तुलनात्मक दृष्टि से अधिक कार्य कराये गये हैं।

राजीव(2014) ने पाया कि थारु लोगों में संयुक्त परिवार मिलते हैं जिनमें चार पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते हैं। परंतु विगत वर्षों में परिवार विभाजन की मात्रा एवं एकल परिवार बढ़े हैं। प्रमुख नृत्य नृत्य नृत्य झुमड़ा है जिसमें पुरुष नृत्य करते हैं थारु क्षेत्र में शिक्षा सुविधाओं की कमी है जनजातीय क्षेत्रों में निजी विद्यालयों का आर्थिक कार. गों से अभाव है और सरकारी विद्यालयों की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। सारे परिवारों में विवाह की आयु में वृद्धि हुई है। विगत दशकों में जहां थारु महिलाओं का परिवार में स्थान कमजोर हुआ है वहीं जनता शिक्षा एवं व्यवस्था के संदर्भ में महिलाओं की स्थिति मजबूत हुई है।

मंजुनाथ(2015) ने कर्नाटक के मलाईकुड़ी आदिवासी विद्यार्थियों की शैक्षिक स्थिति तथा समस्याओं का अध्ययन किया। अध्ययन में बहुस्तरीय न्यादर्शन विधि का उपयोग कर 12 से 16 वर्ष आयु वर्ग के कक्षा 6 से कक्षा 10 तक अध्ययनरत मलाईकुड़ी आदिवासी विद्यार्थियों को न्यादर्श में चुना गया। आँकड़ों के संग्रहण हेतु शोधकर्ता द्वारा स्वनिर्मित उपकरण का निर्माण कर उपयोग किया गया। मलाईकुड़ी आदिवासी जनजाति के विद्यार्थियों की शैक्षिक स्थिति तथा शैक्षिक समस्याओं के सम्बन्ध में विद्यार्थियों, अभिभावकों तथा शिक्षकों के विचारों की प्रतिशतता को ज्ञात करने हेतु प्रतिशत विश्लेषण विधि का प्रयोग किया गया। अध्ययन से निष्कर्ष निकाला गया कि यद्यपि मलाईकुड़ी आदिवासी विद्यार्थी शिक्षित हो रहे हैं तथा सरकारी योजनाओं का लाभ भी उठा रहे हैं तथापि उन सभी को शिक्षित करने, सरकारी सुविधाओं से अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने तथा उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ने हेतु कुछ अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है।

वर्मा(2015) ने 'द ईको फ्रैण्डली थारु ट्राइब' शोधपत्र में लिखा है कि थारु जनजाति के लोग प्रकृति के बहुत करीब होते हैं। थारु जनजाति का रीति-रिवाज, खान-पान तथा धर्म सभी प्रकृति से जुड़ा हुआ है। यह लोग प्रकृति को अपना भगवान मानते हैं, जिसे यह अपनी भाषा में भूमसेन कहते हैं।

प्रताप(2015) ने राजवंशीय थारु जनजाति एवं बौद्धों से इनके ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक सम्बन्ध विषय पर शोध लेख लिखा। अपने निष्कर्षों में उन्होंने लिखा कि थारु

जनजाति का राजवंशीय सम्बन्ध प्राचीनकाल में था इसके अतिरिक्त वे प्राचीन बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे। यद्यपि यह स्पष्ट नहीं है कि ये थारु जनजाति अब अपने राजवंशीय अस्तित्व को छोड़कर साधारण हो गई या इन्होंने अब अपनी प्रगतिशील व समृद्धिशीली बौद्ध संस्कृति व शासक पद को त्यागा होगा अथवा इनसे छीन लिया गया होगा। शोध पत्र में दिए गए विवरण के आधार पर आपने बताया कि थारु जनजाति (राइब) प्राचीन भारत के बौद्ध लोग हैं जिनका इतिहास स्वयं अपने में 2600 वर्ष पुरानी ऐतिहासिकता संजोये हुए हैं।

यादव(2016) ने भारत में जनजातियों की समस्याओं सम्बन्धी अपने शोध लेख में बताया कि भारत में जनजातीय समुदाय के लोगों की काफी बड़ी संख्या है। आपने अपने लेख के माध्यम से सामान्य रूप में जनजातियों की प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण की समाप्ति, शिक्षा का अभाव, विस्थापन एवं पुनर्वास, स्वास्थ्य एवं कुपोषण की समस्याएँ, लैंगिक मुद्दे, पहचान का भय, अनुसूचित जनजातियों का विकास आदि समस्याओं की चर्चा की। साथ ही जनजातियों के उत्थान हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं की भी चर्चा की। निष्कर्षतः जनजातियों में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक चेतना के विस्तार हेतु शिक्षा को सशक्त माध्यम बताया।

सोरेन(2016) ने ओडिशा के मयूरभंज जिले के जनजातीय विद्यार्थियों में शिक्षा की प्रासंगिकता तथा विद्यालय छोड़ने की समस्या का अध्ययन किया। शोधकर्ता ने उक्त लेख के माध्यम से ओडिशा के प्राथमिक शिक्षा के स्कूल छोड़ने की दर को उजागर करने का प्रयास किया है। लेख का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के स्कूल छोड़ने हेतु उत्तरदायी स्थिति का पता लगाना है। विद्यार्थियों के विद्यालय छोड़ने की दर को कम करने हेतु विभिन्न कार्यक्रम और नीतियाँ संचालित होने के बाद भी कई मुद्दे छूटे हुए हैं। विद्यालय छोड़ने के कारणों में दूर दराज का होना, हाशिए पर होना, सामाजिक रूप से बहिष्कृत समूह होना, पर्याप्त संसाधनों की कमी तथा भाषाई आदि समस्याएँ प्रमुख हैं। अध्ययन में प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय छोड़ने हेतु प्रमुख रूप से पारिवारिक काम, पढ़ाई में माता-पिता के मार्गदर्शन के अभाव, शिक्षकों द्वारा दण्ड, परिवार की सामाजिक-आर्थिक स्थिति आदि को मुख्य कारण माना गया।

गौतम(2016) ने अपने लेख थारु जनजाति में विवाह व्यवस्था का परिवर्तित स्वरूप में बताया कि थारु जनजाति के पारिवारिक स्वरूप के अन्तर्गत अधिकांशतः थारु समुदाय

के लोग वर्तमान समय में मूलरूप से एकल पत्नी का वाहक है। यद्यपि पूर्व में 'बहुपत्नी प्रथा भी प्रचलित थी जो वर्तमान समय में लुप्त हो रही है। जहाँ थारु समुदाय में विवाह बाल्यावस्था में कर दिया जाता था उसमें कभी आयी है। इनके यहाँ वर्तमान समय में विवाह 18 से 20 वर्ष की आयु में होने लगे हैं। इसी के साथ विवाह की परम्पराओं में भी परिवर्तन आया है। अन्तः विवाह में कभी आयी और बहिर्विवाह में अपने समूहों से हटकर अलग विवाह होने लगे। प्रेम व विधवा पुनः विवाह में अत्यन्त व्यापक तो नहीं लेकिन कुछ वृद्धि हुई है। सामाजिक जागरूकता एवं आधुनिकीकरण के चलते व वाह्य लोगों के सम्पर्क में आने से थारु समाज में परिवर्तन हुए।

सिंह(2017) 'ट्राइब इन उत्तराखण्ड' शोधपत्र में लिखा है कि उत्तराखण्ड में जनजाति जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। ऐतिहासिक दस्तावेज यह बताते हैं कि उत्तराखण्ड में जनजातियों का आवास बहुत पुराना है। ये लोग सुदूर पहाड़ी व जंगली क्षेत्रों में निवास करते आ रहे हैं।

पाठक(2018) ने अपने अध्ययन में पाया कि थारु निवासी क्षेत्र में अपेक्षित विकास नहीं हो पाया है इस क्षेत्र में थारु जनजातियों के विकास हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी अनेक विकास योजनाएं चलाई जा रही हैं जिन्हें समितियों के माध्यम से लागू किया जा रहा है तथा जनजातियों को कर्ज उपलब्ध कराया जा रहा है एवं कृषि उत्पादन के विक्रय की भी व्यवस्था की जा रही है थारु आदिवासी क्षेत्र के मुख्य समस्याओं में भूमि हस्तांतरण बाहरी व्यक्तियों द्वारा शोषण गरीबी कर्ज ग्रस्तता एवं मद्यपान मुख्य है अतः इन समस्याओं का समाधान किए बिना क्षेत्र का समुचित तथा अपेक्षित विकास संभव नहीं है।

गौड़(2019) ने अपने अध्ययन उत्तर प्रदेश की थारु जनजाति में सामाजिक-आर्थिक गतिशीलता : (महराजगंज जिले के विशेष सन्दर्भ में) में बताया कि शैक्षिक स्थिति के आधार पर तथ्यों का सह-सम्बन्ध यह स्पष्ट करता है कि हाईस्कूल कक्षा के अधिकतर सूचनादाता 51.44 प्रतिशत मोबाइल प्राप्ति की कामना करते हैं जबकि इण्टर कक्षा के 37.6 प्रतिशत की भी यही कामना है। इसी प्रकार स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अधिकतर सूचनादाता 46.88 प्रतिशत सभी चीजों की कामना करते हैं। इस प्रकार हाईस्कूल और इण्टर स्तर की तुलना में स्नातक/स्नातकोत्तर सूचनादाताओं की अकांक्षा का स्तर अधिक उच्च प्रतीत होता है। शैक्षणिक स्थिति के आधार पर तथ्यों का सह-सम्बन्ध यह स्पष्ट करता है कि हाईस्कूल कक्षा के 43.20 प्रतिशत और इण्टर कक्षा

के 52.00 प्रतिशत के अधिकतर महिलाओं ने जीवनोपयोगी माना है। उसी प्रकार स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के 34.38 प्रतिशत महिलाओं (छात्राओं) ने प्रतिष्ठा का प्रतीक बताया है। अतः स्पष्ट है कि स्नातक/स्नातकोत्तर की तुलना में हाईस्कूल व इण्टर के महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाना उनके व्यावहारिक मनोवृत्ति का परिचायक है। शैक्षणिक स्थिति के आधार पर तथ्यों का विवरण यह स्पष्ट करता है कि हाईस्कूल कक्षा के 74.49 प्रतिशत, इण्टर कक्षा के 74.40 प्रतिशत और स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के 56.25 प्रतिशत सूचनादाता अपने निवास क्षेत्र से दूर जाकर रोजगार या नौकरी करने के लिए तत्पर हैं जो सूचनादाता अपने निवास क्षेत्र को छोड़ने के लिए तत्पर नहीं है उनकी मात्रा हाईस्कूल कक्षा में 13.58 प्रतिशत, इण्टर कक्षा में 16.80 प्रतिशत और स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षा में 28.13 प्रतिशत पाई गई है।

गुप्ता(2020) ने अपने अध्ययन थारु महिलाओं के सशक्तिकरण में राज्य और नागरिक समाज की भूमिका में पाया कि महिलाओं को मित्र-सहयोगी के चयन की स्वतंत्रता पहले के मुकाबले बहुत कम या आंशिक रूप से कम हुई है। तीन-चौथाई से भी अधिक उत्तरदाताओं के अनुसार पारिवारिक निर्णयों में महिलाओं की सहभागिता में पहले की अपेक्षा कम हुई है या पहले जैसी ही है। अधिकांश उत्तरदाताओं के अनुसार वैवाहिक निर्णयों में महिलाओं की सहभागिता में पहले की अपेक्षा कमी हुई है या पहले जैसी ही है। अधिकांश उत्तरदाताओं के अनुसार वर्तमान समय में वैवाहिक संबंधों में बेटियों की राय पहले से आंशिक कमया बहुत कम मानी जाती है। थारु समुदाय में स्त्रियाँ अत्यधिक सम्मानित मानी जाती हैं। यहाँ तक सैद्धान्तिकरूप से पितृसत्तात्मक होने के बाद भी व्यवहार में स्त्रियाँ ही परिवार व समुदाय में सत्ताधिकारी होती हैं। स्त्रियाँ सर्वाधिक आर्थिक व सामाजिक अधिकारों का उपयोग करता है। वस्तुतः स्त्री होना ही परिवार में और समुदाय में उच्च व सम्मानित स्थिति प्राप्त करने के लिए पर्याप्त माना जाता है, चाहे वह योग्य, कुशल, अनुभवशील, कर्मठ, शिक्षित व चतुर हो या न हो।

दुबे(2021) थारु व बुक्सा जनजातियों के सामाजिक आर्थिक स्तर का तुलनात्मक अध्ययन में पाया कि थारु व बुक्सा जनजाति के जीवन के विभिन्न पहलुओं को देखने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि जनजाति जीवन के विभिन्न पहलुओं में परिवर्तन हो रहा है तथा परिवर्तन की यह प्रक्रिया जनजातीय समाजों को राष्ट्र की मुख्यधारा में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जनजातीय लोगों को शिक्षा में सुधार के लिए आर्थिक

सुविधाएँ प्रदान की जाएँ, कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि हमें कोई भी निर्णय उन पर नहीं थोपना चाहिए। जनजाति संस्कृति की अच्छाइयों यदि अस्तित्व में बनी रहें तो एक लाभकारी स्थिति होगी। हम उन्हें शिक्षित बनाएँ, ताकि उनमें नवचेतना का संसार हो, तत्पश्चात् निर्णय उनके हाथ में हो ताकि वे अपने विकास को अपनी परिस्थितियों के हिसाब से समायोजित करते हुए सतत विकास की राह से देश की मुख्य धारा में शामिल हो जाए।

निशा(2021)थारु जनजाति का सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक अध्ययन—उत्तराखण्ड के विशेष सन्दर्भ में(1950-2000) किया। उन्होंने पाया कि थारु जनजाति के विकास में समाज कल्याण विभाग की भूमिका समाज कल्याण विभाग ने थारु समुदाय के लिए खटीमा (ऊधम सिंह नगर) में 1996 ई. में औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की। थारु जनजाति से सम्बन्धित अधिकांश कार्यक्रम एवं विकास योजनाएँ समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जा रही हैं। राज्य स्तरीय प्रयास में उत्तराखण्ड में मेरे शोध समयावधि में राज्य का कोई प्रथक अस्तित्व नहीं था अपितु उसी समय राज्य का उत्तरप्रदेश से विभाजन होकर अस्तित्व में आया और इस समय में जनजातियों के विकास से जुड़े कोई पृथक मंत्रालय या विभाग नहीं बनाया गया था।

खटीमा तथा सितारगंज क्षेत्र के थारु जनजाति के उत्थान हेतु 1965 ई. में श्री ओम प्रकाश राणा के राणा थारु परिषद का गठन किया गया। जिसका कार्यालय थारु विकास भवन खटीमा में है। यह संगठन थारु जनजाति के विकास एवं उत्थान के उद्देश्य से बनाया गया था जिसमें सभी सदस्य थारु जनजाति के ही शिक्षित लोग शामिल थे जो अपने समुदाय के जीवन स्तर के सुधार हेतु समय-समय पर आन्दोलन, सभाएँ तथा बैठक की और इन सब के माध्यम से व्यापक जनजागरुकता अभियान चलाया ये वर्तमान में अभी भी कार्यरत हैं। वर्तमान में अब ऐसे कई संगठनों का निर्माण हुआ जो कि इसी वर्ग के लोग हैं और अपनी लुप्त होती संस्कृति को बचाने का प्रयास कर रहे हैं।

17 सितम्बर 2000 ई. को उत्तराखण्ड की पाँच जनजातियों के संगठनों ने मिलकर उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति का गठन किया जो इन सभी जनजातियों के विकास के लिए कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग 1995 ई. से अस्तित्व में है जो इनके विकास हेतु कार्यरत है। समाज कल्याण विभाग की स्थापना स्वतंत्रता पूर्व ही 1948-1949 ई. में हरिजन सहायक विभाग

के रूप में हुई थी। तब से पिछड़े हुए वर्षों के विकास हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

शशि(2021) ने अपने अध्ययन में पाया कि था:ओं की स्थिति सुधारने के लिए केंद्र के साथ राज्य सरकार एवं स्वयंसेवी संस्थाएं भी उनके उत्थान के लिए कार्य कर रही है। विभिन्न पंचवर्षीय योजना में उनकी शिक्षा के लिए प्रयास किए गए हैं राज्य सरकार व आईडीपी योजना में भी बालक बालिकाओं के लिए स्कूल स्थापित करके उनको शिक्षित करने के लिए प्रयास किया जा रहे हैं। स्वयंसेवी संस्थाओं में बनवासी सेवा संस्थान (सर्वेंट आफ इंडिया सोसाइटी पार्टी) भारतीय आदिम जनजाति सेवक संघ भी इनके उत्थान में संलग्न हैं। अतः धर्म को उनकी समस्याओं से मुक्त करने के लिए इनमें अपनी समस्याओं के प्रति जागृति लानी चाहिए तथा अपने उत्थान के लिए अंधविश्वास को दूर कर आधुनिक बाजार में बह रही सब संस्कृति से जोड़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए सरकार एवं स्व:सेवी संस्थाओं के साथ जब तक भी अपनी पुरानी बातों को तोड़कर उत्थान हेतु प्रयास नहीं करेंगे तब तक उनका विकास संभव नहीं होगा।

SRIVASTAVA(1965) in his study titled BLOOD GROUPS IN THE THARUS OF UTTAR PRADESH AND THEIR BEARING ON ETHNIC AND GENETIC RELATIONSHIPS studied tharus from genetic point of view. The three major groups of the Tharus, namely 158 Rana, guria and 69 Pachchimaha have been examined for ABO, MN blood groups. They were found to be similar in blood group A comparison of Tharus blood group with the people of the Nepalese has also been attempted.

SINGH(1997) in his study entitled The Emerging Tribal Scenario discussed the importance of tribal language. Tribal languages should be recognised for the purpose of imparting education at the primary stage so that there is no alienation of tribals from tribal culture; and the rights of tribal women in land and other forms of property should be recognised and their participation in traditional and modern institutions of decision-making should be guaranteed.

KUMAR, TEWARI & PANDE(2003) find that the Tharu tribals of Beerpur-Semra forest range of Balrampur district of north-eastern tarai belt of U.P. use many wild and cultivated plants for medicinal purposes. The village headman, elders, local herbal doctors, and elder members of the family were found to have more knowledge about folklore, medicinal preparations, mode of application and indigenous traditional medicinal system. However, most of Tharu population of tribal area do not know about this medicinal system. The knowledge of treatments for serious diseases is kept secret but is told to elder member of the family.

Kumar, Tewari & Tewari(2006) stated that from earliest times people have made use of plants for their basic needs, sustenance, Medicare and livelihood. Some plants used by people are cultivated, while others grow in wild conditions. The Tribals depend predominantly on plants for food, clothing,

Housing, medicine, oil, agricultural implements, art & crafts, and a host of other requirements. *Tharu* tribe has superstitious believes on some plants and 31 plants species were found to be tied/worn on the body parts to cure various ailments. Plant species were also used to prevent abortion, achieve easy delivery, eye, gastric and respiratory problems, fever, antidote for snake and scorpion bites, sunstroke, arthritis, hydrocoel, toothache, cough, dysentery, jaundice, induce sleep and sexual power. It is hoped that chemical analysis of these plants and their pharma cotherapeutics will provide much needed lead for further research and new drug development

Srivastava, Tewari & Shukla(2008) discussed about A folk dye from leaves and stem of *Jatropha curcas* L. used by *Tharu* tribes of Devipatan division the dyed materials were tested for their fastness properties. The fastness is graded according to the following numbers, 1- Excellent, 2-Very good, 3-Good, 4-Moderate, and 5-Poor. The investigation suggests that a natural dye can be extracted from stem and leaves of *Jatropha curcas* L. This

traditional knowledge was undocumented so far and the plant can be exploited for extraction of dye, which would be cheaper and superior to synthetic dyes. The dye has no irritative and toxic effects on skin.

Kumar Rajesh, Singh Manish K & Bharati K Avinash(2013)
ETHNOBOTANY OF THARUS OF DUDHIWA NATIONAL PARK, INDIA
In this study, 86 species of plants have been identified and documented. Informants used these plants for food, fodder, firewood, fishing, hut preparation, basket & ropes making, food serving plates, preparation of agricultural and musical instruments. Quantitative data analysis revealed that there is a great agreement among informants for *Alstonia scholaris* (firewood), *Antidesma acidum*, *Artocarpus lakoocha* (edible), *Bauhinia vahlii*, *Butea monosperma* (food plate), *Dendrocalamus strictus* (hut preparation), *Hibiscus cannabinus* (rope), *Oryza rufipogon* (food), *Phoenix acaulis* (edible), *Tamarix dioica* (broom). They emphasized that uses of these species are time-tested, they may play role as major economic plants in future.

Verma(2010) The Eco-friendly Tharu Tribe: A Study in Socio-cultural Dynamics. The culture of Tharu tribe is really Eco-friendly and represents a good social life system. The Tharus respect and care of the natural resources like forest, rivers etc. The concept of women empowerment is not needed in this community because the Tharu women have already high status and enough rights in their own society. The old generation of Tharu tribe is more aware about environment than new generation. But at present the Tharu tribe is suffering from Social and Cultural dynamics.

Verma(2011) in his study entitled concluded that Tharu community is going under social dynamics rapidly and their youth are playing a big role in this process. Tharu youth are not more aware about higher education but they have dominant position in local politics. It is true that Tharus have not more highly class administrative jobs in government of private sector but they have many political and constitutional posts at local and regional level. Tharu

youths are ignoring and refusing their traditional systems and customs so the main identity of Tharu culture is losing. All emphasized that we need of a special research institute and museum about Tharu community just like Nepal. He identified that Poverty, Illiteracy and lack of Communication as main problems of Tharu Youth.

Gairola(2013) in his study entitled Medicinal plants used for primary healthcare by Tharu tribe of Udham Singh Nagar, Uttarakhand, India showed that Tharu folk of district Udham Singh Nagar still continue to depend on medicinal plants for the treatment of primary healthcare. They also realized the need of conservation and cultivation of medicinal plants because of their effectiveness. The traditional practitioners are dwindling in number and there is a threat of traditional knowledge system disappearing soon as the younger generation is not interested to learn their tradition. Documentation of indigenous knowledge through ethno botanical studies is important for the conservation and utilization of biological resources. It is suggested that there is a need to pay attention for Conservation of commercially important species by local Forest Department and NGOs. The over exploitation of natural resources, fast changing tribal culture has caused the loss of such valuable knowledge. So there is a great need of ethno botanical operations for the documentation of this knowledge as soon as possible.

Kumar and Bharati(2014) in his study entitled Ethnomedicines of Tharu Tribes of Dudhwa National Park, India 95 medicinal plants identified and documented. Informants preferred to treat some ailments like minor injuries, dermatitis, bone dislocation, toothache, male reproductive ailments and maternity-related issues with traditional medicines. Quantitative data analysis revealed agreement among informants for the use of *M. oleifera* (high blood pressure), *P. longum* (cough), *N. tabacum* (dermatitis), *C. viscosa* (boil), *C. turgida* (stomach ulcer), *L. inermis* (dysentery), *C. pareira* (stomachache), *A. paniculata* (fever, anorexia), *T. uliginosa* (dysentery), and *T. procumbens*

(nocturnal emission). Preparations identified in this research as having higher informant consensus factors may have potential for wider use elsewhere.

ARATI YADAV(2014) conducted a study titled **TRIBES AND THE FOREST: A STUDY OF COMMON PROPERTY RESOURCES IN MEGHALAYA** she acknowledged that

Education for Tribal people has today became of great importance even since India got independence, considerable amount of money and resources have been spent so that unprivileged undeveloped and neglected tribals could get a fair deal. In spite of the best efforts of the central and state government and social organizations the tribal and more or less is in the same condition.

Singh & Singh(2015) in their research paper entitled **Tharus and Their Enhancement in Modern Time of Lakhimpur-Kheri District, U.P.** discussed The socio economic aspect of Tharus and their economic uplift is concluded in following points.

Social nature of Tharus, uplift their status through different activities, adapting rules and regulations by government, internal organization, religion, food drinks adapting occupations and social customs by means of Festivals, marriages, dance. The forest plays a vital role in uplifting the economy of the Tharus through ethno botanical use of edible, medicinal, wood and miscellaneous plants. The present studies acquire an added significance in view of the recent tribal welfare programmes launched by government of Uttar Pradesh and recent acculturation of their cultures. However, due care must be taken to preserve and maintain the cultural tradition of the tribe, while undertaking their economic uplift. The present studies also reveal and suggest that plant resources of Kheri district U.P. are extremely rich in raw materials for establishment of industries and providing employment to the rural population. The Tharus are joining the main stream of modern society through the result of new educational policies launched by govt. of India and programmes implemented by social welfare development schemes. The studies

also bring light on the economic uplift of the Tharus through herbal drugs, Oil seeds, fibres, pulp industries, agricultural and musical tools, and the small scale cultivation plants and the tribal can sell in the local market. The programme should be analyse in critical perspectives and suggestions offered for its more effective operation.

SHARMA(2016) conducted a study titled **EMPOWERMENT OF THARU FARM WOMEN IN TRIBAL SETTING OF UTTARAKHAND** find in her study was conducted in two districts of Uttarakhand state. The profile of the respondents indicated that most of the respondents had low level of education and were less empowered. Married women were more empowered. Land holding did not affect empowerment, material possession was high and as high the material possession higher the empowerment was. Social participation was quiet low and most of the respondents were dependent on their husbands. Respondents had low family income and medium level of source of information utilization. Marketing facility was not good and they had high value orientation. Respondents work more in farms and good at decision making process. Respondents had high level of psychological, cultural, social and economic empowerment and low level of political and legal empowerment. So we can conclude that the general perception about high tribe women empowerment is not totally right as they were not highly politically and legally empowered. It is needed to policy makers to frame policies which can pave the path of empowerment and government need to focus toward their empowerment and development. It is needed to make them aware of the civil rights, Exercising the political and legal rights whenever necessary, Preparing and canvassing the documents regarding the legal and political freedom for women, Providing good literary programmes regarding the legal and political empowerment. Collective awareness and collective action must be involved to fully empower women.

Chaturvedi, Mishra & Kumar(2016) in their study on SPECIFIC FOOD CULTURE OF THARU TRIBE discussed habitat, culture and economy of tharu which is fully influenced by environment mainly climate of Tarai and forest. Literacy is very powerful instrument of social change and overall development but due to low level of literacy in this community they have very few knowledge of healthy diet for their body requirement. Rice, wheat and meat are major part of their meal and homemade wine like *Jand* and *Daru* is not only essential part of their food but also their environmental circumstance and social behaviour. Mineral and vitamin full vegetable, fruit and milk have very little role in their meal. So they take very insufficient nutrient in their diet, because of that they have not develop mentally and physically.

Ramesh Kumar Rai(2016) in his research entitled Tribes of Uttar Pradesh, Brief Introduction concluded that Tribes of Uttar Pradesh are living in conditions of deprivation. Their economic conditions and their standard of living are very low .they have no lands, no education and assets, these are main difficulties which hunt them. They are known as backward by society and by authority. They are having dual status in the state, of because, Act 2002 has raise many problems which tribes are facing, some tribes are notified as scheduled caste in some of the districts and scheduled tribes in some other and to that extent the same community are having dual status in Uttar Pradesh. It is found that tribes communities are also being denied the benefits of reservation in service of the State.

Singh(2017) conducted a study entitled ETHNOMEDICINES USED BY KOCHILA THARU TRIBES LIVING NEAR BARA DISTRICT OF Nepal In her study the traditional or indigenous knowledge is normally validated empirically in nature and laboratory of life whereas modern knowledge is validated through human invented tool and techniques in the laboratory of bricks and concretes. In this study, 99 medicinal plants were

identified and documented. Informants preferred to treat some ailments like minor injuries, dermatitis, bone dislocation, toothache, male reproductive ailments and maternity-related issues with traditional medicines. Preparations identified in this research as having higher informant consensus factors may have potential for wider use elsewhere.

Yadav(2017) conducted the study titled *Continuity and Change among Tharu Tribe: A Socio-Cultural Study*. According to her the culture of Tharu tribe is amazing as it is very much related to nature and represent a good kind of social life. They respect their women and family. There is a close bond among them and a great respect for their elders. They live in the lap of nature so their religious practices are very much related to nature. They strongly believe in nature, super natural power, spirits, soul, and ancestors. Their festivals are very eco-friendly but due to influence of Hindu culture they also celebrate Hindu's festivals like Holi and Diwali. They are mainly agriculturist and live in permanent villages.

Socio-economic condition of Tharu women is very good. Men and women of the family are engaged in agriculture work. Women of Tharus enjoy more freedom than women from non-tribal communities. But with the passing period of time and due to the modernization, educational development and continuous contact with non-tribal neighbors in the area they live, they have started losing their original socio-cultural norms and values and they are facing the problem of social change through the process of Sanskritization and Hinduization. Increasing influence of Modernization and Hinduization has significant impact on the traditional culture on the Tharu Tribes. So in conclusion we can say that such influence of acculturation made the Tharu culture very dynamic in nature and with period of time it is influenced by the dominant culture of Hindus too. Tharus are closely associated with nature but due to influence of Hindu population their cultural practices have undergone sea change.

Mishra and Shrivastava(2018) conducted study entitled Ethnobotanical study of tharu community of Panchapedwa, Balrampur, and Uttar Pradesh. Although, there is no universally accepted definition of traditional knowledge (TK) yet, it refers to tradition-based literary, artistic or scientific work; performances, inventions; scientific discoveries; designs; marks, names and symbols, undisclosed information and other tradition-based inventions and creations resulting from intellectual activity in the industrial, scientific, literary or artistic fields. Tradition-based referred to knowledge systems, Creations, innovations and cultural expressions, which have generally been transmitted from generation to generation, are generally regarded as pertaining to particular people or its Territory, and are constantly evolving in response to a changing environment. The traditional or indigenous Knowledge could include-agriculture, science and technology, medicine, biodiversity, ecology and environment in its range, which differs from modern knowledge into manner of creation. The traditional or indigenous knowledge is normally

qq validated empirically in nature and laboratory of life whereas modern knowledge is validated through human invented tool and techniques in the laboratory of bricks and concretes. Some of the vital aspects of ethno botany or traditional knowledge are as follows

1. Improvement in the life style of indigenous societies.
2. Improvement in national economy.
3. Prevention of bio piracy.
4. Conservation of biodiversity and environment.

Bhatt, Rani, Gahlot(2018) studied jewellery love of tharu tribal females in their study entitled FEMALE JEWELLERY OF THARU AND BUXA TRIBE OF UTTARAKHAND Females of *Tharu* tribe appeared to be fond of jewellery. They had ornaments for most of the body parts. Their jewellery was made in silver metal. It was found that they used maximum jewellery for the neck, which varied in length from the neck, weight and designs. *Buxa* females

loved to decorate them and were very fond of ornaments. Even small girls wear a few ornaments. Most of the jewellery possessed by the *Buxa* females was made of silver metal. Jewellery of *Buxa* females had great similarity with the jewellery of *Tharu* females, which depicts relationship that existed between them. Both tribes used almost similar kind of jewellery made in silver metal. There were many items of jewellery items used by both the tribes which were worn on different body parts like forehead, ear, nose, neck, arm, wrist, ankle, toes and fingers. It was found that *Tharu* and *Buxa* both had similar socio-cultural specialties which had influence on their costumes too.

Tharu & Yadav(2018) Skilling of youth and creating productive job employment of youth of the State is one of the biggest challenges that we face today. The efforts in this direction so far have been inadequate and have also not been very effective due to lack of a cohesive strategy that links skills to employment. The Central and State Government Skill Development Mission aspires to change this by creating a platform which brings all stakeholders – trainers, employers, sponsoring departments and trainees together. The Missions have been designed as an integrator of all skill development programmes and schemes being implemented in the state and to plan and implement these schemes in a holistic and integrated manner.

The key task that the Missions will have to perform is to establish effective coordination with various departments for integrating the skill development efforts of all departments. This will involve close coordination between the Central Government, the State Government, and Lakhimpur Kheri Administration. The authors are sorry to note that despite more than 70 years of independence; the ST Communities are still not part of mainstream of the country. This is more show with reference to skill development programmes of the Central and State Government like, Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojna, Uttar Pradesh Kaushal Vikas Mission, Start-up India Yojna, Digital India, Pradhan Mantri Ujjwala Yojna, targets for solar energy utilization by 2022,

Beti Bachao and Beti Padhao Yojna, etc. The skill development programmes need more comprehensive publicity in the tribal areas of Lakhimpur Kheri to have the desired results in the future years.

The study is mainly confined to Scheduled Tribes of Lakhimpur Kheri District of Uttar Pradesh. The study will go a long way in the planning of skill development activities as socio-economic development of Tharus in particular and STs Communities in general.

Ganga(2019) in his research paper entitled Religious Beliefs, Practices, and Living Conditions among Tharu Ethnic Groups in Nepal sheds light on some aspects of religious beliefs and practices of Tharu indigenous people living in Nepal. They believe that these practices make them resilient to forces of nature which is believed to bring security and prosperity in their communities. Their faith, rituals and rites keep them bold and fearless and help them harbor amiable connections with the deities, spirits, and other super natural powers deemed necessary for their existence and successful life. The festivals and ceremonies of the Tharus are occasions of community participation and reciprocity which supports in maintaining their social order and solidarity. Not only these beliefs are in their vindication and power to encounter the natural environment and protect themselves from disasters such as droughts and flood, they believe they also help meet their survival needs. This descriptive functionalist analysis of the religion of Tharus shows similarity with Malinowski's (1948) theory of social functions of religion which posits that religion is a part of culture with certain functions for the fulfilment of human needs and for the provision of solutions to certain difficulties and problems. In line with this proposition, the evidence derived from this research shows that the religious life of Tharu people has shaped their economic life as well which predominantly rely on subsistence farming. Despite living in abject poverty for long as mandated by their cultural practices, their condition has begun to change over time with widening scope

in terms of further economic opportunities available to them to improve their living conditions. The major attractions are to join foreign employment, work as wage labourers in formal job markets, and start small businesses.

Kothari & Kaur Matharu(2020) in their study entitled STATUS OF SCHEDULED TRIBE IN INDIA considered Schedule Tribes as the most backward section of the society. Tribal people play an important role in management of natural, social, economic resources and agricultural development including crop production, livestock production etc. but they remain backward due to traditional values, illiteracy, superstition and many other factors. The development of the tribes is taking place in India, but the rate of development is very low. Government should take necessary steps for the welfare of Scheduled Tribe in order to bring them in the mainstream of economic development. Education, easy access of basic facilities and more opportunities should be provided to the tribal people. More and more funds should be allocated for tribal development with respect to education, employment, availability of basic facilities etc.

Sinha & Behera in their study titled CHANGING SOCIO-ECONOMIC CONDITION AND LIVELIHOOD OF GEOGRAPHICALLY ISOLATED TRIBAL COMMUNITY IN KANDHAMAL AND KBK DISTRICTS OF ORISSA

The tribal population is identified as the aboriginal inhabitants of our country. They are most vulnerable section of our society living in natural and unpolluted surrounding far away from civilization with their traditional values, customs and beliefs. As per the census report of 2001, the total tribal population of India has been estimated as 8,43,26,240 that constitutes about 8.2 per cent of the total population of the country.

Tribal groups with pre-agricultural stage of development, diminishing stagnant population and very low literacy rates are defined as primitive tribal groups. There are as many as 75 PTGs who are distributed in 14 undivided States and one Union Territory with a population of 32,62,960. Out of 62 tribal

communities of Orissa, 13 have been identified as PTGs. Both Central and State Government have pumped crores of rupees to bring desirable changes in socio-economic life and household food security of the primitive tribal group of Orissa through different schemes and projects from time to time.

GEETA & KANDPAL(2021) in their research paper titled A Study of Awareness of Educational Schemes of Tharu students studying at secondary level in the context of their Educational Aspiration found that the awareness towards educational schemes of students studying at secondary level is increasing their academic aspirations which are very important for achieving educational goals. Therefore, teachers and administrators should encourage students and as well as parents of Tharu community by organizing various programs regarding this field in the school. Teachers should empower the Tharu students according to the demand of the present time, So that they can increase their educational aspirations along with the educational objectives and thus lead a Successful life.

Pallavi(2021) in her study titled A STUDY ON COMMUNICATION, CULTURE AND DEVELOPMENT OF THARU COMMUNITY IN BIHAR analyzed the articulation of communication and culture in the development of Tharu community and how government agencies are designing and implementing various developmental policies, plans and schemes for the upliftment of the Tharu community, whether they are responsive and inclusive of their communicative ecology. Findings indicated that the culture specific communication practices of the Tharu community are a most crucial and intricate element of the Tharu community which is transforming due to several reasons. Therefore, the Tharu community and other developmental agencies need to be more sensitive and concerned about it. The oral tradition is impenetrable with the indigenous knowledge system of the Tharu community and most of the culture specific communication practices of the community are

maintained through this. So, conservation and sustenance of it is very much required. The Tharu community has their own administrative system, thus it will be beneficial to provide some autonomy for governance under Panchayati Raj system to maintain their finely knit social structure.

सम्बन्धित साहित्य के अध्ययनों की समीक्षा :

यदि हम उपरोक्त अध्ययनों की समीक्षा करें तो स्पष्ट होगा कि इस सम्बन्ध में शोधार्थियों ने अधिकांशतः जनजातीय महिलाओं पर, भुंजिया जनजाति के सामाजिक-आर्थिक पहलू, गोंड जनजाति में स्त्रियों की स्थिति, मुरिया जनजाति के विकास की स्थिति, अनुसूचित जनजाति पर अध्ययन, जनजाति आन्दोलन का जनजाति विकास पर प्रभाव, थारुओं में स्वास्थ्य और स्वच्छता, तराई एवं नेपाल की जनजातियों का तुलनात्मक अध्ययन, थारु जनजाति की राजनीतिक सहभागिता आदि का अध्ययन किया गया है। समस्याओं के सन्दर्भ में शोधकर्त्ताओं द्वारा समायोजन सम्बन्धी समस्याओं, विद्यार्थियों की शैक्षिक समस्याओं पर विद्यालय वातावरण का प्रभाव, भोटिया एवं बुक्सा जनजाति की शैक्षिक समस्याओं, विकलांग बच्चों की समस्याओं, विद्यार्थियों की मनोवैज्ञानिक समस्याओं, गृह समायोजन की समस्याओं आदि का अध्ययन किया है। कुछ शोधार्थियों द्वारा दलित, पिछड़ा वर्ग, मलिन बस्तियों के घूमन्तू बच्चों, कच्ची बस्तियों के आदि विद्यार्थियों की शैक्षिक समस्याओं का भी अध्ययन किया गया है इसी कारण अनुसन्धानकर्त्ता ने अपने अध्ययन हेतु ये विषय उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी की थारु जनजाति की शैक्षिक स्थिति, सामाजिक-आर्थिक स्तर, समायोजन एवं समस्याओं का अध्ययन चुना।

तृतीय अध्याय

- 3.0 शोध अभिकल्प
- 3.1 शोध विधि
- 3.2 जनसंख्या
- 3.3 न्यादर्शन विधि एवं न्यादर्श
- 3.4 ऑकड़ों का संकलन
 - 3.4.1 अध्ययन के उपकरण
- 3.5 ऑकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण

अध्याय-3

शोध अभिकल्प

शोधार्थी ने लखीमपुर खीरी के थारु जनजाति पर अध्ययन करने से पहले समस्याओं हेतु प्रश्नावली तैयार की, सामाजिक-आर्थिक स्तर मापनी जिसमें थारुओं के जीवन से जुड़े प्रत्येक पहलू के प्रश्न तैयार किये गये। इन प्रश्नों के आधार पर थारुओं के गाँवों में से 42 गाँवों का भ्रमण जून 2023 से दिसम्बर 2024 के मध्य किया गया और तीनों सब ग्रुप के सम्मिलित रूप से 200 परिवारों से सूचना एकत्र करने के साथ-साथ स्वयं उनके जीवन से जुड़े प्रत्येक पहलुओं के अध्ययन के लिए निरीक्षण सर्वेक्षण पद्धति का उपयोग प्राथमिक स्रोत के रूप में किया गया। उसके साथ-साथ सरकारी दस्तावेज जैसे रिपोर्ट्स, जर्नल्स, शोधपत्र, समाचार-पत्र, परियोजनाएँ, संचालित अनुसंधानों से प्राथमिक व द्वितीयक स्रोत के रूप में सूचनाएँ एकत्रित की गयीं।

प्रस्तुत शोध में प्राथमिक व द्वितीय दोनों स्रोतों से तटस्थ होकर विश्लेषणात्मक विधि द्वारा सूचनायें प्रस्तुत की गयी हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण अध्ययन मौलिक है। जिसमें सांख्यिकीय परिकल्पना एवं मानचित्र स्वयं तैयार करने के साथ सरकारी रिकॉर्ड्स से एकत्रित किये गये हैं। जबकि विभिन्न पहलुओं से संबंधित छायाचित्र स्वयं शोधार्थी द्वारा लिये गये हैं।

3.1 अनुसंधान

‘अनुसंधान’ शब्द का सामान्य प्रयोग वस्तुतः वैज्ञानिक अनुसंधान के संदर्भ में किया जाता है। अनुसंधान का अर्थ बार-बार खोजने या पुनः की जाने वाली खोज के लिये किया जाता है।

अनुसंधान को अंग्रेजी में रिसर्च (Research) कहा जाता है। रिसर्च में ‘रि’ शब्दांश आवृत्ति और गहनता का घटक है जबकि ‘सर्च’ शब्दांश खोज का समानार्थी है। इस प्रकार रिसर्च का अर्थ हुआ प्रदत्तों की आवृत्त्यात्मक और गहन खोज। दूसरे शब्दों में

प्रदत्तों की तह में बैठकर कुछ निष्कर्ष निकालना, नये सिद्धान्तों की खोज करना और उन प्रदत्तों का स्पष्टीकरण करना 'रिसर्च' की प्रक्रिया के अन्तर्गत है।

पी0 एम0 कुक के अनुसार—

"किसी समस्या के सन्दर्भ में ईमानदारी, विस्तार तथा बुद्धिमानी से तथ्यों, उनके अर्थ तथा उपयोगिता की खोज करना ही अनुसंधान है।"

इन परिभाषाओं के अनुसार अनुसंधान वह क्रमबद्ध वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग द्वारा वर्तमान ज्ञान का परिमार्जन, उसका विकास अथवा किसी नये तथ्य की खोज द्वारा ज्ञान कोष में वृद्धि की जाती है। बेस्ट एवं काहन के अनुसार अनुसंधान तीन प्रकार का होता है:—

ऐतिहासिक अनुसंधान—

ऐतिहासिक अनुसंधान को ज्ञात करने से पूर्व इतिहास और ऐतिहासिक ज्ञान की प्रकृति को ज्ञात करना आवश्यक है। इतिहास के लिये अंग्रेजी में 'हिस्ट्री' शब्द का प्रयोग होता है। इसका मूल शब्द हिस्टोरिया है। इसका अर्थ होता है जाँच द्वारा प्राप्त ज्ञान।

जॉन डब्लू वेस्ट के अनुसार—

"ऐतिहासिक अनुसंधान का सम्बन्ध ऐतिहासिक समस्याओं के वैज्ञानिक विश्लेषण से है। इसके विभिन्न पदों के सम्बन्ध में एक नयी सूझ पैदा करते हैं जिसका सम्बन्ध वर्तमान और भविष्य से होता है।

2. वर्णनात्मक अनुसंधान—

शिक्षा तथा मनोविज्ञान सम्बन्धी अनुसंधान के क्षेत्र में वर्णनात्मक अनुसंधान का सबसे अधिक महत्व है।

जॉन डब्ल्यू वेस्ट के अनुसार, वर्णनात्मक अनुसंधान "क्या है?" का वर्णन एवं विश्लेषण करता है। परिस्थितियों अथवा सम्बन्ध जो वास्तव में वर्तमान हैं, अभ्यास जो चालू है प्रक्रियाएँ जो चल रही हैं अनुभव जो प्राप्त किये जा रहे हैं अथवा नई दिशाएँ जो विकसित हो रही हैं, उन्हीं से इसका सम्बन्ध है।"

वर्णनात्मक अनुसंधान तीन प्रकार का होता है—

1. सर्वेक्षण अनुसंधान
2. अन्तर्सम्बन्धों का अध्ययन
3. विकासात्मक अध्ययन

3. प्रयोगात्मक अनुसंधान—

प्रयोगात्मक अनुसंधान ही सबसे वैज्ञानिक पद्धति है। इसके अन्तर्गत हम किसी सूक्ष्म समस्या का सूक्ष्म समाधान प्रस्तुत कर सकते हैं। यह विधि अर्थ तथा उपयोगिता की दृष्टि से अत्यन्त व्यवहारिक है। परन्तु प्रयोगात्मक विधि द्वारा किसी वस्तु उद्देश्य आदि की विवरणात्मक व्याख्या नहीं होती है।

चैपिन के अनुसार— “नियन्त्रित दशाओं में किये गये निरीक्षण ही प्रयोग है।”

3.2 प्रयुक्त शोध विधि—

प्रस्तुत शोध वर्णनात्मक प्रकृति का है जिसके अंतर्गत सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है। इस शोध, लघु शोध वर्णनात्मक/विवरणात्मक शोध विधि के अन्तर्गत आता है। यह अंग्रेजी के ‘Survey’ शब्द का हिंदी रूपान्तर है जो दो शब्दों ‘Sur+ vey’ से बना है।

‘Sur’ का अर्थ है ऊपर से तथा ‘vey’ का अर्थ होता है देखना। इससे एक समय में बहुत सारे लोगों के बारे में आँकड़े प्राप्त किये जा सकते हैं।

सर्वेक्षण विधि—

सर्वेक्षण के तहत वास्तविक परिस्थिति से सम्बन्धित तथ्यों का शीघ्रता एवं शुद्धता पूर्वक आंकलन मुख्य मुद्दा होता है। सर्वेक्षण में व्यक्ति की अपेक्षा सामान्यीकृत तथ्यों, परिस्थितियों एवं गणनाओं को प्राथमिकता दी जाती है।

करलिंगर के अनुसार—

सर्वेक्षण, शोध के वैज्ञानिक अन्वेषण की वह विधि है जिसके तहत बड़े या छोटे आकार वाले समग्रों से चुने गये प्रतिदर्शों के आधार पर इस प्रयोजन से अध्ययन किया जाता है जिससे चरों के घटित होने की आवृत्ति उनके वितरण एवं पारस्परिक सम्बन्धों का निर्धारण किया जा सके

1—हार्मा आर०ए० (2011) “शिक्षा अनुसंधान के मूल तत्व एवं शोध प्रक्रिया”, मेरठ आर०लाल० बुक डिपो—पृष्ठ—216

2—सिंह ए.के. (2010) “मनोविज्ञान, समाजशास्त्र तथा शिक्षा में शोध विधियाँ” पटना मोतीलाल बनारसीदास, पृष्ठ संख्या—10

मोले के अनुसार—

“सर्वेक्षण सम्बन्धी अनुसंधान शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक व्यवहार में आता है। इसके सर्वे नामेटिव, सर्वे स्टेटस और वर्णनात्मक अनुसंधान आदि अनेक नाम हैं। यह एक विस्तृत वर्गीकरण है। जिसके अन्तर्गत अनेक विशिष्ट विधियाँ तथा प्रक्रियाएँ आती हैं जो उद्देश्य की दृष्टि से लगभग समान होती हैं।”

सर्वेक्षण विधि में सूचनाएँ निम्न उपकरणों द्वारा प्राप्त की जाती हैं—

1. निरीक्षण
2. प्रश्नावली
3. साक्षात्कार
4. मानक परीक्षण
5. प्राप्तांक प्रपत्र
6. मूल्यांकन मापदण्ड

3.3 प्रस्तुत लघु शोध की जनसंख्या—

जनसंख्या से तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों या वस्तुओं से होता है जिसे शोधकर्ता अपने शोध के सन्दर्भ में स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है तथा उसकी पहचान करके रखता है।

करलिंगर के अनुसार— “जनसंख्या तथा समष्टि का अर्थ व्यक्तियों, घटनाओं वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह के सभी सदस्य हैं।”

प्रस्तुत शोध कार्य का शीर्षक “उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी की थारु जनजाति की शैक्षिक स्थिति, सामाजिक-आर्थिक स्तर, समायोजन एवं समस्याओं का अध्ययन” है। इसके लिए जनपद लखीमपुर खीरी के थारु क्षेत्र के माध्यमिक विद्यालयों में आवासीय व गैर आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों एवं उच्च शिक्षा में सामान्य पाठ्यक्रम में अध्ययनरत विद्यार्थियों को जनसंख्या के रूप में लिया गया है तथा लखीमपुर खीरी जनपद के थारु जनजाति क्षेत्र में रहने वाले परिवारों को जनसंख्या के रूप में लिया गया है।

3.4 न्यादर्शन विधि—

अध्ययन का क्षेत्र विस्तृत होने के कारण प्रत्येक इकाई का अध्ययन करना असम्भव होता है। अतः इन कठिनाइयों से बचने के लिए अध्ययन से सम्बन्धित सम्पूर्ण जनसंख्या से निश्चित नियमों के अनुसार निश्चित इकाइयों का चयन कर लिया जाता है।

करलिंगर उद्धृत मुहम्मद सुलेमान, (2003) व्यवहार परक विज्ञानों में शोध प्रणाली विज्ञान, पटना, शुक्ला बुक डिपो पृष्ठ -94

यह चयनित इकाइयों का समूह न्यादर्श समूह का चयन करने की विधि न्यादर्शन विधि कहलाती है। यह विधि मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है—

1. सम्भावित न्यादर्शन विधि
2. असम्भावित न्यादर्शन विधि

3.5 अध्ययन का न्यादर्श—

प्रस्तुत शोध कार्य करने हेतु माध्यमिक स्तर के विद्यालयों एवं चयन के लिए उद्देश्य परक प्रतिचयन विधि का प्रयोग किया गया है तथा विद्यार्थियों के चयन के लिए उद्देश्य परक प्रतिचयन विधि का प्रयोग किया गया है अर्थात् प्रस्तुत अध्ययन के माध्यमिक स्तर के विद्यालयों का चयन उद्देश्य परक प्रतिचयन विधि के द्वारा किया गया है।

तालिका 3.5.1 उच्च शिक्षा के न्यादर्श हेतु चुने गये महाविद्यालयों

के थारु जनजाति के चयनित विद्यार्थियों का विवरण

क्रम संख्या	विद्यालयों के नाम	बालक	बालिकाएं	कुल
1—	वाई0 डी0 कॉलेज, लखीमपुर खीरी	50	50	100
2—	राजकीय महाविद्यालय, पलिया कलॉ, लखीमपुर खीरी	50	50	100
कुल		100	100	200

तालिका 3.5.2 माध्यमिक शिक्षा के न्यादर्श हेतु चुने गये आवासीय पद्धति के बालक विद्यालयों में थारू जनजाति के चयनित विद्यार्थियों का विवरण

क्रम संख्या	विद्यालयों के नाम	बालकों की संख्या
1.	राजकीय आश्रम पद्धति बालक इण्टर कॉलेज, छाउछ, लखीमपुर खीरी	50
2.	जे0 पी0 नारायण सर्वोदय आश्रम पद्धति बालक इण्टर कॉलेज, बेला परसुआ, लखीमपुर खीरी	50
3.	एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, सौनहा लखीमपुर खीरी	50
4.	राजकीय आश्रम पद्धति बालिका इण्टर कॉलेज, चन्दन चौकी, लखीमपुर खीरी	50
	कुल	200

तालिका 3.5.3 माध्यमिक शिक्षा के न्यादर्श हेतु चुने गये गैर आवासीय पद्धति के बालक विद्यालयों में चयनित थारू जनजाति के विद्यार्थियों का विवरण

क्रम संख्या	विद्यालयों के नाम	विद्यार्थियों की संख्या
1	प्रताप नारायण मिश्र स्मारक सरस्वती विद्या मन्दिर इण्टर कॉलेज, चन्दन चौकी, लखीमपुर खीरी	75
2	श्री गॉंधी इण्टर कॉलेज, बेलरायाँ, लखीमपुर खीरी	25
3	महाराजा अग्रसेन इण्टर कॉलेज, तिकुनिया, लखीमपुर खीरी	10

4	सरजू सरस्वती विद्या मन्दिर इण्टर कॉलेज, बेलरायॉ, लखीमपुर खीरी	15
5	बलदेव वैदिक इण्टर कॉलेज, पलिया, लखीमपुर खीरी	50
6	नेहरू कन्या इण्टर कॉलेज, हरद्वारी, लखीमपुर खीरी	25
कुल		200

तालिका 3.5.6 माध्यमिक शिक्षा के न्यादर्श हेतु चुने गये गैर आवासीय पद्धति के थारु जनजाति की चयनित बालिका विद्यार्थियों का विवरण

क्रम संख्या	विद्यालयों के नाम	विद्यार्थियों की संख्या
1.	प्रताप नारायण मिश्र स्मारक सरस्वती विद्या मन्दिर इण्टर कॉलेज, चन्दन चौकी, लखीमपुर खीरी	50
2.	नेहरू कन्या इण्टर कॉलेज, हरद्वारी, लखीमपुर खीरी	25
3.	बलदेव वैदिक इण्टर कॉलेज, पलिया, लखीमपुर खीरी	25
कुल		100

तालिका 3.5.7 माध्यमिक शिक्षा के न्यादर्श हेतु चुने गये गैर आवासीय पद्धति के थारु जनजाति की चयनित बालक विद्यार्थियों का विवरण

क्रम संख्या	विद्यालयों के नाम	विद्यार्थियों की संख्या
1	गॉंधी इण्टर कॉलेज, बेलरायॉ, लखीमपुर खीरी	25
2	प्रताप नारायण मिश्र स्मारक सरस्वती विद्या मन्दिर इण्टर कॉलेज, चन्दन चौकी, लखीमपुर खीरी	25
3	बलदेव वैदिक इण्टर कॉलेज, पलिया, लखीमपुर खीरी	25
4	सरजू सरस्वती विद्या मन्दिर इण्टर कॉलेज, बेलरायॉ, लखीमपुर खीरी	15
5	महाराजा अग्रसेन इण्टर कॉलेज, तिकुनिया, लखीमपुर खीरी	10
कुल		100

3.6 अध्ययन के उपकरण— अनुसंधान शोध समस्या से आरम्भ होता है तथा परिकल्पना की प्रकृति के अनुरूप उपकरणों का निश्चय होता है आंकड़े एकत्र करने में उनके उपकरणों का प्रयोग करना पड़ता है। अतः अनुसंधानकर्ता के लिए आवश्यक है कि उसे उपकरण का व्यापक ज्ञान हो उसे यह भी ज्ञात होना चाहिए कि इन उपकरणों से किस प्रकार के आंकड़े प्राप्त होंगे उनकी क्या विशेषताएं एवं सीमायें हैं तथा किन अवधारणाओं पर उनका उपयोग आधारित है एवं उनकी विश्वसनीयता वैद्यता एवं वस्तुनिष्ठता क्या है ? तथा क्या उपकरण वर्तमान परिस्थितियों में प्रासंगिक एवं तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक हैं ?

प्रस्तुत अध्ययन की समस्या से सम्बन्धित साहित्य एवं उपकरणों का अध्ययन किया गया है तथा संदर्भित समस्या से सम्बन्धित चरों पर उनके शोध उपकरण बने हुए हैं इन्हीं में से निम्नलिखित उपकरणों का प्रयोग किया गया है

1. **समस्या अनुसूची—** समस्या अनुसूची के लिए स्व-निर्मित समस्या अनुसूची का प्रयोग किया है। इसमें थारू परिवारों से मिलकर उनके क्षेत्र की समस्याओं को चिन्हित कर जाना गया ।
2. **सामाजिक-आर्थिक स्तर सर्वेक्षण प्रश्नावली—** शोधकर्ता ने स्व-निर्मित सामाजिक-आर्थिक स्तर सर्वेक्षण प्रश्नावली का प्रयोग किया। इस प्रश्नावली में थारू परिवारों से मिलकर उनकी सदस्य संख्या, उनकी शिक्षा, उनके क्षेत्र में विद्यालय, शिक्षा का माध्यम, उनके रोजगार, आय-व्यय सम्बन्धित प्रश्न पशुपालन, आवास, विवाह, खान-पान, रहन-सहन आदि से सम्बन्धित प्रश्नों के आधार पर सूचनाओं का संग्रहण किया गया।

3. समायोजन मापनी—

- 3.1 **एडजस्टमेंट इन्वेन्टरी फॉर स्कूल स्टूडेंट—**यह परीक्षण डा० ए०के०पी० सिन्हा (पटना) एवं डा० आर०पी० सिंह (पटना) द्वारा निर्मित एवं मानकीकृत किया गया है, इसके द्वारा किसी भी छात्र के समायोजन स्तर को समझा जा सकता है। इस परीक्षण में कुल 60 प्रश्न हैं। ये प्रश्न समायोजन के तीन क्षेत्रों में 20 प्रश्न संवेगात्मक, 20 प्रश्न सामाजिक व 20 प्रश्न शैक्षिक क्षेत्र से सम्बन्धित हैं। सभी प्रश्नों का उत्तर प्रश्न के आगे दिये गये तीन विकल्पों सदैव, कभी-कभी व कभी नहीं में से उपयुक्त विकल्प में सही (✓) का निशान

लगाकर देना था। यद्यपि इस परीक्षण में कोई समय सीमा नहीं है फिर भी इस समायोजन मापनी को भरने में लगभग 30 मिनट का समय लिया गया।

3.2 एडजस्टमेंट इन्वेन्टरी फॉर कॉलेज स्टूडेंट—यह परीक्षण डा0 ऐ0के0पी0 सिन्हा (पटना) एवं डा0 आर0पी0सिंह (पटना) द्वारा निर्मित एवं मानकीकृत किया गया है, इसके द्वारा किसी भी छात्र के समायोजन स्तर को समझा जा सकता है। इन परीक्षण में कुल 102 प्रश्न हैं। ये प्रश्न समायोजन के पाँच क्षेत्रों में गृह, स्वास्थ्य, संवेगात्मक, सामाजिक, शैक्षिक क्षेत्र से सम्बंधित हैं। सभी प्रश्नों का उत्तर प्रश्नावली के साथ प्रतिक्रिया प्रपत्र में दिये गये हों या नहीं विकल्प में सही (✓) का निशान लगाकर देना था। यद्यपि इस परीक्षण में कोई समय सीमा नहीं थी फिर भी इस समायोजन मापनी को भरने में लगभग 30 मिनट का समय लिया गया।

3.7 ऑकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण— प्रस्तुत अध्ययन में प्राप्त आंकड़ों का व विश्लेषण करने के लिए निम्न सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया गया।

प्रयुक्त सांख्यिकीय विधियाँ

सांख्यिकी वैज्ञानिक विधि की वह शाखा है जो प्रदत्तों के आंकलन, विश्लेषण तथा निर्वचन से सम्बन्धित नियमों का अध्ययन करती है। ये प्रदत्त गणना एवं मापन से प्राप्त किये जाते हैं। प्रस्तुत शोधकर्ता ने निम्नलिखित सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया है।

1— मध्यमान— व्यवस्थित मध्यमान ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया गया है—

$$M = A.M + \frac{\sum fd}{N} \times C.I$$

जहाँ— M = मध्यमान (Mean)

AM = कल्पित मध्यमान (Assumed Mean)

f = आवृत्ति (Frequency)

d = कल्पित मध्यमान से विचलन (Deviation From Assumed Mean)

fd = आवृत्ति और विचलन का गुणा (Product of frequency and deviation)

N = आवृत्तियों का योग (Total number or frequencies)

C.I = वर्गान्तर का आकार (Length of class interval)

2. मानक विचलन—

जेम्स ड्रेवर के अनुसार— " दिये हुए प्राप्तांकों के मध्यमान से प्राप्तांकों के विचलनों के वर्गों के मध्यमान का वर्गमूल द्वारा प्रमाणित विचलन है।"

मानक विचलन को सिग्मा संकेताक्षर द्वारा व्यक्त करते हैं इसकी गणना निम्न सूत्र की सहायता से की गयी है—

$$S.D = i \sqrt{\frac{\sum fd^2}{N} - (\frac{\sum fd}{N})^2}$$

जहाँ—

S.D = प्रमाणिक विचलन (Standard deviation)

i = वर्गान्तर का आकार (Length of the C.I.)

$\sum fd$ = आवृत्तियों एवं विचलनों के गुणनफलों का योग

(Sum of the product of frequencies and deviations)

$\sum fd^2$ = विचलनों के वर्ग एवं आवृत्तियों के गुणनफल का योग

(Sum of the Product of the frequencies and deviations squares)

N = प्राप्तांकों की संख्या (Number of scores)

3- t टी परीक्षण—

दो प्रतिदर्श मध्यमानों के अन्तर की सार्थकता के लिए प्रायः जेड परीक्षण अथवा टी-अनुपात परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। जेड परीक्षण को क्रांतिक अनुपात परीक्षण भी कहते हैं। यद्यपि मूलतः जेड-परीक्षण तथा टी-परीक्षण एक जैसे ही हैं, परन्तु बड़े प्रतिदर्श के लिए प्रायः जेड परीक्षण तथा छोटे प्रतिदर्शों के लिए टी-परीक्षण शब्द युग्म का प्रयोग किया जाता है।

$$t = \frac{M^1 - M^2}{\sigma}$$

यहाँ—

M_1 = प्रथम समूह का मध्यमान

M_2 = द्वितीय समूह का मध्यमान

σ = दोनों समूहों के मध्यमानों के अन्तर की प्रमाणिक त्रुटि

प्रमाणिक त्रुटि ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया गया—

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{N_1} + \frac{\sigma_2^2}{N_2}}$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{v}{N_1-1} + \frac{v}{N_2-1}}$$

यहाँ—

σ_1 = प्रथम समूह का मानक विचलन

σ_2 = द्वितीय समूह का मानक विचलन

N_1 = प्रथम समूह का आकार

N_2 = द्वितीय समूह का आकार

प्रतिशत %

चतुर्थ अध्याय

ऑकडों का निर्वचन एवं विश्लेषण

4.चतुर्थ अध्याय-आँकड़ों का विश्लेषण एवं विवेचना

प्रथम अवधारणा- लखीमपुर खीरी जनपद के थारु जनजाति की शैक्षिक स्थिति में विकास की ओर अग्रसर है।

पलिया व निघासन तहसील व ब्लाक क्षेत्र के थारु जनजाति क्षेत्र में प्रा0/उच्च प्रा0 शिक्षा

लखीमपुर खीरी जनपद के निघासन व पलिया तहसील के अन्तर्गत आने वाले थारु जनजाति क्षेत्र के अन्तर्गत व उपरोक्त ग्राम सभाएं आती हैं जिसमें रहने वाली थारु जनजाति हेतु प्रत्येक ग्राम सभा में प्राथमिक शिक्षा हेतु विद्यालय उपलब्ध हैं परन्तु वहाँ पर नियुक्त शिक्षक स्टाफ पर्याप्त नहीं है, जो हैं भी वे अन्य गैर शैक्षिक कार्यों के कारण व अपने गैर जिम्मेदार व्यवहार के कारण उचित कार्य नहीं कर पा रहे हैं कुछ विद्यालयों की इमारत की स्थिति भी काफी खराब है। इस क्षेत्र में प्राथमिक स्तर पर कुछ निजी शिक्षण संस्थाएं भी कार्य कर रही हैं परन्तु क्षेत्रीय जनसंख्या आर्थिक कारणों से भी अपने बच्चों को इन विद्यालयों में नहीं भेज पाती हैं। ये अपने बच्चों की शिक्षा के लिये सरकारी संस्थाओं पर ही आश्रित हैं। इस प्रकार देखा जाए तो प्रत्येक ग्राम सभा स्तर पर प्राथमिक विद्यालय होना आशा का संचार करता है परन्तु दूसरी ओर इन विद्यालयों की अच्छी स्थिति न होना बहुत से प्रश्न खड़े करता है।

एक अन्य ग्राम सभा जो कि पलिया तहसील व ब्लाक क्षेत्र के रानीनगर कालोनी है की स्थिति काफी खराब है। यहाँ थारु क्षेत्र में आने जाने के मार्ग की स्थिति काफी जर्जर है। विद्यालयों की स्थिति भी ठीक नहीं है। बरसात के समय और खराब हालत हो जाती है।

इस प्रकार निघासन व पलिया तहसील व ब्लाक के थारु क्षेत्र जनपद लखीमपुर खीरी की प्राथमिक शिक्षा की स्थिति बहुत अच्छी दशा में नहीं है। निघासन व पलिया दोनों ही ब्लाक व तहसील के दोनों थारु क्षेत्र जनपद लखीमपुर खीरी मुख्यालय से काफी दूरी पर स्थित होने के कारण व सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण इनका उचित पर्यवेक्षण नहीं हो पाता है तथा थारु जनजाति के लोग सीधे व शान्त प्रवृत्ति के होने के कारण व

कम शिक्षित होने के कारण तथा जागरूकता के अभाव के कारण शिक्षकों से प्रश्न नहीं कर पाते हैं व अधिकारियों तक अपनी बात नहीं पहुँचा पाते हैं।

माध्यमिक शिक्षा— माध्यमिक शिक्षा हेतु एक राजकीय आश्रम पद्धति आवासीय बालक विद्यालय बेला परशुआ, निघासन में है। केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के अन्तर्गत एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का संचालन पलिया तहसील के थारु क्षेत्र सौनहा में किया जा रहा है जहाँ बालक एवं बालिकाएं एक साथ अध्ययन करते हैं। माध्यमिक शिक्षा हेतु एक राजकीय आश्रम पद्धति आवासीय बालिका विद्यालय चन्दन चौकी है। माध्यमिक शिक्षा हेतु एक राजकीय आश्रम पद्धति आवासीय बालिका विद्यालय छाउछ, लखीमपुर खीरी में है। ये सभी विद्यालय सरकार की योजनाओं के कारण निशुल्क हैं। परन्तु ये सभी विद्यालय अपनी विशेष प्रकृति के एवं निश्चित सीमा के कारण सभी जनजातीय विद्यार्थियों का नामांकन करने में असमर्थ हैं। प्रवेश प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित सीमा तक ही नामांकन कर सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा हेतु कुछ निजी प्रयास भी आवासीय व गैर आवासीय विद्यालय के रूप में कार्य कर रहे हैं परन्तु सम्पन्न लोग ही इन निजी विद्यालयों में अपने बच्चों को प्रवेश दिलवा पाते हैं। ये निजी प्रयास व सरकारी अवसर भी इस थारु जनजाति क्षेत्र की जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। इसके आगे की पढ़ाई हेतु इन्हें अपने क्षेत्र से काफी दूर बेलरायों, तिकुनिया, निघासन, पलिया या लखीमपुर खीरी जनपद मुख्यालय आना पड़ता है जहाँ आवागमन या वहाँ रहकर पढ़ने में काफी खर्च हो जाता है।

उच्च शिक्षा— पलिया व निघासन तहसील व ब्लाक क्षेत्र के थारु जनजाति क्षेत्र में उच्च शिक्षा हेतु कोई संस्थान नहीं है। जनपद लखीमपुर खीरी में उच्च शिक्षा सरकारी संस्थान पलिया, लखीमपुर खीरी व गोला गोकर्णनाथ में हैं इसके अलावा निजी उच्च शिक्षा संस्थान भी हैं ये सभी संस्थान थारु क्षेत्र से काफी दूर हैं जहाँ आवागमन या वहाँ रहकर पढ़ने व फीस में काफी खर्च हो जाता है।

तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा— पलिया व निघासन तहसील व ब्लाक क्षेत्र के थारु जनजाति क्षेत्र में तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा हेतु मात्र एक आईटीआई चन्दन चौकी में है। जनपद लखीमपुर खीरी में तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा सरकारी संस्थान लखीमपुर खीरी मुख्यालय व कुछ अन्य क्षेत्र में हैं इसके अलावा तकनीकी व व्यावसायिक

शिक्षा हेतु निजी संस्थान भी हैं। ये सभी संस्थान थारु क्षेत्र से काफी दूर हैं जहाँ आवागमन या वहाँ रहकर पढ़ने, फीस व अन्य में काफी खर्च हो जाता है जो कि थारु जनजाति के लोगों के लिये काफी मुश्किल है।

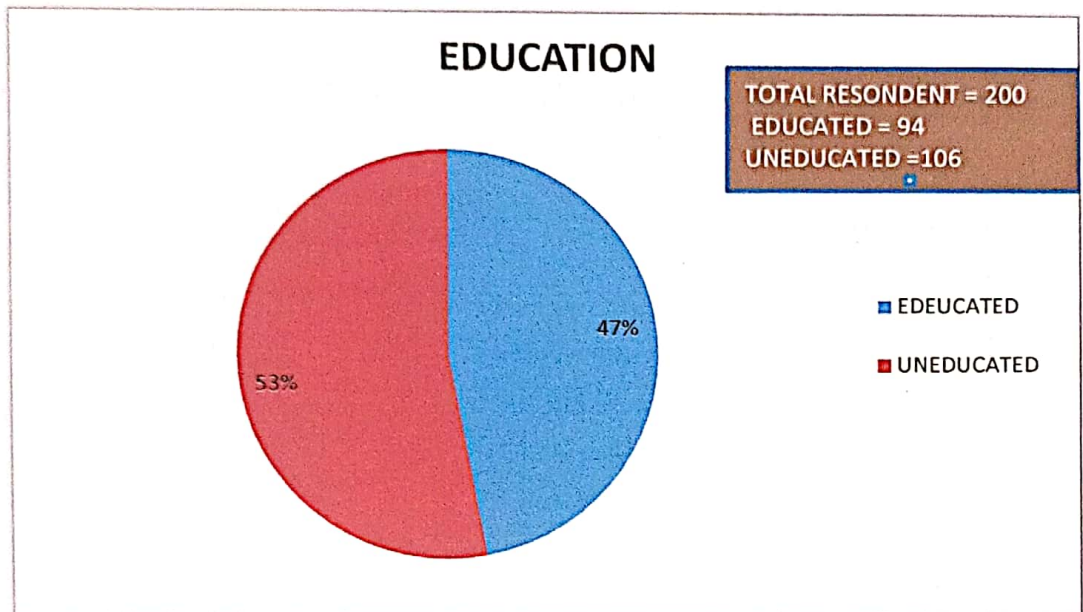
एकीकरण जनजाति विकास परियोजना चंदन चौकी खीरी द्वारा थारु जनजाति के तकनीकी व व्यवसायिक विकास हेतु कुछ कार्य किये गये हैं। एकीकरण जनजाति विकास परियोजना की स्थापना का मूल उद्देश्य जनजाति जनमानस को शिक्षित प्रशिक्षित करते हुए शासन द्वारा प्रदत्त योजनाओं से लाभान्वित करते हुए उनके जीवन स्तर को सुधारना एवं समाज के मुख्य धारा से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाना है। ये काफी समय से कार्य कर रही हैं परन्तु इतने बड़े क्षेत्र हेतु ये प्रयास भी नाकाफी हैं।

इस प्रकार ये अवधारणा कि लखीमपुर खीरी जनपद के थारु जनजाति की शैक्षिक स्थिति में विकास की ओर अग्रसर है सही प्रतीत नहीं होती हैं। आजादी के इतना लम्बा समय गुजरने के बाद भी इस प्रकार की परिस्थिति चिंताजनक है जबकि ये क्षेत्र आबादी की दृष्टि से सबसे बड़े प्रदेश उ०प्र० की राजधानी से ये क्षेत्र मात्र लगभग 220 कि०मी० की दूरी पर स्थित है।

द्वितीय अवधारणा— लखीमपुर खीरी जनपद के थारु जनजाति के सामाजिक-आर्थिक स्तर में सुधार हो रहा है।

तालिका 4.1 शिक्षा

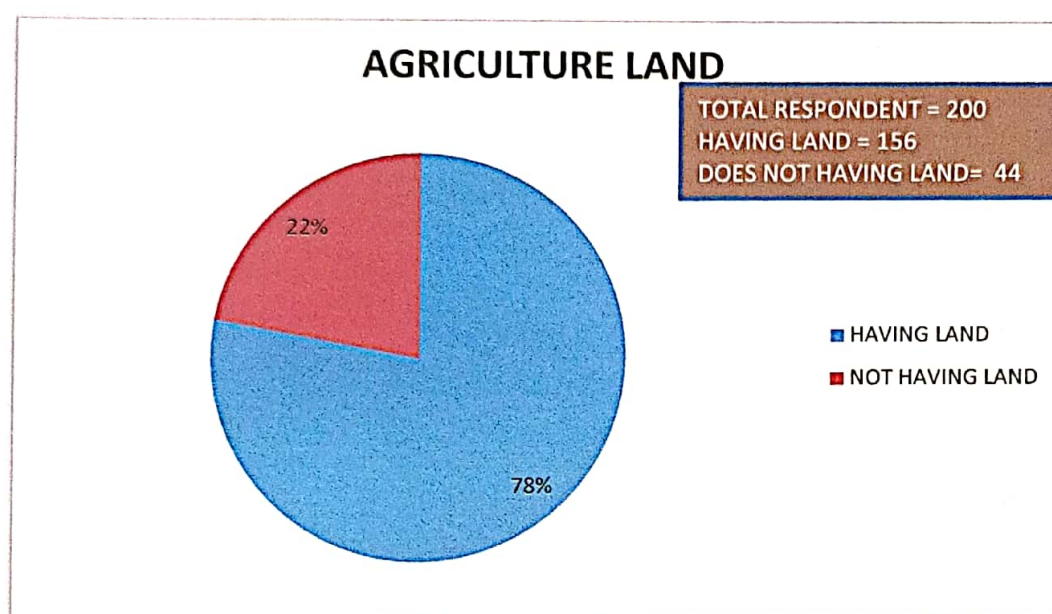
क्रम संख्या	मद	चयनित उत्तरदाता परिवार मुखिया कुल संख्या	उत्तरदाता शिक्षित	प्रतिशत	उत्तरदाता अशिक्षित	प्रतिशत
1	शिक्षा	200	94	47	106	53



तालिका 4.1 के अनुसार उत्तरदाता परिवार के मुखिया उत्तरदाताओं में से कुल 200 में से 94 अर्थात् 47 प्रतिशत ही शिक्षित थे। 200 परिवारों में से ज्यादातर के बच्चे अपनी शिक्षा हेतु आस-पास के विद्यालयों में नामांकित हैं तथा कई परिवारों के बच्चे सरकारी आवासीय विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।

तालिका 4.2 चयनित परिवारों में से कृषि भूमि वाले परिवार

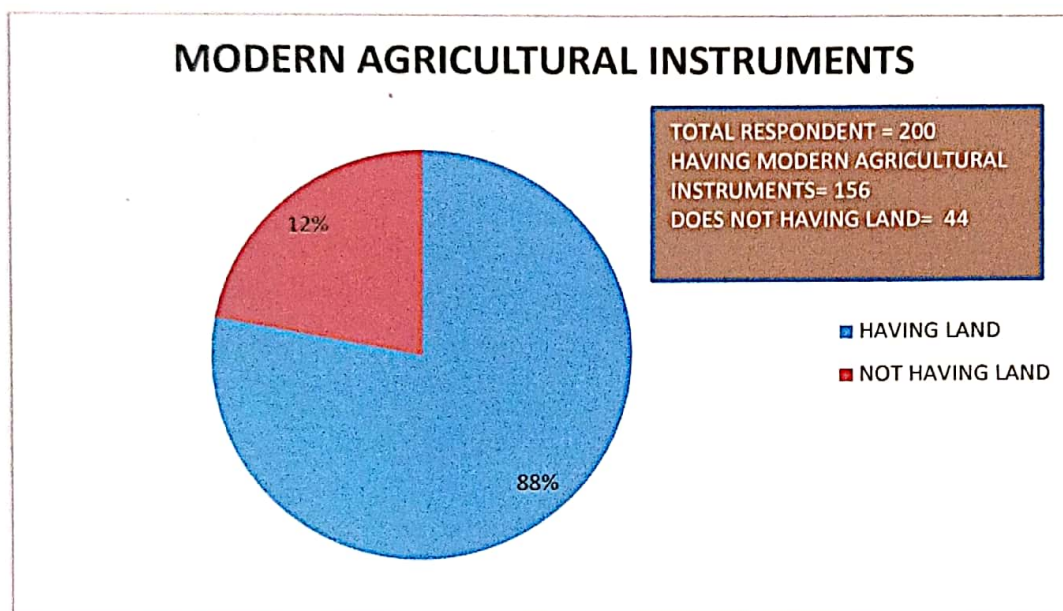
क्रम संख्या	मद	चयनित उत्तरदाता परिवार मुखिया कुल संख्या	उत्तरदाता भूमिधर	प्रतिशत	उत्तरदाता भूमिरहित	प्रतिशत
1	कृषि भूमि	200	156	78	44	22



तालिका 4.2 के अनुसार उत्तरदाता परिवार के मुखिया उत्तरदाताओं में से कुल 200 में से 156 अर्थात 78 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास कृषि भूमि थी। अन्य 44 उत्तरदाता अर्थात 22 प्रतिशत भूमिहीन थे तथा अन्य के यहाँ मजदूरी कर रहे थे।

तालिका 4.3- चयनित परिवारों में आधुनिक कृषि यांत्रिक सुविधाएं व उपकरण प्रयोग

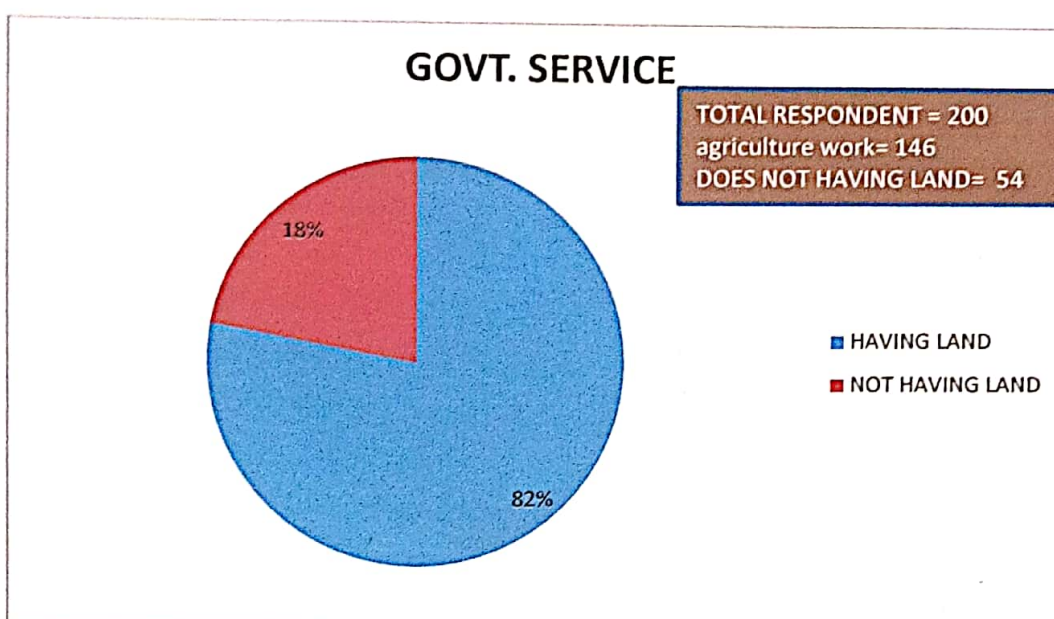
क्रम संख्या	मद	चयनित उत्तरदाता परिवार मुखिया कुल संख्या	उत्तरदाता हों	प्रतिशत	उत्तरदाता नहीं	प्रतिशत
1	आधुनिक कृषि यांत्रिक सुविधाएं व उपकरण प्रयोग	200	176	88	24	12



तालिका 1.3 के अनुसार उत्तरदाता परिवार के मुखिया उत्तरदाताओं में से कुल 200 में से 176 अर्थात् 88 प्रतिशत उत्तरदाता आधुनिक कृषि यांत्रिक सुविधाओं व उपकरणों का प्रयोग कर रहे हैं। जिनके पास आधुनिक कृषि यांत्रिक सुविधाएं व उपकरण पर्याप्त नहीं हैं ये अन्य लोगों से किराये पर लेकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं सभी के पास परंपरागत कृषि के साधन उपलब्ध हैं। कहा जा सकता है कि ये भी उन्नत खेती के जानकार हो रहे हैं।

तालिका 4.4— सरकारी सेवा

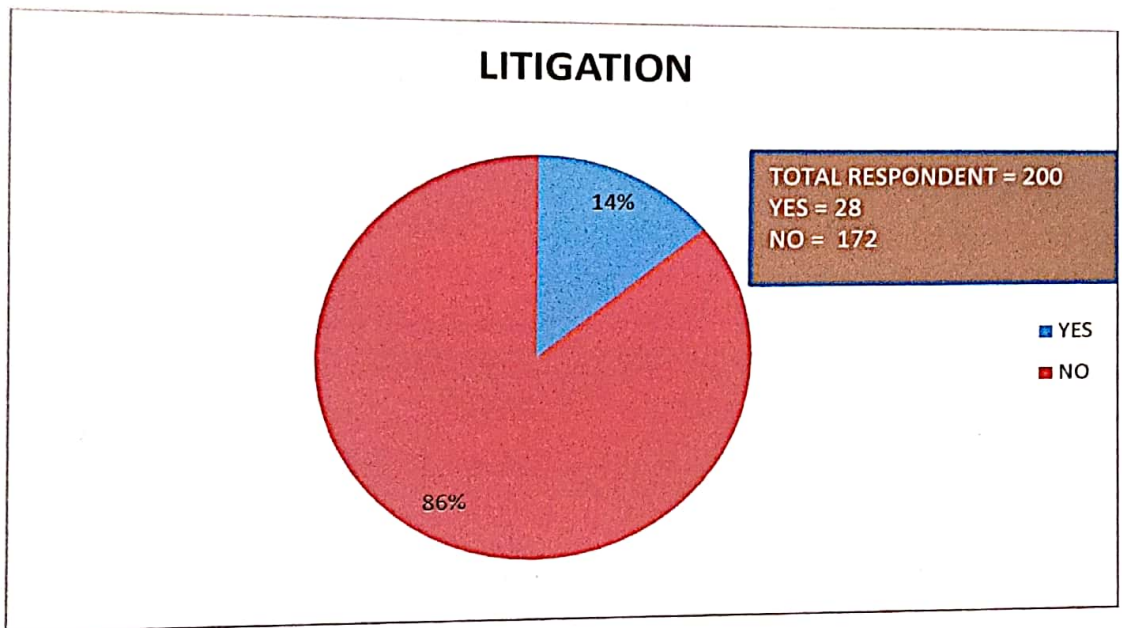
क्रम संख्या	मद	चयनित उत्तरदाता परिवार मुखिया कुल संख्या	उत्तरदाता हों	प्रतिशत	उत्तरदाता नहीं	प्रतिशत
1	सरकारी सेवा	200	164	82	36	18



200 में से सरकारी सेवा में 36 उत्तरदाताओं के परिवार में से कोई सदस्य सरकारी सेवा में था। सरकारी सेवाओं हेतु तैयारी करने वालों की संख्या का बढ़ रही है। थारु जनजाति के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है ज्यादातर लोग इसी पर निर्भर हैं जिनके पास स्वयं की भूमि नहीं है वे कृषि मजदूरी करके अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं। सरकारी सेवाओं में या अन्य संसाधनों द्वारा अपने रोजी रोजगार को चलाने में इनकी संख्या अत्यंत कम है ये मुख्यता कृषि पर ही निर्भर है।

तालिका 4.5— आपसी विवाद का समाधान पंचायत द्वारा

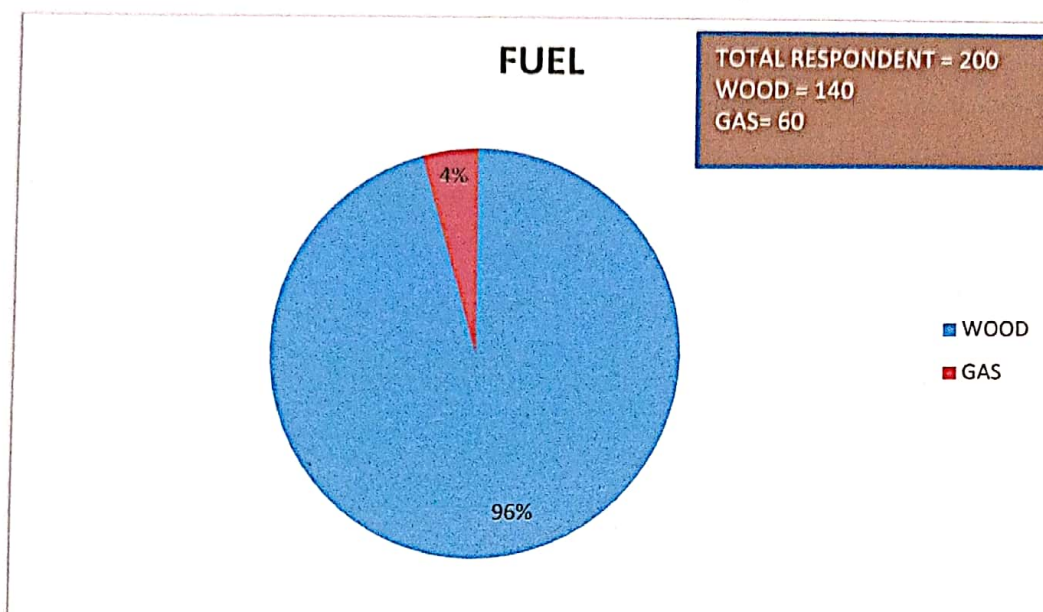
क्रम संख्या	मद	चयनित उत्तरदाता परिवार मुखिया कुल संख्या	उत्तरदाता हों	प्रतिशत	उत्तरदाता नहीं	प्रतिशत
1	आपसी विवाद	200	172	86	28	14



तालिका 4.5 के अनुसार उत्तरदाता परिवार के मुखिया उत्तरदाताओं में से कुल 200 में से 172 अर्थात् 86 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने आपसी विवाद के समाधान में पंचायत व्यवस्था में विश्वास जताया। इनकी पंचायत व्यवस्था यहाँ काफी अच्छी स्थिति में है और पंचायत का मुखिया बड़ा सम्मानित व्यक्ति होता है तथा बहुत से बड़े-बड़े विवादों का निपटारा पंचायत स्वयं ही कर लेती है हालाँकि सहमत न होने की स्थिति में न्यायालय के दरवाजे खुले रहते हैं लेकिन पंचायत के फैसले के विरुद्ध जाना थारु जनजाति के लोग अच्छा नहीं मानते हैं।

तालिका 4.6 ईंधन

क्रम संख्या	गद	चयनित उत्तरदाता परिवार मुखिया कुल संख्या	उत्तरदाता लकड़ी	प्रतिशत	उत्तरदाता गैस व अन्य	प्रतिशत
1	ईंधन	200	172	86	28	14



ईंधन— ईंधन के रूप में यह लोग लकड़ी का ही प्रयोग करते हैं क्योंकि इस क्षेत्र में लकड़ी की उपलब्धता आसानी से है कहीं-कहीं पर ईंधन के आधुनिक को संसाधन के रूप में गैस इत्यादि का प्रयोग भी होता है परिधि की संख्या अत्यंत कम है मुख्यतः ईंधन के रूप में ये लोग लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। इनमें अधिकतर के यहाँ लकड़ी के स्टाक एडवांस में लगे रहते हैं।

उत्तरदाताओं के अनुसार खेलकूद में थारु युवाओं का प्रमुख खेल कबड्डी व वालीबाल है खाली समय में बहुत से थारु लोग ताश खेलना पसंद करते हैं सिनेमा हॉल न होने के कारण भी यह सिनेमा की ज्यादा शौकीन नहीं हैं।

कृषि फसल उत्तरदाताओं के अनुसार एवं सर्वेक्षण के आधार पर कहा जा सकता है कि कृषि फसल के रूप में यह लोग गन्ना, सरसों मुख्यता चावल की उपज करते हैं गेहूँ का उत्पादन भी यहाँ पर होता है इसके अलावा सब्जियाँ इत्यादि वह स्वयं उगाना पसंद करते हैं जिससे इनकी रोजमर्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है तथा राशन इत्यादि की व्यवस्था ज्यादातर अपने कृषि उत्पादन से कर लेते हैं।

शिकार या आखेट उत्तरदाताओं के अनुसार एवं सर्वेक्षण के आधार पर कहा जा सकता है कि धीरे-धीरे थारु जनजाति के लोगों में कम हो रहा है यह जंगली जानवरों को खाने की अपेक्षा मछली, मुर्गा, बकरा इत्यादि का सेवन करना ज्यादा पसंद करते हैं इसके लिए यह तालाबों, बरसाती पानी इत्यादि से मछलियाँ पकड़कर उनका सेवन करते हैं बाकी अन्य पशुओं को पालकर आवश्यकता पड़ने पर उनको भोजन के रूप में खाते हैं।

हस्तशिल्प जनजाति के लोग बहुत सारे हस्तशिल्प की जानकारी रखते हैं। अपने घर में स्वयं द्वारा निर्मित चीजों का यह प्रयोग करते हैं। यहाँ की एक प्रगतिशील महिला श्रीमती आरती राणा जिनके द्वारा स्वयं सहायता समूह का निर्माण करके स्थानीय शिल्प को बढ़ावा दिया गया है जिसमें क्षेत्र की बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हुई हैं जो विभिन्न उत्पाद तैयार करके इनको देश के विभिन्न क्षेत्रों में और विदेशों में भी इसका निर्यात होता है इस हेतु माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा इनको महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है।

पशुपालन उत्तरदाताओं के अनुसार एवं सर्वेक्षण के आधार पर कहा जा सकता है कि थारु जनजाति के लोग पशुपालन पर भी जोर देते हैं ज्यादातर परिवारों में पशुपालन किया जाता है। गाय, मुर्गी, बकरी इत्यादि यहां के प्रमुख पशु हैं जिनका यह पालन करते हैं दूध इत्यादि के लिए लोग अपने स्वयं द्वारा पाले गए पशुओं पर निर्भर हैं जिनके पास पशु नहीं है वे क्रय करके दूध की आपूर्ति करते हैं। रस्सी बनाना भी ज्यादातर परिवार जानते हैं।

शराब उत्तरदाताओं के अनुसार एवं सर्वेक्षण के आधार पर कहा जा सकता है कि शराब का सेवन इनमें कम हो रहा है शराब बेचना अब खुलेआम नहीं होता है जैरो-जैरो शिक्षा का प्रचार-प्रसार हो रहा है और इनका आर्थिक स्तर सुधर रहा है वैरो-वैरो शराब बेचने की प्रवृत्ति कम हो रही है कहीं-कहीं पर शराब बेचना अभी भी चोरी से होता है।

विवाह थारु परिवार के 200 में से 122 उत्तरदाताओं ने परिवार में विवाह के लिए परिवार द्वारा तय किए गए विवाह के प्रति सहमति जाहिर कि हैं अन्य अपनी पसंद या प्रेम विवाह लेकिन मुख्यता ये अरेंज मैरिज या परिवार द्वारा तय किए गए विवाह को करना ही पसंद करते हैं इसमें जबरन विवाह नहीं कराया जा सकता युवक एवं युवती की विवाह हेतु मर्जी आवश्यक है यदि किसी की मर्जी के बगैर विवाह किया जाता है ऐसी स्थिति में वह युवक या युवती पंचायत के सामने अपनी बात को खुलकर कह सकती है और पंचायत न्याय पूर्वक उस युवक-युवती का सहारा बनती है।

त्योहार उत्तरदाताओं के अनुसार एवं सर्वेक्षण के आधार पर कहा जा सकता है कि थारु जनजाति के लोग ज्यादातर हिंदू धर्म के त्योहारों को मानते हैं इसमें होली, दीपावली, मकर संक्रांति, शिवरात्रि उनके प्रमुख त्योहार हैं यहाँ के प्रमुख देव शिव हैं अतः शिवरात्रि को ये बहुत हर्षोल्लास से मनाते हैं।

हाट व बाजार उत्तरदाताओं के अनुसार एवं सर्वेक्षण के आधार पर कहा जा सकता है कि ये अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति लोकल हॉट बाजार से करते हैं या अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के मुख्य बाजार चंदन चौकी या पलिया, लखीमपुर की ओर जाते हैं

आपसी विवाद का निबटारा उत्तरदाताओं के अनुसार एवं सर्वेक्षण के आधार पर कहा जा सकता है कि यहां के लोगों को पंचायत व्यवस्था पर बहुत विश्वास है अधिकतर उत्तरदाताओं ने अपने विवादों का निपटारा पंचायत के माध्यम से करने की बात कही। ज्यादातर मामले पंचायत में निबट जाते हैं यदि कोई पक्ष पंचायत के फैसले से संतुष्ट नहीं होता है तो उसके लिए अदालत के दरवाजे खुले रहते हैं परंतु पंचायत के फैसले के खिलाफ जाना थारु लोगों में अच्छा नहीं माना जाता।

वेशभूषा उत्तरदाताओं के अनुसार एवं सर्वेक्षण के आधार पर कहा जा सकता है कि वस्त्र के रूप में पुरुषों और महिलाओं दोनों में आधुनिक पैंट शर्ट और सलवार सूट, साड़ी पहनते

हैं। परंपरागत अवसर पर, त्योहार इत्यादि अवसरों पर यह लोग अपनी परंपरागत वेशभूषा में रहना पसंद करते हैं है लेकिन प्रतिदिन के जीवन में यह आधुनिक वस्त्र का प्रयोग कर रहे हैं।

मृत्यु संस्कार उत्तरदाताओं के अनुसार एवं सर्वेक्षण के आधार पर कहा जा सकता है कि थारुओं में किसी की मृत्यु हो जाने पर व्यक्ति को जलाने की प्रथा है कहीं-कहीं पर दफनाने की भी प्रथा है ज्यादातर संस्कार के रूप में मृत शरीर को जलाकर अंतिम संस्कार किया जाता है।

धर्म यहाँ के ज्यादातर जनसंख्या हिंदू धर्म में विश्वास रखती है उसके अनुसार अपना पालन करती है परंतु ईसाई विचारधारा का प्रभाव भी धीरे-धीरे बढ़ रहा है और बहुत से परिवार ईसाई मत को भी स्वीकार कर रहे हैं।

दहेज प्रथा—विवाह के अवसर पर दहेज का प्रचलन थारु जनजाति में नहीं है वधू पक्ष द्वारा स्वयं की इच्छा कैसे दिए गए उपहार को स्वीकार कर लिया जाता है परंतु दहेज मांगना हर जनजाति में अच्छा नहीं माना जाता हालांकि अब धीरे-धीरे थोड़ा परिवर्तन हो रहा है पर लिखकर जो बच्चे नौकरी प्राप्त कर पा रहे हैं कर ले जा रहे हैं उन में परिवर्तन देखने में आ रहा है और उनकी शादी में दहेज भी दिया जा रहा है परंतु सामान्य गैस के डिमांड या मॉग इनमें अच्छी नहीं मानी जाती हैं।

तलाक— उत्तरदाताओं के अनुसार एवं सर्वेक्षण के आधार पर कहा जा सकता है कि तलाक यहाँ के लोग स्वेच्छा से विवाह करके एक दूसरे के साथ रहते हैं यदि किन्हीं कारणों से उनमें आपसी समझ नहीं हो पाती तो उनमें तलाक की प्रक्रिया तुलनात्मक रूप से आसान है पंचायत के सामने मामला आने पर पंचायत द्वारा तलाक दोनों पक्षों को स्वीकार होता है इसमें किसी प्रकार की बाधा भी नहीं मानी जाती। पंचायत यदि किसी के तलाक को मंजूर कर कर देती है तो तलाक किया हुआ व्यक्ति अपना दूसरा विवाह करने के लिए स्वतंत्र हो जाता है।

विधवा पुनर्विवाह थारु जनजाति में विधवा पुनर्विवाह पर किसी प्रकार की रोक नहीं है इनमें अपने पति की मृत्यु होने पर जो महिला विधवा हो गई है उसका विवाह भी

पंचायत द्वारा कर दिया जाता है थारु जनजाति में इस व्यवस्था को अच्छा बताया जाता है।

बिजली के आधुनिक संयंत्र ज्यादातर थारु क्षेत्र में बिजली की पहुँच हो चुकी है। जिन परिवारों में बिजली का प्रबंध हो गया है वहाँ पर बिजली के आधुनिक संयंत्र भी देखने में आ रहे हैं कहीं-कहीं वह पड़ोसी के माध्यम से बिजली को जलाते हैं और उपकरणों की संचालन करते हैं।

शौचालय उत्तरदाताओं के अनुसार एवं सर्वेक्षण के आधार पर कहा जा सकता है कि थारु जनजाति की क्षेत्र के लोग जाकर परिवारों में शौचालय की व्यवस्था देखने में आती है उनके घर साफ सुथरा लेते हुए एवं उनके बच्चे साफ सुधरे कपड़े पहने हुए शरीर से भी साफ दिखाई पड़ते हैं। ये लोग सफाई से रहने वाले होते हैं।

बीमारी व दवा यह लोग बीमारी की अवस्था में देशी जड़ी बूटियाँ की जानकारी होने के कारण उन पर उनकी निर्भरता अधिक रहती है चिकित्सक के माध्यम से दवा लेने में यह लोग ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं परंतु स्वास्थ्य ज्यादा खराब होने पर ही यह स्वास्थ्य केंद्र और फिर अन्य उच्च स्वास्थ्य संस्थानों की ओर रुख करते हैं। देसी इलाज पर यह लोग ज्यादा निर्भर रहते हैं।

त्योहार व उत्सव शादी विवाह त्यौहार आदि उत्सवों को यह अपने परंपरागत तरीके से मनाना पसंद करते हैं परंतु नई पीढ़ी में अब उत्सव बनाने के आधुनिक नए तरीके डीजे संगीत के माध्यम से भी यह लोग अपना उत्सव मनाते हैं

मनोरंजन मनोरंजन के लिए परंपरागत रूप से लोग नृत्य और लोकगीत पर निर्भर रहते हैं परंतु नई पीढ़ी में इसमें परिवर्तन आ रहा है मनोरंजन के लिए आधुनिक गीत संगीत डीजे इत्यादि नवीन साधनों की व्यवस्था बढ़ रही है मोबाइल का प्रयोग आजकल सभी लोग कर रहे हैं नई पीढ़ी विशेष कर मनोरंजन के लिए मोबाइल के माध्यम का भी प्रयोग कर रही हैं।

बलि बलि देने की प्रथा में ज्यादातर लोगों ने अविश्वास जताया है अतः प्रतीत होता है बलि देने की प्रथा धीरे-धीरे खत्म हो रही है।

उत्तराधिकार उत्तराधिकार इनमें पुत्र ही उत्तराधिकारी होता है पुत्र न होने पर पुत्री।

शौचालय उत्तरदाताओं के अनुसार एवं सर्वेक्षण के आधार पर कहा जा सकता है कि ज्यादातर परिवारों में शौचालय की व्यवस्था है बाहर जाने की अपेक्षा यह शौचालय का घर में ही निर्माण करके उसका प्रयोग करते हैं सरकार भी इस हेतु कार्य कर रही है उसका प्रभाव थारु क्षेत्र में देखने में आता है।

विवाह आयु विवाह हेतु सभी ने लड़की की आयु 18 वर्ष लड़के की आयु 21 वर्ष जो की सरकारी मानक भी है इस पर अपनी प्रतिबद्धता जताई है लड़के और लड़की के बारे में समझदार होने पर की विवाह करते हैं ऐसा ज्यादातर उत्तरदाताओं ने बताया है।

ईंधन— ईंधन के रूप में यह लोग लकड़ी की उपलब्धता अधिक होने के कारण लकड़ी पर ही निर्भर हैं कहीं कहीं पर गैस इत्यादि अन्य ईंधन के साधनों का प्रयोग खाना पकाने के लिए होता है लेकिन मुख्यता यह लोग लकड़ी पर ही निर्भर हैं।

इस प्रकार यह अवधारणा की लखीमपुर खीरी जनपद के हर जनजाति के सामाजिक-आर्थिक स्तर में सुधार हो रहा है सही प्रतीत हो रही है यह लोग बहुत सारी परम्पराएं जो उनकी प्रगति में बाधक थीं जैसे नशाखोरी, बलि-प्रथा बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह आदि में परिवर्तन हो रहा है इस सम्बन्ध में इनकी सोच आधुनिक हो रही है कृषि के उन्नत साधनों के प्रयोग से उनकी उपज भी बढ़ रही है और जैसे-जैसे इनमें शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा है वैसे-वैसे इनकी सोंच में भी व्यापकता आ रही है और बहुत सारे युवक व युवतियाँ तैयारी करके सरकारी सेवाओं में आ रहे हैं जिससे उनके परिवार और क्षेत्र का भी धीरे-धीरे विकास हो रहा है। सरकार अपना कार्य गति से कर रही है हालांकि क्षेत्र के जितने विद्यालय होने चाहिए उतने नहीं हैं फिर भी जो विद्यालय हैं वे अपने क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रहे हैं और इससे अपेक्षित परिवर्तन भी हो रहे हैं। यदि सरकार विद्यालय की संख्या और बढ़ा दे तो और तेजी से ये क्षेत्र विकसित होगा और इनका सामाजिक स्तर बढ़ेगा। रोजी रोजगार में आने से आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता है और आर्थिक स्थिति में सुधार होने से सामाजिक स्थिति में भी सुधार होता है यह सत्य है। इसलिये कहा जा सकता है कि थारु जनजाति क्षेत्र लखीमपुर खीरी के लोगों के सामाजिक-आर्थिक स्तर में सुधार हो रहा है। हालांकि इसकी प्रकृति धीमी है परंतु सुधार हो रहा है।

परिकल्पना परीक्षण

तालिका सं० -1 प्रथम परिकल्पना का परीक्षण

लखीमपुर खीरी जनपद के थारु जनजाति के माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत छात्र व छात्राओं के समायोजन में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

विद्यार्थियों का विवरण	प्रतिदर्श	मध्यमान	मानक विचलन	S_{ED}	D	t	सार्थकता
छात्र	200	37.09	12.50	3.53	1.12	3.15	0.05 सार्थकता स्तर पर सार्थक है।
छात्राएं	200	40.62	9.73				

उपरोक्त तालिका के अनुसार लखीमपुर खीरी जनपद के थारु जनजाति के माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत छात्रों का मध्यमान 37.09 तथा छात्राओं का मध्यमान 40.62 है। दोनों के बीच प्राप्त t-मूल्य 3.15 है, जो कि मानक तालिका के 0.05 सार्थकता स्तर पर सार्थक मूल्य 1.96 से अधिक है। इसका अर्थ है कि छात्र एवं छात्राओं के समायोजन में सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण अंतर पाया गया है। छात्राओं का समायोजन स्तर छात्रों की अपेक्षा अधिक है। यह संभवतः उनके सामाजिक और पारिवारिक समर्थन, भावनात्मक परिपक्वता और उत्तरदायित्व के भाव के कारण हो सकता है। अतः प्रथम शून्य परिकल्पना अस्वीकार की जाती है।

तालिका सं० -2 द्वितीय परिकल्पना का परीक्षण

लखीमपुर खीरी जनपद के थारु जनजाति के माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत छात्र व छात्राओं के संवेगात्मक समायोजन में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

विद्यार्थियों का विवरण	प्रतिदर्श	मध्यमान	मानक विचलन	S_{ED}	D	t	सार्थकता
छात्र	200	10.54	5.33	1.90	0.52	3.66	0.05 सार्थकता स्तर पर सार्थक है।
छात्राएं	200	12.44	5.05				

उपरोक्त तालिका सं0 2 के अनुसार लखीमपुर खीरी जनपद के थारु जनजाति के माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत छात्रों का मध्यमान 10.54 और छात्राओं का मध्यमान 12.44 है, जबकि t -मूल्य 3.66 है जो कि 0.05 सार्थकता स्तर पर सार्थक मूल्य 1.96 से अधिक है। यह दर्शाता है कि छात्राएं संवेगात्मक (भावनात्मक) समायोजन में छात्रों से बेहतर हैं। यह उनके भावनाओं को नियंत्रित करने और सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल होने की बेहतर क्षमता को दर्शाता है। सांख्यिकीय दृष्टि से यह अंतर महत्वपूर्ण है, अतः शून्य परिकल्पना अस्वीकार की जाती है।

तालिका सं0-3 तृतीय परिकल्पना का परीक्षण

लखीमपुर खीरी जनपद के थारु जनजाति के माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत छात्र व छात्राओं के सामाजिक समायोजन में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

विद्यार्थियों का विवरण	प्रतिदर्श	मध्यमान	मानक विचलन	S_{ED}	D	t	सार्थकता
छात्र	200	15.18	4.29	0.93	0.41	2.26	0.05 सार्थकता स्तर पर सार्थक है।
छात्राएँ	200	16.11	3.95				

उपरोक्त तालिका के अनुसार लखीमपुर खीरी जनपद के थारु जनजाति के माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत छात्रों का मध्यमान 15.18 एवं छात्राओं का मध्यमान 16.11 है तथा t -मूल्य 2.26 है जो कि मानक तालिका के अनुसार .05 सार्थकता स्तर मूल्य 1.96 से अधिक है। इससे यह स्पष्ट होता है कि छात्राएं सामाजिक समायोजन में छात्रों से अधिक सक्षम हैं। सामाजिक समायोजन का आशय है दूसरों के साथ सामंजस्य स्थापित करना, और छात्राएं इसमें अधिक लचीली प्रतीत होती हैं। इसलिए यह अंतर सांख्यिकीय रूप से सार्थक है और शून्य परिकल्पना को अस्वीकार किया जाता है।

तालिका सं० -4 चतुर्थ परिकल्पना का परीक्षण

लखीमपुर खीरी जनपद के थारू जनजाति के माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत छात्र व छात्राओं के शैक्षिक समायोजन में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

विद्यार्थियों का विवरण	प्रतिदर्श	मध्यमान	मानक विचलन	S_{ED}	D	t	सार्थकता
छात्र	200	11.56	5.88	1.49	0.56	2.66	0.05 सार्थकता स्तर पर सार्थक है।
छात्रा	200	13.05	5.29				

उपरोक्त तालिका के अनुसार लखीमपुर खीरी जनपद के थारू जनजाति के माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत छात्रों का मध्यमान 11.56 व छात्राओं का मध्यमान 13.05 है तथा t-मूल्य 2.66 है जो कि मानक तालिका के अनुसार .05 सार्थकता स्तर मूल्य 1.96 से अधिक है। इसका तात्पर्य है कि छात्राएं शैक्षिक समायोजन में छात्रों की तुलना में अधिक सक्षम हैं। यह उन्हें समय प्रबंधन, पाठ्यक्रम समझने और शिक्षा से जुड़े तनावों को संभालने में कुशल बनाता है। अतः शून्य परिकल्पना अस्वीकृत की जाती है।

तालिका सं० -5 पंचम परिकल्पना का परीक्षण

लखीमपुर खीरी जनपद के थारू जनजाति के माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत गैर आवासीय छात्र व छात्राओं के समायोजन में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

विद्यार्थियों का विवरण	प्रतिदर्श	मध्यमान	मानक विचलन	S_{ED}	D	t	सार्थकता
गैर आवासीय छात्र	100	37.10	10.98	0.00	1.55	0.00	0.05 सार्थकता स्तर पर सार्थक नहीं है।
गैर आवासीय छात्राएँ	100	37.10	10.98				

उपरोक्त तालिका के अनुसार लखीमपुर खीरी जनपद के थारु जनजाति के माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत गैर आवासीय छात्र व छात्राओं का मध्यमान कमश 37.10 व 37.10 है तथा t -मूल्य 0.00 जो कि मानक तालिका के अनुसार .05 सार्थकता स्तर मूल्य 1.96 से है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि गैर-आवासीय छात्र एवं छात्राओं के समायोजन में कोई भी सांख्यिकीय अंतर नहीं है। दोनों समूह समान प्रकार से अपने वातावरण में समायोजित हो रहे हैं। इसलिए शून्य परिकल्पना स्वीकार की जाती है।

तालिका सं0 –6 परिकल्पना का परीक्षण

लखीमपुर खीरी जनपद के थारु जनजाति के माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत गैर आवासीय छात्र व छात्राओं के संवेगात्मक समायोजन में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

विद्यार्थियों का विवरण	प्रतिदर्श	मध्यमान	मानक विचलन	S_{ED}	D	t	सार्थकता
गैर आवासीय छात्र	100	10.27	4.75	1.20	0.72	1.67	0.05 सार्थकता स्तर पर सार्थक नहीं है।
गैर आवासीय छात्राएँ	100	11.47	5.41				

उपरोक्त तालिका के अनुसार लखीमपुर खीरी जनपद के थारु जनजाति के माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत गैर आवासीय छात्रों का मध्यमान 10.27 है तथा छात्राओं का मध्यमान 5.41 है तथा t मूल्य 1.67 है। जो कि मानक तालिका के अनुसार .05 सार्थकता स्तर मूल्य 1.96 से कम है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि गैर-आवासीय छात्र एवं छात्राओं के समायोजन में सांख्यिकीय अंतर नहीं है। दोनों समूह समान प्रकार से अपने वातावरण में समायोजित हो रहे हैं। अतः शून्य परिकल्पना अस्वीकार की जाती है।

तालिका सं0 -7 परिकल्पना का परीक्षण

लखीमपुर खीरी जनपद के थारु जनजाति के माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत गैर आवासीय छात्र व छात्राओं के सामाजिक समायोजन में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

विद्यार्थियों का विवरण	प्रतिदर्श	मध्यमान	मानक विचलन	S_{ED}	D	t	सार्थकता
गैर आवासीय छात्र	100	15.51	4.07	0.32	0.61	0.53	0.05 सार्थकता स्तर पर सार्थक नहीं है।
गैर आवासीय छात्राएँ	100	15.83	4.51				

उपरोक्त तालिका के अनुसार लखीमपुर खीरी जनपद के थारु जनजाति के माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत गैर आवासीय छात्रों का मध्यमान 15.51 एवं छात्राओं का मध्यमान 15.83 है। प्राप्त t -मूल्य 0.53 है, जो कि मानक तालिका के अनुसार .05 सार्थकता स्तर मूल्य 1.96 से बहुत कम है। इसका अर्थ है कि सामाजिक समायोजन में दोनों समूहों के मध्य कोई विशेष अंतर नहीं है। अतः शून्य परिकल्पना को स्वीकार किया गया।

तालिका सं0 -8 परिकल्पना का परीक्षण

लखीमपुर खीरी जनपद के थारु जनजाति के माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत गैर आवासीय छात्र व छात्राओं के शैक्षिक समायोजन में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

विद्यार्थियों का विवरण	प्रतिदर्श	मध्यमान	मानक विचलन	S_{ED}	D	t	सार्थकता
गैर आवासीय छात्र	100	11.32	4.44	1.58	0.78	2.02	0.05 सार्थकता स्तर पर सार्थक है।
गैर आवासीय छात्राएँ	100	12.90	6.46				

उपरोक्त तालिका के अनुसार लखीमपुर खीरी जनपद के थारु जनजाति के माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत गैर आवासीय छात्रों का छात्रों का मध्यमान 11.32 व छात्राओं का मध्यमान 12.90 है, और t -मूल्य 2.02 है। जो कि मानक तालिका के अनुसार .05 सार्थकता स्तर मूल्य 1.96 से अधिक है, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि शैक्षिक समायोजन में छात्राओं का स्तर बेहतर है और यह अंतर सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण है। अतः शून्य परिकल्पना अस्वीकृत की जाती है।

तालिका सं० -9 परिकल्पना का परीक्षण

लखीमपुर खीरी जनपद के थारु जनजाति के माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत आवासीय छात्र व छात्राओं के समायोजन में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

विद्यार्थियों का विवरण	प्रतिदर्श	मध्यमान	मानक विचलन	S_{ED}	D	t	सार्थकता
आवासीय छात्र	100	37.07	13.92	5.92	1.63	3.64	0.05 सार्थकता स्तर पर सार्थक है।
आवासीय छात्राएँ	100	42.99	8.45				

उपरोक्त तालिका के अनुसार लखीमपुर खीरी जनपद के थारु जनजाति के माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत आवासीय छात्रों का मध्यमान 37.07 एवं छात्राओं का मध्यमान 42.99 है, जबकि t -मूल्य 3.64 है। जो कि मानक तालिका के अनुसार .05 सार्थकता स्तर मूल्य 1.96 से काफी अधिक है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि आवासीय छात्राओं का समायोजन स्तर छात्रों से बेहतर है। इसलिए शून्य परिकल्पना अस्वीकृत की जाती है।

तालिका सं० -10 परिकल्पना का परीक्षण

लखीमपुर खीरी जनपद के थारु जनजाति के माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत आवासीय छात्र व छात्राओं के संवेगात्मक समायोजन में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

विद्यार्थियों का विवरण	प्रतिदर्श	मध्यमान	मानक विचलन	S _{ED}	D	t	सार्थकता
आवासीय छात्र	100	10.80	5.86	2.61	0.74	3.54	0.05 सार्थकता स्तर पर सार्थक है।
आवासीय छात्राएँ	100	13.41	4.49				

उपरोक्त तालिका के अनुसार लखीमपुर खीरी जनपद के थारु जनजाति के माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत आवासीय छात्रों का मध्यमान 10.80 तथा छात्राओं का मध्यमान 13.41 है। प्राप्त t मूल्य 3.54 है, जो कि मानक तालिका के अनुसार .05 सार्थकता स्तर मूल्य 1.96 से अधिक है। यह स्पष्ट करता है कि छात्राओं का भावनात्मक समायोजन अधिक सशक्त है। अतः शून्य परिकल्पना अस्वीकार की जाती है।

तालिका सं० -11 परिकल्पना का परीक्षण

लखीमपुर खीरी जनपद के थारु जनजाति के माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत आवासीय छात्र व छात्राओं के सामाजिक समायोजन में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

विद्यार्थियों का विवरण	प्रतिदर्श	मध्यमान	मानक विचलन	S _{ED}	D	t	सार्थकता
आवासीय छात्र	100	14.84	4.49	1.54	0.56	2.77	0.05 सार्थकता स्तर पर सार्थक है।
आवासीय छात्राएँ	100	16.38	3.28				

उपरोक्त तालिका के अनुसार लखीमपुर खीरी जनपद के थारु जनजाति के माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत आवासीय मध्यमान क्रमशः 14.84 (छात्र) और 16.38 (छात्राएँ) है। प्राप्त t-मूल्य 2.77 है जो कि मानक तालिका के अनुसार .05 सार्थकता स्तर मूल्य 1.96 से अधिक है। इसका निष्कर्ष है कि सामाजिक समायोजन में छात्राएँ बेहतर प्रदर्शन करती हैं। इसलिए शून्य परिकल्पना अस्वीकृत की जाती है।

तालिका सं० -12 परिकल्पना का परीक्षण

लखीमपुर खीरी जनपद के थारु जनजाति के माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत आवासीय छात्र व छात्राओं के शैक्षिक समायोजन में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

विद्यार्थियों का विवरण	प्रतिदर्श	मध्यमान	मानक विचलन	S _{ED}	D	t	सार्थकता
आवासीय छात्र	100	11.79	7.05	1.41	0.80	1.76	0.05 सार्थकता स्तर पर सार्थक नहीं है।
आवासीय छात्राएँ	100	13.20	3.81				

उपरोक्त तालिका के अनुसार लखीमपुर खीरी जनपद के थारु जनजाति के माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत आवासीय छात्रों का मध्यमान 11.79 तथा आवासीय छात्राओं का मध्यमान 13.20 है तथा t-मूल्य 1.76 है जो कि मानक तालिका के अनुसार 0.05 सार्थकता स्तर मूल्य 1.96 से कम है। यद्यपि छात्राओं का माध्य थोड़ा अधिक है, पर यह अंतर सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए शून्य परिकल्पना स्वीकार की जाती है।

तालिका सं० -13 परिकल्पना का परीक्षण

लखीमपुर खीरी जनपद के थारु जनजाति के माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत आवासीय छात्रों व गैर आवासीय छात्रों के समायोजन में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

विद्यार्थियों का विवरण	प्रतिदर्श	मध्यमान	मानक विचलन	S _{ED}	D	t	सार्थकता
आवासीय छात्र	100	37.07	13.92	0.03	1.77	0.02	0.05 सार्थकता स्तर पर सार्थक नहीं है।
गैर आवासीय छात्राएँ	100	37.10	10.98				

उपरोक्त तालिका के अनुसार लखीमपुर खीरी जनपद के थारु जनजाति के माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत आवासीय छात्रों का मध्यमान 37.07 और छात्राओं का मध्यमान 37.10 है, तथा ज-मूल्य 0.02 है। जो कि मानक तालिका के अनुसार .05 सार्थकता स्तर मूल्य 1.96 से अत्यन्त कम है। जिससे स्पष्ट होता है कि आवासीय और गैर-आवासीय छात्रों में समायोजन के स्तर में कोई अंतर नहीं है। इसलिए शून्य परिकल्पना को स्वीकार किया जाता है।

तालिका सं0 -14 परिकल्पना का परीक्षण

लखीमपुर खीरी जनपद के थारु जनजाति के माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत आवासीय छात्राओं व गैर आवासीय छात्राओं के समायोजन में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

विद्यार्थियों का विवरण	प्रतिदर्श	मध्यमान	मानक विचलन	S _{ED}	D	t	सार्थकता
आवासीय छात्राएं	100	42.99	8.45	.5.89	1.39	4.25	0.05 सार्थकता स्तर पर सार्थक है।
गैर आवासीय छात्राएं	100	37.10	10.98				

उपरोक्त तालिका के अनुसार लखीमपुर खीरी जनपद के थारु जनजाति के माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत आवासीय छात्राओं व गैर आवासीय छात्राओं का मध्यमान क्रमशः 42.99 और 37.10 है। प्राप्त t-मूल्य 4.25 है जो कि मानक तालिका के अनुसार .05 सार्थकता स्तर मूल्य 1.96 से अत्यधिक उच्च है। इसका अर्थ है कि आवासीय छात्राएं समायोजन में अधिक सशक्त हैं। यह अंतर सांख्यिकीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अतः शून्य परिकल्पना अस्वीकृत की जाती है।

तालिका सं0 -15 परिकल्पना का परीक्षण

लखीमपुर खीरी जनपद के थारु जनजाति क्षेत्र की उच्च शिक्षा में अध्ययनरत छात्र व छात्राओं के समायोजन में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

विद्यार्थियों का विवरण	प्रतिदर्श	मध्यमान	मानक विचलन	S _{ED}	D	t	सार्थकता
छात्र	100	10.80	5.86	.053	0.75	0.70	0.05 सार्थकता स्तर पर सार्थक नहीं है।
छात्राएँ	100	10.27	4.75				

उपरोक्त तालिका के अनुसार लखीमपुर खीरी जनपद के थारु जनजाति क्षेत्र की उच्च शिक्षा में अध्ययनरत छात्रों का मध्यमान 10.80 और छात्राओं का मध्यमान 10.27 है। प्राप्त t -मूल्य 0.70 है, जो कि जो कि मानक तालिका के अनुसार .05 सार्थकता स्तर मूल्य 1.96 से काफी कम है। इसका तात्पर्य है कि दोनों में समायोजन स्तर समान है और कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। अतः शून्य परिकल्पना को स्वीकार किया जाता है।

तालिका सं0 -16 परिकल्पना का परीक्षण

लखीमपुर खीरी जनपद के थारु जनजाति क्षेत्र की उच्च शिक्षा में अध्ययनरत छात्र व छात्राओं के गृह समायोजन में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

विद्यार्थियों का विवरण	प्रतिदर्श	मध्यमान	मानक विचलन	S _{ED}	D	t	सार्थकता
छात्र	100	13.41	4.49	.194	0.70	2.76	0.05 सार्थकता स्तर पर सार्थक है।
छात्राएँ	100	11.47	5.41				

उपरोक्त तालिका के अनुसार लखीमपुर खीरी जनपद के थारु जनजाति क्षेत्र की उच्च शिक्षा में अध्ययनरत छात्रों का मध्यमान 13.41 तथा छात्राओं का मध्यमान 11.47 है। t -मूल्य 2.76 प्राप्त हुआ है, जो कि मानक तालिका के अनुसार .05 सार्थकता स्तर मूल्य 1.96 से अधिक है। इसका अर्थ है कि छात्र गृह समायोजन में छात्राओं से अधिक सक्षम हैं। यह अंतर सांख्यिकीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अतः शून्य परिकल्पना अस्वीकार की जाती है।

तालिका सं0 -17 परिकल्पना का परीक्षण

लखीमपुर खीरी जनपद के थारु जनजाति क्षेत्र की उच्च शिक्षा में अध्ययनरत छात्र व छात्राओं के स्वास्थ्य समायोजन में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

विद्यार्थियों का विवरण	प्रतिदर्श	मध्यमान	मानक विचलन	S _{ED}	D	t	सार्थकता
छात्र	100	14.84	4.49	0.67	0.61	1.11	0.05 सार्थकता स्तर पर सार्थक नहीं है।
छात्राएँ	100	15.51	4.07				

उपरोक्त तालिका के अनुसार माध्य क्रमशः 14.84 और 15.51 है, जबकि t-मूल्य 1.11 है। जो कि मानक तालिका के अनुसार .05 सार्थकता स्तर मूल्य 1.96 से कम है। इसलिये यह .05 स्तर पर महत्व नहीं रखता। इसलिए यह निष्कर्ष निकलता है कि छात्रों और छात्राओं में स्वास्थ्य समायोजन में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। इसलिए शून्य परिकल्पना स्वीकार की जाती है।

तालिका सं0 -18 परिकल्पना का परीक्षण

लखीमपुर खीरी जनपद के थारु जनजाति क्षेत्र की उच्च शिक्षा में अध्ययनरत छात्र व छात्राओं के संवेगात्मक समायोजन में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

विद्यार्थियों का विवरण	प्रतिदर्श	मध्यमान	मानक विचलन	S _{ED}	D	t	सार्थकता
छात्र	100	16.38	3.28	0.55	0.56	0.99	0.05 सार्थकता स्तर पर सार्थक नहीं है।
छात्राएँ	100	15.83	4.51				

उपरोक्त तालिका के अनुसार लखीमपुर खीरी जनपद के थारु जनजाति क्षेत्र की उच्च शिक्षा में अध्ययनरत छात्रों का मध्यमान 16.38 और छात्राओं का मध्यमान 15.83 है। प्राप्त t-मूल्य 0.99 है, जो कि मानक तालिका के अनुसार .05 सार्थकता स्तर मूल्य 1.96

से जो .05 स्तर से कम है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि यह अंतर मात्र संयोगजन्य है और दोनों समूहों में कोई स्पष्ट अंतर नहीं है। इसलिए शून्य परिकल्पना स्वीकार की जाती है।

तालिका सं० -19 परिकल्पना का परीक्षण

लखीमपुर खीरी जनपद के थारु जनजाति क्षेत्र की उच्च शिक्षा में अध्ययनरत छात्र व छात्राओं के सामाजिक समायोजन में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

विद्यार्थियों का विवरण	प्रतिदर्श	मध्यमान	मानक विचलन	S _{ED}	D	t	सार्थकता
छात्र	100	11.79	7.05	0.47	0.83	0.56	0.05 सार्थकता स्तर पर सार्थक नहीं है।
छात्राएँ	100	11.32	4.44				

उपरोक्त तालिका के अनुसार लखीमपुर खीरी जनपद के थारु जनजाति क्षेत्र की उच्च शिक्षा में अध्ययनरत छात्रों का मध्यमान 11.79 और छात्राओं का मध्यमान 11.32 है तथा t-मूल्य 0.56 है जो कि मानक तालिका के अनुसार .05 सार्थकता स्तर मूल्य 1.96 से बहुत कम है। अतः यह अंतर सांख्यिकीय रूप से महत्वहीन है। इसलिए शून्य परिकल्पना स्वीकार की जाती है।

तालिका सं० -20 परिकल्पना का परीक्षण

लखीमपुर खीरी जनपद के थारु जनजाति क्षेत्र की उच्च शिक्षा में अध्ययनरत छात्र व छात्राओं के शैक्षिक समायोजन में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

विद्यार्थियों का विवरण	प्रतिदर्श	मध्यमान	मानक विचलन	S _{ED}	D	t	सार्थकता
छात्र	100	13.20	3.81	0.30	0.75	0.40	0.05 सार्थकता स्तर पर सार्थक नहीं हैं।
छात्राएँ	100	12.90	6.46				

उपरोक्त तालिका के अनुसार लखीमपुर खीरी जनपद के थारू जनजाति क्षेत्र की उच्च शिक्षा में अध्ययनरत छात्रों का मध्यमान क्रमशः 13.20 (छात्र) और 12.90 (छात्राएं) है। 1-मूल्य 0.40 है जो कि मानक तालिका के अनुसार .05 सार्थकता स्तर मूल्य 1.96 पर पर्याप्त नहीं है। अतः शैक्षिक समायोजन में दोनों समूहों में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है इसलिए शून्य परिकल्पना स्वीकार की जाती है।

थारू परिवारों की समस्याएं

विद्युत/रोशनी की स्थिति उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद के निघासन व पलिया तहसील व ब्लॉक के थारू जनजाति क्षेत्र में रहने वाले थारू लोगों के आस-पास बिजली की व्यवस्था हो गई है परन्तु बिजली की आपूर्ति की व्यवस्था ठीक नहीं है बिजली खराब होने पर भ्रमभूत कार्य में बहुत समय लगता है, बाढ़ व बरसात के समय बिजली की स्थिति और खराब हो जाती है।

पीने के स्वच्छ पानी की व्यवस्था पीने के पानी के लिए नल की उपलब्धता लगभग सभी जगह है।

शिक्षा हेतु अवसर प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च, तकनीकी व व्यावसायिक प्रत्येक ग्रामसभा में प्राथमिक शिक्षा के अवसर उपलब्ध हैं व माध्यमिक शिक्षा के अवसर पर्याप्त नहीं हैं। क्षेत्र में गैर आवासीय सरकारी माध्यमिक विद्यालयों की आवश्यकता है इन क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के अवसर नहीं हैं। तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा में मात्र एक आईटीआई चन्दन चौकी में है जहाँ भी ज्यादा विकल्प नहीं हैं।

यातायात के साधन

यातायात के साधनों की स्थिति गौरीफँटा नेपाल सीमा होने के कारण पलिया ब्लॉक व तहसील के थारू जनजाति हेतु रोडवेज साधन उपलब्ध हैं तथा अन्य ऑटो, टैक्सी आदि प्राइवेट साधन भी उपलब्ध हैं निघासन के बेला परसुआ क्षेत्र में भी रोडवेज अपने समय से उपलब्ध हो जाती है। नेपाल सीमा के गोरी फँटा सीमा के कारण पलिया थारू क्षेत्र में सड़क मार्ग की स्थिति अच्छी है विभिन्न ग्राम सभाओं के संपर्क मार्ग की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है निघासन के बेला परसुआ व कडिया क्षेत्र की सड़क मार्ग की

स्थिति बहुत अच्छी नहीं है इनका जुड़ाव मुख्य सड़क से अच्छी स्थिति में नहीं है। दोनों ही क्षेत्रों से रेलवे स्टेशन दूर है।

नशा व जुओं ज्यादातर लोगों का मानना है कि नशा इस क्षेत्र की प्रमुख समस्या है इसके अलावा गुटका, बीड़ी और तम्बाकू का सेवन भी काफी मात्रा में क्षेत्र में किया जाता है। खाली समय में यह लोग तास खेल के शौकीन हैं कहीं-कहीं पर जुओं भी खेला जाता है।

अंधविश्वास थारु जनजाति के लोगों में अंधविश्वास पाया जाता है वह भूत-प्रेत जादू टोने में विश्वास रखते हैं वह झाड़ू फूँक में भी विश्वास रखते हैं। बहुत सी बीमारियों के लिए यह चिकित्सक के पास न जाकर झाड़ू-फूँक करने वाले ओझा व गुनियों के पास जाते हैं।

कर्ज थारु जनजाति के लोग कर्ज लेने के लिए बैंक की अपेक्षा साहूकारों महाजनों पर ज्यादा निर्भर रहते हैं उनका मानना है कि यह आवश्यकता के समय मदद करते हैं तथा इनकी कार्य देने की प्रक्रिया भी काफी आसान है उनकी अपेक्षा बैंक से मिलने वाला कर्ज की एक लंबी प्रक्रिया है।

रोजगार एवं इसके प्रति जागरूकता इस क्षेत्र के लोग रोजगार के लिए मुख्यता कृषि एवं मजदूरी पर निर्भर है माता-पिता अपने बच्चों को व्यक्तिगत प्रयासों से पढ़ने के लिए बाहर भेज रहे हैं तथा पीएसी पुलिस आदि क्षेत्रों में इनका रुझान काफी है रोजगार के अन्य साधनों का अभाव है।

सिंचाई के साधन सिंचाई मुख्यता पंप सेट इंजन के माध्यम से होती है सरकारी ट्यूबवेल के माध्यम से पूर्ति पर्याप्त नहीं है पलिया क्षेत्र के चंदन चौकी क्षेत्र में नहरों का अभाव है।

स्वास्थ्य सेवाएँ निवासन व पलिया तहसील व ब्लॉक के थारु जनजाति क्षेत्र हेतु स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है जहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र हैं भी वहाँ उचित देखभाल का अभाव है चिकित्सक उपलब्ध नहीं होते, आपातकालीन चिकित्सा हेतु सरकारी एम्बुलेंस की उपलब्धता भी नहीं है, स्वास्थ्य खराब होने पर जाँच की पर्याप्त सुविधा नहीं

है इस प्रकार से यह स्वारण्य केंद्र केवल जिला मुख्यालय हेतु रेफर करने का काम मुख्यता करते हैं।

क्षेत्रीय भाषा में पाठ्यक्रम की उपलब्धता विद्यार्थियों के लिए क्षेत्रीय भाषा में पाठ्यक्रम उपलब्ध नहीं है अतः विद्यार्थी अपनी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त क्षेत्रीय भाषा में नहीं पूर्ण कर पाते हैं जिससे उनमें समय और ऊर्जा की लागत भी ज्यादा आती है।

मोबाइल नेटवर्क निवासन व पलिया तहसील व ब्लॉक के थारु जनजाति क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क की एक प्रमुख समस्या है आज के समय में जहाँ सारी दुनिया एक दूसरे के संपर्क में है वही इन क्षेत्रों की मोबाइल सेवाएं और संचार सेवाओं की स्थिति काफी खराब है बेल्ट परसुआ क्षेत्र में भारत का नेटवर्क काफी खराब स्थिति में है इसलिए इस क्षेत्र के लोग नेपाली नेटवर्क का भी प्रयोग प्रमुखता से करते हैं जो की एक अच्छी स्थिति नहीं है।

राजनीतिक जागरूकता.यह लोग राजनीतिक रूप से ज्यादा जागरूक नहीं हैं वह सीधे-साधे हैं आज तक लखीमपुर खीरी जनपद जो कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद है इसकी प्रमुख जनजाति का कोई भी विधायक व सांसद थारु जनजाति का चुना जा सका है।

पर्यावरण के प्रति जागरूकता. थारु जनजाति के लोग अपनी परंपराओं व संस्कृति से काफी मात्रा में जुड़े हुए हैं। थारु जनजाति के लोग प्रकृति प्रेमी होते हैं तथा विभिन्न परंपराओं आदि के माध्यम से वन व जंगल क्षेत्र का संरक्षण भी करते हैं।

सांस्कृतिक जागरूकता यह बहुत सी जड़ी बूटियों के परम्परागत रूप से जानकार हैं इसके माध्यम से अपनी बहुत सी बीमारियों का इलाज कर लेते हैं तथा अपनी परंपराओं के माध्यम से पर्यावरण का संरक्षण भी करते हैं।

गन्ना भुगतान की समस्या गन्ना भुगतान की प्रमुख कृषि समस्या पूर्व से गन्ना किसानों का भुगतान न होना है इसके कारण यह लोग काफी परेशान हैं और इससे उनकी आर्थिक स्थिति काफी खराब है यह लोग अपने गन्ने को पलिया चीनी मिल में ले जाते हैं जहाँ पर पिछले कई वर्षों का इनका गाना भुगतान बकाया है यह इस क्षेत्र के प्रमुख समस्या है।

इस प्रकार पता चलता है कि लखीमपुर खीरी के थारु जनजाति क्षेत्र निवासन व पलिया में रहने वाली थारु जनजाति की उपरोक्त समस्याओं के समाधान के बिना इनका विकास सम्भव नहीं है।

पंचम अध्याय

परिणाम, निष्कर्ष एवं सुझाव

अध्याय-5

परिणाम, निष्कर्ष एवं सुझाव

परिणाम व निष्कर्ष

निघासन व पलिया तहसील व ब्लाक के थारु क्षेत्र जनपद लखीमपुर खीरी की प्राथमिक शिक्षा की स्थिति बहुत अच्छी दशा में नहीं है। निघासन व पलिया दोनों ही ब्लाक व तहसील के दोनों थारु क्षेत्र जनपद लखीमपुर खीरी मुख्यालय से काफी दूरी पर स्थित होने के कारण व सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण इनका उचित पर्यवेक्षण नहीं हो पाता है तथा थारु जनजाति के लोग सीधे व शान्त प्रवृत्ति के होने के कारण व कम शिक्षित होने के कारण तथा जागरूकता के अभाव के कारण शिक्षकों से प्रश्न नहीं कर पाते हैं व अधिकारियों तक अपनी बात नहीं पहुँचा पाते हैं।

माध्यमिक शिक्षा— माध्यमिक शिक्षा हेतु एक राजकीय आश्रम पद्धति आवासीय बालक विद्यालय बेला परसुआ, निघासन में है। केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के अन्तर्गत एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का संचालन पलिया तहसील के थारु क्षेत्र सौनहा में किया जा रहा है जहाँ बालक एवं बालिकाएं एक साथ अध्ययन करते हैं। माध्यमिक शिक्षा हेतु एक राजकीय आश्रम पद्धति आवासीय बालिका विद्यालय चन्दन चौकी है। माध्यमिक शिक्षा हेतु एक राजकीय आश्रम पद्धति आवासीय बालिका विद्यालय छाउछ, लखीमपुर खीरी में है। ये सभी विद्यालय सरकार की योजनाओं के कारण निशुल्क हैं। परन्तु ये सभी विद्यालय अपनी विशेष प्रकृति के एवं निश्चित सीमा के कारण सभी जनजातीय विद्यार्थियों का नामांकन करने में असमर्थ हैं। प्रवेश प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित सीमा तक ही नामांकन कर सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा हेतु कुछ निजी प्रयास भी आवासीय व गैर आवासीय विद्यालय के रूप में कार्य कर रहे हैं परन्तु सम्पन्न लोग ही इन निजी विद्यालयों में अपने बच्चों को प्रवेश दिलवा पाते हैं। ये निजी प्रयास व सरकारी अवसर भी इस थारु जनजाति क्षेत्र की जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। इसके आगे की पढ़ाई हेतु इन्हें अपने क्षेत्र से काफी दूर बेलरायों, तिकुनिया,

निघासन, पलिया या लखीमपुर खीरी जनपद मुख्यालय आना पड़ता है जहाँ आवागमन या वहाँ रहकर पढ़ने में काफी खर्च हो जाता है।

पलिया व निघासन तहसील व ब्लाक क्षेत्र के थारु जनजाति क्षेत्र में उच्च शिक्षा हेतु कोई संस्थान नहीं है। जनपद लखीमपुर खीरी में उच्च शिक्षा सरकारी संस्थान पलिया, लखीमपुर खीरी व गोला गोकर्णनाथ में हैं इसके अलावा निजी उच्च शिक्षा संस्थान भी हैं ये सभी संस्थान थारु क्षेत्र से काफी दूर हैं जहाँ आवागमन या वहाँ रहकर पढ़ने व फीस में काफी खर्च हो जाता है।

तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा पलिया व निघासन तहसील व ब्लाक क्षेत्र के थारु जनजाति क्षेत्र में तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा हेतु मात्र एक आईटीआई चन्दन चौकी में है। जनपद लखीमपुर खीरी में तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा सरकारी संस्थान लखीमपुर खीरी मुख्यालय व कुछ अन्य क्षेत्र में हैं इसके अलावा तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा हेतु निजी संस्थान भी हैं। ये सभी संस्थान थारु क्षेत्र से काफी दूर हैं जहाँ आवागमन या वहाँ रहकर पढ़ने, फीस व अन्य में काफी खर्च हो जाता है जो कि थारु जनजाति के लोगों के लिये काफी मुश्किल है।

परिवार व्यवस्था लखीमपुर खीरी जनपद की थारु जनजाति में संयुक्त परिवार प्रथा आज भी विद्यमान है यह लोग एकल परिवार की अपेक्षा संयुक्त परिवार प्रथा को अच्छा मानते हैं और यह आज भी व्यावहारिक रूप से यहाँ देखा जा सकता है नौकरी इत्यादि अन्य कर्म से भले ही यह लोग बाहर रहते हों और अपने परिवार को भी साथ रखते हैं परंतु तीज त्योहार, शादी विवाह आदि में यह एक ही रहते हैं और बहुत से ऐसे परिवार हैं जहाँ पर परिवार में कई पीढ़ियाँ एक साथ रह रही हैं और उनका भोजन भी एक ही चूल्हे पर बनता है आज के समय में यह बड़ी अच्छी स्थिति है और समाज के लिए सीखने योग्य है।

भूमि थारु जनजाति क्षेत्र में थारु लोग भूमि पर खेती तो कर सकते हैं परंतु यह अन्य किसी व्यवसाय के लिए या बड़े कार्य के लिए इसका प्रयोग नहीं कर सकते एवं न ही यह अपनी भूमि किसी और को बँच सकते हैं।

कृषि के आधुनिक संसाधन बहुत से किसानों के पास कृषि के आधुनिक संसाधन हैं तथा अन्य किसान पर लेकर आधुनिक संसाधनों द्वारा खेती करते हैं सभी के पास परंपरागत कृषि के साधन उपलब्ध हैं।

आय का प्रमुख साधन थारु जनजाति क्षेत्र की आय का प्रमुख साधन कृषि कार्य या छोटी-मोटी दुकान या मजदूरी है कुछ परिवारों के लोग सरकारी सेवा में भी हैं जो परिवार के अन्य सदस्यों की धन से सहायता भी करते हैं।

भोजन में यहाँ के लोग रोटी की अपेक्षा चावल का सेवन ज्यादा करते हैं चावल यहाँ के प्रतिदिन के भोजन पदार्थ में शामिल हैं इनको मछली के साथ चावल जिसको माछ भात भी कहा जाता है यह बड़े चाव से इसका सेवन करते हैं नए लोगों में खान-पान की कुछ आधुनिक चीज भी शामिल हो गई हैं। चावल के लिये ये धान की खेती प्रमुखता से करते हैं। कृषि फसल के रूप में लोग गेहूँ, चावल, गन्ना, सरसों आदि का उत्पादन करते हैं।

खेलकूद में थारु युवाओं का प्रमुख खेल कबड्डी व वालीबाल है खाली समय में बहुत से थारु लोग ताश खेलना पसंद करते हैं सिनेमा हॉल न होने के कारण भी यह सिनेमा की ज्यादा शौकीन नहीं हैं।

पक्के मकान – थारु जनजाति के निवासन क्षेत्र के बेलारसुआ व कडियां क्षेत्र में थारु जनजाति के ज्यादा मकान कच्चे हैं हालाँकी पक्के मकानों का निर्माण भी हो रहा है लेकिन ज्यादा संख्या कच्चे मकान की है। प्रधानमंत्री आवासों की संख्या बहुत कम है पलिया तहसील के रानी नगर कॉलोनी क्षेत्र में थारु जनजाति के लोगों के मकान कच्चे व पक्के दोनों प्रकार के हैं पलिया तहसील के चंदन चौकी से गोरी फन्टा क्षेत्र में स्थित ग्राम सभा में मकान कच्चे व पक्के दोनों प्रकार के हैं। ऐसे परिवार जिनके यहाँ कोई सरकारी सेवा में है उनका रहन-सहन अन्य के मुकाबले ज्यादा बेहतर है। कुछ घरों में आधुनिक फर्नीचर भी उपलब्ध है ज्यादातर परिवारों में बैठने के लिए कुर्सियाँ तख्त उपलब्ध है ज्यादातर परिवारों में आवागमन के लिए साइकिल का प्रयोग प्रमुखता से होता है कुछ परिवारों में टू व्हीलर और काफी कम संख्या में परिवारों में फोर व्हीलर की उपलब्धता है।

बीमारी होने पर ये जहाँ बुटियों द्वारा इलाज करने की प्राथमिकता देते हैं उसका बाद ओझा-गुनी और अंत में चिकित्सकों के पास जाता है यह लोग बहुत ही अच्छी-बुटियों की जानकारी रखते हैं इनके बहुत सारे कुतूब लोग जहाँ बुटियों की जानकारी होने के कारण बहुत सारी बीमारियों का इलाज स्वयं भी कर लेते हैं। इनका इस ज्ञान की और आगे से जाने की जरूरत है।

प्रसव के लिए यह स्वास्थ्य केंद्र जाते हैं जहाँ पर प्रसव करने की भी प्राथमिकता देते हैं कहीं-कहीं पर परम्परागत दाईयों के माध्यम से भी प्रसव कराया जाता है।

धर्म थारु जनजाति के लोग ईश्वर में विश्वास रखते हैं तथा ज्यादातर हिंदू धर्म के मानने वाले हैं और शंकर भगवान उनके प्रमुख देवता हैं प्रत्येक परिवार में एक कुल देवता हैं। शादी विवाह आदि अवसरों पर कुल देवता की पूजा अनिवार्य है यह मूला-मूल में विश्वास रखते हैं तथा झारु-झूंक और जोझाई में भी विश्वास रखते हैं। ये जादू-टोने में विश्वास रखते हैं, बलि देने की प्रथा को इन्होंने अस्वीकार किया तथा उत्तराधिकारी के रूप में पुत्र को प्राथमिकता देते हैं।

विवाह हेतु सरकारी आयु सीमा को यह लोग स्वीकार करते हैं वहेज प्रथा का प्रचलन भी सामान्यता नहीं है पारिवारिक सहमति से होने वाले विवाह को मसन्द करते हैं य प्राथमिकता देते हैं। कहीं-कहीं पर प्रेम विवाह का चलन भी शुरू हो गया है। किसी विवाद की स्थिति में पंचायत द्वारा बैठकर समाधान निकाल लिया जाता है बहुत बड़े-बड़े मामलों में भी पंचायत अपना फैसला देती है और ये सभी को मानता होता है।

विधवा विवाह को यह लोग ठीक मानते हैं। बिजली की पहुँच ज्यादातर परिवारों तक हो चुकी है बिजली का समय से ना आना अलग बात है। सामान्यता परिवारों में महिलाएं सलवार सूट और साड़ी को पहनना मसन्द करती हैं य प्राथमिकता देती हैं। शादी विवाह या अन्य तीज-त्योहार के अवसर पर परम्परागत पोशाक पहनने का प्रचलन है यह इनके पहनावे में एक बड़ा बदलाव देखने में आ रहा है। श्रृंगार के साधनों के रूप में थारु महिलाएं श्रृंगार के आधुनिक साधनों का प्रयोग कर रही हैं तथा महिलाएं आभूषण का प्रयोग में कर रही है चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिन्क, फरयत आदि का सेवन भी अब बढ़ रहा है।

पंचायत व्यवस्था उनके पंचायत व्यवस्था यहाँ काफी अच्छी स्थिति में है और पंचायत का मुखिया बड़ा सम्मानित व्यक्ति होता है तथा बहुत से बड़े-बड़े विवादों का निपटारा पंचायत स्वयं ही कर लेती है हालाँकि सहमत न होने की स्थिति में न्यायालय के दरवाजे खुले रहते हैं लेकिन पंचायत के फैसले के विरुद्ध जाना थारु जनजाति के लोग अच्छा नहीं मानते हैं।

आधुनिक संसाधनों, मोबाइल, टेलीविजन, रेडियो आदि का प्रयोग थारु जनजाति के लोग आधुनिक संसाधनों, मोबाइल, टेलीविजन, रेडियो आदि का प्रयोग करते हैं तथा दूर संचार के साधन फोन डाक व तार आदि का प्रयोग संचार के साधन के रूप में करते हैं इनमें अंतर जातीय विवाह भी कुछ-कुछ होने लगे हैं। छुआ-छूत का विचार इन लोगों में नहीं पाया जाता है। बालिकाओं की शिक्षा के लिए यह लोग बड़े जागरूक हैं शिक्षा में बालक और बालिका का भेद नहीं करते और परंपराओं से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। त्यौहार व शादी विवाह के अवसर को ये पूरे परंपरागत तरीके से मनाना अत्यधिक पसंद करते हैं परिवार नियोजन के संबंध में उनके विचार सकारात्मक हैं।

कर्ज— थारु जनजाति के लोग कर्ज के लिए बैंक की अपेक्षा साहूकारों व महाजनों पर ज्यादा निर्भर रहते हैं उनका मानना है कि यह आवश्यकता के समय मदद करते हैं तथा इनकी कर्ज देने की प्रक्रिया भी काफी आसान है। इनकी अपेक्षा बैंक से मिलने वाले कर्ज की एक लंबी प्रक्रिया है।

रोजगार— इस क्षेत्र के लोग रोजगार के लिए मुख्यता कृषि एवं मजदूरी पर निर्भर हैं। माता-पिता अपने बच्चों को व्यक्तिगत प्रयासों से पढ़ने के लिए बाहर भेज रहे हैं तथा ये मेहनती व शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं। इसलिये पीएसी, पुलिस जैसे क्षेत्रों में जाने में इनका रुझान काफी है रोजगार के अन्य साधनों का अभाव है।

सिंचाई— मुख्यता पंप-सेट इंजन के माध्यम से होती है सरकारी ट्यूबेल के माध्यम से पूर्ति पर्याप्त नहीं है पलिया क्षेत्र के चंदन चौकी क्षेत्र में नहर माध्यम से सिंचाई का अभाव है।

स्वास्थ्य सेवाएं— निवासन व पलिया दोनों तहसील व ब्लॉक के थारु जनजाति क्षेत्र हेतु स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है जहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र है भी

वहाँ उचित देखभाल का अभाव है। चिकित्साक समय से उपलब्ध नहीं होते, आपातकाल हेतु सरकारी एंबुलेंस की उपलब्धता भी नहीं है, चिकित्सकों की उपलब्धता का अभाव है स्वास्थ्य खराब होने पर जॉच की पर्याप्त सुविधा नहीं है। इस प्रकार से यह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र केवल जिला मुख्यालय हेतु रेफर करने का केंद्र बन गया है।

क्षेत्रीय भाषा में पाठ्यक्रम— विद्यार्थियों के लिए क्षेत्रीय भाषा में पाठ्यक्रम उपलब्ध नहीं है अतः विद्यार्थी अपनी प्राथमिक शिक्षा क्षेत्रीय भाषा में नहीं पूर्ण कर पाते हैं जिससे उनमें समय और ऊर्जा ज्यादा लगती है।

मोबाइल नेटवर्क— बेला परसुआ क्षेत्र एवं चंदन चौकी क्षेत्र दोनों की एक प्रमुख समस्या है आज के समय में जहाँ सारी दुनिया एक दूसरे के संपर्क में है वहीं इस क्षेत्र की मोबाइल व संचार सेवाओं की स्थिति काफी खराब है बेला परसुआ क्षेत्र में भारत का नेटवर्क काफी खराब स्थिति में है इससे ज्यादा यहाँ नेपाली नेटवर्क ज्यादा प्रभावी है। जो की एक अच्छी स्थिति नहीं है।

परंपरा व संस्कृति से जुड़ाव— ये अपनी परंपरा व संस्कृति से काफी मात्रा में जुड़े हुए हैं। थारु जनजाति के लोग प्रकृति प्रेमी होते हैं तथा विभिन्न परंपराओं आदि के माध्यम से वन व जंगल क्षेत्र का संरक्षण ही करते हैं। यह बहुत सी जड़ी बूटियों के माध्यम से अपनी बहुत सी बीमारियों का इलाज कर लेते हैं तथा अपनी परम्पराओं के माध्यम से पर्यावरण का संरक्षण भी करते हैं ।

बिजली— आज के समय में बिजली समाज की महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गई है बहुत सारे कार्य बिजली पर ही आधारित हो गए हैं संचार व्यवस्था भी बहुत कुछ बिजली पर आधारित है अतः बिजली सुचारु रूप से न होने से संचार व्यवस्था और हमारे जीवन पर उसका दुष्प्रभाव पड़ता है अतः बिजली आवश्यक रूप से अपेक्षित है और बिजली खराब होने पर मरम्मत कार्य भी समय से पूर्ण हो जाए। निघासन व पलिया दोनों तहसील व ब्लॉक के थारु जनजाति क्षेत्रों में कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि यहाँ पर सुचारु रूप से बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। वैकल्पिक बिजली हेतु ऊर्जा के स्रोत के रूप में सौर ऊर्जा का प्रचार प्रसार करके सरकार सब्सिडी देकर यहाँ बिजली

की कुछ वैकल्पिक व्यवस्था भी संवाहित कर सकती है जो की बरसात या अन्य स्थिति में बहुत कारगर हो सकती है।

परिवहन साधन- जोकि पलिया तहसील के नेपाल सीमा के गौरीफन्टा से तो उपलब्ध हो जाता है परंतु थारु जनजाति के अन्य क्षेत्रों व लोकल रूप से वहीं पर संसाधनों की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में नहीं है।

चंदन चौकी से निघासन तहसील के थारु जनजाति क्षेत्र बेला परसुआ का सम्पर्क मार्ग पलिया तहसील के थारु जनजाति क्षेत्र चंदन चौकी से निघासन तहसील के थारु जनजाति क्षेत्र बेला परसुआ को जोड़ा जाए इसके लिए बीच में पड़ने वाले वन क्षेत्र के मार्ग हेतु वन विभाग के साथ जिम्मेदार अधिकारियों से वार्ता करके कुछ ऐसी योजना बनाई जाए जिससे कि दोनों जनजाति क्षेत्र की दोनों तहसीलें आपस में सुगमता से जुड़ सकें एवं वन पर्यावरण व वन्य जीवों को भी नुकसान ना हो। यदि देखा जाए तो इन दोनों क्षेत्रों की आपसे दूरी बहुत ज्यादा नहीं है परंतु उचित मार्ग व्यवस्था न होने के कारण लम्बे रास्ते से घूम कर लगभग 70 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है जिससे आवागमन एवं प्रशासनिक व्यवस्था में भी दिक्कत होती है यदि दोनों तहसील जनजाति क्षेत्र आपस में जुड़ जाए तो इससे सभी प्रकार के लाभ होंगे।

रेलवे स्टेशन पलिया व निघासन दोनों ही स्थान पर रेलवे स्टेशन है परंतु आवागमन की उचित व्यवस्था न होने के कारण दोनों ही स्थान पर पहुँचना काफी मुश्किल होता है ऐसी स्थिति में यदि संपर्क मार्ग, सड़क मार्ग एवं उनके साधन बढ़ाए जाएं तो क्षेत्र के लोगों को पर्याप्त लाभ हो सकता है थारु जनजाति के समस्त क्षेत्र के आंतरिक मार्गों को सभी ग्राम सभाओं एवं ग्रामों के सम्पर्क मार्गों को सही प्रकार से विकसित किया जाए और उनको संपर्क मार्गों से और मुख्य मार्ग से जोड़ा जाए जहाँ पर आवश्यकता हो वहाँ पुलिया इत्यादि का उचित निर्माण करके आवागमन को और बेहतर किया जा सकता है जिससे कि यहाँ के लोगों को और लाभ हो सके बरसात के समय में कुछ बेहतर प्लानिंग करके बरसात के समय में इस जनजाति क्षेत्र में होने वाले नुकसान को कम किया जा सके।

नशा यहाँ की एक प्रमुख समस्या है लोग पुराने तरीके से जाड शराब इत्यादि तैयार करते हैं एवं नई पीढ़ी में भी नशे की प्रवृत्ति देखने में आ रही है ऐसी स्थिति में जब यहाँ पर शिक्षा का प्रचार प्रसार होगा और लोगों का ध्यान अपने कैरियर और देश व समाज के प्रति लगेगा तो इनकी नशे की प्रवृत्ति भी धीरे-धीरे कम होगी। परंतु शिक्षा के साधनों के उचित प्रभार की व्यवस्था न होने के कारण लोग भटक के नशा और जुओं इत्यादि की ओर चले जाते हैं। जुए की समस्या भी एक बड़ी समस्या के रूप में देखने में आती है ऐसी स्थिति में जब यहाँ पर रोजी रोजगार के संसाधन प्राप्त मात्रा में होंगे तो ये लोग अपने खाली समय पर यह ताश से भी बचेंगे। सरकार को चाहिए कि क्षेत्र में रोजी रोजगार के संसाधन मुहैया कराए जिससे कि लोग उत्पादन को बढ़ा सकें और देश और समाज समाज के उन्नति में अपना योगदान दे सकें।

भूत-प्रेत व जादूटोना- भूत-प्रेत व जादू-टोना में यहाँ के लोगों का विश्वास है। प्राचीन परंपराओं के कारण यह लोग अभी भी भूत प्रेत और जादू टोना में विश्वास करते हैं यहाँ तक की किसी भी बीमारी की अवस्था में यह लोग चिकित्सक के पास न जाकर ओझा और गुनियों के चक्कर लगाते हैं। इनका विश्वास है कि उनके आशीर्वाद से उसका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा क्षेत्र में भूत-प्रेत और जादू-टोना में विश्वास होने का एक बहुत बड़ा कारण यह भी है इस क्षेत्र में शिक्षा का प्रचार प्रसार ज्यादा नहीं है जिससे लोगों के दृष्टिकोण में व्यापकता नहीं आ पाई है और उनकी सोंच वैज्ञानिक नहीं हो पाई जिससे कि अभी भी पुरानी परंपरा में यह लोग उलझे हुए हैं। ऐसी स्थिति में वैज्ञानिक सोंच को बढ़ावा देने के लिए इस क्षेत्र में शिक्षा के अवसर की महती आवश्यकता है तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करने के लिए विज्ञान एवं अन्य तकनीकी कार्यक्रमों की पढ़ाई की नितांत आवश्यकता है जिससे यह क्षेत्र और विकसित हो सके और अंधविश्वास की बेडियो से बाहर निकल सके।

कर्ज यहाँ के लोगों को विभिन्न कारणों से कर्ज का सहारा लेना पड़ता है बैंक द्वारा मिलने वाले कर्ज की प्रक्रिया काफी कठिन होने के कारण यह लोग बैंक की अपेक्षा सेठ साहूकारों से कर्ज लेना ज्यादा पसंद करते हैं इनकी प्रक्रिया कुछ आसान तो होती है परंतु उनकी ब्याज दर इतनी ज्यादा होती है और समय से न चुका पाने के कारण

वह लगातार कर्ज की दलदल में धँसते चले जाते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति और ज्यादा खराब होती जाती है।

स्वास्थ्य सेवाएं निघासन व पलिया जनजाति क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं अत्यंत खराब हैं जहां पर स्थितियां हैं स्वास्थ्य सेवा हेतु केंद्र हैं वहाँ पर प्रशिक्षित डॉक्टर का व नर्सों का अभाव है आपातकाल की स्थिति में यहां पर एंबुलेंस सेवा की व्यवस्था नहीं है जिससे कि उनको अपने निजी संसाधनों के माध्यम से जिला मुख्यालय और राजधानी क्षेत्र की ओर जाना पड़ता है। निजी संसाधनों की व्यवस्था करने में काफी समय निकल जाता है ऐसी स्थिति में कई बार मरीज की प्राण रक्षा नहीं हो पाती है।

थारु भाषा एवं बोलचाल में पाठ्यक्रम क्षेत्र हेतु थारु भाषा एवं बोलचाल में पाठ्यक्रम की उपलब्धता नहीं है।

मोबाइल नेटवर्क निघासन व पलिया तहसील व ब्लॉक के थारु जनजाति क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क की एक प्रमुख समस्या है आज के समय में जहाँ सारी दुनिया एक दूसरे के संपर्क में है वही इन क्षेत्रों की मोबाइल सेवाएं और संचार सेवाओं की स्थिति काफी खराब है बेला परसुआ क्षेत्र में भारत का नेटवर्क काफी खराब स्थिति में है इसलिए इस क्षेत्र के लोग नेपाली नेटवर्क का भी प्रयोग प्रमुखता से करते हैं जो की एक अच्छी स्थिति नहीं है।

सिंचाई के साधन खेती किसानों में सिंचाई के लिए इस क्षेत्र में कोई नहर न होने के कारण विशेष कर पलिया क्षेत्र में थारु जनजाति क्षेत्र हेतु नहर की व्यवस्था न होने के कारण इनको ट्यूबवेल, पंप सेट से सिंचाई करनी होती है। बिजली की आपूर्ति पर्याप्त ना होने के कारण इनकी लागत काफी आ जाती है।

स्वास्थ्य निघासन तहसील के बेला परसुआ में स्वास्थ्य की काफी गंभीर है यहां पर स्वास्थ्य केंद्र है परंतु उचित रूप से चिकित्सकों की तैनाती न होने के कारण व उपलब्धता न होने के कारण छोटी-मोटी दवाओं के लिए तो यहाँ पर चले जाते हैं परंतु आगे के इलाज के लिए यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर सरकारी एंबुलेंस सेवा उपलब्ध नहीं हो पाती है जिससे किसी आपातकाल स्थिति में उस एम्बुलेंस का प्रयोग करके तहसील मुख्यालय या जिला मुख्यालय जाकर अपना इलाज कर सकें। एक बड़ी समस्या है आपातकालीन स्थिति में इन लोगों को अपने व्यक्तिगत प्रयासों से व व्यक्तिगत

साधनों से ही जिला मुख्यालय और तहसील मुख्यालय पर जाकर अपना इलाज करना पड़ता है और ऐसे मामलों में कई बार बहुत देरी हो जाने कारण इनको अपने प्राण तक गँवाने पड़ते हैं।

मातृभाषा में शिक्षा थारु भाषा यहाँ के प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त शिक्षक थारु जनजाति या थारु भाषा से परिचित न होने के कारण इनका सम्पर्क थारु जनजाति के लोगों से सही प्रकार से नहीं हो पता है जिस कारण से भी यहाँ के बच्चे अपनी मातृभाषा में शिक्षा न प्राप्त करने के कारण समझने में थोड़े से पीछे रह जाते हैं। इस क्षेत्र में नियुक्ति हेतु थारु जनजाति के शिक्षकों को भी तैयार किया जा सकता है। सरकार को चाहिए की थारु जनजाति क्षेत्र में नियुक्त होने वाले शिक्षकों को उनकी संस्कृति व भाषा, उनके रहन-सहन के बारे में अवगत कराते हुए उनका अभिनवन कराया जाए और यह कार्य उनके प्रशिक्षण के दौरान ही हो और इस जनजाति क्षेत्र में नियुक्ति पाने वाले शिक्षकों को अलग से इंसेंटिव देकर प्रोत्साहित किया जा सकता है। जिससे कि शिक्षक ज्यादा से ज्यादा इस क्षेत्र में तैनाती पाने के लिए उत्सुक हों और क्षेत्र को भी लाभ हो सके।

आवास सुविधाएं निघासन तहसील के बेला परसुआ व कड़िया क्षेत्र में सरकार की बहुत सारी योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री आवास आदि देखने को ज्यादा नहीं मिलती हैं इसका प्रमुख कारण यहाँ के लोगों का राजनीतिक रूप से जागरूक न होना है यहाँ के विधायक व सांसद इन जनजातियों से चुनाव के समय वोट तो ले लेते हैं परंतु उनके विकास के लिए ज्यादा कार्य नहीं करते क्योंकि यह जनजाति इतनी जागरूक भी नहीं है कि अपना अधिकार और अपने सुविधाओं की मांग जनप्रतिनिधियों से कर सके। नेता इत्यादि थारु जनजाति के कुछ जागरूक लोगों को पकड़कर उन तक तो सुविधा उपलब्ध करा देते हैं परंतु वास्तव में जिन लोगों को लाभ मिलना चाहिए उन लोगों को नहीं मिल पाता और ऐसी स्थिति में मात्र वे वोट बैंक बनकर ही रह जाते हैं। वास्तविक रूप से उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो पाता है। ऐसी ही स्थिति लगभग थारु जनजाति क्षेत्र जोकि पलिया तहसील के अंतर्गत आता है वहाँ भी देखने को मिलती है। यदि देखा जाए तो लखीमपुर खीरी जनपद में थारु जनजाति की जनसंख्या वास्तविक रूप से लगभग लाखों में है जो कि अपने मूल क्षेत्र तहसील निघासन के अंतर्गत बेला

परसुआ, कड़िया एवं तहसील पलिया के अंतर्गत चंदन चौकी से लेकर गोरीफण्टा और रानी नगर कॉलोनी तक विभिन्न ग्राम सभाओं में बैठी हुई है परंतु आज तक यहाँ का कोई उचित प्रतिनिधित्व नहीं हो सका।

राजनीतिक जागरूकता थारु जनजाति क्षेत्र में शिक्षा का अभाव है इसलिए भी यह राजनीतिक रूप से जागरूक नहीं है ये अपने बहुत सारे अधिकारों से परिचित नहीं हैं। बहुत सारी सरकारी योजनाओं का लाभ इनकी जागरूक न होने के कारण नहीं मिल पाता है और बहुत सारी योजनाएं अच्छी होने के बावजूद भी धरातल पर क्रियान्वन सुचारु रूप से नहीं हो पता है।

पर्यावरण थारु जनजाति प्रकृति प्रेमी हैं व पर्यावरण के बीच रहती है और अपने दिनचर्या में पर्यावरण का ध्यान रखती है पर्यावरण के साथ सामन्जस्य रखते हुए यह पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इनका रहन-सहन इस प्रकार का है जिससे कि यह प्राकृतिक मामलों में बहुत हस्तक्षेप ना करते हुए भी अपने जीवन को प्रसन्नतापूर्वक व्यतीत कर सकते हैं।

गन्ना किसानों का भुगतान लखीमपुर खीरी क्षेत्र गन्ना उत्पादन का एक प्रमुख क्षेत्र है। यहाँ का थारु जनजाति क्षेत्र भी गन्ना उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त है यहाँ के लोग नगदी फसल के रूप में गन्ने का उत्पादन करते हैं पिछले कई समय से इसके आस-पास के क्षेत्र में गन्ने के कुछ बड़े मिलों की स्थापना हुई है जिससे कि यहाँ के लोग गन्ना उत्पादन करने के लिए प्रेरित हुए। लेकिन एक बड़ी समस्या देखने में आ रही है कि पिछले कई वर्षों से यहाँ के गन्ना किसानों का भुगतान सही तरीके से नियमित नहीं हो पा रहा है। पिछले कई वर्षों का भुगतान न होने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति काफी खराब हो रही है और इन लोगों पर बाजार का कर्ज बहुत बढ़ गया है। भुगतान न होने के कारण इनका काफी पैसा कारखानों पर बकाया है।

एकीकरण जनजाति विकास परियोजना चंदन चौकी खीरी द्वारा थारु जनजाति के तकनीकी व व्यवसायिक विकास हेतु कुछ कार्य किये गये हैं। एकीकरण जनजाति विकास परियोजना की स्थापना का मूल उद्देश्य जनजाति जनमानस को शिक्षित प्रशिक्षित करते हुए शासन द्वारा प्रदत्त योजनाओं से लाभान्वित करते हुए उनके जीवन स्तर को

सुधारना एवं समाज के मुख्य धारा से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाना है। ये काफी समय से कार्य कर रही हैं परन्तु इतने बड़े क्षेत्र हेतु ये प्रयास भी नाकाफी हैं।

समायोजन

छात्रों की अपेक्षा छात्राओं का समायोजन श्रेष्ठ: अधिकांश समायोजन आयामों-विशेषकर संवेगात्मक एवं शैक्षिक में छात्राएं छात्रों से सांख्यिकीय रूप से श्रेष्ठ रही। आवासीय एवं गैर-आवासीय विद्यार्थियों के बीच समग्र समायोजन में कोई विशेष अन्तर नहीं देखा गया, परन्तु आवासीय छात्राओं ने विशेषकर शैक्षिक समायोजन में बेहतर प्रदर्शन किया। रहने के प्रकार का सीमित प्रभाव देखा गया।

उच्च शिक्षा में लिंग-प्रभाव का क्षय: उच्च शिक्षा स्तर पर लिंग आधारित समायोजन में कोई महत्वपूर्ण अन्तर नहीं, जो परिपक्वता एवं आत्म-प्रबंधन कौशल के विकास का सूचक है।

सुझाव

प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शिक्षा प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मानक के अनुसार शिक्षक शिक्षिकाओं की नियुक्ति की जाए व उनका नियमानुसार विद्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित की जाए, विद्यालयों की जर्जर स्थिति को सुधारा जाए एवं प्रत्येक विद्यालय में सरकारी मानकों के अनुसार सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं।

अधिकारियों द्वारा थारु जनजाति क्षेत्र के निवासियों के साथ उचित संवाद स्थापित किया जाए ताकि उनका आत्म-विश्वास बढे एवं वे अपने बच्चों को उचित एवं गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा दिलवाने के लिए जागरूक हो सकें। अधिकारियों द्वारा उचित पर्यवेक्षण व निरीक्षण की व्यवस्था की जाए जिससे शिक्षकों का लापरवाहीपूर्ण व्यवहार दूर हो सके और वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही प्रकार से कर सकें।

माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद के पलिया एवं निघासन तहसील व ब्लाक के थारु जनजाति क्षेत्र के माध्यमिक शिक्षा की स्थिति के सुधार हेतु जो व्यवस्थाएं हैं वह अभी पर्याप्त मात्रा में नहीं हैं यद्यपि आवासीय सरकारी माध्यमिक विद्यालय स्थापित हैं परन्तु यह क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूर्ण नहीं कर पा

रहे हैं। जनजाति क्षेत्र में गैर आवासीय सरकारी माध्यमिक विद्यालयों की नितांत आवश्यकता है जिससे उनको अपने ही क्षेत्र में गुणवत्तापरक माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध हो सके और जिससे उनके परिवार पर कोई आर्थिक बोझ भी ना आए। इस हेतु सरकार को गंभीर रूप से प्रयास करना चाहिए माध्यमिक शिक्षा में सभी सरकारी सुविधाएं उचित सरकारी मानकों के हिसाब से उपलब्ध हों तभी इन क्षेत्र के लोगों व विद्यार्थियों को इसका लाभ उचित प्रकार से उपलब्ध हो सकेगा। बालिकाओं के सन्दर्भ में एक शोधकर्ता द्वारा एक विशेष बात देखी गई कि गैर आवासीय विद्यालयों में सहशिक्षा वाले वि में थारु जनजाति की बालिकाओं की प्रतिदिन की उपस्थिति बालकों की तुलना में काफी ज्यादा दिखी जिससे पता चलता है कि थारु जनजाति के बालकों की तुलना में बालिकाएं अपनी शिक्षा के प्रति ज्यादा जागरूक हैं।

उच्च शिक्षा लखीमपुर खीरी जनपद के पलिया व निघासन तहसील के थारु जनजाति क्षेत्र में उच्च शिक्षा हेतु कोई महाविद्यालय उपलब्ध नहीं है पलिया तहसील मुख्यालय पर उपलब्ध सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं। जिसके लिए इनको दूर दराज के जिला मुख्यालय व अन्य क्षेत्रों की ओर जाना होता है बहुत सारे विद्यार्थी उच्च शिक्षा के अवसर अपने क्षेत्र में उपलब्ध न होने के कारण भी उच्च शिक्षा अध्ययन को छोड़ देते हैं। यदि इस क्षेत्र में सरकारी उच्च शिक्षा के महाविद्यालय खोल दिए जाएं तो इस क्षेत्र के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु भटकना नहीं पड़ेगा और ऐसे विद्यार्थी जो की उच्च शिक्षा का अवसर न मिलने के कारण अभी पढ़ाई छोड़ देते हैं वह भी मुख्य धारा में शामिल होकर अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखकर देश व समाज की उन्नति में अपना योगदान दे सकते हैं।

तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा लखीमपुर खीरी जनपद के पलिया व निघासन तहसील व ब्लाक के थारु जनजाति क्षेत्र में मात्र एक आईटीआई होना क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाता है बहुत सारे लोगों में उनके प्रति जागरूकता भी नहीं है तथा वहाँ पर उपलब्ध पाठ्यक्रम समय अनुकूल और समय की आवश्यकता के अनुसार भी नहीं है ऐसी स्थिति में यदि हम उनको तकनीकी और व्यावसायिक रूप से मजबूत करना चाहते हैं सरकार का उत्तरदायित्व है कि इन क्षेत्रों में नए पाठ्यक्रमों के साथ अन्य आईटीआई व पॉलिटेक्निक भी खोली जाएं एवं अन्य व्यावसायिक प्रशिक्षण

पाठ्यक्रमों हेतु व्यवस्था की जाए संस्थाएं खोली जाएं जिससे क्षेत्र के लोगों को लाभ हो सके।

परिवार व्यवस्था लखीमपुर खीरी जनपद की थारु जनजाति में संगुक्त परिवार प्रथा आज भी विद्यमान है यह लोग एकल परिवार की अपेक्षा संगुक्त परिवार प्रथा को अच्छा मानते हैं और यह आज भी व्यावहारिक रूप से यहाँ देखा जा सकता है नौकरी इत्यादि अन्य कर्म से भले ही यह लोग बाहर रहते हों और अपने परिवार को भी साथ रखते हैं परंतु तीज त्योहार, शादी विवाह आदि में यह एक ही रहते हैं और बहुत से ऐसे परिवार हैं जहाँ पर परिवार में कई पीढ़ियां एक साथ रह रही हैं और उनका भोजन भी एक ही चूल्हे पर बनता है आज के समय में यह बड़ी अच्छी स्थिति है और समाज के लिए सीखने योग्य है।

भूमि थारु जनजाति क्षेत्र में थारु लोग भूमि पर खेती तो कर सकते हैं परंतु यह अन्य किसी व्यवसाय के लिए या बड़े कार्य के लिए इसका प्रयोग नहीं कर सकते एवं न ही यह अपनी भूमि किसी और को बेंच सकते हैं। व्यक्ति जीते जी अपनी भूमि को किसी और के नाम नहीं कर सकता, परिवार का व्यक्ति के नाम ही मृत्यु के बाद होगी। कई बड़े किसान भी हैं जिनके पास काफी बड़ी मात्रा में भूमि है। सरकारको इनके भू स्वामित्व के बारे में विचार करना चाहिये।

कृषि के आधुनिक संसाधन बहुत से किसानों के पास कृषि के आधुनिक संसाधन हैं तथा अन्य किराए पर लेकर आधुनिक संसाधनों द्वारा खेती करते हैं सभी के पास परंपरागत कृषि के साधन उपलब्ध हैं। कहा जा सकता है कि ये भी उन्नत खेती के जानकार हो रहे हैं। सरकार खेती के लिये सब्सिडी प्रदान कर इनकी और सहायता कर सकती है।

आय का प्रमुख साधन थारु जनजाति क्षेत्र की आय का प्रमुख साधन कृषि कार्य या छोटी-मोटी दुकान या मजदूरी है कुछ परिवारों के लोग सरकारी सेवा में भी हैं जो परिवार के अन्य सदस्यों की धन से सहायता भी करते हैं।

भोजन में यहाँ के लोग रोटी की अपेक्षा चावल का सेवन ज्यादा करते हैं चावल यहाँ के प्रतिदिन के भोजन पदार्थ में शामिल हैं इनको मछली के साथ चावल जिसको माछ भात भी कहा जाता है यह बड़े चाव से इसका सेवन करते हैं नए लोगों में खान-पान की कुछ आधुनिक चीज भी शामिल हो गई हैं। चावल के लिये ये धान की खेती प्रमुखता से करते हैं। कृषि फसल के रूप में लोग गेहूँ, चावल, गन्ना, सरसों आदि का उत्पादन करते हैं।

खेलकूद में थारू युवाओं का प्रमुख खेल कबड्डी व वालीबाल है खाली समय में बहुत से थारू लोग ताश खेलना पसंद करते हैं सिनेमा हॉल न होने के कारण भी यह सिनेमा की ज्यादा शौकीन नहीं हैं।

पक्के मकान — थारू जनजाति के निवासन क्षेत्र के बेलापरसुआ व कड़ियां क्षेत्र में थारू जनजाति के ज्यादा मकान कच्चे हैं हालाँकी पक्के मकानों का निर्माण भी हो रहा है लेकिन ज्यादा संख्या कच्चे मकान की है। प्रधानमंत्री आवासों की संख्या बहुत कम है पलिया तहसील के रानी नगर कॉलोनी क्षेत्र में थारू जनजाति के लोगों के मकान कच्चे व पक्के दोनों प्रकार के हैं पलिया तहसील के चंदन चौकी से गोरी फन्टा क्षेत्र में स्थित ग्राम राभा में मकान कच्चे व पक्के दोनों प्रकार के हैं। ऐसे परिवार जिनके यहाँ कोई सरकारी सेवा में है उनका रहन-साहन अन्य के मुकाबले ज्यादा बेहतर है।

कुछ घरों में आधुनिक फर्नीचर भी उपलब्ध है ज्यादातर परिवारों में बैठने के लिए कुर्सियाँ तख्त उपलब्ध है ज्यादातर परिवारों में आवागमन के लिए साइकिल का प्रयोग प्रमुखता से होता है कुछ परिवारों में टू व्हीलर और काफी कम संख्या में परिवारों में फोर व्हीलर की उपलब्धता है।

बीमारी बीमार होने पर ये जड़ी बूटियों द्वारा इलाज करने को प्राथमिकता देते हैं उसाके बाद ओझा-गुनी और अंत में चिकित्सकों के पास जाते हैं यह लोग बहुत सी जड़ी-बूटियों की जानकारी रखते हैं इनके बहुत सारे बुजुर्ग लोग जड़ी बूटियाँ की जानकारी होने के कारण बहुत सारी बीमारियों का इलाज स्वयं भी कर लेते हैं। इनके इस ज्ञान को और आगे ले जाने की जरूरत है।

प्रसव के लिए यह स्वास्थ्य केंद्र जाते हैं जहाँ पर प्रसव कराने को ये प्राथमिकता देते हैं कहीं-कहीं पर परम्परागत दायियों के माध्यम से भी प्रसव कराया जाता है।

धर्म एवं जादू-टोना थारू जनजाति के लोग ईश्वर में विश्वास रखते हैं तथा ज्यादातर हिंदू धर्म के मानने वाले हैं और शंकर भगवान उनके प्रमुख देवता हैं प्रत्येक परिवार में एक कुल देवता हैं। शादी विवाह आदि अवसरों पर कुल देवता की पूजा अनिवार्य है। ये भूत-प्रेत में विश्वास रखते हैं तथा झारफूंक और ओझाई में भी विश्वास रखते हैं। ये जादू-टोने में विश्वास रखते है। बलि देने की प्रथा को इन्होंने अस्वीकार किया तथा उत्तराधिकारी के रूप में पुत्र को प्राथमिकता देते हैं। विवाह हेतु सरकारी आयु सीमा को यह लोग स्वीकार करते हैं दहेज प्रथा का प्रचलन भी सामान्यता नहीं है पारिवारिक सहमति से होने वाले विवाह को पसन्द करते हैं व प्राथमिकता देते हैं। कहीं-कहीं पर प्रेम विवाह का चलन भी शुरू हो गया है। किसी विवाद की स्थिति में पंचायत द्वारा बैठकर समाधान निकाल

लिया जाता है बहुत बड़े-बड़े मामलों में भी पंचायत अपना फैसला देती है और ये सभी को मानना होता है।

विधवा विवाह को यह लोग ठीक मानते हैं। बिजली की पहुँच ज्यादातर परिवारों तक हो चुकी है बिजली का समय से ना आना अलग बात है। सामान्यता परिवारों में महिलाएं सलवार सूट और साड़ी को पहनना पसन्द करती हैं व प्राथमिकता देती हैं। शादी विवाह या अन्य तीज-त्योहार के अवसर पर परम्परागत पोशाक पहनने का प्रचलन है यह इनके पहनावे में एक बड़ा बदलाव देखने में आ रहा है। शृंगार के साधनों के रूप में थारु महिलाएं शृंगार के आधुनिक संसाधनों का प्रयोग कर रही हैं तथा महिलाएं आभूषण का प्रयोग में कर रही है चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, शरबत आदि का सेवन भी अब बढ़ रहा है।

पंचायत व्यवस्था उनके पंचायत व्यवस्था यहाँ काफी अच्छी स्थिति में है और पंचायत का मुखिया बड़ा सम्मानित व्यक्ति होता है तथा बहुत से बड़े-बड़े विवादों का निपटारा पंचायत स्वयं ही कर लेती है हालाँकि सहमत न होने की स्थिति में न्यायालय के दरवाजे खुले रहते हैं लेकिन पंचायत के फैसले के विरुद्ध जाना थारु जनजाति के लोग अच्छा नहीं मानते हैं।

आधुनिक संसाधनों, मोबाइल, टेलीविजन, रेडियो आदि का प्रयोग थारु जनजाति के लोग आधुनिक संसाधनों, मोबाइल, टेलीविजन, रेडियो आदि का प्रयोग करते हैं तथा दूर संचार के साधन फोन डाक व तार आदि का प्रयोग संचार के साधन के रूप में करते हैं इनमें अंतर जातीय विवाह भी कुछ-कुछ होने लगे हैं। छुआ-छूत का विचार इन लोगों में नहीं पाया जाता है। बालिकाओं की शिक्षा के लिए यह लोग बड़े जागरूक हैं शिक्षा में बालक और बालिका का भेद नहीं करते और परंपराओं से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। त्यौहार व शादी विवाह के अवसर को ये पूरे परंपरागत तरीके से मनाना अत्यधिक पसंद करते हैं परिवार नियोजन के संबंध में उनके विचार सकारात्मक हैं।

कर्ज— थारु जनजाति के लोग कर्ज के लिए बैंक की अपेक्षा साहूकारों व महाजनों पर ज्यादा निर्भर रहते हैं उनका मानना है कि यह आवश्यकता के समय मदद करते हैं तथा इनकी कर्ज देने की प्रक्रिया भी काफी आसान है। इनकी अपेक्षा बैंक से मिलने वाले कर्ज की एक लंबी प्रक्रिया है।

रोजगार— इस क्षेत्र के लोग रोजगार के लिए मुख्यता कृषि एवं मजदूरी पर निर्भर हैं। माता-पिता अपने बच्चों को व्यक्तिगत प्रयासों से पढ़ने के लिए बाहर भेज रहे हैं

तथा ये मेहनती व शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं। इसलिये पीएसी, पुलिस जैसे क्षेत्रों में जाने में इनका रुझान काफी है रोजगार के अन्य साधनों का अभाव है।

सिंचाई मुख्यता पंप-सेट इंजन के माध्यम से होती है सरकारी टयूबेल के माध्यम से पूर्ति पर्याप्त नहीं है पलिया क्षेत्र के चंदन चौकी क्षेत्र में नहर माध्यम से सिंचाई का अभाव है।

स्वास्थ्य सेवाएँ- निवासन व पलिया दोनों तहसील व ब्लॉक के थारु जनजाति क्षेत्र हेतु स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है जहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र है भी वहाँ उचित देखभाल का अभाव है। चिकित्सक समय से उपलब्ध नहीं होते, आपातकाल हेतु सरकारी एंबुलेंस की उपलब्धता भी नहीं है, चिकित्सकों की उपलब्धता का अभाव है स्वास्थ्य खराब होने पर जॉच की पर्याप्त सुविधा नहीं है। इस प्रकार से यह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र केवल जिला मुख्यालय हेतु रेफर करने का केंद्र बन गया है।

क्षेत्रीय भाषा में पाठ्यक्रम विद्यार्थियों के लिए क्षेत्रीय भाषा में पाठ्यक्रम उपलब्ध नहीं है अतः विद्यार्थी अपनी प्राथमिक शिक्षा क्षेत्रीय भाषा में नहीं पूर्ण कर पाते हैं जिससे उनमें समय और ऊर्जा ज्यादा लगती है।

मोबाइल नेटवर्क बेला परसुआ क्षेत्र एवं चंदन चौकी क्षेत्र दोनों की एक प्रमुख समस्या है आज के समय में जहाँ सारी दुनिया एक दूसरे के संपर्क में है वहीं इस क्षेत्र की मोबाइल व संचार सेवाओं की स्थिति काफी खराब है बेला परसुआ क्षेत्र में भारत का नेटवर्क काफी खराब स्थिति में है इससे ज्यादा यहाँ नेपाली नेटवर्क ज्यादा प्रभावी है। जो की एक अच्छी स्थिति नहीं है।

थारु जनजाति के लोग अपनी परंपराओं व संस्कृति से काफी मात्रा में जुड़े हुए हैं। थारु जनजाति के लोग प्रकृति प्रेमी होते हैं तथा विभिन्न परंपराओं आदि के माध्यम से वन व जंगल क्षेत्र का संरक्षण ही करते हैं। यह बहुत सी जड़ी बूटियों के माध्यम से अपनी बहुत सी बीमारियों का इलाज कर लेते हैं तथा अपनी परम्पराओं के माध्यम से पर्यावरण का संरक्षण भी करते हैं।

बिजली आज के समय में बिजली समाज की महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गई है बहुत सारे कार्य बिजली पर ही आधारित हो गए हैं संचार व्यवस्था भी बहुत कुछ बिजली

पर आधारित है अतः बिजली सुचारु रूप से न होने से संचार व्यवस्था और हमारे जीवन पर उसका दुष्प्रभाव पड़ता है अतः बिजली आवश्यक रूप से अपेक्षित है और बिजली खराब होने पर मरम्मत कार्य भी समय से पूर्ण हो जाए। निघासन व पलिया दोनों तहसील व ब्लॉक के थारु जनजाति क्षेत्रों में कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि यहाँ पर सुचारु रूप से बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। वैकल्पिक बिजली हेतु ऊर्जा के स्रोत के रूप में सौर ऊर्जा का प्रचार प्रसार करके सरकार सब्सिडी देकर यहाँ बिजली की कुछ वैकल्पिक व्यवस्था भी संचालित कर सकती है जो की बरसात या अन्य स्थिति में बहुत कारगर हो सकती है।

परिवहन साधन जो की पलिया तहसील के नेपाल सीमा के गौरीफन्टा से तो उपलब्ध हो जाता है परंतु थारु जनजाति के अन्य क्षेत्रों व लोकल रूप से वहाँ पर संसाधनों की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में नहीं है इस हेतु प्रयास किये जाएं जिससे वहाँ के लोगों को कुछ राहत हो सके। बेला परसुआ में सरकारी रोडवेजों की संख्या बढ़ाई जाए जिससे वहाँ के लोगों को आसानी हो सके। सड़क मार्गों की स्थिति सुधारी जाए साथ ही साथ ग्रामों को जोड़ने वाले संपर्क मार्ग का भी सुधार किया जाए तथा बरसात में होने वाले सड़क मार्ग के नुकसान को यथासंभव शीघ्र सही किया जाए जिससे कि क्षेत्र के लोगों को राहत हो सके।

चंदन चौकी से निघासन तहसील के थारु जनजाति क्षेत्र बेला परसुआ को जोड़ा जाए पलिया तहसील के थारु जनजाति क्षेत्र चंदन चौकी से निघासन तहसील के थारु जनजाति क्षेत्र बेला परसुआ को जोड़ा जाए इसके लिए बीच में पड़ने वाले वन क्षेत्र के मार्ग हेतु वन विभाग के साथ जिम्मेदार अधिकारियों से वार्ता करके कुछ ऐसी योजना बनाई जाए जिससे कि दोनों जनजाति क्षेत्र की दोनों तहसीलें आपस में सुगमता से जुड़ सकें एवं वन पर्यावरण व वन्य जीवों को भी नुकसान ना हो। यदि देखा जाए तो इन दोनों क्षेत्रों की आपसे दूरी बहुत ज्यादा नहीं है परंतु उचित मार्ग व्यवस्था न होने के कारण लम्बे रास्ते से घूम कर लगभग 70 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है जिससे आवागमन एवं प्रशासनिक व्यवस्था में भी दिक्कत होती है यदि दोनों तहसील जनजाति क्षेत्र आपस में जुड़ जाए तो इससे सभी प्रकार के लाभ होंगे।

रेलवे स्टेशन पतिया व निधारान दोनों ही स्थान पर रेलवे स्टेशन है परंतु आवागमन की उचित व्यवस्था न होने के कारण दोनों ही स्थान पर पहुँचना काफी मुश्किल होता है ऐसी स्थिति में यदि संपर्क मार्ग, सड़क मार्ग एवं उनके साधन बढ़ाए जाएं तो क्षेत्र के लोगों को पर्याप्त लाभ हो सकता है थारु जनजाति के समस्त क्षेत्र के आंतरिक मार्गों को सभी ग्राम सभाओं एवं ग्रामों के सम्पर्क मार्गों को सही प्रकार से विकसित किया जाए और उनको संपर्क मार्गों से और मुख्य मार्ग से जोड़ा जाए जहाँ पर आवश्यकता हो वहाँ पुलिया इत्यादि का उचित निर्माण करके आवागमन को और बेहतर किया जा सकता है जिससे कि यहाँ के लोगों को और लाभ हो सके बरसात के समय में कुछ बेहतर प्लानिंग करके बरसात के समय में इस जनजाति क्षेत्र में होने वाले नुकसान को कम किया जा सके।

नशा यहाँ की एक प्रमुख समस्या है लोग पुराने तरीके से जाड शराब इत्यादि तैयार करते हैं एवं नई पीढ़ी में भी नशे की प्रवृत्ति देखने में आ रही है ऐसी स्थिति में जब यहाँ पर शिक्षा का प्रचार प्रसार होगा और लोगों का ध्यान अपने कैरियर और देश व समाज के प्रति लगेगा तो इनकी नशे की प्रवृत्ति भी धीरे-धीरे कम होगी। परंतु शिक्षा के साधनों के उचित प्रभार की व्यवस्था न होने के कारण लोग भटक के नशा और जुओं इत्यादि की ओर चले जाते हैं। जुए की समस्या भी एक बड़ी समस्या के रूप में देखने में आती है ऐसी स्थिति में जब यहाँ पर रोजी रोजगार के संसाधन प्राप्त मात्रा में होंगे तो ये लोग अपने खाली समय पर यह ताश से भी बचेंगे। सरकार को चाहिए कि क्षेत्र में रोजी रोजगार के संसाधन मुहैया कराए जिससे कि लोग उत्पादन को बढ़ा सकें और देश और समाज समाज के उन्नति में अपना योगदान दे सकें।

भूत-प्रेत व जादू-टोना में यहाँ के लोगों का विश्वास है। प्राचीन परंपराओं के कारण यह लोग अभी भी भूत प्रेत और जादू टोना में विश्वास करते हैं यहाँ तक की किसी भी बीमारी की अवस्था में यह लोग चिकित्सक के पास न जाकर ओझा और गुनियों के चक्कर लगाते हैं। इनका विश्वास है कि उनके आशीर्वाद से उसका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा क्षेत्र में भूत-प्रेत और जादू-टोना में विश्वास होने का एक बहुत बड़ा कारण यह भी है इस क्षेत्र में शिक्षा का प्रचार प्रसार ज्यादा नहीं है जिससे लोगों के दृष्टिकोण में व्यापकता नहीं आ पाई है और उनकी सोच वैज्ञानिक नहीं हो पाई जिससे

कि अभी भी पुरानी परंपरा में यह लोग उलझे हुए हैं। ऐसी स्थिति में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए इस क्षेत्र में शिक्षा के अवसर की महती आवश्यकता है तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करने के लिए विज्ञान एवं अन्य तकनीकी कार्यक्रमों की पढ़ाई की नितांत आवश्यकता है जिससे यह क्षेत्र और विकसित हो सके और अंधविश्वास की बेड़ियों से बाहर निकल सके।

कर्ज यहाँ के लोगों को विभिन्न कारणों से कर्ज का सहारा लेना पड़ता है बैंक द्वारा मिलने वाले कर्ज की प्रक्रिया काफी कठिन होने के कारण यह लोग बैंक की अपेक्षा सेठ साहूकारों से कर्ज लेना ज्यादा पसंद करते हैं इनकी प्रक्रिया कुछ आसान तो होती है परंतु उनकी ब्याज दर इतनी ज्यादा होती है और समय से न चुका पाने के कारण वह लगातार कर्ज की दलदल में धँसते चले जाते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति और ज्यादा खराब होती जाती है।

कर्ज बैंक द्वारा दिए जाने वाले कर्ज की प्रक्रिया कुछ आसान की जाए एवं क्षेत्र के लोगों के साथ बेहतर संवाद स्थापित किया जाए और उसमें यह विश्वास उत्पन्न किया जाए कि बैंक या सरकारी व्यवस्थाएं आपकी सहूलियत के लिए हैं एवं मानवीय दृष्टिकोण से इनको बैंक की अन्य सुविधाएं भी दी जाएं जिससे कि क्षेत्रीय जनता और बैंक आपस में नजदीक आ सके और क्षेत्रीय जनता के हितों की पूर्ति हो सके और क्षेत्र की जनता कर्ज के दलदल से आजाद हो सके। सेठ साहूकारों का कर्ज चुकाने के लिए इनको अपने खेत, जमीन व मकान तक गिरवी रखने पड़ते हैं जिन खेतों में वह मालिक बनकर वह कार्य करते थे एक समय के बाद उन्हें क्षेत्र में मजदूरी करने के लिए मजबूर होना पड़ता है इसका प्रमुख कारण कर्ज है।

उचित रोजगार परक एवं व्यवसायिक परियोजनाएं क्षेत्र में सरकार सर्वेक्षण कराकर कुछ उचित रोजगार परक एवं व्यवसायिक परियोजनाएं लागू कर सकते हैं जिससे यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है अतः कृषि से संबंधित भी कुछ आधुनिक योजनाएं लाई जा सकती हैं जिससे कि यह लोग अपने उत्पादन को बढ़ा सकें इससे उनकी आर्थिक स्थिति सही रहेगी और रोजगार के कुछ अन्य साधन भी विकसित हो सकेंगे तथा ऐसी स्थिति में ये अपने बच्चों को और बेहतर शिक्षा दिलवाने के लिए एवं अन्य क्षेत्रों में अपने बच्चों को तैयारी हेतु लगा सकेंगे।

सिद्धार्थ के लिए सब लोग प्रयत्न कर रहे थे।
 उन्होंने अपने-अपने काम छोड़कर उसे ढूँढने शुरू कर दिया।
 कुछ दिनों के बाद ही उन्होंने उसे ढूँढ लिया।
 उन्होंने उसे अपने घर ले आया।
 उन्होंने उसे अपने घर में रहने दिया।
 उन्होंने उसे अपने घर में पढ़ाया।
 उन्होंने उसे अपने घर में शांति दी।
 उन्होंने उसे अपने घर में प्रेम दिया।
 उन्होंने उसे अपने घर में सत्य दिया।
 उन्होंने उसे अपने घर में अहिंसा दिया।
 उन्होंने उसे अपने घर में धर्म दिया।
 उन्होंने उसे अपने घर में मोक्ष दिया।

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

ऐसी स्थिति में कई बार मरीज की प्राण रक्षा नहीं हो पाती है यदि पलिया व निघासन दोनों ही क्षेत्रों को आपस में जोड़ा जाए एवं उनके लिए जो भी स्वास्थ्य केंद्र स्थापित हैं उनको सशक्त किया जाए और चिकित्सकों की उपस्थिति कड़ाई से सुनिश्चित की जाए जोंच इत्यादि की व्यवस्था पर्याप्त सुविधा में हो ऐसी स्थिति ये क्षेत्र के लिए बहुत उपयोगी होगा और बीमारी व इमरजेंसी के कारण समय से इलाज न मिल पाने के कारण बहुत सारे लोग अपने प्राणों के गँवा देते हैं। यदि उनको समय से उपचार मिल जाए तो उसका समाज देश और सभी का लाभ होगा।

थारू भाषा एवं बोलचाल में पाठ्यक्रम क्षेत्र हेतु थारू भाषा एवं बोलचाल में पाठ्यक्रम विकसित कराया जाए एवं इसमें पढ़ाने हेतु शिक्षकों को प्रोत्साहित किया जाए तथा जनजाति क्षेत्र के लोग भी शिक्षक बनकर अपने क्षेत्र के लोगों को शिक्षित करें। इस क्षेत्र में नियुक्त होने वाले शिक्षकों हेतु कुछ अलग से मानदेय इंसेंटिव प्रदान किया जा सकता है जो की एक अभिप्रेरणा का कार्य करेगा।

मोबाइल नेटवर्क मोबाइल नेटवर्क आज की बहुत आवश्यक है इसको देखते हुए निघासन व पलिया जनजाति क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क की सुचारु व्यवस्था सुनिश्चित की जाए इसके लिए आवश्यकता अनुसार टावरों की व्यवस्था की जाए एवं नेटवर्क की निर्वाध आपूर्ति के लिए बिजली व सौर उर्जा इत्यादि की व्यवस्था की जाए जिससे कि बिजली जाने पर नेटवर्क का संकट उत्पन्न न हो सके। आज के समय में मोबाइल नेटवर्क जीवन की महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गई है प्रशासनिक कार्यों में भी मोबाइल व संचार के साधनों से सुगमता होती है अतः सभी प्रकार की आवश्यकताओं को देखते हुए मोबाइल नेटवर्क में आने वाली विभिन्न बाधाओं को दूर करके बेहतर नेटवर्क सुविधा उपलब्ध कराई जाए। सरकार को तत्काल इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मोबाइल नेटवर्क व संचार की सुविधा यहाँ पर सुचारु रूप से संचालित करें जिससे यह लोग भी दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें और आगे की ओर बढ़ सकें। ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु भी आवश्यक है।

यदि सरकार इण्टरमीडिएट के बाद समय-समय पर या उससे पूर्व कक्षाओं में ही कुछ ऐसे जागरूकता के कार्यक्रम चलाएं और सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में बताएं जिससे कि वह बिना आर्थिक बोझ अपने परिवार पर डाले हुए अपने आगे की

तैयारी को जानें एवं समझें हैं और अन्य क्षेत्रों के लिए समान लोग की तैयारी की कर सकते हैं। जो सामान लोग हैं उनके करने की व्यवस्था, इलाजसमय व मिली में सहकर अपने अपने जिला और जग जग क्षेत्रों के लिए तैयारी करते हैं लेकिन सामान्य और नविक जग जगजगति के लोग अपनी पाई व्यवस्था व तैयारी के लिए तुरंत किसी सही तैयारी में लग जाते हैं।

सिवाई के सामान सभी किसानों में सिवाई के लिए इस क्षेत्र में कोई तहर व होने के कारण विशेष कर तमिल क्षेत्र में बाल जगजगति क्षेत्र हेतु तहर की व्यवस्था न होने के कारण इनकी तय्यारी, पान सौर से सिवाई करनी होती है। किसानों की आयुर्विषय न होने के कारण इनकी लागत काफी आ जाती है और यदि इस क्षेत्र में पानी के लिए कुछ वैकल्पिक सरकारी व्यवस्थाएं हों तो खेती किसानों से उनकी आयुर्विषय को बढ़ावा जा सकता है और इसे उनकी आर्थिक स्थिति और सुधर सकती है।

स्वास्थ्य निगरान तहसील के बला परसुआ में स्वास्थ्य की काफी तमीर है वहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र है परंतु उचित रूप से चिकित्सकों की तैयारी न होने के कारण व उपलब्धता न होने के कारण छोटी-मोटी रोगों के लिए तो वहाँ पर चले जाते हैं परंतु अपने के इलाज के लिए वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ पर सरकारी एंबुलेंस सेवा उपलब्ध नहीं हो पाती है जिससे किसी आपातकाल स्थिति में उस एंबुलेंस का प्रयोग करके तहसील मुख्यालय या जिला मुख्यालय जाकर अपना इलाज कर सकें। एक बड़ी समस्या है आपातकालीन स्थिति में इन लोगों को अपने व्यक्तिगत प्रयासों से व व्यक्तिगत साधनों से ही जिला मुख्यालय और तहसील मुख्यालय पर जाकर अपना इलाज करना पड़ता है और ऐसे मामलों में कई बार बहुत देरी हो जाने कारण इनको अपने प्राण तक मेंदम पड़ते हैं। चिकित्सक तहसील के बाल जगजगति क्षेत्र में भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और कई जगहों पर स्वास्थ्य केंद्र उपलब्ध है परंतु चिकित्सकों की उपलब्धता न होने के कारण यह क्षेत्र चिकित्सा की वास्तविक सुविधा से काफी हद तक वंचित है। चिकित्सकों की उपलब्धता न होने कारण वहाँ पर जीव नहीं हो पाती हैं और नरीजों को भर्ती करने की भी उचित व्यवस्था न होने के कारण इनको मजबूरी में तहसील व जिला मुख्यालय की तरफ जाना पड़ता है एंबुलेंस इत्यादि की व्यवस्था न होने के कारण भी इनको अपने निजी साधनों से ही तहसीलों जिला मुख्यालय पर इलाज करने के लिए जाना

होता है सरकार इसपर ध्यान दें, क्षेत्र को आपातकाल की स्थिति में इमरजेंसी सेवाओं के लिए एम्बुलेंस सेवाएं उपलब्ध हों और स्वास्थ्य केंद्र पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर योग्य चिकित्सकों में नियुक्ति व नियमित उपलब्धता तथा जॉच सुचारु रूप से हो सके ऐसी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं जिससे इस क्षेत्र के की बड़ी जनसंख्या को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं मिल सकें।

मातृभाषा में शिक्षा थारु भाषा यहाँ के प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त शिक्षक थारु जनजाति या थारु भाषा से परिचित न होने के कारण इनका सम्पर्क थारु जनजाति के लोगों से सही प्रकार से नहीं हो पता है जिस कारण से भी यहाँ के बच्चे अपनी मातृभाषा में शिक्षा न प्राप्त करने के कारण समझने में थोड़े से पीछे रह जाते हैं। इस क्षेत्र में नियुक्ति हेतु थारु जनजाति के शिक्षकों को भी तैयार किया जा सकता है। सरकार को चाहिए की थारु जनजाति क्षेत्र में नियुक्त होने वाले शिक्षकों को उनकी संस्कृति व भाषा, उनके रहन-सहन के बारे में अवगत कराते हुए उनका अभिनवन कराया जाए और यह कार्य उनके प्रशिक्षण के दौरान ही हो और इस जनजाति क्षेत्र में नियुक्ति पाने वाले शिक्षकों को अलग से इंसेंटिव देकर प्रोत्साहित किया जा सकता है। जिससे कि शिक्षक ज्यादा से ज्यादा इस क्षेत्र में तैनाती पाने के लिए उत्सुक हों और क्षेत्र को भी लाभ हो सके।

आवास सुविधाएं निघासन तहसील के बेला परसुआ व कड़िया क्षेत्र में सरकार की बहुत सारी योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री आवास आदि देखने को ज्यादा नहीं मिलती हैं इसका प्रमुख कारण यहाँ के लोगों का राजनीतिक रूप से जागरूक न होना है यहाँ के विधायक व सांसद इन जनजातियों से चुनाव के समय वोट तो ले लेते हैं परंतु उनके विकास के लिए ज्यादा कार्य नहीं करते क्योंकि यह जनजाति इतनी जागरूक भी नहीं है कि अपना अधिकार और अपने सुविधाओं की मांग जनप्रतिनिधियों से कर सके। नेता इत्यादि थारु जनजाति के कुछ जागरूक लोगों को पकड़कर उन तक तो सुविधा उपलब्ध करा देते हैं परंतु वास्तव में जिन लोगों को लाभ मिलना चाहिए उन लोगों को नहीं मिल पाता और ऐसी स्थिति में मात्र वे वोट बैंक बनकर ही रह जाते हैं। वास्तविक रूप से उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो पाता है। ऐसी ही स्थिति लगभग थारु जनजाति क्षेत्र जोकि पलिया तहसील के अंतर्गत आता है वहाँ भी देखने को मिलती है।

यदि देखा जाए तो लखीमपुर खीरी जनपद में थारु जनजाति की जनसंख्या वास्तविक रूप से लगभग लाखों में है जो कि अपने मूल क्षेत्र तहसील निघासन के अंतर्गत बेला परसुआ, कड़िया एवं तहसील पलिया के अंतर्गत चंदन चौकी से लेकर गोरीफण्टा और रानी नगर कॉलोनी तक विभिन्न ग्राम सभाओं में बँटी हुई है परंतु आज तक यहाँ का कोई उचित प्रतिनिधित्व नहीं हो। इस वजह से उचित प्रतिनिधित्व न होने के कारण भी थारु जनजाति क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया है अतः राजनीतिक रूप से लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है ताकि अपने मताधिकार का उचित प्रकार से प्रयोग करके उनकी सहभागिता भी राजनीतिक क्षेत्र में हो सके।

राजनीतिक जागरूकता थारु जनजाति क्षेत्र में शिक्षा का अभाव है इसलिए भी यह राजनीतिक रूप से जागरूक नहीं है ये अपने बहुत सारे अधिकारों से परिचित नहीं हैं। बहुत सारी सरकारी योजनाओं का लाभ इनकी जागरूक न होने के कारण नहीं मिल पाता है। और बहुत सारी योजनाएं अच्छी होने के बावजूद भी धरातल पर क्रियान्वन सुचारु रूप से नहीं हो पता है तो इसके लिए इस क्षेत्र में सरकारी योजनाओं के पूरे प्रचार व प्रसार की आवश्यकता है और इन क्षेत्र में जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनका यह महत्वपूर्ण कर्तव्य बन जाता है। थारु जनजाति के लोग अपने परम्पराओं व संस्कृति के प्रति बहुत जागरूक हैं यह प्रकृति से जुड़े हुए हैं अपने तीज-त्योहारों पर यह परंपरागत रूप से अपने रीति-रिवाज तौर तरीकों व परम्पराओं का पालन करते हैं। सरकार को चाहिए कि इनकी संस्कृति के बारे में इनकी बोलचाल की भाषा में पाठ्यक्रम और शिक्षण का माध्यम प्राथमिक स्तर पर बनाकर इनको भी अपनी भाषा पर गर्व करने का अवसर दें और इनके मूल को बनाए रखते हुए इनको भी समाज के मुख्य धारा में लेकर अपना विकास करने का अवसर प्रदान करें क्योंकि संविधान में कहा गया है कि प्रत्येक वर्ग जनजाति क्षेत्र को अपने संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है आवश्यकता इस बात की है कि सरकार देखें कि उनकी संस्कृति के साथ किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ ना की जा सके और यह अपने मौलिकता को बनाए रखते हुए भी समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें। ऐसी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना सरकार का उत्तरदायित्व है। सरकार इसपर ध्यान दें कि यह योजनाएं इन तक पहुँचे और साथ-साथ उसकी उचित प्रकार से मॉनिटरिंग भी की जाए जिससे वास्तव में इनका वास्तविक विकास हो सके

और यह भी समाज के मुख्य धारा से जुड़कर अपना विकास करके देश व समाज की उन्नति में अपना योगदान दे सकें।

पर्यावरण थारु जनजाति प्रकृति प्रेमी हैं व पर्यावरण के बीच रहती है और अपने दिनचर्या में पर्यावरण का ध्यान रखती है पर्यावरण के साथ सामन्जस्य रखते हुए यह पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इनका रहन-सहन इस प्रकार का है जिससे कि यह प्राकृतिक मामलों में बहुत हस्तक्षेप ना करते हुए भी अपने जीवन को प्रसन्नतापूर्वक व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन आधुनिकता की आँधी के कारण यहाँ प्रकृति को नुकसान पहुँच रहा है। परंतु थारु जनजाति मूल रूप से पर्यावरणीय असन्तुलन के विचार को बढ़ावा नहीं देती है और सरकार को इसी प्रकार से इनके रहन-सहन का प्रभावी तरीके से अध्ययन कराकर और बढ़ावा दिया जाए जिससे कि यह और आगे बढ़ सकें और पर्यावरण के संरक्षण में अपनी भूमिका को और अच्छी तरीके से बढ़ा सकें।

गन्ना किसानों का भुगतान लखीमपुर खीरी क्षेत्र गन्ना उत्पादन का एक प्रमुख क्षेत्र है। यहाँ का थारु जनजाति क्षेत्र भी गन्ना उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त है यहाँ के लोग नगदी फसल के रूप में गन्ने का उत्पादन करते हैं पिछले कई समय से इसके आस-पास के क्षेत्र में गन्ने के कुछ बड़े मिलों की स्थापना हुई है जिससे कि यहाँ के लोग गन्ना उत्पादन करने के लिए प्रेरित हुए। लेकिन एक बड़ी समस्या देखने में आ रही है कि पिछले कई वर्षों से यहाँ के गन्ना किसानों का भुगतान सही तरीके से नियमित नहीं हो पा रहा है। पिछले कई वर्षों का भुगतान न होने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति काफी खराब हो रही है और इन लोगों पर बाजार का कर्ज बहुत बढ़ गया है। भुगतान न होने के कारण इनका काफी पैसा कारखानों पर बकाया है। सरकार तत्काल इसपर ध्यान देकर इनका भुगतान सुनिश्चित करे एवं नियमित भुगतान बना रहे ऐसी व्यवस्था हो सके ताकि गन्ना आपूर्ति भी प्रॉपर तरीके उचित तरीके से होती रहे और गन्ना किसान भी खुश रह सकें। थारु जनजाति के किसान गन्ना लगाना चाहते हैं परंतु भुगतान न होने से उनकी स्थितियाँ खराब होती जा रही हैं जिससे कि ये गन्ने के अलावा कोई अन्य फसल का उत्पादन करने को मजबूर हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में गन्ना उत्पादन और इन मिलों का भी नुकसान होगा सरकार इस पर ध्यान दे।

एकीकृत जनजाति विकास परियोजना चन्दन चौकी, लखीमपुर खीरी द्वारा विगत वर्षों में संचालित योजनाओं का विवरण

एकीकरण जनजाति विकास परियोजना चन्दन चौकी खीरी वर्ष 1976-77 में प्रबंध निदेशक तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड लखनऊ द्वारा प्रारंभ किया गया तत्पश्चात् कार्मिक पब्लिक पद एवं पदधारक सहित इस परियोजना का सम्मेलन शासनादेश द्वारा निदेशालय जनजाति विकास उत्तर प्रदेश लखनऊ में कर दिया गया वर्तमान में शासन स्तर पर प्रमुख सचिव समाज कल्याण एवं निदेशालय जनजाति विकास के अधीन एकीकृत जनजाति विकास परियोजना चन्दन चौकी क्षेत्र के अंतर्गत तहसील एवं विकासखंड पलिया में जनजाति ग्राम पंचायत की संख्या 24 तहसील एवं तहसील एवं विकासखंड निघासन में 2 ग्राम पंचायत हैं कल 26 ग्राम पंचायत के अंतर्गत 42 ग्राम है जिनमें निवासरत थारू जनजाति की संख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 50195 है जनजाति क्षेत्र का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 9937 हेक्टेयर है इसमें कृषि योग्य भूमि 22535 एकड़ है तथा लगभग 80 प्रतिशत परिवार खेती पर निर्भर हैं एकीकरण जनजाति विकास परियोजना की स्थापना का मूल उद्देश्य जनजाति जनमानस को शिक्षित प्रशिक्षित करते हुए शासन द्वारा प्रदत्त योजनाओं से लाभान्वित करते हुए उनके जीवन स्तर को सुधारना एवं समाज के मुख्य धारा से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाना है।

एकीकृत जनजाति विकास परियोजना चन्दन चौकी को और सशक्त बनाया जाए।

समायोजन

इस अध्याय के अन्तर्गत अध्याय चार में समायोजन से जुड़ी बीस तालिकाओं (1-20) के परिणामों का सम्यक् विश्लेषण एवं पूर्व के अध्ययनों के सन्दर्भ में तुलना प्रस्तुत की जा रही है। मुख्यतः माध्यमिक स्तर पर समायोजन के चार आयामों संवेगात्मक, सामाजिक, शैक्षिक एवं समग्र समायोजन-के सन्दर्भ में आवासीय/गैर-आवासीय और लिंग-आधारित अंतर को निम्नलिखित रूप से व्याख्यायित किया जा सकता है—

1. माध्यमिक स्तर पर लिंग-आधारित समायोजन का अन्तर

अधिकांश आयामों में छात्राओं ने छात्रों की तुलना में अधिक समायोजन स्तर पाया (तालिका 1-4, 9-11)। विशेषकर संवेगात्मक समायोजन (तालिका 2, 6, 10, 18) एवं शैक्षिक समायोजन (तालिका 4, 8) में छात्राओं का t -मूल्य पर्याप्त अधिक रहा, जो दर्शाता है कि महिलाएँ भावनात्मक, प्रतिक्रिया नियंत्रण और शैक्षिक चुनौतियों के अनुकूलन में बेहतर हैं। यह परिणाम पूर्व के अध्ययनों (शर्मा एवं वर्मा, 2018, गुप्ता, 2020) से मेल खाता है, जहाँ महिला विद्यार्थियों का सामाजिक-भावनात्मक समायोजन अधिक पाया गया था।

2. माध्यमिक स्तर पर आवासीय एवं गैर-आवासीय विद्यार्थियों का तुलनात्मक विश्लेषण

आवासीय और गैर-आवासीय दोनों ही समूहों में समग्र समायोजन के स्तर में बहुत कम या नगण्य अन्तर दिखा (तालिका 5, 9, 13)। यह इंगित करता है कि परितः निवास की सुविधा-छात्रावास हो या गृह-से समायोजन पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। हालांकि शैक्षिक समायोजन में आवासीय छात्राओं ने गैर-आवासीय छात्राओं की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया (तालिका 14), जो संभवतः पूर्व अध्ययनों के तथ्यों से भी संगत है कि पूर्णकालिक परिसर वातावरण शैक्षिक संतुलन को प्रोत्साहित करता है।

3. आवासीय बनाम गैर-आवासीय लिंग-विशेष

आवासीय छात्राओं की समग्र समायोजन क्षमता गैर-आवासीय छात्राओं की अपेक्षा काफी अधिक पाई गई (तालिका 14, $t = 4.25$)। अविरल सामाजिक, भावनात्मक एवं शैक्षिक सहायता के कारण, आवासीय परिदृश्य महिलाओं के समायोजन में सहायक सिद्ध होता है।

4. उच्च शिक्षा स्तर पर समायोजन

उच्च शिक्षा में समायोजन के समग्र एवं विविध आयामों (तालिका 15-20) में कोई महत्वपूर्ण लिंग-आधारित अन्तर नहीं पाया गया। विशेषतः सामाजिक (तालिका 19), शैक्षिक (तालिका 20), एवं स्वास्थ्य समायोजन (तालिका 17) में t -मूल्य बहुत कम था। यह परिणाम संकेत देता है कि परिपक्वता एवं आत्म-निर्भरता के उच्च स्तर पर लिंग

का प्रभाव न्यूनतम हो जाता है, जैसा कि सिंह एवं राव (2019) द्वारा रिपोर्ट किया गया था।

निष्कर्ष :

अध्ययन से प्राप्त प्रमुख निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:

1. छात्राओं का समायोजन श्रेष्ठ:

अधिकांश समायोजन आयामों—विशेषकर संवेगात्मक एवं शैक्षिक—में छात्राएं छात्रों से सांख्यिकीय रूप से श्रेष्ठ रहीं।

2. रहने के प्रकार का सीमित प्रभाव:

आवासीय एवं गैर-आवासीय विद्यार्थियों के बीच समग्र समायोजन में कोई विशेष अन्तर नहीं देखा गया, परन्तु आवासीय छात्राओं ने विशेषकर शैक्षिक समायोजन में बेहतर प्रदर्शन किया।

3. उच्च शिक्षा में लिंग-प्रभाव का क्षय:

उच्च शिक्षा स्तर पर लिंग आधारित समायोजन में कोई महत्वपूर्ण अन्तर नहीं, जो परिपक्वता एवं आत्म-प्रबंधन कौशल के विकास का सूचक है।

4. पूर्व अध्ययनों के साथ सामंजस्य:

इन परिणामों से इस क्षेत्र के पूर्व साहित्य में दर्शायी गई प्रवृत्तियाँ पुष्ट होती हैं कि महिला विद्यार्थियों में सामाजिक-भावनात्मक सहयोग व आत्म-अनुकूलन की क्षमता अधिक होती है, तथा आवासीय वातावरण शैक्षिक समायोजन को संवर्धित करता है।

थारु जनजाति के लोग पढ़ाई के लिए अपने बच्चों में लड़का और लड़की का भेदभाव भी नहीं करते हैं तथा स्वयं मजदूरी करके भी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं इसके लिए चाहे उन्हें तहसील मुख्यालय से जाना हो या जिला मुख्यालय या आगे की शिक्षा के लिए इनको राजधानी क्षेत्र में भी जाना होता है तो बहुत से माँ-बाप इसके लिए भी प्रयास करते हैं शिक्षा के लिए थारु क्षेत्र काफी जागरूक है प्रतिदिन की उपस्थिति अगर देखी जाए तो गैर आवासीय विद्यालयों में विशेष कर माध्यमिक विद्यालयों में बालकों की

अपेक्षा बालिका विद्यार्थियों की उपस्थिति प्रतिदिन ज्यादा रहती है ये इस बात का प्रतीक है कि लड़कियों शिक्षा के प्रति काफी जागरूक हैं। बालिकाओं का समायोजन स्तर बालकों की अपेक्षा अधिक होने का एक प्रमुख कारण उनके माता-पिता का बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देना भी है एवं अपने बच्चों में लड़का और लड़की का भेदभाव नहीं करना भी है। शुरुआत से ही इस प्रकार का माहौल बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करता है।

भावी अनुसन्धान हेतु सुझाव

1. प्रस्तुत लघुशोध परियोजना कार्य में उ०प्र० के लखीमपुर खीरी जनपद की थारु जनजाति का ही अध्ययन किया गया है। भावी अनुसंधानकर्ता और व्यापक स्तर पर अध्ययन कर सकते हैं।
2. प्रस्तुत लघुशोध परियोजना कार्य में उ०प्र० के लखीमपुर खीरी जनपद की थारु जनजाति के सामाजिक-आर्थिक स्तर, समायोजन एवं समस्याओं का ही अध्ययन किया गया है। भावी अनुसंधानकर्ता अन्य चरों पर व्यापक स्तर पर अध्ययन कर सकते हैं।

समाप्त

संदर्भ ग्रंथ सूची

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची (References)

राधा, भारद्वाज, अनुसंधान परिवर्तन, 1993 लक्ष्मी नारायण अग्रवाल पृष्ठ सं०-119,149

शर्मा आर०ए० (2011) "शिक्षा अनुसंधान के मूल तत्त्व एवं शोध प्रक्रिया", मेरठ आर०लाल० बुक डिपो-पृष्ठ-216

सिंह ए०के० (2010) "अभिविज्ञान,समाजशास्त्र तथा शिक्षा में शोध विधियाँ" पटना मोतीलाल, बनारसीदास, पृष्ठ संख्या-102

करलियर लक्ष्मण सुलेमान, (2003) व्यवहार परक विज्ञानों में शोध प्रणाली विज्ञान, पटना, शुक्ला बुक डिपो पृष्ठ -94

कपिल, एच०के०(2003)सामाजिक अनुसंधानों में सांख्यिकी, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा

सुखा एस०पी०(2001)आधुनिक मापन एवं मूल्यांकन, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद

अग्रवाल, एस० (1989). उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में थारू जनजाति की आर्थिकस्थिति का विश्लेषणात्मक अध्ययन, शोध प्रबन्ध (समाजशास्त्र), बरेली :रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय.

अटल, जयेश. (2011). आदिवासी भारत. नई दिल्ली : रावत पब्लिकेशन.

इलेजर, टी०एस० (1962). नोर्ट्स टुवर्ड्स दि डिफिनीशन ऑफ कल्चर. लंदन : फौबर एण्ड फौबर.

एस०के० (एडी०). ट्राइबल इथनोग्राफिक करंटमरी लॉ एंड चेंज. नई दिल्ली : कंसोप्ट पब्लिशिंग कं०.

एटकिन्सन, ई०पी० (1882). दि गजेटियर ऑफ हिमालियन डिस्ट्रिक्ट ऑफ दिनार्थ वेस्टर्न प्रोविन्सोज लॉक इन्डिया (वा०-1). नई दिल्ली : कार्सो पब्लिकेशन्स.

एस०सी०डब्ल्यू० (2002). आदिवासी महिलाओं का सशक्तिकरण : समस्याएं एवं सम्भावनाएं. नई दिल्ली : राष्ट्रीय महिला आयोग.

एल्विन, वेरियर. (1964). दि ट्राइबल वर्ल्ड ऑफ वेरियर एल्विन : एन आटोबायोग्राफी. मुम्बई : ऑक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस.

कश्यप, एस०आर० (2016). झारखण्ड के आदिवासियों की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और नृजातीय अस्तित्व एवं अस्मिता. जर्नल ऑफ सोशियो-एजुकेशनल एण्ड कल्चरल रिसर्च, 2(5): 181-184.

कुमार, के० एण्ड चौधरी, पी०आर० (2005). ए सोशियो-इकोनॉमिक एण्ड लीगल स्टडी ऑफ सिङ्गुल्ड ट्राइबल लैण्ड इन ओडिशा. भुवनेश्वर.

कुमार, बाई० (2015). आदिवासी न्याय व्यवस्था का स्वरूप राधाकमल मुकजी : चिन्तन परम्परा, 17(1): 77-82.

कुमारी, ए० (2019). विमुक्त जनजातियों की रित्रियों. हम सबला, 11(3): 21-23.

कोचर, वी०के० (1963). साइज एण्ड कम्पोजीशन ऑफ फौमिलीज इन ए थारू विलेज , वन्यजाति, 11: 99-106.

ब्रुक, विलियम (1896). दि ट्राइब्स एण्ड कस्टम्स ऑफ नार्थ-वेस्टर्न इण्डियनई
 दिल्ली : कारम्पो पब्लिकेशन्स.
 खरे, जी०के० (2014). सहरीया जनजाति में आर्थिक वनन के सामाजिक-सांस्कृतिक आयाम (ग्यालियर
 संभाग के संदर्भ में). पी-एचडी शोध ग्रन्थ (समाजशास्त्र), ग्यालियर (मोफो) : जीवाजी विश्वविद्यालय.
 मिलिन एण्ड मिलिन (1950). कल्चर सोशियोलॉजी. न्यूयार्क : दि मैकमिलन कम्पनी.
 मिलिन, जे०एल० एण्ड मिलिन, जे०पी० (1948). कल्चरल सोशियोलॉजी : ए
 रिवीजन ऑफ एन इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी. न्यूयार्क : मैकमिलन
 गुप्ता एम्० (2003). जनजातियों का सामाजिक-आर्थिक उत्थान. नई दिल्ली : अर्जुन पब्लिशिंग हाउस.
 गुप्ता, एल०पी० (1988). ट्राइबल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन. नई दिल्ली : क्लासिकल पब्लिशिंग.
 गुप्ता, मंजू (2003). जनजातियों का सामाजिक-आर्थिक उत्थान. नई दिल्ली : अर्जुन पब्लिशिंग हाउस.
 गौतम, एम्०के० (1977). ए सर्वे आफ एन आइडेन्टिटी : ए केस ऑफ संथाल ऑफ नार्दन इण्डिया.
 लेडेन्, दि नीदरलैण्ड.
 गोविल, जे०पी० (1959). दि थारु ऑफ तराई एण्ड भावर. इण्डियन फोकलोर,
 घुर्गे, जी०एस० (1969). कास्ट एण्ड रेस इन इण्डिया. बम्बई : पापुलर प्रकाशन
 चन्दा, ए० (2005). ट्राइबल वूमेन. इन बागची, जे० (एडी०) दि चेंजिंग स्टेट्स
 रायगढ़, छत्तीसगढ़ : पं० रविशंकर हुक्ल विश्वविद्यालय. चटर्जी, पी० (2014). सोशल एण्ड इकोनॉमिक
 स्टेट्स ऑफ ट्राइबल वूमेन इन इण्डिया— दि चेलेंजेज एण्ड दि रोड अहेड. आई०जे०आई०एम०एस०,
 2(2): 55–60.
 चौधरी, एम्०के० (1988). सिड्यूल्ड ट्राइब फीमेल्स ऑफ वेस्ट बंगाल : सोशियो-इकोनॉमिक लेवल्स. इन
 सिंह, जे०पी०, व्यास, एन०एन० एण्ड मान,
 आर०एस० (एडी०). ट्राइबल वूमेन एण्ड डेवलपमेंट. जयपुर : रावत पब्लिकेशंस.
 चौधरी, एस०के० एण्ड पटनायक, एस०एम० (2008). इण्डियन ट्राइब्स एण्ड मेनस्ट्रीम. जयपुर : रावत
 पब्लिकेशंस.
 टाय
 धारू, एम्० एण्ड यादव, आर०जी० (2018). इम्पैक्ट ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आन ट्राइबल
 कम्युनिटीज : ए केस स्टडी ऑफ लखीमपुर खीरी
 डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश. इम्पैक्ट : आई०जे०आर०एच०ए०एल०, 6(8): 237–250.
 थुशु, के०एन० (1968). दि धुर्वा ऑफ बस्तर. कलकत्ता : एन्थ्रोपोलॉजिकल सर्वे
 ऑफ इंडिया.

दास, आर०के० (1971). दि प्राब्लम्स ऑफ ट्राइबल आइडेन्टिटी इन मणिपुरईस्टर्न एन्थ्रोपोलॉजिस्ट, 24(2): 151-158.

दास, एस०सी०एस०, जोशी, के०डी०, आलम, ए० एण्ड झा, डी०एन० (2017). सम इंडिजिनियस ट्रेडिशनल फिशिंग मैथड्स ऑफ थारु ट्राइबल्स ऑफ लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश. जर्नल ऑफ साइंटिफिक अचीवमेंट्स, 2(6): 1-5.

दुबे, आर०, कुमारी, जे०, बोस, डी०के० एण्ड गुप्ता वी० (2018). ए स्टडी आन सोशियो-इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ थारु ट्राइब्स इन बहराइच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इन इंडिया. जर्नल ऑफ एप्लाइड एण्ड नेचुरल साइंस, 10(3): 939-944.

दुबे, एस०सी० (1977). ट्राइबल हेरिटेज ऑफ इंडिया. नई दिल्ली : विकासपब्लिशिंग हाउस.

देव, एच० (1932). बर्थ कस्टम्स एमंग थारुज. मैन इन इंडिया, 12: 116-160.

दोषी, एच० (1998). सोशियो-कल्चरल चेंजेज इन कोटवालिआ ट्राइब. इन सच्चिदानंद एंड प्रसाद, आर०आर० (एडी०). इनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन ट्राइब्स (वा-2). नई दिल्ली : डिस्कवरी पब्लिशिंग हाउस.

द्विवेदी, ए०के० (2009). थारु जनजाति एवं उनमें महिलाओं की सुदृढ़ स्थिति : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन. आई०जे०एच०एस०एस०, 2(4): 1611-17.

नेपाल. (2006). डिक्लीज्ड मलेरिया मॉर्बिडिटी इन दि थारु पीपल कम्पेयर्ड टू सिम्पैट्रिक पापुलेशन इन नेपाल. भृकुटी मण्डप, काठमाण्डू : नेपाल टूरिज्म बोर्ड.

नैसफील्ड, जे०सी० (1885). डिस्क्रिप्शन ऑफ दि मैनर्स इन्डस्ट्रीज एण्ड रिलीजनऑफ दि थारुज एण्ड बुक्सा ट्राइब ऑफ अपर इण्डिया. कलकत्ता रिव्यू, 31:115.

पटनायक, एस०एम० (2011). कल्चरल आइडेन्टिटी एण्ड डेवलपमेंट : एन एकाउंट ऑफ टीम इथनोग्राफी एमंग दि भील ऑफ झबुआ. जयपुर : रावत पब्लिकेशंस.

पाठक, ए० (2015). सहरिया जनजाति का समाजशास्त्रीय अध्ययन (गवालियर-चम्बल संभाग के विशेष संदर्भ में). पी-एच०डी० शोध ग्रन्थ

पाती, आर०एन० एण्ड दास, जे० (2002). ट्राइबल एण्ड इंडिजिनियस पीपल ऑफ इंडिया : प्राब्लम्स एण्ड प्रॉस्पेक्ट्स. नई दिल्ली : ए०पी०एच०.

पाल, के० (2015). गोंड जनजाति और उनके धार्मिक अनुष्ठान : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन. एशियन जर्नल ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडीज, 3(1): 238-241.

प्रसाद, एस० (1974). व्हेयर दि थ्री ट्राइब्स मीट. इलाहाबाद : इण्डियन इन्टरनेशनल पब्लिकेशन्स.

बसु, डी0डी0 (2013). भारत का संविधान : एक परिचय, गुडगॉव हरियाणा :
बिष्ट, बी0एस0 (1993). थारु जनजाति में सामाजिक संगठन के स्वरूप एवं उनका आर्थिक जीवन पर
प्रभाव, मानव, लखनऊ : एन्थ्रोपॉलॉजिकल एण्ड फोक कल्चर सोसाइटी.

बिष्ट, बी0एस0 (1994). ट्राइब्स ऑफ इण्डिया-नेपाल-तिब्बत बार्डरलैण्ड : ए स्टडी ऑफ कल्चरल
ट्रांसफॉर्मेशन. नई दिल्ली : ज्ञान पब्लिशिंग हाउस.

बिष्ट, बी0एस0 (1997). उत्तरांचल : ग्रामीण समुदाय पिछड़ी जाति एवं जनजातीय परिदृश्य. अल्मोड़ा :
श्री अल्मोड़ा बुक डिपो.

बेत्ते, ए0 (1975). दि डिफिनीशन ऑफ ट्राइब : ट्राइब, कास्ट एण्ड रिलीजनमुम्बई : मैकमिलन इण्डिया.

बेत्ते, ए0 (1965). कास्ट, क्लास एण्ड पॉवर : चॉजिंग पैटर्न्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन इन ए तन्जौर विलेज.
बर्कले एण्ड लॉसएन्जिलेस : यूनीवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया प्रेस.

बेवर, मैक्स. (1967). एस्सेज आन सोशियोलोजी. (एडिटेड बाई जे0एस0 मिल). ब्रॉडवे, लन्दन : केगन
पाल लि0.

बैनेडिक्ट, रूथ (1904). पैटर्न ऑफ कल्चर. लंदन : रूटलैज एण्ड केगन पॉल.

बैली, एफ0जी0 (1960). ट्राइब, कास्ट एण्ड नेशन. मुम्बई : आक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी प्रेस

बैली, एफ0जी0 (1961). ट्राइब एण्ड कास्ट इन इण्डिया. इन कंट्रीब्यूशन टू इण्डियन सोशियोलॉजी,
वा0-5. पृ0 7-19.

बोस, एन0के0 (1941). दि हिन्दू मैथड्स ऑफ ट्राइबल एब्जॉर्प्शन. दिल्ली : साइंस एंड कल्चर, .

बोस, एन0के0 (1970). ट्राइबल लाइफ इन इंडिया. नई दिल्ली : नेशनल बुक ट्रस्ट.

ब्रह्मनाथ. (2018). आदिवासियों की धार्मिक विरासत - झारखण्ड के विशेष संदर्भ में, राधाकमल मुकर्जी :
चिन्तन परम्परा, 20(2): 131-136.

भट्ट, आर0 (1995). जनजातीय उद्यमिता का विकास. जयपुर : हिमांशु पब्लिकेशन्स.

भट्ट, ए0 (2002). लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण एवं उभरता जनजातीय नेतृत्व जयपुर : रावत
पब्लिकेशन्स.

भसीन, वी0 (2007). स्टेटस ऑफ ट्राइबल वूमेन. स्टडीज आन होम एण्ड कम्युनिटी साइंस, 1(1): 1-16.

भारत सरकार. (2014). भारत की जनगणना-2011. नई दिल्ली : भारत सरकार, गृह मंत्रालय,
महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय.

मजूमदार, डी0एन0 (1942). दि थारुज एण्ड दियर ब्लड ग्रुप्स. जर्नल ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी
ऑफ बंगाल, 8(1): 25-38.

मजूमदार, डी०एन० (1944). दि फॉरच्यूनस ऑफ ट्राइब्स. लखनऊ : यूनीवर्सल बुक डिपो.

मजूमदार, डी०एन० (1949). दि चेन्जिंग केनवास ऑफ ट्राइबल लाइफ, द ईस्टर्न एन्थ्रोपोलॉजिस्ट, 3.

मजूमदार, डी०एन० (1950). दि एफेयर्स ऑफ ए ट्राइब : ए स्टडी इन ट्राइबल डायनमिक्स. लखनऊ : यूनीवर्सल पब्लिशर्स.

मजूमदार, डी०एन० (1962). हिमालयन पॉलीएण्ड्री, स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग एण्ड कल्चरल चेंज, ए फील्ड स्टडी ऑफ जौनसार बावर. बम्बई : एशिया पब्लिशिंग हाउस.

मजूमदार, डी०एन० (1967). एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एन्थ्रोपोलॉजी. मुम्बई : एशिया पब्लिशिंग हाउस

माथुर, एस० (1967). मैरिज एमंग दि थारुज ऑफ चन्दनचौकी. ईस्टर्न एन्थ्रोपोलॉजिस्ट, 20(1): 33-46.

मान, आर०एस० (1978). प्राब्लम्स ऑफ इण्डियन ट्राइब्स : ए ब्रीफ रिव्यू. दि ट्राइब, 11(1): 129-133.

मान, आर०एस० एण्ड व्यास, एन०वी० (1980). इण्डियन ट्राइब्स इन ट्रांजिशन जयपुर : रावत पब्लिकेशन.

मिश्रा, पी०के० एण्ड भट्ट, एच०के० (2011). ट्राइब स्टेट एंड इम्पावरमेंट : दि इंडियन एक्पेरियंस. मेदिनीपुर : एकेडमी ऑफ एंथ्रोपॉलिजिस्ट.

मित्रा, ए० (2008). दि स्टेटस ऑफ वूमेन एमंग सिड्युल्ड ट्राइब्स इन इण्डिया दि जर्नल ऑफ सोशियो-इकोनॉमिक्स, 37(3): 1202-1217.

मुण्डा, एस०सी० (2003). पंचपरगना के मुण्डाओं पर हिन्दू धर्म का प्रभाव., बुण्डू : कैलाश पेपर कंवर्जन प्रा०लि०.

मेहता, पी०सी० (1994). वालेन्टरी आर्गेनाइजेशन एण्ड ट्राइबल डेवलपमेंटउदय पुर : शिवा पब्लिकेशर्स.

यादव, एम०एस० (1994). आदिवासी समुदाय में स्वास्थ्य के कुछ पक्ष का अध्ययन. जयपुर : रावत पब्लिकेशन्स.

यादव, एस० (2017). कंटीन्युटी एण्ड चेंज एमंग थारु ट्राइब : ए सोशियो-कल्चरल स्टडी. आई०जे०आर०सी०एस०, 1(8): 173-178.

यू०एन०डी०पी० (1994). ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट-1994 : न्यू डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी. न्यूयार्क : यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम.

रथनैय्या, ई०वी० (1977). स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स इन ट्राइबल एजुकेशन : ए रीजनल स्टडी. नई दिल्ली : स्टर्लिंग.

राजोरा, एस०सी० (1986). ट्राइबल सोसायटी एण्ड इट्स डिफरेंशियल प्रोफाइलवन्य जाति, 34(1): 7-10.

राधाकृष्णन्, एस० (1948). रिलीजन एण्ड सोसायटी. लन्दन : जार्ज एलन एण्ड

अनविल लि०. रायबर्मन, जे०जे० (2012). स्टेटस ऑफ ट्राइबल वूमेन इन इण्डिया. मेनस्ट्रीम, 50(12), मार्च 12.

रायबर्मन, बी०के० (1972). ट्राइबल डेमोग्राफी : ए प्रिलिमनरी एप्राइजल. इन रायबर्मन, बी०के० (1973). मार्टिनाइजेशन ऑफ ट्राइबल पीपल आन इण्डियाज बार्डर. इन माथुर, के०एस० (एडी०). स्टडीज इन सोशल चेंज. लखनऊ : रावत, ए० (1996). तराई के वन एवं वनवासी. नैनीताल : उत्तर प्रदेश प्रशासन अकादमी, सेन्टर फार डेवलपमेन्ट स्टडीज.

रावत, एच०के० (2007). समाजशास्त्र विश्व कोश. जयपुर : रावत पब्लिकेशन्स. राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् (2011). अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 पर संस्तुतियाँ. 26 फरवरी, नई दिल्ली.

रॉस, एडवर्ड ए० (1908). सोशल साइकोलॉजी. न्यूयार्क : दि मैकमिलन कं०. रिजले, एच०एच० (1892). ट्राइब एण्ड कास्ट्स ऑफ बंगाल (वा०-2). कलकत्ता : सिक्रेट्रिएट प्रेस.

रिजले, एच०एच० (1908). दि पीपुल्स ऑफ इण्डिया. कलकत्ता : ठक्कर, स्पिंक एण्ड कं०. लाहिड़ी-दत्त, के०, कृष्णन, आर० एण्ड अहमद, एन० (2012). लैण्ड एक्विजीशन एण्ड डिस्पोजीशन : प्राइवेट कोल कम्पनीज इन झारखण्ड. इकोनॉमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली, 47(6): 39-45.

लावी, आर०एच० (1956). मैरिज. इन इनसाइक्लोपडिया ऑफ द सोशल साइंस (वा०-10). न्यूयार्क : मैकमिलन.

लिंग्टन, जी० (1940). एकल्वरेशन इन सेवन अमेरिकन इण्डियन ट्राइब्स. न्यूयार्क : डी० एपल्टन-सेन्चुरी कं०.

फॉरेस्ट गवर्नेन्स. इकोनॉमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली, 52(25-26): 55-58.

लेविस, आई०एम० (1968). ट्राइबल सोसायटी. इन इंटरनेशनल इन्साक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज (वा०-16). न्यूयार्क : दि मैकमिलन कं०.

लेवी, मैरियन जे० (1954). कन्ट्रास्टिंग फैक्टर्स इन द मॉडर्नाइजेशन ऑफ चाईना एण्ड जापान. इकोनॉमिक डेवलपमेंट एण्ड कल्चरल चेंज, 2(3): 161-97.

वर्मा, एस०सी० (2010). दि इको-फ्रेंडली थारु ट्राइब : ए स्टडी इन सोशियो-कल्चरल डायनामिक्स. जर्नल ऑफ एशिया पेशिफिक स्टडीज, 1(2):

- वर्मा, एस0सी0 (2011). दि स्ट्रगलिंग थारू यूथ : स्टडी ऑफ अवेयरनेस एमंग दि थारू ट्राइब ऑफ इण्डिया. कल्चरल एन्थ्रोपोलॉजी, 7(2): 213-224.
- वर्ल्ड बैंक. (1996). पार्टिसिपेशन सोर्सबुक. वाशिंगटन डी0सी0 : वर्ल्ड बैंक.
- वशिष्ठ, आर0 (2008). महिला सशक्तिकरण और सहकारिता : श्रीगंगानगर (राजस्थान) जिले के विशेष संदर्भ में. सामाजिक सहयोग, 4(16): 25-29.
- विद्यार्थी, एल0पी0 (1964). कल्चरल कंटूर्स ऑफ ट्राइबल बिहार. कोलकाता : पंथी पुस्तक.
- विद्यार्थी, एल0पी0 (1973). डायनामिक्स आफ ट्राइबल लीडरशिप इन बिहार, इलाहाबाद : किताब महल.
- विद्यार्थी, एल0पी0 (1978). डायनामिक्स ऑफ ट्राइबल लीडरशिप इन बिहार : रिसर्च प्रोजेक्ट आन चेंजिंग लीडरशिप इन ट्राइबल सोसायटी, 1967-71. इलाहाबाद : किताब महल.
- विद्यार्थी, एल0पी0 एण्ड राय, बी0के0 (1976). दि ट्राइबल कल्चर ऑफ इण्डियानई दिल्ली : कंसेप्ट पब्लिशिंग हाउस.
- विमलचन्द्र. (1968). हैण्डबुक ऑफ सिड्युल्ड कास्ट्स एण्ड सिड्युल्ड ट्राइब्सनई दिल्ली : इंफार्मेशन डिवीजन, गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया.
- विसवाल, जी0सी0 (1985). ट्राइबल डेवलपमेंट एण्ड एजुकेशन, सम इश्यूजवन्य जाति, 32(1): 13-17.
- वीनर, माइरन. (1967). मॉडर्नाइजेशन दि डाइनामिक्स ऑफ ग्रोथ. मद्रास : हिग्लिन वाथम लि0.
- वेबर, एम0 (1964). दि थ्योरी ऑफ सोशल एण्ड इकोनॉमिक आर्गनाइजेशन. ग्लेनको : फ्री प्रेस.
- वेस्टरमार्क, ई0 (1921). दि हिस्ट्री ऑफ ह्यूमेन मैरिज (वा0-1). लंदन : मैकमिलन एण्ड कं0.
- वैद्य, एन0के0 (2003). जनजातीय विकास : मिथक एवं यथार्थ. जयपुर : रावत पब्लिकेशन्स.
- व्हाइट, लिन. (1962). मिडिबल टेक्नालॉजी एण्ड सोशल चेंज. लंदन : आक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी प्रेस
- शर्मा, आर0एल0 (1967). जनजातीय जीवन और संस्कृति. कानपुर : सहचरी

प्रकाशन.

शर्मा, एन0 (2018). उत्तराखण्ड जनजातीय समाज की संस्कृति एवं सामाजिक परम्परायें. शोध मंथन, 4(1): 19-25.

शर्मा, डी0डी0 (2002). उत्तराखण्ड का लोकजीवन एवं संस्कृति. हल्द्वानी, नैनीताल : अंकित प्रकाशन.

शर्मा, पी0एन0 एवं झा, एस0के0 (2008). महिला सशक्तिकरण एवं समग्र विकास. लखनऊ : भारत बुक सेंटर.

शर्मा, पी0एन0 एवं विनायक, वी0 (2004). गरीबी उन्मूलन एवं महिला सशक्तिकरण. लखनऊ : भारत बुक सेंटर. शर्मा, बी0डी0 (1984). प्लासिंग फार ट्राइबल डेवलपमेंट. नई दिल्ली : प्राची प्रकाशन.

शर्मा, सी0एल0 (2008). लैंगिक पूर्वाग्रह बनाम औरत की बराबरी. युद्धरत आम आदमी, 90(1): 64-65.

शर्मा, श्रीनाथ. (2007). जनजातीय समाजशास्त्र. भोपाल : मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी.

शाह, घनश्याम. (1984). इकोनॉमिक डिफरेंशिएशंस एण्ड ट्राइबल आइडेंटिटी, नई दिल्ली : अजंता पब्लिकेशन.

सोसाइटीज (वा0-2). मुम्बई : ठक्कर एण्ड कं0. पृ0 240-253.

शाह, वी0 (1969). ट्राइबल इकोनॉमी इन गुजरात. जयपुर : प्रिंटवेल पब्लिकेशंस³⁷³

शिल्स, प0 (1981). ट्रेडिशन. शिकागो : युनीवर्सिटी ऑफ शिकागो प्रेस.

शिवा, वंदना (1988). स्टेइंग एलाइब : वूमेन, इकोलॉजी एण्ड डेवलपमेंट. लंदन : जेड बुक्स.

शुक्ला, एस0 (2017). दि थारु ट्राइब : इन बिटवीन ट्रेडीशन एण्ड माडर्निटीइंटरेक्शन, 35(3): 56-60.

शुक्ला, जी0 (2009). वर्तमान परिवेश में विवाह संस्कार का महत्व. गवाक्ष, 9: 84-87.

शुक्ला, पी0बी0 (2016). स्टेटस ऑफ एडोलसेंट गर्ल्स इन थारु ट्राइब ऑफ

लखीमपुर खीरी इन उत्तर प्रदेश, इंडिया. एंथ्रोपोलॉजिकल बुलेटिन, 6(1):54-59.

सक्सेना, आर0एन0 (1972). मॉडर्नाइजेशन एण्ड डेवलपमेंट ट्रेन्डस इन इण्डिया सोशियोलॉजिकल बुलेटिन, 21(9).

सच्चिदानन्द. (1975). एजुकेशनल प्रॉब्लम ऑफ सिड्युल्ड कास्ट्स : ए सिड्युल्ड

ट्राइब इन बिहार (वा0 1-2). पटना : ए0एन0एस0 इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल

साइंस.

सच्चिदानन्द. (1964). कल्चरल चेंज इन ट्राइबल बिहार : मुण्डा एण्ड उरांवकलकत्ता

: बुकलैण्ड प्रा0लि0.

सच्चिदानन्द. (1979). चेंजिंग मुण्डा. नई दिल्ली. : कंसेप्ट पब्लिशिंग कं0.

सिंह, एम0एन0 (2007). भारत में जाति प्रथा स्वरूप, कर्म और उत्पत्ति. नई

दिल्ली : मोतीलाल बनारसी दास.

सिंह, एल0आर0 (1956). दि थारु : ए स्टडी इन ह्यूमन इकोलॉजी.

एन0जी0जे0आई0, 2(3).

सिंह, एस0डी0 (2017). भारत में सांस्कृतिक परिवर्तन : अस्मिता एवं वैश्वीकरण
राधाकमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा, 19(2): 1-23.

सिंह, एस0 एवं श्रीवास्तव, एस0पी0 (2001). जेंडर इक्वेलिटी थो वूमेन

इम्पावरमेंट , स्ट्रेटजीज एण्ड एप्रोचेज. लखनऊ : भारत बुक सेंटर.

सिंह, के0एस0 (1994). दि सिङ्गुलुड ट्राइब्स. नई दिल्ली : ऑक्सफोर्ड
युनीवर्सिटी प्रेस.

सिंह, जे0डी0 (1992). थारु : एक संकटग्रस्त समाज. परिक्रमा, 5(6): 51-55).

सिंह, बी0 (1977). ए कम्परेटिव स्टडी ऑफ सेवन ट्राइब्स ऑफ इण्डिया :

इकोनॉमिक डायमेंस. दि ट्राइबल, 10(1): 14-19.

सिंह, बी0 (1985). मैरिज एमंग दि सेवन ट्राइब्स ऑफ इंडिया : ए कम्परेटिव

एप्रोच. दि ईस्टर्न एन्थ्रोलॉजिस्ट, 32 : 323-330.

सिंह, बी0के0 (2011). गोंड जनजाति में सांस्कृतिक परिवर्तन. वाराणसी : भारती
प्रकाशन.

सिंह, सी0 (1986). कॉमन प्रापर्टी एण्ड कॉमन पावर्टी : इण्डियाज फॉरेस्ट, फॉरेस्ट डेवलर्स, एण्ड दि ला.
नई दिल्ली : आक्सफोर्ड युनीवर्सिटी प्रेस.

सिन्हा, एस0 (1967). ट्राइब-कास्ट एण्ड ट्राइब पीसेंट कंटीन्यू इन सेंट्रल इंडिया. मैन इन इंडिया,
45(1): 9-12.

सिन्हा, एस0 (1980). ट्राइब्स एंड इंडियन सिविलाइजेशन पर्सपेक्टिव. मैन इन इंडिया, 60(1-2): 1-16.

सिन्हा, एस0सी0 (1987). ट्राइबल पॉलिटिक्स एण्ड स्टेट सिस्टम इन प्रिकॉलोनियल इस्टीम एंड
नार्थ-ईस्ट इंडिया. कोलकाता : सी0एम0एस0.

सेट्टी, ई0डी0 एण्ड मूर्ति, पी0के0 (2001). वूमेन इम्पावरमेंट थ्रु इंटरप्रन्युवरशिप डेवलपमेंट. नई दिल्ली :
अनमोल पब्लिकेशंस प्रा0 लि0.

सेन, एस0 (1999). सम अस्पेक्ट्स ऑफ स्टेट एनजीओ रिलेशनशिप्स इन

इंडिया इन दि पोस्ट-इनडिपेंडेंस इरा. डेवलपमेंट एण्ड चेंज, 30(2): 327-355.

सैनी, आर0एस0 (1978). आदिवासियों पर औद्योगिकीकरण का प्रभाव : ए केस

सिंह, एम0एन0 (2007). भारत में जाति प्रथा स्वरूप, कर्म और उत्पत्ति. नई

दिल्ली : मोतीलाल बनारसी दास.

सिंह, एल0आर0 (1956). दि थारु : ए स्टडी इन ह्यूमन इकोलॉजी.

एन0जी0जे0आई0, 2(3).

सिंह, एस0डी0 (2017). भारत में सांस्कृतिक परिवर्तन : अस्मिता एवं वैश्वीकरण
राधाकमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा, 19(2): 1-23.

सिंह, एस0 एवं श्रीवास्तव, एस0पी0 (2001). जेंडर इक्वेलिटी थो वूमेन
इम्पावरमेंट , स्ट्रेटजीज एण्ड एप्रोचेज. लखनऊ : भारत बुक सेंटर.

सिंह, के0एस0 (1994). दि सिङ्गुलुड ट्राइब्स. नई दिल्ली : ऑक्सफोर्ड
युनीवर्सिटी प्रेस.

सिंह, जे0डी0 (1992). थारु : एक संकटग्रस्त समाज. परिक्रमा, 5(6): 51-55).

सिंह, बी0 (1977). ए कम्परेटिव स्टडी ऑफ सेवन ट्राइब्स ऑफ इण्डिया :

इकोनॉमिक डायमंशे िस. दि ट्राइबल, 10(1): 14-19.

सिंह, बी0 (1985). मैरिज एमंग दि सेवन ट्राइब्स ऑफ इंडिया : ए कम्परेटिव
एप्रोच. दि ईस्टर्न एन्थोलॉजिस्ट, 32 : 323-330.

सिंह, बी0के0 (2011). गोंड जनजाति में सांस्कृतिक परिवर्तन. वाराणसी : भारती
प्रकाशन.

सिंह, सी0 (1986). कॉमन प्रापर्टी एण्ड कॉमन पावर्टी : इण्डियाज फॉरेस्ट, फॉरेस्ट डेवलर्स, एण्ड दि ला.
नई दिल्ली : आक्सफोर्ड युनीवर्सिटी प्रेस.

सिन्हा, एस0 (1967). ट्राइब-कास्ट एण्ड ट्राइब पीसेंट कंटीन्यू इन सेंट्रल इंडिया. मैन इन इंडिया,
45(1): 9-12.

सिन्हा, एस0 (1980). ट्राइब्स एंड इंडियन सिविलाइजेशन पर्सपेक्टिव. मैन इन इंडिया, 60(1-2): 1-16.

सिन्हा, एस0सी0 (1987). ट्राइबल पॉलिटिक्स एण्ड स्टेट सिस्टम इन प्रिक्विलोनियल इस्टीम एंड
नार्थ-ईस्ट इंडिया. कोलकाता : सी0एम0एस0.

सेट्टी, ई0डी0 एण्ड मूर्ति, पी0के0 (2001). वूमेन इम्पावरमेंट थ्रु इंटरप्रन्युवरशिप डेवलपमेंट. नई दिल्ली :
अनमोल पब्लिकेशंस प्रा0 लि0.

सेन, एस0 (1999). सम अस्पेक्ट्स ऑफ स्टेट एनजीओ रिलेशनशिप्स इन
इंडिया इन दि पोस्ट-इनडिपेंडेंस इरा. डेवलपमेंट एण्ड चेंज, 30(2): 327-355.

सैनी, आर0एस0 (1978). आदिवासियों पर औद्योगिकीकरण का प्रभाव : ए केस

स्टडी ऑफ बैलाडीला, राष्ट्रीय श्रम संस्थान बुलेटिन, 4(8): 7-9.

श्रीनिवास, एम0एन0 (1956). सोशल चेंज इन माडर्न इण्डिया, मुम्बई : एलाइड पब्लिशर्स, बाम्बे.

श्रीनिवास, एम0एन0. 1962. कार्ट इन मॉडर्न इंडिया, एशिया पब्लिशिंग हाउस.

श्रीनिवास, एम0एन0 (1971). माडर्नाइजेशन : ए पयू कचेरीज, इन देशार्थ, ए0आर0 (एडी0). एसेज आन माडर्नाइजेशन ऑफ अण्डरडेवलप्ड सोसाइटीज (वा0-1).

मुम्बई : ठक्कर एण्ड कं०, पृ० 149-158.

श्रीनिवास, एम0एन0 (1991). आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन, नई दिल्ली : राजकमल प्रकाशन प्रा०लि०.

श्रीवास्तव, आर0पी0 (1964). दि फिजिकल एन्थ्रोपोलॉजी ऑफ दि थारुज ऑफ उत्तर प्रदेश, पी-एच0डी0 थीसिस, लखनऊ : युनीवर्सिटी ऑफ लखनऊ.

श्रीवास्तव, ए0आर0एन0 (1975). मॉडलिंग डेवलपमेंट सर्विस इन डोमेस्टिक ग्रुप्स.

शोध प्रबंध (सोशियोलॉजी), इलाहाबाद : युनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद.

श्रीवास्तव, एम0 (2007). दि सेक्रेड कांपलेक्स ऑफ मुंडा ट्राइब्स, एंथ्रोपोलॉजी, 9(4): 323-330.

श्रीवास्तव, एस0 (2015). भारत का जनजातीय परिदृश्य, राधाकमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा, 17(2):

36-42.

श्रीवास्तव, एस0एल0 एण्ड पाण्डा, के0सी0 (1979). पारजा एण्ड काँध ट्राइब्स ऑफ काँधपारा ऑफ दि विलजे वेगिगुरा : ए स्टडी ऑफ सम ऑफ दियर नीड्स, जर्नल ऑफ सोशल रिसर्च, 22(1): 42-48.

श्रीवास्तव, एस0के0 (1958). दि थारुस : ए स्टडी इन कल्चरल डायनामिक्स नई दिल्ली : ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.

श्रीवास्तव, वी0के0 (2010). सोशियो-इकोनॉमिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज दैट काल दैमसेल्वस हिन्दू वर्किंग पेपर सीरीज, नई दिल्ली : इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ दलित स्टडीज.

हक, जे0 (2017). जनजातियों में परसंस्कृतिग्रहण की प्रक्रिया : हिन्दू रण के संदर्भ में एक अध्ययन, राधाकमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा, 19(2): 171-176.

हट्टन, जे0एच0 (1921). दि सेमा नागाज, लंदन : मैकमिलन एण्ड कम्पनी.

हसन, ए0 (1993). अफेयर्स ऑफ एन इण्डियन ट्राइब, लखनऊ : न्यू रॉयल बुक कं०.

हाजरा, डी0 (1970). दि दोरला ऑफ बस्तर, कलकत्ता : एन्थ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया.

हॉबेल, ई0ए0 (1954). दि ला ऑफ प्रिमिटिव मैन. लंदन : हावर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.

हालपर्न, एम0 (1965). दि रेट एण्ड कॉस्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलेपमेन्ट. एनल्स ऑफ दि अमेरिकन एकेडमी ऑफ पॉलिटिकल एण्ड सोशल साइंस, 358(3):21-23.

हालपर्न, एम0 (1965). दि रेट एण्ड कॉस्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलेपमेन्ट. एनल्स ऑफ दि अमेरिकन एकेडमी ऑफ पॉलिटिकल एण्ड सोशल साइंस, 358(3): 21-23.

हॉबेल, ए0ए0 (2006). दि लॉ ऑफ प्रिमिटिव मैन : स्टडी इन कम्परेटिव लीगल डायनामिक्स. लंदन : हावर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.

हेमंडाफ, एफ0सी0 (1948). राजगोंड्स ऑफ आदिलाबाद : ए प्रजेक्ट कल्चर ऑफ डेक्कन. लंदन : मैकमिलन.

हैगन, ई0ई0 (1962). आन दि थ्योरी ऑफ सोशल चेंज. होमवुड, इलिनाएस : डोर्से प्रेस.

त्रिवेदी, आर0 एण्ड आचार्य, जे0 (1996). कंस्ट्रक्टिंग ए केस फार एन अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क फार अण्डरस्टैंडिंग सिविल सोसाइटी, दि स्टेट एण्ड दि रोल ऑफ एनजीओज. इन क्लेटन, ए0 (एडी0). एनजीओज, सिविल सोसाइटी एण्ड स्टेट – बिल्डिंग डेमोक्रेसी इन ट्रान्जिशन सोसाइटीज. आक्सफोर्ड : इट्रेक

वेरियर, एल्विन, (1943), "द अबोरिजिनलस्", ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, बम्बई, पृष्ठ संख्या-5
सेन्सस ऑफ इण्डिया, (2011), पृष्ठ संख्या-13

वार्षिक संदर्भ ग्रन्थ भारत, (2019), प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या-1041

आहूजा, राम, (2016), "सामाजिक समस्याएं", रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, पृष्ठ संख्या-149

मजूमदार, डी. एन., और मदान, (1956), "एन इन्ट्रोक्शन टू सोशल एन्थ्रोपोलॉजी",

एशिया पब्लिशिंग हाउस, बम्बई, पृष्ठ संख्या-253

मुखर्जी, रवीन्द्रनाथ, (2007), "सामाजिक मानवशास्त्र की रूपरेखा", विवेक प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या-63

वाल्टन, एच.जी., (2005), "गजेटियर ऑफ देहरादून", नटराज पब्लिशर्स देहरादून, पृष्ठ संख्या-5

गिलिन, जे. एल. एण्ड गिलिन, जे. पी., (1950), "कलचरल सोसियोलॉजी", दि मैकमिलन कम्पनी, न्यूयार्क, पृष्ठ संख्या-282

रिवर्स, डब्ल्यू. एच.आर., (1906) "दि टोड़ाज", मैकमिलन, लंदन, पृष्ठ संख्या-356

बोआम, एफ., (1928), "ऑन्थ्रोपोलोजी एण्ड मॉडर्न लाइफ", डब्ल्यू. डब्ल्यू. नार्चम एण्ड कम्पनी, न्यूयार्क, पृष्ठ संख्या-26

विद्यार्थी, एल.पी., (1977), "हरिजन टुडे", क्लासिकल पब्लिकेशन, न्यू दिल्ली, पृष्ठ संख्या-16

दूबे, एस.सी., (1977), "ट्राइबल हैरिटेज ऑफ इण्डिया", विकास पब्लिकेशन, न्यू दिल्ली, पृष्ठ संख्या-5

वार्षिक संदर्भ ग्रन्थ भारत (2019), प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नईदिल्ली, पृष्ठ संख्या-1259

<https://socialwelfare.uk.gov.in/>

एटकिन्स, इ.टी., (1982), "दि हिमालयन गजेटियर", कास्मो पब्लिकेशन, दिल्ली

रिजले, हरबर्ट, (1891), "द पिपुल्स ऑफ इण्डिया",

मजूमदार, डी.एन., (1944) "द फोरच्यून ऑफ ट्राइब्स", यूनिवर्सल लखनऊ

मजूमदार, डी.एन., (1949), "द चेन्जिंग केनवास ऑफ ट्राइबल लाइफ", द ईस्टर्न एन्थ्रोपोलॉजिस्ट वोल्यूम 3

श्रीवास्तव, एस.के., (1958), "थारु ए स्टडी इन कल्चर डायनामिक्स", यूनिवर्सिटी प्रेस

एल्विन, (1964) "द ट्राइबल वर्ल्ड ऑफ वेरियर एल्विन", ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, मुम्बई

थुसु, (1968), "द धुर्वा ऑफ बस्तर", एन्थ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया, कलकत्ता

विद्यार्थी, एल.पी., (1968), "कल्चर चेन्ज इन ट्राइबल ऑफ मॉडर्न इण्डिया" 55 इण्डिया कांग्रेस, वाराणसी

चटर्जी, बी.बी., (1975) "भोटियाज ऑफ इण्डो तिब्बत बार्डर ऑफ उत्तराखण्ड", टाइप प्रोजेक्ट रिपोर्ट

हसन, अमीर, (1978), "बुक्साज ऑफ तराई", बी.आर. पब्लिकेशन कारपोरेशन

नेसफील्ड, जे.सी., (1985), "डिस्क्रिप्शन ऑफ मैनेर्स, इण्डस्ट्रीज एण्ड रिलीजन ऑफ द थारु एण्ड

बोक्सा ट्राइब ऑफ अपर इण्डिया", कलकत्ता रिव्यू

श्रीवास्तव, ए.आर.एन., (1992), "भारत के कमजोर वर्ग", ज्ञानदीप पब्लिकेशन, इलाहाबाद

- बिष्ट, बी.एस., (1993), "थारु जनजाति में सामाजिक संगठन के स्वरूप एवं उनका आर्थिक जीवन पर प्रभाव", मानव, एन्थ्रोपॉलॉजिक एण्ड फोक कल्चर सोसाइटी, लखनऊ
- बिष्ट, बी.एस., (1996), "उत्तराखण्ड की जनजातियाँ एवं जातीय समीकरण" इन उत्तराखण्ड टू डे (इंडी) बोर्ड के.एस. वाल्दिया, श्री अल्मोड़ा बुक डिपो, अल्मोड़ा
- लवानिया, एम.एल., जैन, के.शशि, (2007), "भारत में जनजातियों का समाजशास्त्र", रिसर्च पब्लिकेशन, जयपुर
- गुप्ता, रमणिका, (2008), "आदिवासी कौन", राधा प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या-29
- चौहान, विद्या सिंह, राय, श्री, (2008), "भारत की जनजाति उत्तराखण्ड के विशेष सन्दर्भ में", ट्रांसमीडिया प्रकाशन, श्रीनगर गढ़वाल उत्तराखण्ड, पृष्ठ संख्या-37
- यादव, वीरेन्द्र सिंह, (2012), "आदिवासी विमर्श स्वस्थ जनतांत्रिक मूल्यों की तलाश", पैसिफिक पब्लिकेशन एन 187 शिवाजी चौक, सादतपुर एक्सटेंशन, दिल्ली
- वर्मा, सुभाष चन्द्र, (2010), "द इको फ्रेंडली थारु ट्राइब: ए स्टडी इन सोशियो जर्नल ऑफ मल्टीडिसीप्लिनरी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वॉल्यूम 4, पृष्ठ संख्या-89-93
- शर्मा, डी.डी., (2018), "उत्तराखण्ड का लोकजीवन एवं लोक संस्कृति", अंकित प्रकाशन चन्द्रावती कालोनी पीलीकोठी, हल्द्वानी
- Census (2011)- Demographic Status of Scheduled Tribe Population of India-p-8.** accessed from <http://tribal-nic.in/WriteReadData/userfiles/file/Demographic-pdf>
- बिष्ट, बी.एस. (1997). उत्तरांचल. अल्मोड़ा: श्री अल्मोड़ा बुक डिपो, पृष्ठ 153
- हरिश्चन्द्र उप्रेती (1970) भारतीय जनजातियाँ— राजस्थान, सामाजिक विज्ञान, हिन्दी रचना केन्द्र, पृष्ठ
- सी-बी- मेमोरिया (1957) ट्राइबल डेमोग्राफी इन इण्डिया— देल्ही: किताब महल, पृष्ठ 19
- एल्विन वेरियर (1961) न्यू डील फॉर ट्राइबल इण्डिया— गृह मंत्रालय भारत सरकार, पृष्ठ 1
- द इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटैनिका— वॉल्यूम 11, पन्द्रहवाँ संस्करण, पृष्ठ 24
- लंकेश, महेश कुमार (2019), आदिवासियों का असली दुश्मन कौन, सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली
- नाथ, के. (2018) आदिवासी जनजाति आंदोलन, सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली

कुमार, विवेक(2019),दलित समाज-पुरानी समस्या नयी आकांक्षा, एक समाजशास्त्रीय अवलोकन, सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली

गुप्ता, रमणिका(2017), आदिवासी स्वर और नई शताब्दी, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली

तिवारी, डी0 एन0 (1993),वन आदिवासी एवं पर्यावरण, शान्ति प्रकाशन, इलाहाबाद

जैन, श्रीचन्द्र(2015), वनवासी भील और उनकी संस्कृति, राजस्थानी ग्रन्थागार, जोधपुर

मेहता, प्रकाश चन्द्र(1993),भारत के आदिवासी, शिवा पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, उदयपुर

पंजम,स0के0 (2011), 'शूद्रों का प्राचीनतम इतिहास, भानु प्रिन्टर्स, दिल्ली

तिवारी, कनक(2023), आदिवासी उपेक्षा की अंतर्कथा ब्रिटिश हुकूमत से इक्कीसवीं सदी तक,सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन, नई दिल्ली

गुहा, रामचन्द्र(2024), सभ्यता के कोने वेरियर एल्विन और भारतीय आदिवासी समाज, सेतु प्रकाशन प्रा0 लि0,नोएडा

एल्विन, वेरियर. (1954). ट्राइबल मिथ्स ऑफ उड़ीसा, मुम्बई : ऑक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस.

गिलिन एण्ड गिलिन (1950). कल्चर सोशियोलॉजी. न्यूयार्क : दि मैकमिलन कम्पनी.

नैसफील्ड, जे0सी0 (1885). डिस्क्रिप्शन ऑफ दि मैनर्स इन्डस्ट्रीज एण्ड रिलीजन ऑफ दि थारुज एण्ड बुक्सा ट्राइब ऑफ अपर इण्डिया. कलकत्ता रिव्यू

कुमारी, सुनीता(2018). पश्चिमी चम्पारण के थारु जनजातियाँ एवं आदिवासी-सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास(1917-2003)पीएच0डी0 थीसिस, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा.

राकेश कुमार गौड़(2019). उत्तर प्रदेश की थारु जनजाति में सामाजिक आर्थिक गतिशीलता महाराजगंज जिले के विशेष संदर्भ में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के समाचार विभाग में एचडी हेतु प्रस्तुत

अशोक कुमार पाठक(2006). थारु जनजाति की सामाजिक आर्थिक परिवर्तनशीलता एवं सम विकास उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र का एक भौगोलिक अध्ययन भूगोल विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ की पीएचडी

योगेश सिंह राणा(2012) थारु जनजाति में राजनीतिक सहभागिता जनपद उधम सिंह नगर के विशेष संदर्भ में, कुमाऊं विश्वविद्यालय की पीएचडी

गीता सिंह कुशवाहा (2009) उत्तर प्रदेश में थारु जनजाति का आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक प्रत्यावर्तन एक भौगोलिक अध्ययन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पीएचडी

अंशुल सिंह(2021) परंपरा एवं आधुनिकता उत्तर प्रदेश की थारु जनजाति के सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन का एक अध्ययन, समाजशास्त्र विषय पीएचडी लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

श्रीमती प्रेमा तिवारी (1989) थारु जनजाति पर विकास कार्यक्रमों के प्रभाव का समाजशास्त्रीय अध्ययन, पी-एचडी समाजशास्त्र विभाग, कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल

कुमुदिनी रंजन(2022) थारु जनजाति में राजनीतिक नेतृत्व पश्चिमी चंपारण जिले में ग्रामीण स्वाधीन स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में एक अनुभव परक अध्ययन पीएचडी विज्ञान राजनीति विज्ञान विभाग, वनस्थली विद्यापीठ, राजस्थान

दीप्ति गुप्ता (2020)थारु महिलाओं के सशक्तिकरण में राज्य और नागरिक समाज की भूमिका महिला अध्ययन संस्थान लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ

श्रीमती रीना वर्मा (2008) थारु जनजाति की परिवर्तित महत्वाकांक्षा एवं बदलते मूल्य जनपद बहराइच के विशेष संदर्भ में एक समाजशास्त्रीय अध्ययन डॉ राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद थारु पर

गणेश चंद्र (2020) थारु परिवारों की आए वह रोजगार के संबंध में संदर्भ में आर्थिक स्थिति का अध्ययन जनपद उधम सिंह नगर वह चंपावत के विशेष संदर्भ में कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल

सुनीता मणि त्रिपाठी (2002) थारु स्त्रियों परंपरा और आधुनिकता का एक अध्ययन (पश्चिमी चंपारण बिहार के कुछ चुने हुए गांव पर आधारित)शोध प्रबंध वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर

अस्मिता तिवारी थारू जनजाति की लोक कला के विविध रूप लखीमपुर खीरी के जिले के संदर्भ में श्री जगदीश प्रसाद झावरमल तेवड़े वाला विश्वविद्यालय गितानगर झुझुनू राजस्थान

राजीव और पिंटू (2014) सामाजिक संगठन में पूर्वी उत्तर प्रदेश की थारू जनजाति की बदलते पर प्रतिमान एक समाजशास्त्र अध्ययन, डॉ राम मनोहर लोहिया अक्व विश्वविद्यालय फैजाबाद

रीतिका पाठक (2008) जनपद लखीमपुर खीरी की थारू जनजाति का समाज सामाजिक आर्थिक रूपांतरण एक भौगोलिक अध्ययन, वीर बहादुर सिंह पूर्वोत्तर विश्वविद्यालय जौनपुर भूगोल विषय

कुमारी शशि (2006) थारू जनजाति का ऐतिहासिक अध्ययन लखीमपुर खीरी के विशेष संदर्भ में, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ, इतिहास विभाग

उपग्रह के जनपद खखीमपुर खीरी की थारू जन-जाति की शैक्षिक स्थिति,
सामाजिक-आर्थिक स्तर, समाभोजन एवं समस्याओं का अध्ययन
समस्या अनुसूची

अवश्यक निर्देश-

- इस प्रश्नपत्र में कुछ प्रश्न सूचनाएं भी दी गई हैं कृपया इनका उत्तर सही प्रकार से पढ़, समझकर उत्तर दें।
- आपके उत्तर को पूर्ण रूप से गोपनीय रखा जाएगा इसलिए बिना संकोच के उत्तर दें।
- यहाँ पर समय की कोई सीमा नहीं है, फिर भी आप कोशिश करें कि जितना शीघ्र हो सके उत्तर दें।

थारू परिवारों की समस्याएं

ब्याक/तहसील व जनपद का नाम.....
धाना का नाम : ग्राम का नाम..... अंचल का नाम.....
परिवार के मुखिया का नाम..... जाति..... उपजाति :.....
परिवार संख्या : परिवार संयुक्त..... एककी.....

थारू परिवारों की समस्याएं

1. विद्युत/रोशनी की स्थिति.....
2. पीने के स्वच्छ पानी की व्यवस्था.....
3. शिक्षा हेतु अवसर प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च शिक्षा/प्रोफेशनल शिक्षा..
प्राथमिक विद्यालय की दूरी.....
माध्यमिक विद्यालय की दूरी.....
उच्च शिक्षा की दूरी.....
प्रोफेशनल शिक्षा की दूरी.....
4. यातायात के साधन

- रोडवेज बस.....
- प्राइवेट बस.....
- आटो/थ्री व्हीलर.....
- रेलवे स्टेशन की दूरी.....
5. सडक मार्ग की स्थिति, मुख्य मार्ग से जुडाव.....
6. नशा.....
7. जुआं.....
8. अंधविश्वास.....
9. कर्ज.....
10. रोजगार एवं इसके प्रति जागरुकता.....
11. सिंचाई के साधन.....
12. स्वास्थ्य सेवाएं.....
13. क्षेत्रीय भाषा में पाठ्यक्रम की उपलब्धता.....
14. मोबाइल नेटवर्क
15. राजनीतिक जागरुकता.....
16. अधिकारों के प्रति जागरुकता.....
17. सांस्कृतिक जागरुकता.....
18. पर्यावरण के प्रति जागरुकता.....

सह-शोधकर्ती

(डा० दीपा अवस्थी)
सहायक आचार्य, बी०एड० विभाग
आचार्य नरेन्द्र देव टीचर्स ट्रेनिंग
(पी०जी०)कालेज सीतापुर (उ०प्र०)

मुख्य शोधकर्ता

(डा० सुनील कुमार)
आचार्य, बी०एड० विभाग
आचार्य नरेन्द्र देव टीचर्स ट्रेनिंग
(पी०जी०)कालेज सीतापुर (उ०प्र०)

सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण प्रश्नावली
(परिवार) "थारू"

आवश्यक निर्देश-

- इस प्रश्नावली में कुछ प्रश्न सूचनाएं मांगी गई हैं कृपया इनका उत्तर सही प्रकार से पढ़. समझकर उत्तर दें।
- आपके उत्तर को पूर्ण रूप से गोपनीय रखा जाएगा इसलिए बिना संकोच के उत्तर दें।
- यद्यपि समय की कोई सीमा नहीं है, फिर भी आप कोशिश करें कि जितना शीघ्र हो सके उत्तर दें।

ब्लाक/तहसील व जनपद का नाम.....

थाना का नाम : ग्राम का नाम..... अंचल का नाम.....

परिवार के मुखिया का नाम:..... जाति:..... उपजाति :

परिवार संख्या : परिवारसंयुक्त..... एकाकी:.....

परिवार में सदस्यों की संख्या..... कुल पुरुषों की संख्या..... कुल स्त्री..... अन्य.....

आयु वर्ग	पुरुष		स्त्री		अन्य		कुल	
	शिक्षित	अशिक्षित	शिक्षित	अशिक्षित	शिक्षित	अशिक्षित	शिक्षित	अशिक्षित
0-10								
11-18								
19-24								
25-34								
35-44								
45-54								
55-64								
65 से ऊपर								
योग								

शिक्षा

स्तर	पुरुष	स्त्री	अन्य	कुल	गांव में विद्यालय		गांव से विद्यालय की दूरी एवं प्रकार
					हाँ	नहीं	
प्राइमरी							
जुनो हाई स्कूल							
इण्टरमीडियट							
स्नातक							
परास्नातक							

कम शिक्षा का कारण:

- सामाजिक कारण
- आर्थिक कारण
- विद्यालय की दूरी
- आपके क्षेत्र में वर्तमान शिक्षा की त्रुटियाँ
- विद्यालय का अभाव
- विद्यालय में शिक्षकों का अभाव
- विद्यालय में शुरुआती माध्यम का न होना
- विद्यालय में शुरुआती भाषा जानने वाले शिक्षकों का अभाव
- भाषा-
- आन्तरिक बोल-चाल की भाषा
- जन सम्पर्क की भाषा
- भाषा जो लिख सकते हैं

नहर	व्यक्तिगत द्यूबूवल	सरकारी द्यूबूवल	पम्पसेट

कृषि यांत्रिक सुविधायें
आधुनिक यंत्र प्रयोग

ट्रैक्टर	पावर टीलर	पम्पसेट	पावर थ्रेसर	स्र नहीं
हैं	हैं	हैं	हैं	हैं

- पराम्परागत आवश्यक कृषि उपकरण प्रयोग -

हल	पट्टा	फावड़ा	हसिया	दान	कुला	दोनि	टोप	बैल बैना गाड़ी
हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं	हैं

क्षेत्र 0

फसल का नाम

कार्यरत संख्या

प्रयुक्त कुल मूंसि एकड़

पु0

म0

कुल

1

2

3

4

5

6

2 नौकरी

सरकारी	अर्द्ध सरकारी	चाकरी महाजन	कुल आय मासिक
पु0	म0	पु0	कुल

अन्य सूचनाएं

- खेल-कूद :
- खेल-कूद का प्रकार :
- तास :
- नृत्य :
- लोकगीत (गीत)
- वाद्य यन्त्र :
- बाजार हाट :
- सिनेमा :
- कठपुतली :
- नई पीढ़ी की बुराईयां :
- मकान : निजी/किराये/सरकारी भूमि पर
- मकान का प्रकार : पक्का/कच्चा/खपरैला/फूस मिश्रित
- कमरों की संख्या :
- मकान का आकार :
- फर्नीचर :
- पेयजल व्यवस्था.....
- आपके मकान में निम्न में से क्या है
 - साईकिल
 - दोपहिया
 - फोर व्हीलर
 - अन्य

बीमारी होने पर जो है : अस्पताल/ओझा/स्वयं

अस्पताल की दूरी :

- प्रसव का स्थान : घर/अस्पताल

प्रशिक्षित नर्स/दाई

प्रसव किससे कराते हैं :

- धर्म :
- ईश्वर में विश्वास :
- किस ईश्वर में :
- कुलदेवता :
- पूजा की विधि :
- भूत-प्रेत में विश्वास :
- जादू-टोना में विश्वास :
- जादू-टोना कौन करता है :
- ओझा में विश्वास :
- बलि :
- परिवार :
- उत्तराधिकारी (जनजातीय):
- विवाह :
- विवाह के किस प्रकार को अच्छा मानते हैं:
- विवाह की उम्र : वर..... वधू.....
- देहज : हों/नहीं, वर पक्ष द्वारा/वधू पक्ष द्वारा
- तलाक : हों/नहीं

कारण

प्रक्रिया.....

विधवा विवाह :

- आपके घर में निम्न में से क्या-क्या है

कम्प्यूटर, फ्रिज, वाशिंग मशीन, जेनरेटर, इन्वर्टर, मोबाइल, टेलीवीजन

बिजली / शौचालय / स्नानगृह / रेडियो / टेलीवीजन

- आधुनिक सुविधायें : बिजली / शौचालय / स्नानगृह / रेडियो / टेलीवीजन
- वेश भूषा : स्त्री
पुरुष.....
- श्रृंगार : पुरुष.....
स्त्री लिपिस्टिक / पाउडर / काजल / तेल
- आभूषण : स्त्री
पुरुष.....
- भोजन :
- मुख्य भोजन :
- पेय : चाय / काफी / शर्बत / अन्य
- विवाद की स्थिति में : परिवार का मुखिया / ग्राम / न्यायालय
- मुखिया के निर्णय से :
- असन्तुष्ट होने पर जाते हैं :
- ग्रामों के बीच विवाद होने पर :
- यातायात साधन : व्यक्तिगत / सार्वजनिक
- सूचना तंत्र : रेडियो / टेलीविजन / अखबार
- दूरसंचार : टेलिफोन / तार / डाक / अन्य

• सार्वजनिक सर्वेक्षण:-

1. अन्तर्जातीय विवाह को कैसा मानते हैं-
2. बाल-विवाह को कैसा मानते हैं -

3. छुआ-छूत के प्रति विचार—

4. शिक्षा के प्रति विचार—

5. बालिकाओं की शिक्षा आवश्यक है या नहीं—

6. कृषि की नवीनता के प्रति विचार—

7. जादू-टोना व ओझा में विश्वास—

8. सामाजिक रीति-रिवाजों के प्रति विचार—

9. ईश्वर के प्रति विचार—

10. परिवार नियोजन आवश्यक है या नहीं

11. चुनाव के प्रति विचार

सह-शोधकर्ता

मुख्य शोधकर्ता

(डा० दीपा अवस्थी)

आचार्य, बी०एड० विभाग

आचार्य नरेन्द्र देव टीचर्स ट्रेनिंग

(पी०जी०)कालेज सीतापुर (उ०प्र०)

(डा० सुनील कुमार)

सहायक आचार्य बी०एड० विभाग

आचार्य नरेन्द्र देव टीचर्स ट्रेनिंग

(पी०जी०)कालेज सीतापुर (उ०प्र०)?



T.M. Regd. No. 561638
Copyright Regd. No. A. 73256/2005 D. 13.6.05

Prof. A. K. P. Sinha (Raipur)
Prof. R. P. Singh (Patna)

Consumable Booklet
of

AISS-SS
(Hindi Version)

कृपया निम्न सूचनायें भरिए—

दिनांक

1	6	/	1	2	/	2	0	0	2	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

नाम हासिना

आयु 16 लिंग : लड़का ☐ लड़की ☒

स्कूल का नाम राष्ट्रिय पठन लाइब्रेरी कॉलेज चन्दन चौकी खीरी

कक्षा 11 जिला लखीमपुर (खीरी)

निर्देश

आगे के पृष्ठों पर आपके स्वयं के विचार एवं व्यवहार से सम्बन्धित 60 कथन दिये गये हैं। प्रत्येक कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा आप उसके बारे में किस प्रकार सोचते/व्यवहार करते हैं कि आधार पर दिये गये तीन उत्तर विकल्प, यथा सदैव, कभी-कभी तथा कभी नहीं में से जो आपके विचार को दर्शाता है, के खाने में ☒ का चिह्न बना दें।

इस परीक्षण का आपके अकादमिक परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
कृपया सभी 60 कथनों के उत्तर अवश्य दें।

विश्वास रखें, आपके उत्तर गोपनीय रखे जायेंगे।

फलांकन तालिका

Sr.No.	Area	Raw Score	z-Score	Level of Adjustment
I.	Emotional			
II.	Social			
III.	Educational			
Total				

Estd. 1971

www.npcindia.com

☎:(0562) 2601080

NATIONAL PSYCHOLOGICAL CORPORATION

UG-1, Nirmal Heights, Near Mental Hospital, Agra-282 007



क्रमांक	कथन	सदैव	कभी-कभी	कभी नहीं
1.	क्या तुमको स्कूल में हमेशा किसी बात का डर लगा रहता है ?	☐	☒	☐
2.	क्या तुम अपने सहपाठियों से मिलने से भागते/भागती हो ?	☐	☐	☐
3.	कभी दुर्घटना से क्या तुम जल्दी ही भूल जाते/जाती हो ?	☐	☐	☐
4.	किसी सहपाठी से कुछ अनुचित बात अनजाने में बोल दी जाती है तो क्या तुम तुरन्त डरते हो जाते/जाती हो ?	☐	☐	☐
5.	क्या तुम तुरन्त स्वाभाव को/की हो ?	☒	☐	☐
6.	क्या तुम तुरन्त परीक्षा से डर लगता है ?	☐	☐	☐
7.	किसी शिक्षक द्वारा किसी गलती के लिए डाँटे जाने पर क्या तुम निमित्त रहते/रहती हो ?	☐	☐	☐
8.	क्या तुम कक्षा में किसी चीज को नहीं समझने पर शिक्षक से उत्तर पूछने में हिचकिचाते/हिचकिचाती हो ?	☐	☐	☐
9.	क्या कक्षा की पढ़ाई को समझने में तुम्हें कठिनाई होती है ?	☐	☐	☐
10.	क्या तुम अपने उन सहपाठियों से जिन्हें शिक्षक अधिक मानते हैं, ईर्ष्या करते/करती हो ?	☐	☐	☐
11.	क्या तुम शिक्षकों के बीच बेरुतके चले जाते/जाती हो ?	☒	☐	☐
12.	क्या कक्षा की पढ़ाई को तुम ठीक से नोट कर लेते/लेती हो ?	☒	☐	☐
13.	क्या तुम, यह देखकर कि तुम्हारे बहुत से सहपाठी तुमसे अच्छे हैं, हेश करने लगते/लगती हो ?	☐	☐	☐
14.	क्या स्कूल में तुम्हें कभी-कभी ऐसा लगता है कि तुम्हारा कोई मित्र नहीं है ?	☐	☒	☐
15.	क्या कक्षा में पढ़ाई के समय तुम प्रायः ऊँघते/ऊँघती हो ?	☐	☐	☐
16.	कुछ विद्यार्थियों को आपस में बात करते देखकर क्या तुम्हें लगता है कि वे शायद तुम्हारी निन्दा कर रहे हैं ?	☐	☒	☐
17.	क्या तुम आसानी से दोस्ती कर लेते/लेती हो ?	☐	☐	☐
18.	क्या तुम इस स्कूल के शिक्षकों की पढ़ाई से सन्तुष्ट रहते/रहती हो ?	☒	☐	☐
19.	क्या तुम इस स्कूल के किसी कार्यक्रम में आगे नहीं आने पर दूसरों पर अपना क्रोध प्रकट करने लगते/लगती हो ?	☐	☐	☐
20.	जब कुछ लड़के इकट्ठे होकर बात करते हैं तो क्या तुम भी बेरुतके उनमें शामिल हो जाते/जाती हो ?	☐	☐	☐

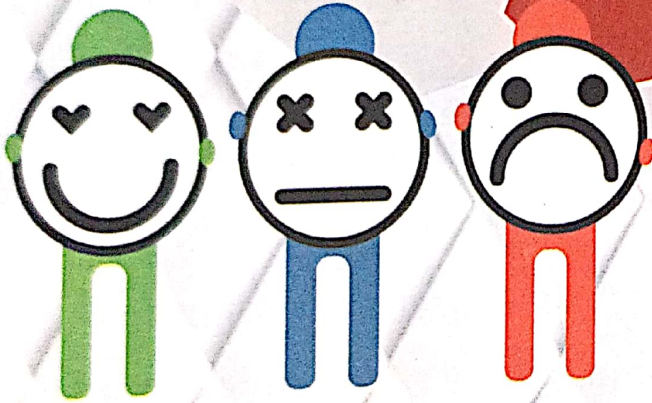
क्रमांक	कथन	सदैव	कभी-कभी	कभी नहीं
21.	क्या तुम ऐसा समझते/समझती हो कि स्कूल के शिक्षक तुम्हारी कठिनाई पर ध्यान नहीं देते हैं ?	☐	☐	☒
22.	क्या तुम स्कूल में प्रायः उदास और खिन्न रहते/रहती हो ?	☐	☐	☒
23.	क्या तुम सहपाठियों से मिलकर एक साथ काम करना चाहते/चाहती हो ?	☒	☐	☐
24.	क्या तुम अपनी पढ़ाई की प्रगति से सन्तुष्ट हो ?	☒	☐	☐
25.	क्या तुमको ऐसा लगता है कि शिक्षक तुम्हारी अवहेलना करते हैं ?	☐	☐	☒
26.	क्या तुम कक्षा में शिक्षक का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की चेष्टा करते/करती हो ?	☒	☐	☒
27.	क्या पढ़ना तुम्हें अपने लिए भार मालूम पड़ता है ?	☐	☐	☒
28.	क्या जब कोई विद्यार्थी शिक्षक से तुम्हारी साधारण शिकायत की बात करता है तो तुम आवेश में आकर उसको हानि पहुँचाने का प्रयत्न करते रहते हो ?	☐	☐	☒
29.	क्या तुम प्रायः एकान्त में रहना पसन्द करते/करती हो ?	☐	☒	☐
30.	क्या तुम्हारे शिक्षक पठन सम्बन्धी तुम्हारी कठिनाई को दूर करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं ?	☒	☐	☐
31.	क्या तुम अपने स्कूल से प्रायः असन्तुष्ट रहते/रहती हो ?	☐	☐	☒
32.	क्या तुम अपने स्कूल के विद्यार्थियों से मेलजोल बढ़ाते रहते हो ?	☒	☐	☐
33.	क्या तुम्हारे स्कूल के शिक्षक तुम्हारी प्रशंसा करते हैं ?	☒	☐	☐
34.	क्या तुम गलती करने पर भी सीनाजोरी करने पर तुल जाते/जाती हो ?	☐	☐	☒
35.	क्या तुम कक्षा में आगे की सीटों पर बैठना पसन्द नहीं करते/करती हो ?	☐	☐	☒
36.	क्या परीक्षा में प्रायः तुम कम अंक पाते/पाती हो ?	☐	☐	☒
37.	क्या जब शिक्षक तुमसे कोई प्रश्न पूछते हैं तो तुम्हारे मन में उनके प्रति द्वेष-भाव उत्पन्न हो जाता है ?	☐	☐	☒
38.	क्या तुम्हारा अपने सहपाठियों से मेलजोल रहता है ?	☒	☐	☐
39.	क्या तुम यह चाहते/चाहती हो कि स्कूल में और अधिक छुट्टियाँ रहें ?	☐	☐	☒
40.	क्या तुम अपने सहपाठियों द्वारा किए गए कुछ हँसी-मजाक की बात पर तुरन्त तमतमा जाते/जाती हो ?	☐	☐	☒

क्रमांक	कथन	सदैव	कभी-कभी	कभी नहीं
41.	क्या स्कूल की गोशियों में तुम खुलकर भाग लेते/लेती हो ?	☒	☐	☐
42.	क्या तुम छुट्टी के पहले ही कभी-कभी स्कूल से चले जाते/जाती हो ?	☐	☐	☐
43.	क्या तुम अपने सहपाठियों से प्रायः झगड़ लेते/लेती हो ?	☐	☐	☐
44.	क्या तुम अपने सहपाठियों से प्रायः झगड़ लेते/लेती हो ?	☒	☐	☐
45.	क्या तुम स्कूल के खेलकूदों में भाग लेते/लेती हो ?	☐	☒	☐
46.	क्या तुम्हारे कुछ शिक्षक तुम्हें प्रायः पढ़ाई के लिए डाँटते हैं ?	☐	☐	☐
47.	क्या तुमको प्रायः स्कूल में दूसरों के प्रति शक बना रहता है ?	☐	☐	☐
48.	क्या तुम अपने से ऊपर कक्षा के छात्रों से बातचीत करने में लजाते/लजाती हो ?	☐	☐	☐
49.	क्या तुम अपने शिक्षक को आदर की दृष्टि से देखते/देखती हो ?	☒	☐	☐
50.	जिस साथी से तुम्हारी पट्टी नहीं है उसके द्वारा कही गई अच्छी बात पर भी क्या तुम ज़ुलम दिखाने/दिखाती हो ?	☐	☐	☒
51.	क्या इस स्कूल में तुम्हारे कुछ घनिष्ठ मित्र हैं ?	☒	☐	☐
52.	क्या कक्षा में तुम्हारा ध्यान पढ़ाई की ओर लगा रहता है ?	☒	☐	☐
53.	क्या परीक्षा में कम अंक आने पर तुम में शिक्षक के प्रति द्वेष-भाव ज्पन्न हो जाता है ?	☐	☐	☒
54.	क्या तुम अपने सहपाठियों की हर प्रकार की सहायता करने को तत्पर रहते/रहती हो ?	☒	☐	☐
55.	क्या तुम स्कूल के पुस्तकालय से किताबें तथा पत्र-पत्रिकाएँ लेकर पढ़ते/पढ़ती हो ?	☒	☐	☐
56.	क्या तुम अपने से ऊपर कक्षा के छात्रों से मिलने में प्रायः ऊठते/ऊठती हो ?	☐	☐	☒
57.	क्या तुम स्कूल के अन्य विद्यार्थियों को चिढ़ाकर मजा लेते/लेती हो ?	☐	☐	☐
58.	क्या तुम स्कूल के वाद-विवाद प्रतियोगिताओं में भाग लेते/लेती हो ?	☒	☐	☐
59.	क्या अपने से नीचे की कक्षा के छात्रों से मिलने में तुम्हें ग्लानि होती है ?	☐	☐	☒
60.	क्या तुम अपनी नोट-बुक या पुस्तक अपने सहपाठियों के माँगने पर सहर्ष दे देते/देती हो ?	☒	☐	☐
61.	क्या तुम्हें शिक्षा सम्बन्धी बातों में दिलचस्पी रहती है ?	☒	☐	☐

Reusable Booklet
OF

AICS - SS

Hindi Version



Prof. A. K. P. Sinha
(Raipur)

Prof. R. P. Singh
(Patna)



T.M. Regd No. 564838
Copyright Regd No. A-73256/2005 Dt. 13.5.05

NATIONAL PSYCHOLOGICAL CORPORATION

UG-1, Nirmal Heights, Near Mental Hospital & Halwai Ki Bagichi, Agra-282007

• Email : npc_agra@yahoo.com

☎ 0562-2601080

• website : www.npcindia.com



कथन

क्र. सं.

1. क्या कभी आपको घर जाने की प्रबल इच्छा हुई है?
2. क्या आप प्रायः दिवा-स्वप्न देखते हैं?
3. क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके बहुत से दोस्तों का बहुत से विषयों में आपसे कहीं अधिक अच्छा शिक्षा का आधार है।
4. बाधा पहुँचाने लायक कोई हल्ला नहीं होते हुए भी क्या आपको कभी-कभी नींद आने में कठिनाई होती है?
5. किसी सार्वजनिक स्थान पर क्या आप अपने दोस्तों से मिलने से भागते हैं?
6. क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में सच्चे प्रेम और स्नेह की कमी है?
7. दिन के अन्त में क्या आपको बहुत थकावट मालूम होती है?
8. क्या आप प्रायः कठिनाई का अनुभव करते हैं?
9. क्या आप अपनी कमजोर स्मृति के कारण चिन्तित रहते हैं?
10. क्या रुपयों की कमी के कारण आपका घर आपके लिए दुःखमय हो गया है?
11. क्या आप आसानी से हतोत्साहित हो जाते हैं?
12. क्या आप लज्जालु प्रकृति के हैं?
13. क्या आप वाद-विवाद में उत्तेजित हो जाते हैं?
14. क्या आपकी दिलचस्पी विद्वानों से अधिक सिनेमा अभिनेताओं में है?
15. क्या आपके माता-पिता ने, जिन साथियों के साथ आप घूमते रहते हैं, उनके साथ रहने के लिए विरोध किया है?
16. क्या आप कभी बड़े चीड़-फाड़ (ऑपरेशन) से गुजरे हैं?
17. क्या आपके माता या पिता बहुत जल्दी चिड़चिड़ा जाते हैं?
18. क्या आप किसी सभा में वक्ता से सामान्यतः प्रश्न पूछते हैं?
19. क्या आप अपने को अधीर (nervous) व्यक्ति मानते हैं?
20. क्या आप अपने भाईयों या बहनों से प्रायः झगड़ते हैं?
21. क्या आपको प्रायः चक्कर आता है?
22. क्या आपको अपने विरुद्ध कही गई मामूली सी बात भी खलती है?

क्र. सं.

कथन

23. पढ़ी हुई चीज क्या आप आसानी से भूल जाते हैं?
24. क्या कभी-कभी देखने में आपकी आँखों पर जोर पड़ता है?
25. क्या आपने अपने आप किसी सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन किया है?
26. क्या अपने मस्तिष्क में उठते हुए उलटे-पुलटे विचारों के कारण आप सो नहीं सकते हैं?
27. क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके माता-पिता आपके प्रति जरूरत से ज्यादा कठोर हैं?
28. सुबह उठने पर क्या आप थके हुए महसूस करते हैं?
29. अपमानजनक अनुभव से क्या आप देर तक चिन्तित रहते हैं?
30. भविष्य में आपका क्या पेशा होगा, इसके लिए क्या आप बहुत चिन्तित रहते हैं?
31. क्या आपको अपनी कठिनाइयों को अपने शिक्षक के सामने रखने में भय होता है?
32. क्या आपको जनता के बीच बोलने में कठिनाई होती है?
33. क्या आप मामूली सी बात पर रो पड़ते हैं?
34. क्या आपके मन में अपने परिवार के सदस्यों के प्रति प्रेम और घृणा के विरोधाभासी भाव पैदा होते हैं?
35. क्या आपको प्रायः गले (throat) में तकलीफ होती है?
36. क्या आपको प्रायः मतली या उल्टी (कै) की शिकायत होती है?
37. क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके शिक्षक अन्य विद्यार्थियों का पक्ष लेते हैं?
38. क्या आपके परिवार के किसी वरिष्ठ व्यक्ति ने आपके चेहरे की आलोचना कर आपको दुःखी किया है?
39. क्या आप लोगों के बीच रहते हुए भी अकेलेपन का अनुभव करते हैं?
40. परीक्षाओं में कम अंक पाने के कारण क्या आप खिन्न रहते हैं?
41. क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके दोस्तों का परीक्षाफल इसलिए अच्छा होता है क्योंकि उन्हें अच्छी सुविधाएँ प्राप्त हैं?
42. क्या आप बचपन में काफी बीमार रहे थे?
43. जिस खुशी से दूसरे खुश हों उससे कभी आप ईर्ष्या करते हैं?
44. क्या आप परीक्षा देने से डरते हैं?

- क. सं. क्या आप अपने घर के वर्तमान वातावरण से प्रसन्न और संतुष्ट हैं?
- क. क्या आपको कभी-कभी तीव्र सिर दर्द होता है?
- क. किसी कहीं जाह पर चढ़ जाने पर क्या आपको कभी ऐसी आशंका होती है कि कहीं कूद न जायें?
- क. क्या मैं पढ़ने-पढ़े विषयों को ग्रहण करने में क्या आपको कठिनाई होती है?
- क. क्या आपको घर से बहुत कम सहायता मिलती है?
- क. बर्तनों के कारण क्या आप प्रायः कॉलेज से अनुपस्थित रहते हैं?
- क. क्या मैं बोलने के डर से क्या आप कभी कक्षा में प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सके हैं?
- क. क्या आप आसानी से क्रोधित हो जाते हैं?
- क. क्या पढ़ाई में मन लगाने में आपको कठिनाई होती है?
- क. क्या आप में ऐसी हीन भावना होती है कि आपके दोस्तों के घर के वातावरण आपसे अधिक सुखद है?
- क. क्या आप सड़क इमलिए पार कर जाते हैं कि किसी अमुक व्यक्ति से आपकी मुलाकात न हो जाये?
- क. हीन भावना के कारण क्या आप दुःखी रहते हैं?
- क. क्या मैं टिप्पणी लिखने में क्या आपको कठिनाई होती है?
- क. क्या आप समझते हैं कि आपके माता-पिता पुराने विचारों के हैं?
- क. क्या कभी-कभी आप चर्म रोग से पीड़ित रहते हैं?
- क. आने वाली सम्भावित मुसीबतों से क्या आप चिन्तित रहते हैं?
- क. क्या आप परीक्षा की तैयारी करना जानते हैं?
- क. क्या आप शारीरिक अस्वस्थता के कारण हमेशा चिन्तित रहते हैं?
- क. क्या आप आसानी से दोस्त बना लेते हैं?
- क. क्या आप इस बात से परेशान रहते हैं कि सड़क पर लोग आप ही को देख रहे हैं?
- क. क्या रात में कार्फा सो लेने के बावजूद आपको कक्षा में नींद आती है?
- क. क्या आपको ऐसा लगता है कि आप अपने माँ-बाप के लिए बोझ हैं?

- क. सं. 67. क्या आपका स्वास्थ्य हमेशा आपको परेशान करता है?
68. क्या आप आलोचना से बहुत अधिक विचलित हो जाते हैं?
69. क्या आप कभी-कभी कॉलेज छोड़ देने की सोचते हैं?
70. क्या आप अपने भाइयों और बहनों के व्यवहार से सन्तुष्ट हैं?
71. छूत-रोग लग जाने का डर क्या आपको प्रायः बना रहता है?
72. जब कोई शिक्षक आपके यहाँ अचानक आ जाते हैं तो क्या आप घबड़ा जाते हैं?
73. जो कुछ आप पढ़ते हैं उसकी उपयोगिता में क्या आपको सन्देह रहता है?
74. किसी अपरिचित से बात शुरू करने में क्या आपको कठिनाई होती है?
75. क्या आप आसानी से घबड़ा जाते हैं?
76. क्या आप त्यौहार अथवा अन्य मनोरंजक आयोजनों में सम्मिलित होना चाहते हैं?
77. जब किसी कमरे में कुछ लोग बैठे बातें कर रहे हों, तो आपको क्या उस कमरे में जाने में संकोच होता है?
78. बिना किसी प्रकट कारण के क्या आपकी मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है?
79. क्या आपको अपने विचारों को लिखकर व्यक्त करने में कठिनाई होती है?
80. क्या आप प्रायः अकेलापन महसूस करते हैं?
81. जब आप अकेले रहते हैं तो क्या अंधेरे में डर जाते हैं?
82. क्या आप ऐसा सोचते हैं कि आपको अपने शिक्षक से प्रोत्साहन मिलता है?
83. दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाली बात कहने में क्या आप सावधान रहते हैं?
84. क्या आप कार्य उपलब्धि की अपेक्षा प्रशंसा से अधिक प्रसन्न होते हैं?
85. अपने किसी महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या आप दूसरों की भावनाओं की अवहेलना करते हैं?
86. क्या आप ऐसा सोचते हैं कि आपके शिक्षकों को आपसे दिलचस्पी नहीं है?
87. क्या कभी-कभी लोग आपसे लाभ उठा लेते हैं?
88. क्या आप इसलिए चिन्तित रहते हैं कि आपके शिक्षक आप में विद्यमान योग्यताओं एवं क्षमताओं का कम अनुमान लगाते हैं?

कथन

क. सं.

89. क्या आप किसी निजीव समूह में अगुआ बनकर उसमें जागृति ला देना चाहते हैं?
90. क्या आपका दिमाग कभी-कभी इतना भ्रमित हो जाता है कि आप कर रहे काम का सिलसिला भूल जाते हैं?
91. क्या आप समूह के साथ काम करना पसन्द करते हैं?
92. बिना किसी कारण के क्या आपको कभी सुख और कभी दुःख के भाव आते रहते हैं?
93. क्या आप ऐसा सोचते हैं कि आपने ऐसे पाठ्यक्रम का चुनाव किया है जो आपके लिए सबसे अधिक उपयोगी होगा?
94. कक्षा में जो प्रगति होती है उसके अनुकूल कार्य करने में क्या आपको कठिनाई होती है?
95. क्या आप ऐसा विचार करते हैं कि पढ़ाई समाप्त करने के बाद आपको अपनी रुचि के अनुसार कोई काम नहीं मिलेगा?
96. क्या आपको ऐसा लगता है कि आपका इस संसार में आना बेकार है?
97. क्या कॉलेज में आपके ऐसे बहुत से मित्र हैं जिन पर आपको विश्वास हो?
98. क्या आप कभी अनजाने में कुछ कार्य कर डालते हैं?
99. क्या आप अपने सहपाठियों के साथ छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा करते हैं?
100. घर में शान्ति रखने के लिए क्या आपको घर से बाहर रहना पड़ता है?
101. जब कोई शिक्षक किसी दूसरे छात्र की प्रशंसा करते हैं तो क्या आप दुःखी नहीं होते हैं?
102. क्या आप विचारों में इतना अधिक खोए रहते हैं कि आप यह नहीं देखते कि आसपास क्या हो रहा है?



विद्याभारती विकास

सरजू सरस्वती विद्या मन्दिर इंटर कॉलेज

बेतवाड़ी, सलीमपुर-भीरी

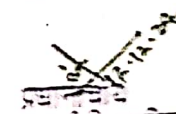
दिनांक 12-12-2024

पत्र सं. 71/2024-25

प्रमाण पत्र -

आज दिनांक 12-12-2024 को प्रो. सुनील कुमार
ए. एन. डी. टीचर्स ट्रेनिंग (पी.जी.) कॉलेज, सीतापुर
मुख्य शोधकर्ता उच्च शालन परियोजना ने अपनी
शोध परियोजना हेतु आज दत्त संकलन हमारे विद्यालय
में किया है।

मैं इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ।


प्रमाणित
सरजू सरस्वती विद्या मन्दिर
इंटर कॉलेज, बेतवाड़ी



युवराज दत्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय

लखीमपुर-खीरी।

Email: ydppcollege@gmail.com, Contact: 05872-263188

दिनांक : 22.11.2024

प्रमाण-पत्र

आज दिनांक 22.11.2024 को प्रो० सुनील कुमार, ए०एन०डी० टीचर्स ट्रेनिंग (पी०जी०) कालेज, रीतापुर, मुख्य शोधकर्ता उ०प्र० शारान परियोजना अपनी शोध परियोजना हेतु आज हमारे महाविद्यालय में दत्त संकलन किया।

मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।

Hemant
22.11.2024
प्राचार्य/PRINCIPAL
यु० द० महाविद्यालय Y.D.P.G. College
लखीमपुर-खीरी Lakhimpur-Kheri



Scanned with OKEN Scanner



Scanned with OKEN Scanner

श्री गुरु गोविन्द सिंह जी महाराज राजकीय महाविद्यालय

पलिया कलॉ (लखीमपुर-खीरी) उ०प्र० 262902

ई-मेल gdepaliakala@gmail.com

Web-www.gdepalia.com

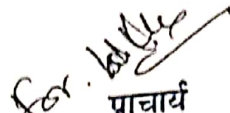
पत्रांक- मेमो / 2024-25

दिनांक 02/12/2024

प्रमाण-पत्र

आज दिनांक 02/12/2024 को प्र० सुनील कुमार, ए०एन०डी० टीचर्स
ट्रेनिंग (पी०जी०) कालेज, सीतापुर मुख्य शोधकर्ता उ०प्र० शासन परियोजना ने अपनी
शोध परियोजना हेतु आज हमारे महाविद्यालय में दत्त संकलन किया।

मैं इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ।


प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय
पलिया कलॉ - खीरी

Affiliation No.: 2120060

School No. : 72036
Telephone No. : 05872-264021
Email : 72036@cbseshiksha.in

Jai Prakash Narayan Sarvodaya Vidyalaya



Chhauchh, Lakhimpur-Khori

(Previous Name - Rajkiya Ashram Paddhati Vidyalaya)

Affiliated to C.B.S.E. New Delhi

Run By: Janjati Vikas Vibhag, Uttar Pradesh Lucknow

Reference No. :

Date ...11/12/2024...

प्रमाण पत्र

आज दिनांक 11.12.2024 को प्रो० सुनील कुमार, ए०एन०डी० टीचर्स ट्रेनिंग (पी०जी०) कालेज, सीतापुर, मुख्य शोधकर्ता उ०प्र० शासन परियोजना अपनी शोध परियोजना हेतु हमारे विद्यालय में दत्त संकलन किया।
मैं इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ।


प्रधानाचार्य

जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय,
छाउछ, लखीमपुर-खीरी



न्याय क्षेत्र, लखीमपुर-खीरी

रजि० सं० 1133

महाराजा अग्रसेन इंटर कालेज

तिकुनियाँ-खीरी (उ०प्र०)

पत्रांक :- 79/2024-25

दिनांक...12.12.2024

प्रमाण पत्र

आज दिनांक 12-12-2024 को प्रो. सुनील कुमार
ए. एन. डी. टी. चर्स हेनिंग (पू. प्रौ.) कॉलेज सीतापुर
मुख्य शोधकर्ता उ०प्र० शासन परियोजना में अपनी
शोध परियोजना हेतु आज हमारे विद्यालय में फत
संलग्न किया। मे इनके उज्जवल भविष्य की कामना
करता हूँ।


प्रधानाचार्य
महाराजा अग्रसेन इंटर कालेज
तिकुनियाँ-खीरी

जनपद : 31
विद्यालय - 1050



(सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त)

School ☎ : 9335415896
E-mail: aglc.bxm@rediffmail.com

श्री गाँधी इण्टर कालेज

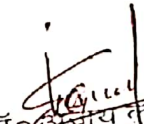
बिलरायाँ-खीरी

पत्रांक : / मेमो / 2024-25

दिनांक 12-12-2024

प्रमाण पत्र

आज दिनांक 12-12-2024 को प्रो. सुनील कुमार
ए.एम.जी. टीचर्स ट्रेनिंग (पी.जी.) कॉलेज, सीतापुर मुख्य
शोधकर्ता उ० प्र० शासन परियोजना में अपनी शोध परियोजना
हेतु आज हमारे विद्यालय में दत्त संकल्प किया।
मैं इसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।


डॉ० सुनील कुमार
प्रधानाचार्य
श्री गाँधी इण्टर कालेज
बिलरायाँ-खीरी

9651471775
7080883280

नेहरु कन्या इण्टर कालेज, हरद्वारी

विकास क्षेत्र निवासन-खीरी

दिनांक 12/12/24

पत्र संख्या/2024-25

प्रमाण पत्र

आज दिनांक 12.12.2024 को प्रो० सुनील कुमार ए० एन० डी० टीचर ट्रेनिंग (पी० जी०)
कालेज सीतापुर मुख्य शोध कर्ता उ०प्र० शासन परियोजन ने अपनी शोध परियोजना हेतु
आज हमारे विद्यालय में दत्त संकलन किया ।

मैं इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करती हूँ।

भवदीया
प्रधानाचार्य
नेहरु कन्या इ० कालेज
हरद्वारी-खीरी

स्थापित वर्ष 1941



१०० वर्ष

फोन : 04871-235240

बलदेव वैदिक विद्यालय इंटर कालेज

पलिया कर्ला - सीरी

पत्रांक : / नमो / 2024-25

दिनांक 02-12-2024

शुभाक्ष पत्र

मान्य दिनांक 02-12-2024 को श्री सुनील कुमार
र.एन. वी. टी.चर्च ड्रेनिंग (पी.जी.) कालेज, सीतापुर मुख्याभ्यासकर्ता
उ.प्र. शासन परियोजना ने अपनी शोध परियोजना हेतु आज हमारे
विद्यालय में पत्र संकलन किया।
मैं इसके उज्जवल अवसर को आमना करता हूँ।

प्रधानाचार्य

ब.व. वि. इंटर कालेज
पलिया कर्ला-सीरी



JAY PRAKASH NARAYAN SARVODAYA VIDYALAYA

RAM NAGAR CHANDAN CHOWKI, LAKHIMPUR KHERI-262902 (U.P.)
(DEPARTMENT OF TRIBAL DEVELOPMENT LUCKNOW -(U P))

School NO 72034
Affiliation No 2120058
Phone No 9473861000
E-mail jpn@jayprakash.org

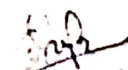
Reference No.

Date 16/12/2024.....

प्रमाण-पत्र

आज दिनांक 16.12.2024 को प्रो० सुनील कुमार, ए०एन०डी० टीचर्स
ट्रेनिंग (पी०जी०) कालेज, सीतापुर, मुख्य शोधकर्ता उ०प्र० शासन परियोजना अपनी
शोध परियोजना हेतु हमारे विद्यालय में दत्त संकलन किया।

मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।


Principal
Jay Prakash Narayan Sarvodaya Vidyalaya
Ram Nagar Chandan Chowki



Scanned with OKEN Scanner



Scanned with OKEN Scanner



माध्यमिक शिक्षा परिषद्, प्रकाशपुर (उ०प्र०) से मान्यता प्राप्त

प्रताप नारायण मिश्र स्मारक सरस्वती विद्या मन्दिर इण्टर कालेज



ग्राम : चन्दन चौकी, जनपद : लखीमपुर-खीरी

E-mail : evmchandanchowki@gmail.com

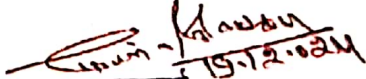
पत्रांक.....

दिनांक 13.12.2024

प्रमाण - पत्र

आज दिनांक 13.12.2024 को प्रो० सुनील कुमार
एन.एन.डी. टीचर्स ट्रेनिंग (पी.जी.) कालिज, सीतापुर
मुख्य बोधकर्ता उ०प्र० शासन परियोजना अपनी
बोध परियोजना हेतु आज हमारे विद्यालय में दल
संमेलन किया।

में इनके उत्कृष्ट अविवेक की कामना करता हूँ।


प्रधानाचार्य

प्रताप नारायण मिश्र स्मारक
सरस्वती विद्या मन्दिर इण्टर कालेज
चन्दन चौकी, लखीमपुर-खीरी

कार्यालय प्रधानाचार्य,
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,
चन्दन चौकी-खीरी।

दिनांक: 16.12.2024

प्रमाण-पत्र

आज दिनांक: 16.12.2024 को प्रो० सुनील कुमार, ए०एन०डी० टीचर्स ट्रेनिंग (पी०जी०) कालेज, सीतापुर, मुख्य शोधकर्ता उ०प्र० शासन परियोजना अपनी शोध परियोजना हेतु आज हमारे आई०टी०आई० में दत्त संकलन किया।

मैं इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ।

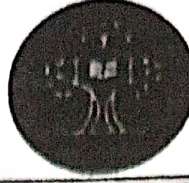
For 

प्रधानाचार्य

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
चन्दन चौकी-खीरी

75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव
EKLAVYA MODEL RESIDENTIAL SCHOOL

SALUNHA CHANDAN CHAUNI LAKHIMPUR KHERI-202202 (U.P.)
(MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS, GOVT. OF INDIA)
(DEPARTMENT OF TRIBAL DEVELOPMENT, LUCKNOW-U.P.)



G20

School No. : 70887
Affiliation No. : 2120001
Phone No. : 05671-287273
Udise code : 09231109903
E-Mail : emrstdup1@gmail.com
Website : www.emrakheriup.in

पत्रांक २६७/एमआरडीओ/२०२४-२५

दिनांक: 18 दिसम्बर 2024

सेवा में

प्रधानाचार्य महोदय,

ए०एन०डी० टीचर्स ट्रेनिंग(पी०जी०) कालेज
सीतापुर

विषय- उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट आंकड़े/
सूचनाएं/दत्त संकलन के सम्बंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके महाविद्यालय के बी०एड० विभाग में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत डा० सुनील कुमार को विशेष सचिव उ०प्र० शासन के पत्रांक सं० 93/2021/1401/सत्तर-4 2021-4(28)/2021 द्वारा रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट योजनान्तर्गत एक प्रोजेक्ट दिया गया है जिसका विषय "उ०प्र० के जनपद लखीमपुर खीरी की थारु जनजाति की शैक्षिक स्थिति, सामाजिक आर्थिक स्तर समायोजन एवं समस्याओं का अध्ययन" है। उक्त शीर्षक हेतु इनको आंकड़े सूचनाएं/दत्त संकलन रिपोर्ट के आधार पर थारु जनजाति के विकास हेतु भविष्य की योजना बनाने हेतु ये कार्य शासन के लिए अतिमहत्वपूर्ण हैं कं कम में आपको अवगत कराना है कि श्री सुनील कुमार एवं सहयोगी द्वारा दिनांक 18.12.2024 को विद्यालय भ्रमण, छात्र-छात्राओं से रुबरु होकर एवं प्रश्नावली के माध्यम से छात्र-छात्राओं के विचार एवं मनोवृत्ति के आधार पर शैक्षिक स्थिति से अवगत हुए तथा विद्यालय भविष्य में पूर्ण सहयोग की सहमति प्रदान करता है।

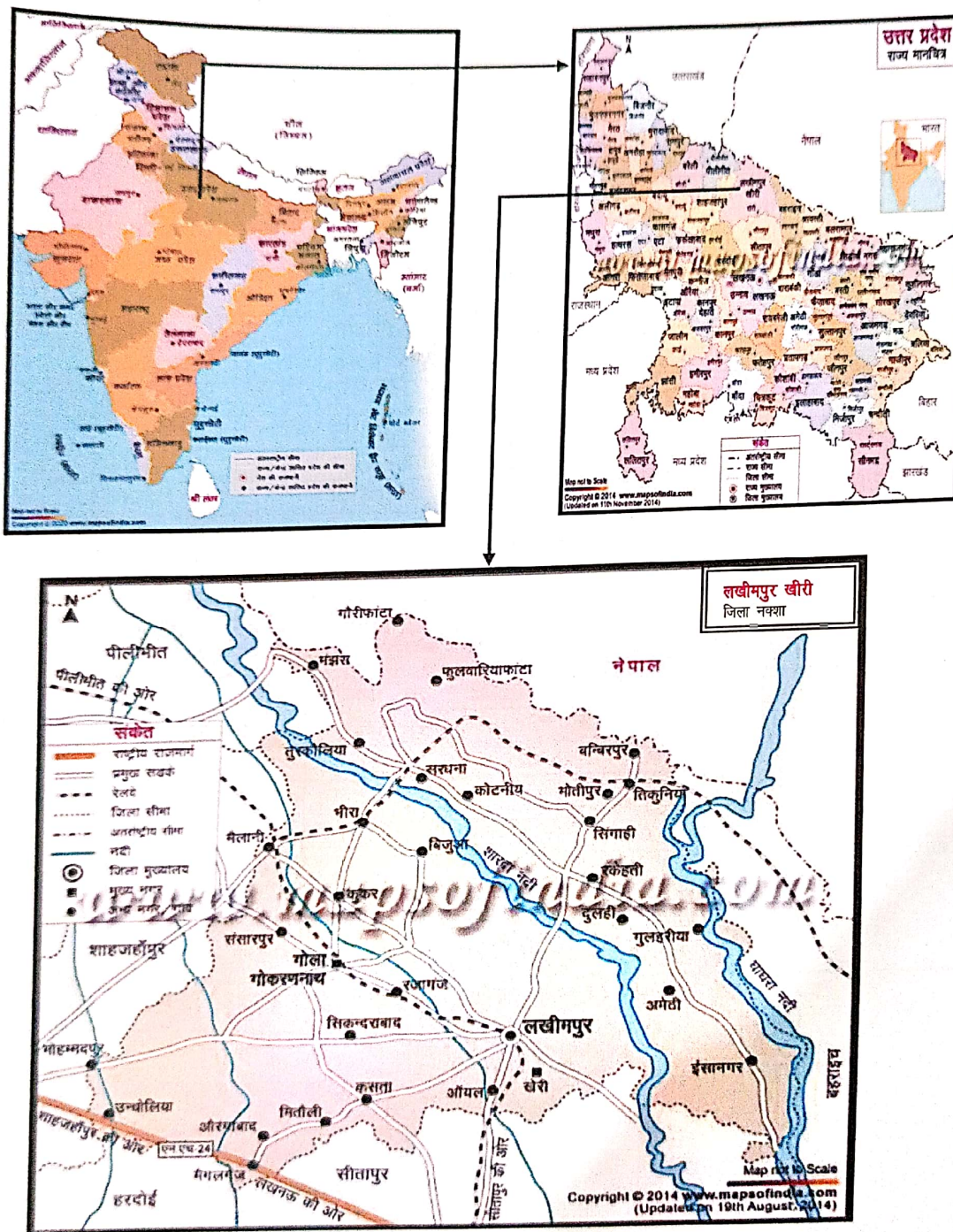
भवदीय


(संस्था-सुक्ला) 18/12/2024

प्रधानाचार्य

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय
सोनहा खीरी उ०प्र०

मानचित्र 2.1 : भारत के मानचित्र में उत्तर प्रदेश एवं जनपद लखीमपुर खीरी की स्थिति



एकीकृत जनजाति विकास परियोजना चन्दन चौकी, लखीमपुर खीरी जनपद के पलिया व निघासन तहसील व ब्लॉक के थारु जनजाति के ग्राम सभाओं की सूची

क्रम संख्या	ग्राम सभा का नाम	मजरी के नाम	तहसील व ब्लॉक
1	चन्दन चौकी	विचपट, मंगलपुरवा, भगहर पट्टी	पलिया
2	रामनगर	बुद्धापुरवा	पलिया
3	पुरैना	रामगड	पलिया
4	घुसकिया	बेलडाडी, बलेरा	पलिया
5	बरबटा		पलिया
6	पोया	मौरा	पलिया
7	पचपेडा		पलिया
8	परसिया	मुडनोचनी	पलिया
9	सूरमा	सारभूसी, गुवरौला, नटपुरवा, सिकलपुरवा, भट्टा	पलिया
10	सौनहा	पंचमपेडा	पलिया
11	ध्यानपुर	बन्दर भरारी	पलिया
12	मसानखम्भ		पलिया
13	देवराही	जयनगर	पलिया
14	नझौटा	कुतियाकवर, टनपुर	पलिया
15	ढकिया	बिरिया	पलिया
16	सूडा		पलिया
17	सरियापारा		पलिया
18	सेडा-बेडा	कीरतपुर	पलिया
19	कजरिया	बनगंवा	पलिया
20	भूडा		पलिया
21	पिपरौला	बजाही	पलिया
22	छिदिया पश्चिम	छिदिया पूरब	पलिया
23	बनकटी		पलिया
24	रानीनगर कालोनी	मिलन बाजार	निघासन
25	कडिया	फर्रैदा, किशननगर, दीपनगर	निघासन
26	बेला परसुआ	झगडपुरवा, पिछलापुरवा, हथियापुरवा, बैदानपुरवा, जाउरापुरवा, आलूपुरवा, शास्त्रीपुरवा, गूरघीपुरवा, धुधलापुरवा, ढखैनीपुरवा, रामनगर, चौफैरी, खम्भारी, गदनिया, रघुनगर, चटैयापुरवा, दुमेडा	निघासन

स्रोत-एकीकृत जनजाति विकास परियोजना चन्दन चौकी, लखीमपुर खीरी

चित्र-वीथिका



महिला स्वावलम्बन और सशक्तिकरण की प्रतीक राष्ट्रपति पुरुष्कार प्राप्त आरती राना जी के साथ महिला समूह द्वारा निर्मित उत्पादों और धारू जनजाति क्षेत्र के बारे में चर्चा करते हुए मुख्य शोधकर्ता



धारू जनजाति परिवार के साथ, सर्दी में खाना बनाने के साथ आग तापने की व्यवस्था



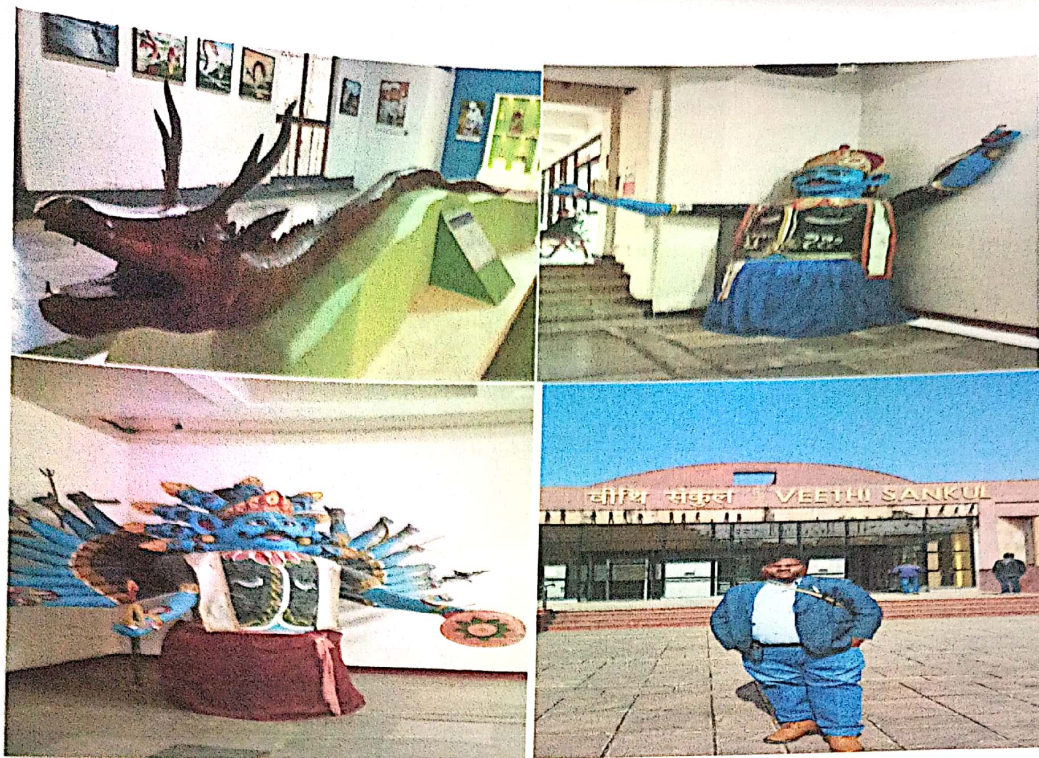


क्षेत्र में सूचना संग्रहण

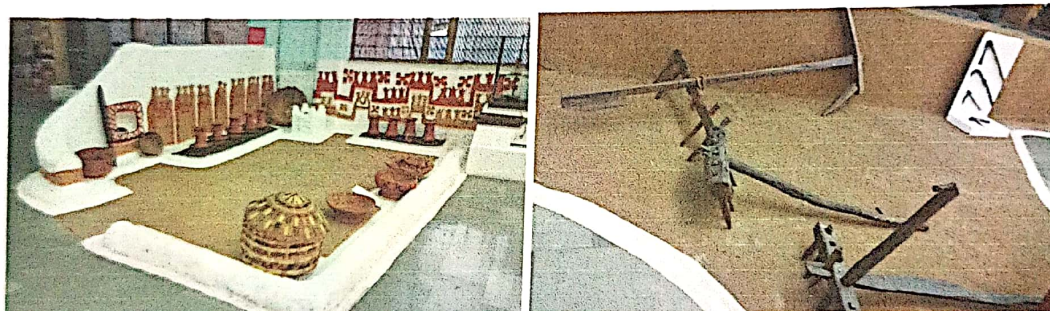


कार्यालय एकीकृत जनजाति विकास परियोजना चन्दन चौकी, पलिया व राज्य संग्रहालय व जनजातीय संग्रहालय भोपाल

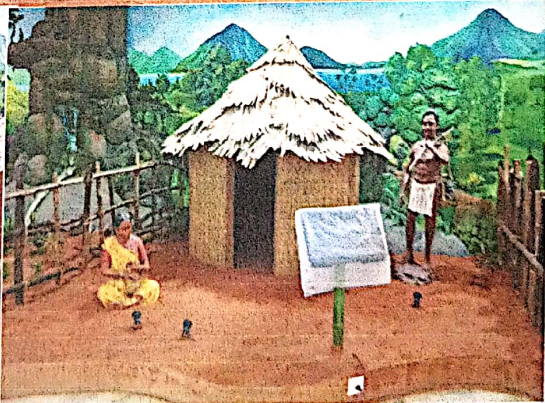
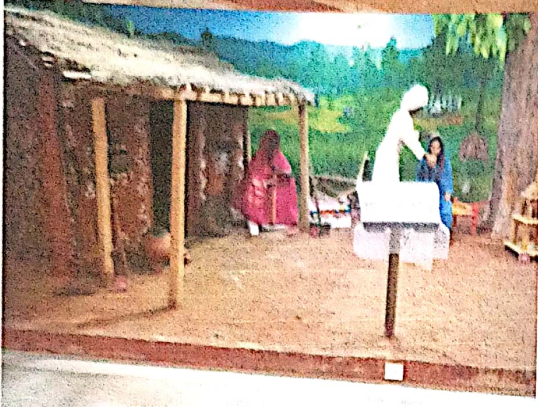


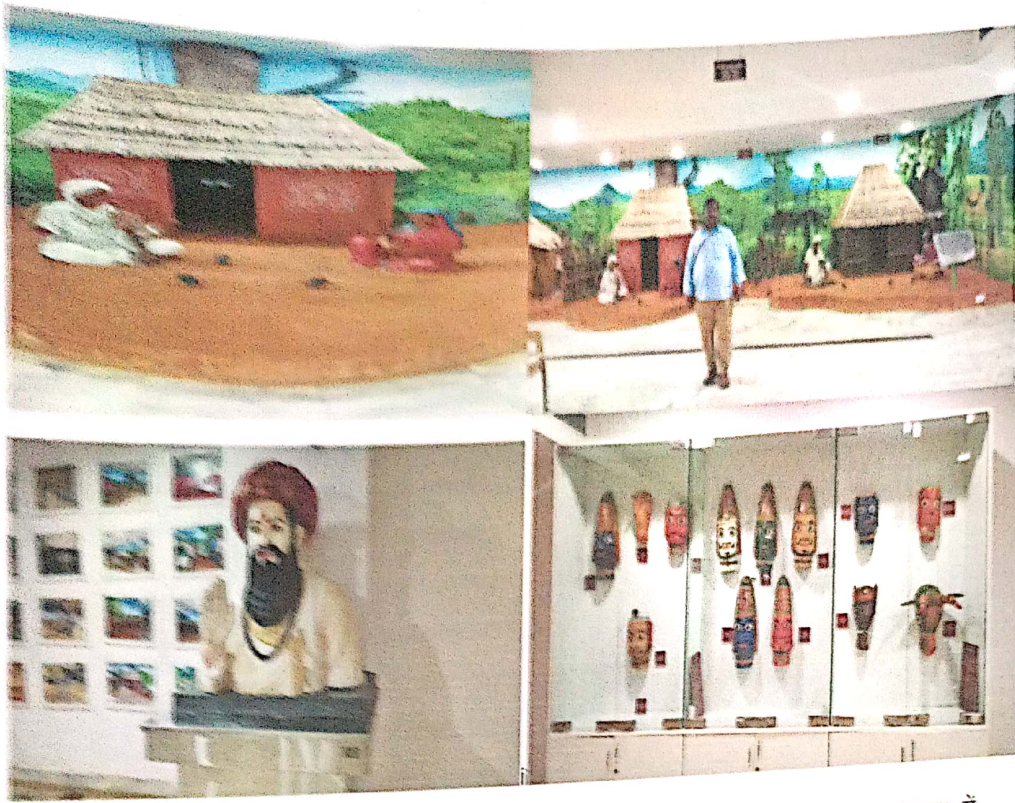


राज्य संग्राहलय भोपाल व जनजातीय संग्राहलय भोपाल

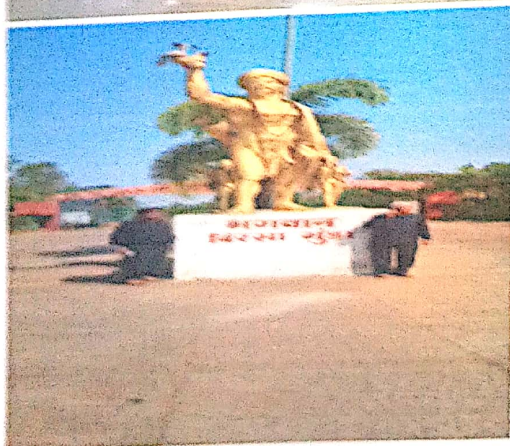
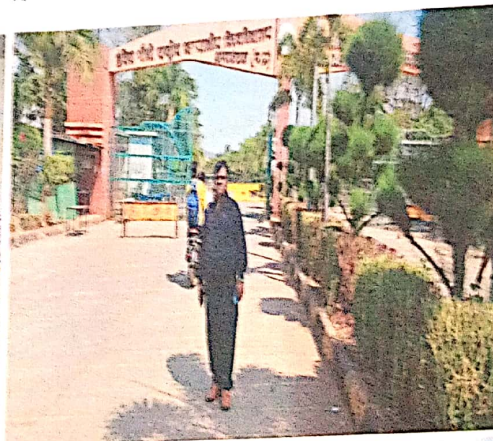
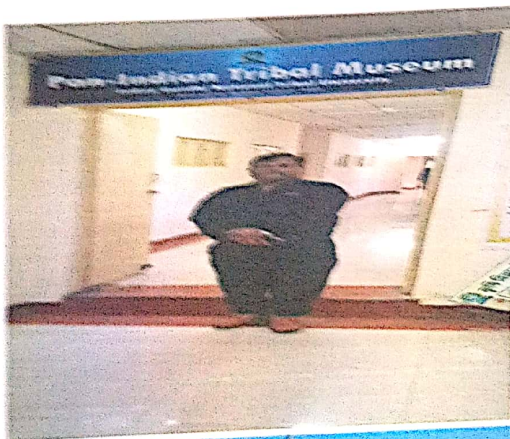


जनजातीय संग्राहलय हैदराबाद



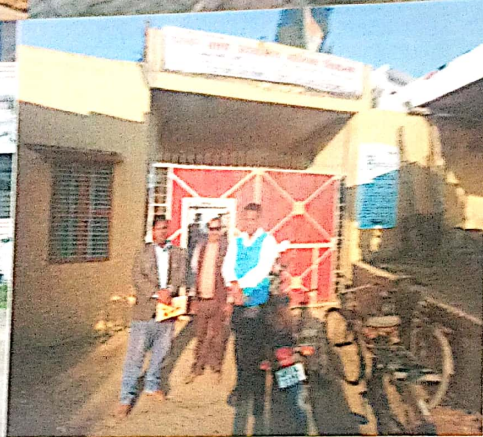
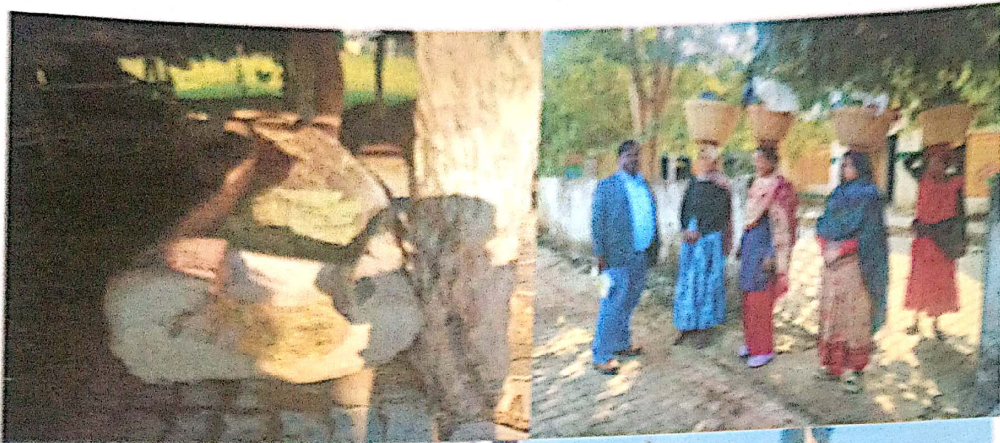


जनजातीय संग्रहालय हैदराबाद व इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकण्टक, म०प्र० में



पशुओं के चारे हेतु पेट के तने से निर्मित पीट तथा बाकरी केचने वाली हुई खास मशिनारा

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान(आईएटीआई) कानपुर भीड़ी व दलवार भाग मकुल मुकदीना, कानपुर कीती



एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, सौनहा, पलिया में प्रधानाचार्या, शिक्षकों व विद्यार्थियों के साथ

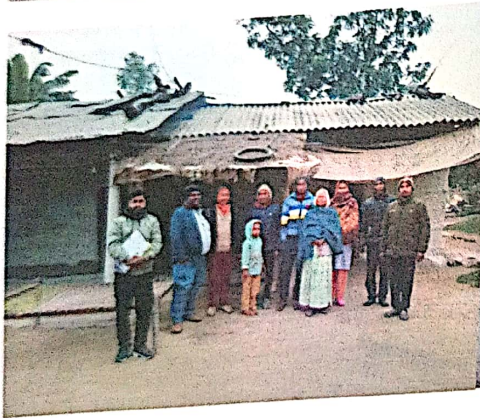
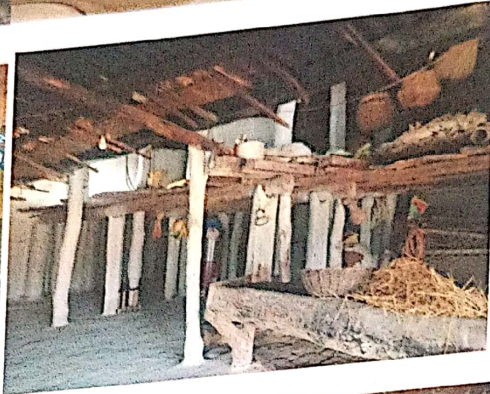
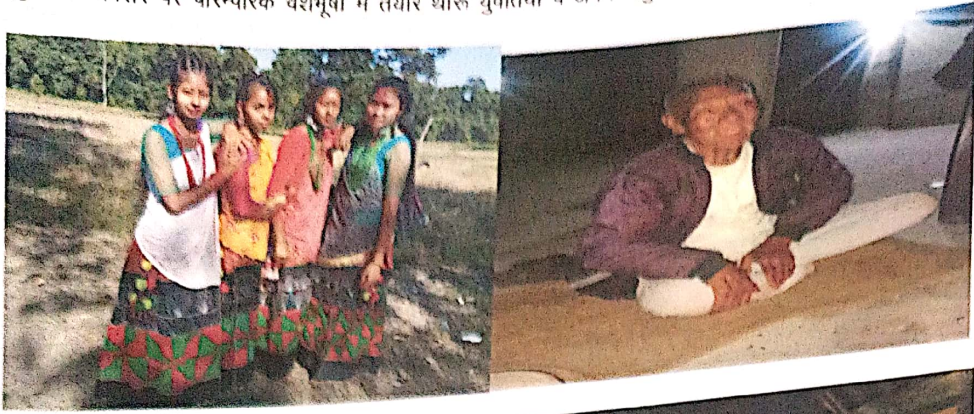


पारम्परिक चूल्हा



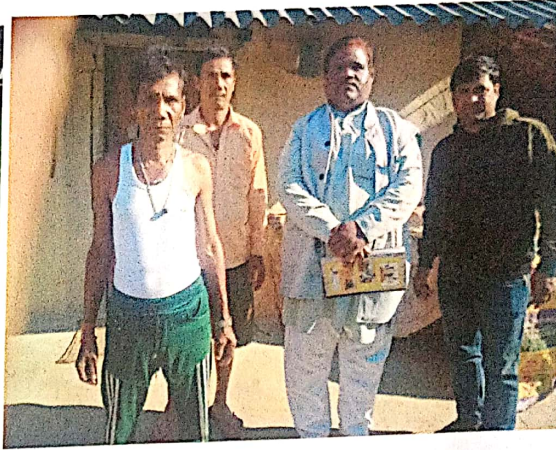
पारम्परिक तरीके से मछली के जाल का निर्माण करते हुए थारु वुजुर्ग व जिला पंचायत सदस्य ज्ञात्रीमती लीलावती जी से क्षेत्र की काफी जानकारियाँ मिलीं।

खुशी के अवसर पर पारम्परिक वेशभूषा में तैयार थारु युवतियों व अपने अनुभव बताते हुए थारु बुजुर्ग



पारम्परिक थारु आवास, परम्परागत रूप से लकड़ियों का भण्डारण, सामूहिक थारु परिवार

भारत-नेपाल सीमा व भारत व नेपाल को जोड़ने वाला झुलुआ पुल



क्षेत्रीय लोगों से सूचनाओं का संग्रहण



पारम्परिक रूप से मछली तैयार करती थारु महिला व पारम्परिक रूप से तैयार युवतियाँ



थारु जनजातीय पुस्तकालय, पुरैना, चन्दन चौकी जनजातीय विकास परियोजनाधिकारी श्री यू०के० सिंह जी से थारु जनजाति सम्बन्धित विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा हुई व विभिन्न विद्यालयों की एक झलक





IATE 55TH ANNUAL NATIONAL CONFERENCE ON
NATIONAL AND GLOBAL CONCERNS IN TEACHER EDUCATION
(30th & 31st December, 2022)

Jointly Organised by
Department of Education and Education Technology
University of Hyderabad &
Indian Association of Teacher Educators (IATE)

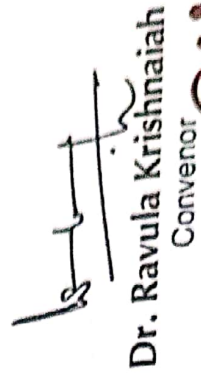
Certificate

This is to certify that डॉ. सुनील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, आचार्य नरेन्द्र देव दीर्घर्स ट्रेनिंग (पी०जी०) कॉलेज, सीतापुर. उ०प्र०, has participated in the 55th Annual National Conference and presented a paper entitled “उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद की थारु जनजाति क्षेत्र के विद्यालयों के शिक्षकों हेतु शिक्षक शिक्षा.”


Prof. Mohammad Miyan
President
IATE


Prof. B.R. Kukreti
General Secretary
IATE


Prof. J.V. Madhusudan
Chairman
Organising Committee


Dr. Ravula Krishnaiah
Convenor

INTERNATIONAL CONFERENCE

on

NEW VISION FOR TRIBAL DEVELOPMENT IN INDIA

Strategies, Opportunities and Challenges

23-24 June, 2023

Certificate

This is to certify that Prof./Dr./Mr./Ms. Sunil Kumar

Designation Professor

Institution Education Dep. A.N.P.T.T.P.G College, Sitapur.

has Participated / Presented a Paper / Delivered a Plenary Lecture / Chaired / Co-Chaired / Rapporteur / Volunteer in a session titled

उ.प्र. के लखीमपुर जनपद की धारु जनजाति में शिक्षक शिक्षा की चुनौतियाँ - प्यारातलीय चिंतापु

in the International Conference.


Dr. Meenakshi Meena
Conference Director



Organized by-

Department of Sociology,
Jai Narayan Vyas University,
Jodhpur (Raj.)



Sponsored by-

Indian Council of
Social Science Research
New Delhi



Society of
Criminology,
Victimology
and Penology

Knowledge Partners-

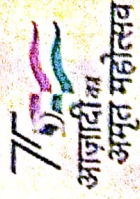


Social Science
& Humanities
Association



NATIONAL SEMINAR

On
Role of Tribal Women in Nation Building after 75 Years of Independence
04th – 05th August, 2023



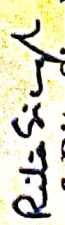
SPONSORED BY
Indian Council of Social Science Research, New Delhi
&
Institute of Eminence, SRICC, BHU.

ORGANIZED BY
Mahila Mahavidyalaya
Banaras Hindu University, Varanasi (U.P.) 221005



This is to certify that Prof./Dr./Mr./Ms. SUNIL KUMAR, Dept. of Education, A.N.D. Teachers Training P.G. Colleges, Sitapur, Lucknow has Participated/Presented/Jointly Presented a paper on

उत्तर-प्रदेश के लखीमपुर अनपढ़ की चारु जनजाति की महिलाओं में शिक्षा एवं शिक्षक बिज्ञा
..... in Two Days, National Seminar on 'Role of Tribal Women in Nation Building after 75 years of Independence' on 04th – 05th August, 2023 organized by Mahila Mahavidyalaya, Banaras Hindu University, Varanasi.


Prof. Rita Singh
Principal, MMV


Dr. Pratima Gond
Convener



56th ANNUAL NATIONAL CONFERENCE OF IATE

Indian Knowledge System: Teacher, Teaching and Learning

Organized by
Indian Association of Teacher Educators (IATE)

In Collaboration with

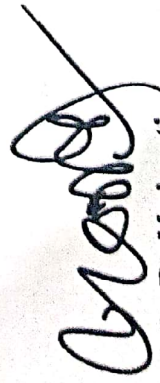
Prof. Ram Takwale Research Centre & School of Education
Yashwantrao Chavan Maharashtra Open University, Nashik, Maharashtra
10th to 12th February, 2024

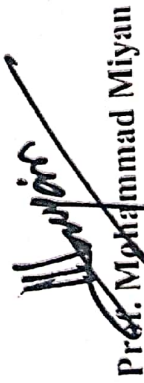


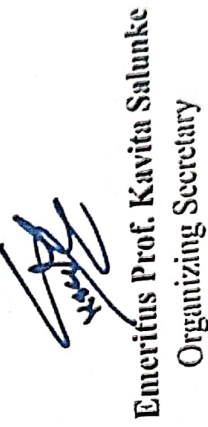
Certificate

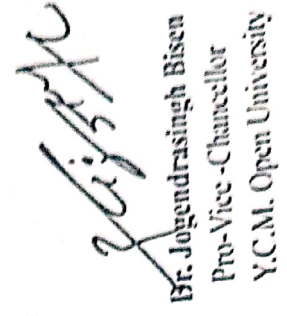
This is to certify that Prof. / Dr. / Mr. / Mrs. / Miss. Sanil Kumar,
A.N.O Teacher's Training P.G. college Sitapur. U.P. has participated in the
56th Annual Conference on IKS & presented a paper entitled,

वर्तमान शिक्षा एवं भारतीय ज्ञान व्यवस्था : उ.प्र. के लखिमपुर
विश्वी जनपद की धार जनजाती के विशेष संदर्भ में।


Prof. B. R. Kukreti
General Secretary
IATE


Prof. Mohammad Miyan
President
IATE


Emeritus Prof. Kavita Salunke
Organizing Secretary


Br. Jogendra Singh Bisen
Pro-Vice-Chancellor
Y.C.M. Open University

Reshaping Teacher Education Program: Making the Future Teacher

Organised by
Department of Education,
Guru Ghasidas Vishwavidyalaya (A Central University) Bilaspur (C.G.)
On
20th-22nd February, 2025

Certificate

This is to certify that Prof./Dr./Mr./Mrs./Ms. Sunil Kumar of Dept. of Education
A.N.D. Teachers Training P.G. College, Bilaspur has Presented a Paper/ Participated/Chaired a Technical Session
on सामाजिक समावेशन एवं जनजातीय समाज (उ० प्र० के सीमावर्ती जनपद)
खरवीनपुर खोसी की दारु जनजाति के संदर्भ में in 57th Annual National Conference 2025 of
Indian Association of Teacher Educators (IATE) on Reshaping Teacher Education Program: Making the Future Teacher.



Prof. Sujeet Kumar Mishra



Prof. Sambit Kumar Padhi



Prof. B.R.Kukreti



Prof. Mohd. Miyan



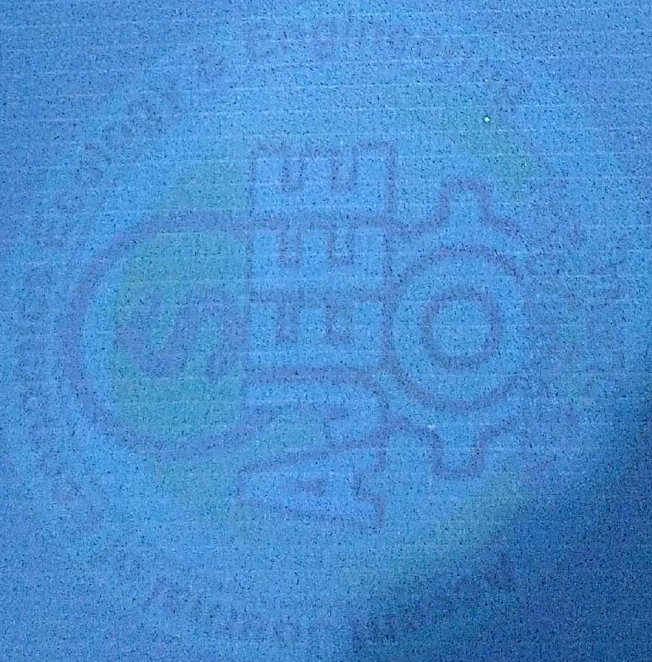
**Accent Journal of
Economics
& Engineering**
International Peer
Refereed Journal

Volume-09, Issue 01, J

**ISSN
Impact Factor**

Accent Journal of Economics Ecology & Engineering

ISSN: 2456-1037



ACCENT JOURNAL OF ECONOMICS
ECOLOGY & ENGINEERING

(ISSN No. 2456-1037)
(INTERNATIONAL JOURNAL)

Available online at - www.ajeee.co.in/index.php/AJEEE



Certificate

This is to certify that our Editorial, Advisory and Review Board accepted research paper of Prof./Dr./Shri/Smt./Ku डॉ० सुनील कुमार, The title of the paper is "उ० प्र० के लखीमपुर जनपद की थारु जनजाति में शिक्षक शिक्षा की समस्याएं एवं समाधान". This is original and innovative. It is double blind peer reviewed. This paper has been published on Vol. 09, Issue 01, January 2024.

Formal

Publisher & Editor In Chief

Editor In Chief
AJEEE - International Journal
ISSN : 2456-1037



AJEEE

.....

VOLUME-09

ISSUE -01, JANUARY 2024

Mailing Address:

207, Jai Prakash PNG, Jabalpur MP

PRINCIPAL CONTACT

Prof. Sourabh Jain

Publisher & Editor in Chief

TABLE OF CONTENTS

S. No.	NAME OF TITLE	P. No.
1	"EFFECT OF CONCRETE EMBEDDED WITH STEEL FIBER, POLYPROPYLENE FIBER & CLASS-F FLY ASH" Shubham Vishwakarma, Prof. Charan Singh Thakur, Prof. Anil Sanodiya	01-10
2	PHYSIO-CHEMICAL STUDY OF KEN RIVER WATER AT DIFFERENT GHAT OF BANDA DISTRICT WITH SOME ASSORTED PARAMETERS Sachin Mahobliya, Prof. Charan Singh Thakur, Asst. Prof. Anil Sanodiya	11-18
3	ASSESSMENT OF WATER QUALITY INDEX OF DALSAGAR LAKE SEONI (M.P.) Aniket Vishwakarma, Prof. Anil Sanodiya, Prof. Charan Singh Thakur	19-25
4	INTEGRATING FILTERS INTO CMOS ARCHITECTURE USING CST SIMULATION FOR HIGH-PERFORMANCE SIGNAL PROCESSING Deepak Sahu, Ms. Deepali Sahu, Mr. Pradeep Kumar Khatik	26-33
5	OPTIMIZING CMOS -BASED FILTER USING CST FOR EFFICIENT SIGNAL PROCESSING IN IOT DEVICES Devendra Kumar Patel, Mr. Saurabh Pateriya, Ms. Deepali Sahu	34-40
6	TIME-DOMAIN APPROACH FOR UWB MICROSTRIP FILTER DESIGN USING GAUSSIAN PULSES AND REFLECTION COEFFICIENTS Mohammad Firoj Khan, Hariom Yadav	41-50
7	LOW POWER CMOS COUPLING NETWORK FOR MICROSTRIP ANTENNA INTEGRATION IN IOT Kanchan Sen, Saurabh Pateriya, Deepali Sahu	51-56
8	ENHANCING 5G COMMUNICATION TIME FILTERS IN CMOS: A FOCUS ON BIOMEDICAL SIGNAL Geet Kesharwani, Mr. Saurabh Pateriya, Ms. Deepali Sahu	57-59
9	STUDY OF PHYSIO-CHEMICAL PARAMETERS GOUR RIVER WATER SUMMER AND WINTER SEASON AT JABALPUR Risha Mailaka, Prof. Charan Singh Thakur, Asst. Prof. Anil Sanodiya	60-69
10	रोहतास जिले के विकास में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की भूमिका अभिषेक कुमार	70-77
11	PHYTOCHEMICAL ANALYSIS OF HERBAL PLANTS Dinesh Kumar Yadav, Dr. Pramod Kumar Pandey, Dr. Kamlesh Kumar	78-83
12	IMPACT OF PREDATORS ON PARASITIC INFECTIONS Dr. Kamlesh Kumar, Dr. Amarendra Kumar Pandey	84-89

13	IMPACT OF MEDICAL RECORD DEPARTMENT ON HOSPITAL MANAGEMENT IN INDIA Mr. Ankur Jain	90-94
14	CHALLENGES AND POSSIBILITIES ARISING DUE TO COVID-19 IN THE EDUCATION OF GOVERNMENT SCHOOLS OF UTTARAKHAND Gokul Chandra Fulara, Pratap Singh	95-101
15	REVIEW ON UWB MICROSTRIP FILTER DESIGN USING GAUSSIAN PULSES AND REFLECTION COEFFICIENTS Dr. Anil Tiwari	102-111
16	INDIA-EU TRADE RELATIONS: AN ASSESSMENT OF TRENDS AND PROSPECTS Dr. Manjushri Gupta, Simran Kanwar Jetmal	112-118
17	वर्तमान में मूलभूत सुविधाएं, बेहतर जीवन शैली व अवसर की स्थिति का विश्लेषण अध्ययन (झारखंड राज्य के विशेष संदर्भ में) जीतेन्द्र कुमार, डॉ. नमिता शर्मा	119-124
18	RELATIONSHIP AMONG BODY IMAGE, EATING DISORDER AND SELF-ESTEEM: AN OVERVIEW Dr. Anju Sonkar	125-129
19	INVESTIGATION OF THE PERFORATED TUBE CONFIGURATIONS OF DOUBLE-PIPE HEAT EXCHANGER Mohammad Asif, Vishwajeet Kureel	130-134
20	COMPARISON OF R410A AND R404A IN DOMESTIC REFRIGERATOR Mahesh Pratap Singh, Vishwajeet Kureel	135-140
21	मध्य युगीन यूरोप में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास डॉक्टर धर्मजीत सिंह	141-144
22	"HARMONY IN JUSTICE: NAVIGATING THE LEGAL SEAS OF EQUALITY" Karan Balhara, Dr. Phool Chand Saini	145-155
23	FROM EMOTIONS TO EXCELLENCE: HOW EMOTIONAL STABILITY DRIVES ACADEMIC ACHIEVEMENT IN INDIAN SCHOOLS Sangeeta Choudhary, Dr. R.S.Mishra	156-160
24	THEORETICAL STUDY OF SOME SEMICONDUCTORS UNDER HIGH PRESSURE AND HIGH TEMPERATURE Pankaj	161-168
25	ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के उच्च माध्यमिक शिक्षकों में सूचना प्रौद्योगिकी अभिवृत्ति और व्यवसायिक विकास का अध्ययन Sukant Shekhar, Dr. Ashish Kumar Dubey	169-173

26	ANALYTICAL RESEARCH ON TRAINING AND DEVELOPMENT PRACTICES IN THE BANKING SECTOR Sudhanshu Shekhar	174-180
27	30 प्र० के लखीमपुर जनपद की थारु जनजाति में शिक्षक शिक्षा की समस्याएं एवं समाधान डॉ० सुनील कुमार, डॉ० दीपा अवस्थी	181-186

उ० प्र० के लखीमपुर जनपद की शारु जनजाति में शिक्षा की समस्याएं एवं समाधान

डॉ० सुनील कुमार

मुख्य शोधकर्ता, शोध परियोजना, उ०प्र० शासन,
प्रोफेसर, आचार्य नरेन्द्र देव टीचर्स ट्रेनिंग (पी०जी०) कॉलेज, सीतापुर, उ०प्र०

डॉ० दीपा अवस्थी

असिस्टेंट प्रोफेसर, सह शोधकर्ता
शोध परियोजना, उ०प्र० शासन
आचार्य नरेन्द्र देव टीचर्स ट्रेनिंग (पी०जी०) कॉलेज, सीतापुर, उ०प्र०

भारत एक कृषि प्रधान देश है इसकी 70 प्रतिशत लगभग जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है भारत की जनसंख्या आज लगभग 1.35 अरब है। आजादी के समय से ही विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था हेतु गम्भीर कदम उठाने की बात की गई है। शिक्षा किसी भी समुदाय के विकास का महत्वपूर्ण साधन मानी गयी है। विश्व के सभी देशों में मानव संसाधन के विकास में शिक्षा की भूमिका को अपरिहार्य माना गया है। भारतीय समाज में जनसामान्य के लिए शैक्षिक सुविधाओं के विकास की आवश्यकता अनुभव की गयी। वर्तमान में बदलती हुई परिस्थितियों एवं प्रगति के नये अवसरों के साथ समाज के कमजोर वर्गों के लोग अपना समुचित विकास व समायोजन कर सकें तथा अपनी बुद्धि को विकसित कर सकें और शैक्षिक क्षेत्र में विशेष उपलब्धियाँ अर्जित कर सकें इस दृष्टि से उनके लिए शिक्षा का विशेष महत्व है। भारत में समाज के कमजोर वर्गों में अनुसूचित जनजाति वर्ग प्रमुख हैं। सभी समाजों की अपनी सांस्कृतिक विरासत होती है यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर सम्प्रेषित होती रहती है। इस विरासत के सम्प्रेषण हेतु समाज का शिक्षित होना आवश्यक है। स्कूल तथा घर इस सांस्कृतिक विरासत का सम्प्रेषण करने में सहायक बनते हैं।

समाज स्वयं में शिक्षा का एक प्रभावशाली अभिकरण है। भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार समाज के प्रत्येक वर्ग को शिक्षा का अधिकार है एवं इसको लागू करना राज्य का उत्तरदायित्व है। परन्तु आज भी बहुत से ऐसे वर्ग हैं जो शिक्षा की मुख्य धारा में सही प्रकार से साथ नहीं आ पाये हैं जिनमें अनुसूचित जनजाति वर्ग प्रमुख हैं।

अनुसूचित जनजातियाँ अधिकतर क्षेत्रीय या प्रान्तीय भाषा जानती हैं इस बड़े वर्ग की यह एक प्रमुख समस्या है कि उन्हें अपनी भाषा में पाठ्यक्रम उपलब्ध नहीं होता है और इसी कारण वह पाठ्यक्रम के वास्तविक भाव व अर्थ समझ नहीं पाते हैं और शिक्षा के प्रति उनकी रुचि उत्पन्न न होने के कारण वे कई बार असफल हो जाते हैं। उनका घर परिवार व आस-पास का माहौल अनुकूलन नहीं होता जिससे कि उनका पूर्ण विकास प्रभावित होता है। चाहे बाल मृत्युदर हो या कृषि सम्पदा या पेयजल और बिजली तक पहुँच हो, आदिवासी समुदाय आम आदमी से बहुत पिछड़े हुए हैं। इनमें आदिम लक्षणों का होना, भौगोलिक अलगाव, विशिष्ट संस्कृति, बाहरी समुदाय के साथ सम्पर्क करने में संकोच, आर्थिक रूप से पिछड़ापन अनुसूचित जनजातियों की मुख्य

विशेषताएं हैं। अनुसूचित जनजाति की पहचान का आधार है कि ये आम सभ्य समाज के साथ न निवासकर दूरस्थ दुर्गम एवं जंगली व सीमावर्ती क्षेत्रों में निवास करते हैं जिनकी अपनी विशेष बोली, रीति-रिवाज एवं परम्पराएं हैं न तो तत्कालीन तथाकथित सभ्य समाज ने लम्बे समय तक इनको अपने बराबर समझा और न ही इन जातियों ने ही मिलना चाहा परन्तु आजादी के बाद संविधान लागू होने के साथ ही समाज के कमजोर एवं पिछड़े वर्ग के लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाने एवं उनके लिये शिक्षा तथा सभी क्षेत्रों में अवसर प्रदान करने हेतु आरक्षण तथा विशेष अवसरों की व्यवस्था की गयी है तथा विभिन्न प्रावधान किये गये हैं साथ ही उनकी मौलिकता बनाये रखते हुये विभिन्न अवसर देने की बात की गयी है।

अनुसूचित जनजातियों देशभर में मुख्यतया वनों व पहाड़ी इलाकों में फैली हुई हैं। अनुसूचित जनजातियों की अधिकतर महिलाएं अशिक्षित हैं। ये असमानतायें औपचारिक शिक्षा में पढ़ाई छोड़ देने की उच्च दरों से और बढ़ जाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप उच्चशिक्षा में असंगत रूप से कम प्रतिनिधित्व है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि इस का कुल प्रभाव यह है कि गरीबी की रेखा से नीचे की अनुसूचित जनजातियों का अनुपात राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। भारतीय संविधान की व्यवस्था के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक अहित, सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषणों से उनकी रक्षा के लिये विशेष प्रावधान हैं।

सभी के साथ अनुसूचित जनजातियों के लिए शिक्षा एक प्रेरणा स्रोत है जिससे न केवल उनका आर्थिक विकास होता है बल्कि उनमें आत्मविश्वास एवं नई

चुनौतियों का सामना करने की क्षमता विकसित होती है। शिक्षा हर प्रकार के संतुलन का एक बहुत बड़ा आधार है इसलिए अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 46 में राज्यों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वह समाज के कमजोर वर्गों के लोगों की ओर विशेषकर अनुसूचित जनजाति के लोगों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की रक्षा की ओर विशेष ध्यान दें। यदि देश की सामान्य जनता से तुलना की जाए तो अनुसूचित जनजातियों का सामाजिक व आर्थिक स्तर काफी नीचा है। इनमें सामाजिक व शैक्षिक पिछड़ापन है जिससे उनमें आत्मविश्वास की कमी पायी गयी है। इनके आत्मविश्वास को ऊपर उठाना आज की आवश्यकता है। शोध विषय मुख्य रूप से शिक्षाशास्त्र से सम्बन्धित है तथा यह मानवशास्त्र तथा समाजशास्त्रीय विवेचनों से जुड़ा है। जनजातीय समस्याएं भारत की गम्भीर समस्याओं में से एक हैं। सैकड़ों वर्षों तक भारत की करोड़ों जनजातीय जनसंख्या सामाजिक व आर्थिक प्रगति से अछूती और उपेक्षित रही है और आज भी ये कम ही लाभान्वित हो सके हैं। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में जनजाति वर्ग की बड़ी संख्या है। अतः इनकी ओर बार-बार ध्यान आकर्षित होना स्वाभाविक है, क्योंकि ये आर्थिक रूप से अत्यन्त पिछड़े हैं तथा यांत्रिक विकास की गति से अनजान हैं। इसके परिणामस्वरूप जनजातीय समूह देश के विकास के साथ चलने में कई सामाजिक व आर्थिक कठिनाईयों का अनुभव कर रहे हैं, इन्हें समझना और उन कठिनाईयों का निदान ढूँढना हम सभी का कर्तव्य है। निसन्देह

आज व्यक्ति की तुलना में समष्टि का महत्व बढ़ा है, परन्तु व्यक्ति को उन्नत किये बिना सम्पूर्ण को उन्नत करने की कल्पना नहीं की जा सकती।

जनपद लखीमपुर खीरी भारत नेपाल सीमा पर स्थित जनपद लखीमपुर खीरी उ०प्र० का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। इसकी प्रशासनिक राजधानी जनपद लखीमपुर खीरी शहर है। लखीमपुर खीरी लखनऊ मण्डल का एक हिस्सा है इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 7680 वर्ग कि०मी० या 2970 मील है। उ०प्र० का प्रमुख एकमात्र दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी में है। लखीमपुर शहर राज्य की राजधानी लखनऊ से 134 कि०मी० या 77 मील पर स्थित है। लखीमपुर हिमालय के आधार पर तराई के निचले इलाकों के भीतर है यह 27.6 डिग्री से 28.6 डिग्री उत्तर अक्षांश व 80.34 डिग्री व 81.30 डिग्री पूर्वी पूर्व में स्थित है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल देश से मिलती है। इसकी सीमाएं पीलीभीत, शाहजहाँपुर, सीतापुर, बहराइच, हरदोई जनपदों से मिलती हैं। शारदा, घाघरा, कौड़ियाला, उल्ल, सरायन, कठना, मोहान, गोमती, चौका यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। उ०प्र० का लखीमपुर खीरी जनपद प्रदेश के पिछड़े जनपदों में आता है 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की कुल जनसंख्या 40.21 लाख... है। लखीमपुर खीरी की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार 60.56 प्रतिशत है। पुरुष साक्षरता दर...69.57 प्रतिशत... तथा महिला साक्षरता...50.42 प्रतिशत है। उ०प्र० की साक्षरता दर 69.72 प्रतिशत है उपरोक्त साक्षरता दर राष्ट्रीय स्तर पर कुल साक्षरता दर 74.04 प्रतिशत 2011 जनगणना से अत्यन्त कम है। लखीमपुर खीरी जनपद की थारू

जनजाति की साक्षरता दर अत्यन्त कम है, लखीमपुर खीरी जनपद की थारू जनजाति कम साक्षरता दर भी उनके आगे न बढ़ पाने का एक महत्वपूर्ण कारण है।

उ०प्र० की अनुसूचित जनजातियाँ अगरिया, बैगा, भोटिया, बुक्सा, भुइया, चैरो, गोंड, धुरी, ओजा, पथारी, जौनसारी, राजी, खरवार, पनिका, परहिया, सहारिया व थारू में से सर्वाधिक जनसंख्या थारू जनजाति की है। यह जनजाति उ०प्र० के तराई क्षेत्र के मुख्यतः लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, गोण्डा, बहराइच व गोरखपुर आदि जनपदों में निवास करती है तथा बिहार के चम्पारन व दरभंगा जिलों में, पूरब में असम के जलपाईगुडी व पश्चिम में कुमाऊँ व गढ़वाल तक तथा नेपाल में पूर्व में भैंची से पश्चिम में महाकाली में अंचल तक फैली है। नेपाल देश में इनकी जनसंख्या भारत की अपेक्षा अधिक है जो मुख्य रूप से देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में निवास करती है। थारू की उत्पत्ति के सम्बन्ध में मानव शास्त्रियों में मतभेद है कुछ विद्वान इन्हें राजपूत वंशों की उत्पत्ति मानते हैं। थारूओं का स्वयं की उत्पत्ति के सम्बन्ध में कहना है कि वे राणाप्रताप के वंश के हैं, मुस्लिम शासकों के आक्रमण के कारण व उनके अत्याचार व दमन नीति के कारण राजपूतानी स्त्रियाँ अपने कुछ सेवकों के साथ छिपते-छिपते जंगलों में आ बसीं और कालान्तर में इन्हीं सेवकों से उत्पन्न संताने थारू कहलायीं और इनमें स्त्रियों की उच्च स्थिति इसी तथ्य की पुष्टि करता है। कुछ विद्वानों के अनुसार थारू शब्द का अर्थ जनजातीय भाषा में जंगल होता है और ये जंगल के निवासी होने के कारण थारू कहलाये। इनकी उत्पत्ति के विषय में बहुत सी अन्य मान्यतायें भी प्रचलित हैं। थारू मंगोल जाति के गुणों को

प्रदर्शित करते हैं। इनका कद औंसत, गाल फूले हुए, आँखें औंसत से कुछ छोटी, पीत वर्ण, नाक तथा बाल सीधे होते हैं, शारीरिक गठन सुडौल होता है।

संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार समाज के प्रत्येक वर्ग को विकास की मुख्यधारा में शामिल कर उनके लिए विशेष प्रावधानों को करने की बात की गई है तथा विकास हेतु शिक्षा को सर्वोत्तम साधन माना गया अनुच्छेद 45 को लागू करने हेतु बनी समय-समय पर विभिन्न योजनाओं को लागू करने के लिए विभिन्न प्रयास किए गए। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु बनाई गई योजनाओं के अंतर्गत विद्यालयों की सार्वभौम व्यवस्था के अंतर्गत उनके लिए मानक के अनुसार विद्यालयों की स्थापना हो और वहां पर नामांकन भी मानक के अनुसार हों।

हम सब जानते हैं कि समस्त शिक्षा प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग शिक्षक है जॉन ऐडम्स ने कहा कि शिक्षा एक निर्मुखी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। जॉन डीवी ने कहा कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है इसके शिक्षक, शिक्षार्थी व पाठ्यक्रम तीन महत्वपूर्ण पक्ष हैं अर्थात् इस प्रकार दोनों ही महान शिक्षाविदों ने शिक्षक का महत्वपूर्ण व सर्वोपरि स्थान माना है। सही भी है कि शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है व शिक्षक इस को गति प्रदान करने वाला है पूरी शिक्षा प्रक्रिया शिक्षक के चारों ओर घूमती है वास्तव में प्राथमिक विद्यालय व माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की व्यवस्था करना शिक्षक शिक्षा का कार्य है। योग्य एवं प्रशिक्षित शिक्षकों को तैयार करने में शिक्षक शिक्षा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। प्राचीन काल में मान्यता थी कि शिक्षक जन्मजात होते हैं उनका

निर्माण नहीं किया जा सकता परन्तु कालान्तर में इस धारणा में परिवर्तन आया और माना जाने लगा कि उचित प्रशिक्षण देकर कौशलों में वृद्धि कर योग्य शिक्षक तैयार किये जा सकते हैं। इसके लिए विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई है और इन संस्थाओं को यह उत्तरदायित्व इस आशा के साथ दिया जा रहा है कि वे समाज व समय की आवश्यकतानुसार योग्य शिक्षकों को तैयार करेंगे एवं ये शिक्षक नियुक्ति के बाद अपने कार्य क्षेत्र में सीखे गए ज्ञान एवं कौशल का प्रयोग करके समाज की उन्नति में अपना योगदान देंगे तथा संवैधानिक लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करेंगे।

शिक्षकों के शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रशिक्षित कर प्रक्रिया के अनुसार विद्यालयों में नियुक्ति की जाती है जो कि सिद्धांतता मानक के अनुसार हो।

अनुसूचित जनजाति विशेषकर लखीमपुर खीरी की थारु जनजाति क्षेत्र में शिक्षक शिक्षा की समस्याएं

1. शिक्षकों के लिए विशेष इंसेंटिव ना होना।
2. शिक्षकों की लापरवाही व नीरसता।
3. सेवारत प्रशिक्षण उचित ना होना।
4. शिक्षा व रोजगार में संबंध न होना।
5. शिक्षक शिक्षा व स्थानीय आवश्यकताओं में सम्बन्ध न होना।
6. सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण में व्यवहारिकता का अभाव।
7. सामान्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया उचित न होना।
8. थारु जनजाति क्षेत्र में कार्यरत शिक्षकों हेतु कोई विशेष प्रशिक्षण ना होना।
9. सकारात्मक मनोदशा व मनोस्थिति के शिक्षकों का अभाव।

इसके अलावा वास्तव में थारु जनजाति बाहुल्य क्षेत्र के विद्यालयों में शिक्षकों को नियुक्ति पर्याप्त संख्या में नहीं है। जिनकी नियुक्ति है भी वे भी आए दिन अनुपस्थित रहते हैं जिसको देखने वाली कोई उचित व्यवस्था व्यवहार रूप में नहीं है। जो शिक्षक उपस्थित होते भी हैं तो आवागमन के साधनों के अभाव, जर-जर मार्गों के कारण देर से आते हैं नामांकन अधिक व शिक्षक कम होने के कारण भी खानापूर्ति कर उनको घेरकर बैठने का ही कार्य करते हैं क्षेत्र की जनता में शिक्षा का अभाव है जो अध्यापकों से प्रश्न नहीं कर पाती है। इसके अलावा इतने अन्य कई गैर शैक्षिक कार्य हैं जिनमें भी विभागीय उत्तरदायित्व के कारण शिक्षक अन्य कार्यों में व्यस्त रहते हैं।

थारु जनजाति क्षेत्र के लोगों की विशिष्ट आवश्यकता, हैं जिसके लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता है पर शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान इस ओर भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। समय-समय पर होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों में मार्त्र खानापूर्ति की जाती है। इन क्षेत्रों में कार्यरत शिक्षकों हेतु कोई प्रोत्साहन भत्ता भी नहीं दिया जाता।

समाधान

1. थारु जनजाति क्षेत्र के कार्यरत शिक्षकों हेतु ठीक-ठाक प्रोत्साहन भत्ता दिया जाए उच्च [मितावान शिक्षक शिक्षिकाएं भी इस ओर आगे आए।
2. सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों में इन शिक्षकों का मनोबल बढ़ाने हेतु विशिष्ट प्रशिक्षित लोगों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाए व प्रशिक्षण सामग्री दी जाए।

3. शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में अनुसूचित जनजातियों से संबंधित आधारभूत जानकारी विस्तृत रूप से प्रदान करने हेतु प्रावधान किए जाए।
4. अनुसूचित जाति जनजातियों के विद्यार्थियों की समस्याओं और समाधान की विस्तृत चर्चा पाठ्यक्रम में होनी चाहिए।
5. व्यवहारिक अनुभव हेतु शिक्षक शिक्षा के विद्यार्थियों का क्षेत्र भ्रमण थारु जनजाति क्षेत्रों में आयोजित किया जाना चाहिए।
6. सेवाकालीन व सेवा पूर्व दोनों में ही प्रशिक्षण में थारु जनजाति की समस्याओं और समाधान की ओर शिक्षकों का अभिमुखीकरण किया जाए।
7. थारु जनजाति क्षेत्र में कार्य करने के लिये प्रशिक्षुओं को पहचान कर अलग प्रकार से प्रशिक्षित किया जाए।
8. थारु जनजाति क्षेत्र के विद्यालयों हेतु उन्ही की भाषा में ही अध्ययन सामग्री तैयार करायी जाए।

शिक्षा प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग शिक्षक है सभी क्षेत्रों में प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता है विशेषकर जनजाति क्षेत्रों में नियुक्त शिक्षकों को इसके साथ-साथ उच्च श्रेणी का सामाजिक कार्यकर्ता होने की आवश्यकता है क्योंकि यह क्षेत्र विकास की धारा में हर मायने में पिछड़े हैं शिक्षक शिक्षा के माध्यम से ऐसे उच्च कोटि के शिक्षक तैयार किए जाएं जो अपने विशिष्ट ज्ञान कौशल से थारु जनजाति की आने वाली पीढ़ी के शैक्षिक स्तर में सुधार कर सकें और समाज की मुख्यधारा में जोड़कर देश व समाज की उन्नति में अपना योगदान दे सकें।

शिक्षक शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जोकि विभिन्न समसामयिक एवं भावी

समस्याओं का संभावित उत्तर खोजने का प्रयास करती है थारु जनजाति के परिप्रेक्ष्य में शिक्षक शिक्षा संस्थानों की भूमिका महत्वपूर्ण है शिक्षक शिक्षा संस्थानों का यह दायित्व है कि भावी शिक्षक जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले विद्यार्थियों की आवश्यकता एवं रुचियों के प्रति संवेदनशील हों व समय आने पर अपना योगदान इस क्षेत्र में कर सकें। शासकीय प्रयासों को पूर्णता प्रदान करते हुए शिक्षक शिक्षा के पैरोकारों को थारु जनजाति को मुख्यधारा में जोड़ने का सार्थक प्रयास करना चाहिए।

सन्दर्भ-ग्रन्थ सूची

1. गौतम, रीता. (2016). थारु जनजाति में विवाह व्यवस्था का परिवर्तित स्वरूप. *Journal of Emerging Technologies and Innovative Research*, 3(1)। द्वारा www.jetir.org
2. गुप्ता, एस.पी. (2001). *भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएं*. इलाहाबाद: शारदा पुस्तक भवन 3. पाठक, पी.डी. (1999) *भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएं*, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा।
3. राजीव (2014) सामाजिक संगठन में पूर्वी उत्तर प्रदेश की थारु जनजाति के बदलते प्रतिमान (एक समाजशास्त्रीय अध्ययन), पी-एच.डी.

- श्रीशिरा, डॉ आर.एम.एल, विश्वविद्यालय, फैजाबाद।
4. शारस्वत, मालती, (2008) *भारतीय शिक्षा का विकास एवं सामाजिक समस्याएं*, आलोक एवं गौतम प्रकाशन, लखनऊ।
 5. भार्गी, ब्रजकि शोर (2009) *भारत का संविधान एक परिचय*, छठा संस्करण, पी0एच0 आई लर्निंग प्राईवेट, नई दिल्ली।
 6. Ambedkar, B.R. (1948). *Untouchables- Who are Shudras? How they came to be the fourth Varna in the Indo-Aryan Society?* Thakkar and Company, Mumbai (1970), 3rd Reprint.
 7. Basu, D.D. (2006), *Bharat Ka Samvidhan Ek Parichay*, Delhi: Buddhdev Publications.
 8. Behura, N.K. and Mikantha P. (2006), *Tribes and Constitution*, Rawat Publication, New Delhi
 9. Census of India (2011) *Uttar Pradesh, District Census Handbook*, Kheri, Primary Census Abstract (PCA) Directorate of Census Operation, Uttar Pradesh
 10. Champaran Srivastav, S.K. (1958), *A Study in Culture Dynamics*, University Press, Agra
 11. Chaudhry, B. (1982), *Tribal Development in India-Problems and Prospects*, Patel Enterprises, Delhi
 12. Thapar, Romesh (1977), *Tribes, Caste and Religion*, The Macmillan Company of India Ltd. Delhi.

Websites –

Tharu people - Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Tharu_people
 Census of India Website: Office of the Registrar General ...
<https://censusindia.gov.in> 2011

ISSN No. 2348-4918

Refereed And Peer-reviewed

INTERNATIONAL JOURNAL
OF INNOVATION IN ENGINEERING
RESEARCH & MANAGEMENT



Volume - 10, Issue
February 2023

International Journal Of Innovation In Engineering Research & Management



IJERM



INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATION IN ENGINEERING
RESEARCH AND MANAGEMENT

ISSN (Online) 2348-4918, I.F. 6.33, www.ijerm.co.in

CERTIFICATE OF PUBLICATION

This is to certify that

डॉ. दीपा अवस्थी

has published his/her paper entitled

“लखीमपुर खीरी जिले के थारु बाहुल्य क्षेत्रों में ग्रामीण पर्यटन: संभावनाएँ और चुनौतियाँ”

In IJERM, Vol. 10, Issue I, February 2023

This is original and innovative. It is double blind peer reviewed and refereed journal.

Editor in Chief & Publisher
IJERM

IJIERM



• • • • •

VOLUME – 10, ISSUE - 01, FEBRUARY 2023

MAILING ADDRESS

207, Jai Prakash PNG, Jabalpur MP
PRINCIPAL CONTACT
Prof. Sourabh Jain
Publisher & Editor in Chief

TABLE OF CONTENTS

S. No.	NAME OF TITLE	P. No.
1	STUDY & OBSERVATION OF FLAT SLAB DESIGNED WITH HIDDEN BEAMS Himanshu Singh, Prof. Anubhav Rai	01-03
2	EFFECT OF RICE HUSK ASH ON THE STRENGTH OF DIFFERENT GRADE OF CONCRETE Pankaj Kumar Sen, Prof. Anil Sanodiya, Prof. Charan Singh Thakur	04-08
3	EFFECT OF SALT STRESS ON SEED GERMINATION AND SEEDLING GROWTH OF VIGNA RADIATA L. AND PHASEOLUS VULGARIS L. Soni Kumari, Prof. Manoj Kumar, Dr. Nirmali Bordoloi	09-18
4	A COMPREHENSIVE ANALYSIS OF PCB COOLING HEAT SINKS USING ANSYS - COMPARATIVE TRANSIENT THERMAL STUDY Vinay Kumar Yadav, Vishwajeet Kureel	19-26
5	"STUDY OF AIR-COOLING SOLUTIONS FOR LITHIUM-ION BATTERIES IN HYBRID ELECTRIC VEHICLE BATTERY PACKS THROUGH TRANSIENT THERMAL ANALYSIS" Lalit Kumar, Vishwajeet Kureel	27-33
6	A STUDY ON THE TRANSPORT SYSTEM OF JAIPUR CITY WITH SPECIAL REFERENCE RING ROAD Kalpana Choudhary	34-40
7	A CRITICAL STUDY ON CORRELATION BETWEEN FUNDAMENTAL RIGHTS AND FUNDAMENTAL DUTIES WITH SPECIFIC EMPHASIS ON THEIR EXECUTION Suman Surela	41-44
8	DETERMINATION OF IRON CONTENT IN GROUND WATER SAMPLES AT JABALPUR CITY (M.P.), INDIA Srishti Koshti, Prof. Charan Singh Thakur, Prof. Anil Sanodiya	45-48
9	CYBER PHYSICAL SECURITY OF A CHEMICAL PLANT Mr. Gyanesh Kumar, Mr. Nandan Kumar, Dr. Prakash Vardhan	49-54
10	ANALYSIS OF PAPR REDUCTION IN OFDM SYSTEM BY USING CLIPPING TECHNIQUES Nidhi Kumari, Rishi Choubey	55-66
11	STUDY AND ANALYSES THE VARIOUS TECHNIQUES TO REDUCE THE PAPR AND ENHANCE THE SNR IN OFDM SYSTEM Digvijay Singh, Rishi Choubey	67-77
12	THE EFFECTS OF LOW-DENSITY POLYETHYLENE (LDPE) ADDITION TO THE CHARACTERISTICS OF BITUMEN MIXTURE Prashant Kurmi, Amit Richhariya	78-85
13	STUDY ON EFFECTS OF PARTIALLY REPLACING CEMENT AND SAND WITH RHA, AND GLASS POWDER WASTE Karan Lodhi, Amit Richhariya	86-94

14	DEVELOPMENT OF IDENTIFIED WATERSHED IN PANCHAYAT SAMITI - DUDU, JAIPUR (RAJ.) Ghate Yogesh Bhagwat, Mithun Dubery	95-102
15	A STUDY OF ADAPTIVE IRRIGATION MANAGEMENT PLANNING - A FARMER'S PERSPECTIVE Tayade Sagar Kailash	103-106
16	STUDY AND ANALYSIS OF STRENGTH AND DUCTILITY BEHAVIOURS OF RECTANGULAR BEAMS Suman Peddar, Amit Richhariya	107-116
17	STUDY ON THE COMPRESSIVE STRENGTH AND FLEXURAL STRENGTH OF PERVIOUS CONCRETE Shubham Patil, Amit Richhariya	117-122
18	HEALTH AND WELL BEING IN THE HOUSE: THE ROLE OF INTERIOR DESIGN Dr. Kavita Gupta	123-127
19	REVIEW ON LOAD BALANCING IN CLOUD COMPUTING USING ANT COLONY OPTIMIZATION Basant Bamnele, Prof. Ruchi Bhargava	128-133
20	"FREE TRADE AGREEMENT (FTA): ITS IMPACT ON INDIA-ASEAN TRADE RELATION" Krishan Kanhaya, Dr. Anup Kumar	134-139
21	YAVANI (TRACHYSpermum AMMI): A COMPREHENSIVE REVIEW Sharma Amita, Suman Sunita, Awasthi H.H.	140-142
22	21वीं शताब्दी में भारत की पड़ोस नीति का अध्ययन: नेपाल के विशेष संदर्भ में सौरभ वर्मा	143-148
23	A REVIEW ANALYSIS OF THE OPPORTUNITIES FOR THE INDIAN SPORTS INDUSTRY Dr. Shambhu Sharan Prasad	149-151
24	18वीं शताब्दी में नेपाल-भारत संबंधों के विभिन्न महत्व डॉ. आनन्दा नन्द त्रिपाठी, सौरभ वर्मा	152-167
25	A BRIEF STUDY ON THE LAW OF SEDITION IN INDIA Arshiya, Dr. R. K. Gupta	168-172
26	PROS AND CONS OF E-GOVERNANCE IN JAMMU AND KASHMIR Manzoor Ahmad Bhat	173-176
27	TESTING AND ASSESSMENT OF A SOLAR-POWERED GAS TURBINE SYSTEM Ms. Parul Sharma, Ms. Ritu Sharma, Anshul Sahu, Sourabh Patel	177-181
28	DESIGNING AND CRAFTING STEPPER MOTOR POSITION CONTROL WITH ARDUINO MEGA 2560 Dr. Ruchi Pandey, Mr. Anand Goswami, Uttam Lal Yadav, Yogesh Vishwakarma	182-186

29	VISUAL EFFECTS AND THEIR SIGNIFICANCE IN VISUAL MEDIA PRODUCTION Mr. Ashok Soni, Mr. Amit Gupta, Aman Tumram, Ankit Kumar Yadav	187-192
30	दिल्ली के अधीन अयोध्या का इतिहास डॉ. राज कुमार सिंह	193-196
31	जनपद जौनपुर में जनसंख्या घनत्व का विश्लेषण मृत्युंजय सिंह, प्रो० रवीन्द्र कुमार पाण्डेय	197-205
32	PERFORMANCE OF ACTIVE & REACTIVE POWER AND IMPACT OF SFCL WITH GTO DEVICE IN RECTIFIER WITH HVDC CIRCUIT BREAKERS (CBS) BY SIMULATION: A REVIEW Satyendra Saket, Nitin Saxena	212-222
33	THE RENEWABLE SOURCES BASED MICROGRID FOR ELECTRIC VEHICLE CHARGING USING VARIOUS EMERGING TECHNOLOGIES: A REVIEW Dr. Ruchi Pandey, Pawan Kumar Kori	223-229
34	IMPACT OF TRADE UNION ACTIVITIES ON WORKFORCE DYNAMICS IN MAJOR INDIAN PUBLIC SECTOR UNDERTAKINGS Dr. Dharendra Kumar Singh	230-235
35	THE ROLE OF CENTRAL UNIVERSITY LIBRARIES IN ENHANCING THE QUALITY OF HIGHER EDUCATION IN BIHAR Sudhanshu Shekhar	236-240
36	लखीमपुर खीरी जिले के थारु बाहुल्य क्षेत्रों में ग्रामीण पर्यटन : संभावनाएँ और चुनौतियाँ प्रो. सुनील कुमार, डॉ. दीपा अवस्थी	241-245

लखीमपुर खीरी जिले के थारू बाहुल्य क्षेत्रों में ग्रामीण पर्यटन : संभावनाएँ और चुनौतियाँ

प्रो. सुनील कुमार (प्रमुख शोधकर्ता)
डॉ. दीपा अवरुषी (सह प्रमुख शोधकर्ता)

उ. प्र. शासन परियोजना

ए. एन. डी. टी. चर्स ट्रेनिंग (पी.जी.) कॉलेज, सीतापुर, उ. प्र.

ग्रामीण पर्यटन:

ग्रामीण पर्यटन का अर्थ उन पर्यटन गतिविधियों से है जो ग्रामीण क्षेत्रों, उनकी प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक धरोहर, पारंपरिक जीवनशैली, और स्थानीय गतिविधियों को केंद्र में रखकर आयोजित की जाती हैं। यह एक ऐसा पर्यटन है जो शहरों और विकसित क्षेत्रों से दूर, ग्रामीण परिवेश में पर्यटकों को अनुभव प्रदान करता है। इसमें स्थानीय कला, संस्कृति, हस्तशिल्प, कृषि, भोजन, और प्राकृतिक संसाधनों का आनंद लिया जाता है।

थारू क्षेत्रों का महत्व:

लखीमपुर खीरी जिला, विशेष रूप से थारू जनजाति से जुड़े क्षेत्रों के लिए, ग्रामीण पर्यटन के विकास की अनूठी संभावनाएँ रखता है। थारू जनजाति, उत्तर भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में निवास करने वाली एक विशेष जनजाति है, जो अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक परंपराओं, रीति-रिवाजों, नृत्य, संगीत, और स्थानीय कला के लिए प्रसिद्ध है। उनकी परंपराएँ और जीवनशैली पर्यटकों के लिए एक अनूठा अनुभव प्रदान कर सकती हैं।

ग्रामीण पर्यटन और थारू क्षेत्र का परिप्रेक्ष्य:

ग्रामीण पर्यटन की अवधारणा केवल प्राकृतिक सुंदरता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह क्षेत्रीय जीवन, स्थानीय भोजन, हस्तशिल्प और कृषि आधारित अनुभवों को भी शामिल करती है। लखीमपुर खीरी जिले के थारू बहुल क्षेत्र, जिनमें दुधवा नेशनल पार्क और आसपाम के क्षेत्र आते हैं, इस दृष्टि से अत्यधिक समृद्ध हैं। यहाँ के प्राकृतिक संसाधन, वन्यजीव अभ्यारण्य, और थारू जनजाति की संस्कृति पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन सकते हैं।

शोध की आवश्यकता और प्रासंगिकता:

इस शोध की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि,

आर्थिक विकास: ग्रामीण पर्यटन थारू समुदाय को रोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण के नए अवसर प्रदान कर सकता है।

सांस्कृतिक संरक्षण: पर्यटन थारू संस्कृति, परंपराओं और भाषा के संरक्षण में सहायक हो सकता है।

स्थानीय भागीदारी: यह शोध स्थानीय समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उपाय सुझा सकता है।

चुनौतियों का समाधान: ग्रामीण पर्यटन के विकास में आने वाली चुनौतियों, जैसे बुनियादी ढाँचे की कमी और पर्यावरणीय प्रभावों को समझने और समाधान निकालने की आवश्यकता है।

शोध का उद्देश्य:

- थारू बहुल क्षेत्रों में पर्यटन की संभावनाओं का अध्ययन करना।
- ग्रामीण पर्यटन के प्रभावों का विश्लेषण करना।
- थारू संस्कृति और पर्यावरण के संरक्षण के उपाय सुझाना।
- पर्यटन के माध्यम से स्थानीय समुदाय की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सुधारने के उपाय तलाशना।

अध्ययन क्षेत्र का भौगोलिक और सांस्कृतिक विवरण

1. भौगोलिक विशेषताएँ:

लखीमपुर खीरी जिला उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में स्थित है और इसकी भौगोलिक स्थिति इसे प्राकृतिक और सांस्कृतिक विविधता प्रदान करती है।

1.1 स्थान और क्षेत्रफल:

लखीमपुर खीरी जिला उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित है और नेपाल सीमा से सटा हुआ है। यह राज्य का सबसे



बड़ा जिला है, जिसका कुल क्षेत्रफल 7,680 वर्ग किलोमीटर है।

1.2 प्राकृतिक संसाधन और पारिस्थितिकी:

यह क्षेत्र गंगा के मैदान और हिमालय की तलहटी में स्थित होने के कारण उपजाऊ मिट्टी और जल संसाधनों से समृद्ध है। जिले में दुधवा नेशनल पार्क, जो एक प्रसिद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य है, स्थित है। यहाँ बाघ, हाथी, गैंडा, और दुर्लभ पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। मोहाना, सरयू, और घाघरा जैसी नदियाँ यहाँ के प्राकृतिक परिवेश को समृद्ध करती हैं।

1.3 जलवायु:

लखीमपुर खीरी की जलवायु उप-उष्णकटिबंधीय है। यहाँ गर्मियों में तापमान 40-45 डिग्री सेल्सियस तक जाता है और सर्दियों में तापमान लगभग 5-10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। मानसून के दौरान यह क्षेत्र प्रचुर मात्रा में वर्षा प्राप्त करता है।

2. सांस्कृतिक विशेषताएँ:

लखीमपुर खीरी जिले में थारू जनजाति का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और सामाजिक योगदान है। उनकी संस्कृति और परंपराएँ इस क्षेत्र को विशिष्ट पहचान प्रदान करती हैं।

2.1 थारू जनजाति का परिचय:

थारू उत्तर भारत और नेपाल की सीमा पर निवास करने वाली एक जनजातीय समुदाय है। यह समुदाय अपनी मानसत्तात्मक परंपराओं, विशिष्ट भाषा, और धार्मिक विश्वासों के लिए जाना जाता है।

2.2 जीवनशैली और पारंपरिक संरचनाएँ:

थारू समुदाय की जीवनशैली प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित है। वे मुख्य रूप से कृषि, पशुपालन, और जंगल के उत्पादों पर निर्भर हैं। उनके घर स्थानीय संसाधनों, जैसे बांस, घास, और मिट्टी से बने होते हैं, जो पर्यावरण-अनुकूल होते हैं।

2.3 सांस्कृतिक धरोहर:

थारू नृत्य और लोकगीत उनकी सांस्कृतिक पहचान हैं। त्योहारों के दौरान थारू महिलाएँ पारंपरिक परिधानों और

आभूषणों के साथ लोक नृत्य करती हैं। उनके हस्तशिल्प, जैसे बांस और लकड़ी से बनी वस्तुएँ, पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र हैं।

2.4 खानपान:

थारू समुदाय का पारंपरिक भोजन स्थानीय कृषि उत्पादों पर आधारित है। वे मोटे अनाज, जंगली फल, और मांसाहार तथा चावल अधिक पसंद करते हैं।

2.5 धार्मिक और सामाजिक विश्वास:

थारू लोग प्रकृति पूजक हैं और नदियों, जंगलों, और पहाड़ों को पवित्र मानते हैं। वे अपने समुदाय के देवी-देवताओं की पूजा करते हैं और धार्मिक अनुष्ठानों में सक्रिय भागीदारी करते हैं।

2.6 स्थानीय त्योहार और परंपराएँ:

थारू समुदाय होली, दीपावली, और माघी जैसे त्योहार धूमधाम से मनाता है। इन उत्सवों में उनके लोक नृत्य और गीतों का विशेष महत्व होता है। शादी और अन्य सामाजिक समारोहों में संगीत और नृत्य की परंपरा उनके सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाती है।

थारू क्षेत्रों में ग्रामीण पर्यटन की संभावनाएँ:

थारू जनजाति से जुड़े क्षेत्रों में ग्रामीण पर्यटन के विकास की व्यापक संभावनाएँ हैं। लखीमपुर खीरी जिले में स्थित यह क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक धरोहर, और पारंपरिक जीवनशैली के कारण पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बन सकता है। यह न केवल पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने का माध्यम है, बल्कि स्थानीय समुदायों के आर्थिक और सामाजिक विकास में भी सहायक हो सकता है।

थारू क्षेत्रों की निम्नलिखित विशेषताएँ जो ग्रामीण पर्यटन के लिए उपयुक्त हैं

प्राकृतिक संसाधन और सुंदरता:

दुधवा नेशनल पार्क:

यह भारत के प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है और जैव विविधता से परिपूर्ण है। यहाँ बाघ, गैंडा, हाथी, और दुर्लभ पक्षी प्रजातियाँ पाई जाती हैं।

नदियाँ और हरियाली:



सरयू, मोहाना, गेरुआ, शारदा और घाघरा नदियों के साथ-साथ क्षेत्र का हरा-भरा परिदृश्य पर्यटकों को आकर्षित करता है।

तराई क्षेत्र का सौंदर्य:

हिमालय की तलहटी और उपजाऊ मैदान इस क्षेत्र को प्राकृतिक रूप से अद्वितीय बनाते हैं।

सांस्कृतिक धरोहर:

थारू संस्कृति और परंपराएँ:

थारू जनजाति की विशिष्ट संस्कृति, जिसमें उनके लोकनृत्य, गीत, त्योहार, और परंपराएँ शामिल हैं, पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र हैं।

स्थानीय हस्तशिल्प:

बांस और लकड़ी से बनी वस्तुएँ, पारंपरिक कपड़े, और गहने क्षेत्र की विशिष्ट पहचान हैं।

पारंपरिक भोजन:

थारू समुदाय का भोजन, जिसमें मछली तथा स्थानीय कृषि उत्पादों का उपयोग होता है, पर्यटकों को एक अनूठा अनुभव प्रदान करता है।

पर्यावरणीय पर्यटन:

दुधवा नेशनल पार्क और आसपास के जंगल पर्यावरणीय पर्यटन के लिए आदर्श स्थान हैं। यह पर्यटकों को प्रकृति के करीब लाने के साथ-साथ जैव विविधता संरक्षण का भी माध्यम बन सकता है।

सांस्कृतिक पर्यटन:

पर्यटक थारू जनजाति के पारंपरिक घरों, धार्मिक अनुष्ठानों, और सामाजिक संरचनाओं का अनुभव कर सकते हैं। शादी, त्योहार, और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में थारू संस्कृति का प्रदर्शन पर्यटकों को आकर्षित कर सकता है।

कृषि पर्यटन:

थारू समुदाय की कृषि पद्धतियाँ और पारंपरिक खेती के तरीके पर्यटकों के लिए शैक्षिक और सांस्कृतिक अनुभव प्रदान कर सकते हैं।

थारू क्षेत्र में ग्रामीण पर्यटन के लाभ

आर्थिक लाभ: ग्रामीण पर्यटन से स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। हस्तशिल्प, स्थानीय उत्पाद, और पर्यटन सेवाओं की बिक्री से आय में वृद्धि होगी।

सामाजिक मशक्तिकरण: स्थानीय समुदाय अपनी संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करने के लिए प्रेरित होंगे। थारू महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर मिल सकते हैं।

सांस्कृतिक संरक्षण: पर्यटन में थारू जनजाति की सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा मिलेगा। लोककला, संगीत, और हस्तशिल्प को संरक्षित करने में सहायता मिलेगी।

पर्यावरणीय संरक्षण:

इको-टूरिज्म से प्राकृतिक संपादनों और जैव विविधता के संरक्षण में मदद मिलेगी। पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ेगी।

थारू क्षेत्रों में ग्रामीण पर्यटन के विकास की चुनौतियाँ:

बुनियादी ढांचे की कमी: सड़क, परिवहन, और आवास सुविधाओं की कमी पर्यटकों को आकर्षित करने में बाधा बन सकती है।

सांस्कृतिक संवेदनशीलता: अनियंत्रित पर्यटन से स्थानीय संस्कृति और परंपराओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

स्थानीय जागरूकता: स्थानीय समुदायों में पर्यटन की संभावनाओं और लाभों के प्रति जागरूकता की कमी। पर्यावरणीय दबाव: अधिक पर्यटकों के आगमन से पर्यावरणीय अस्थिरता का खतरा। थारू क्षेत्रों में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के उपाय

बुनियादी ढांचे का विकास: सड़क, आवास, और संचार सुविधाओं को बेहतर बनाया जाए।

स्थानीय समुदाय की भागीदारी: पर्यटन से जुड़े निर्णयों में थारू समुदाय को शामिल किया जाए।

सांस्कृतिक संवेदनशीलता: पर्यटन गतिविधियों को इस प्रकार डिजाइन किया जाए कि वे स्थानीय संस्कृति और पर्यावरण के अनुकूल हों।

स्थायी पर्यटन मॉडल:

पर्यावरण और सांस्कृतिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालिक पर्यटन योजनाएँ बनाई जाएँ।

प्रचार और विपणन:

थारू क्षेत्रों की संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित किया जाए।

थारू जनजाति पर ग्रामीण पर्यटन का प्रभाव:

ग्रामीण पर्यटन थारू बहुल क्षेत्रों में एक आर्थिक, सामाजिक, और सांस्कृतिक परिवर्तन का वाहक हो सकता है। इसका प्रभाव स्थानीय समुदाय के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहरा और नकारात्मक दोनों रूपों में देखा जा सकता है। लखीमपुर खीरी जिले के थारू क्षेत्रों में ग्रामीण पर्यटन का प्रभाव विशेष रूप से उनकी संस्कृति, रोजगार, पर्यावरण, और सामाजिक संरचना पर पड़ता है।



आर्थिक प्रभाव:**सकारात्मक प्रभाव:****रोजगार के अवसर:**

ग्रामीण पर्यटन से थारू समुदाय के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं, जैसे कि गाइडिंग, होमस्टे संचालन, हस्तशिल्प निर्माण, और परिवहन सेवाएँ।

स्थानीय उत्पादों का विपणन:

पर्यटकों की मांग से थारू हस्तशिल्प, कृषि उत्पाद, और पारंपरिक वस्त्रों की बिक्री बढ़ती है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण:

पर्यटन में होने वाली आय स्थानीय समुदाय के आर्थिक विकास में सहायक होती है।

नकारात्मक प्रभाव:**असमान लाभ वितरण:**

कभी-कभी केवल कुछ लोग या बाहरी निवेशक ही आर्थिक लाभ प्राप्त करते हैं, जिससे आर्थिक असमानता बढ़ती है।

स्थानीय संसाधनों पर दबाव:

अधिक पर्यटकों के आगमन से जल, भूमि, और अन्य संसाधनों पर दबाव बढ़ सकता है।

सामाजिक प्रभाव:**सकारात्मक प्रभाव:****महिलाओं और युवाओं का सशक्तिकरण:**

पर्यटन गतिविधियों में महिलाओं और युवाओं की भागीदारी उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्रदान करती है।

शिक्षा और जागरूकता:

पर्यटन के कारण स्थानीय समुदायों में शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ती है।

सामाजिक संपर्क:

पर्यटकों और स्थानीय समुदाय के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान से पारस्परिक समझ और सहिष्णुता बढ़ती है।

नकारात्मक प्रभाव:**सांस्कृतिक प्रभाव:**

बाहरी प्रभावों के कारण पारंपरिक मूल्यों और रीति-रिवाजों का क्षरण हो सकता है।

सामाजिक तनाव:

बाहरी लोगों की उपस्थिति से स्थानीय लोगों में असंतोष या जलन की भावना उत्पन्न हो सकती है।

सांस्कृतिक प्रभाव:**सकारात्मक प्रभाव:****सांस्कृतिक संरक्षण:**

थारू जनजाति की पारंपरिक कला, संगीत, नृत्य, और अन्य सांस्कृतिक गतिविधियाँ पर्यटन के माध्यम से संरक्षित होती हैं।

वैश्विक पहचान:

थारू संस्कृति को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलती है।

नकारात्मक प्रभाव:**सांस्कृतिक व्यापारिकरण:**

थारू संस्कृति का व्यावसायिक उपयोग कभी-कभी इसकी प्रामाणिकता को नुकसान पहुँचा सकता है।

संस्कृति का क्षरण:

बाहरी प्रभावों के कारण थारू समुदाय की पारंपरिक पहचान कमजोर हो सकती है।

पर्यावरणीय प्रभाव:**सकारात्मक प्रभाव:****पर्यावरणीय जागरूकता:**

इको-टूरिज्म से पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता के महत्व को समझने में मदद मिलती है।

स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण:

पर्यटकों और संगठनों के प्रयासों से जंगल और वन्यजीव संरक्षण के लिए संसाधन उपलब्ध होते हैं।

नकारात्मक प्रभाव:**प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव:**

अधिक पर्यटकों के कारण प्राकृतिक संसाधनों, जैसे पानी और जंगल, पर दबाव बढ़ सकता है।

प्रदूषण:

पर्यटकों की गतिविधियों से प्लास्टिक और अन्य कचरे का बढ़ता पर्यावरण को नुकसान पहुँचा सकता है।

नकारात्मक प्रभाव:**प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव:**

अधिक पर्यटकों के कारण प्राकृतिक संसाधनों, जैसे पानी और जंगल, पर दबाव बढ़ सकता है।

प्रदूषण:

पर्यटकों की गतिविधियों से प्लास्टिक और अन्य कचरे का बढ़ता पर्यावरण को नुकसान पहुँचा सकता है।



शिक्षा और ज्ञान का प्रसार:

ग्रामीण पर्यटन से स्थानीय लोगों में शिक्षा और कौशल विकास की संभावनाएँ बढ़ती हैं। पर्यटकों के साथ संवाद से थारू लोगों को नई जानकारीयों और तकनीक सीखने के अवसर मिलते हैं।

थारू महिलाओं पर प्रभाव:

पर्यटन के माध्यम से महिलाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मिलते हैं। हस्तशिल्प, होमस्टे संचालन, और स्थानीय भोजन की तैयारी में महिलाओं की भागीदारी बढ़ती है। हालाँकि, महिलाओं पर पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियों के साथ-साथ पर्यटन गतिविधियों का बोझ भी बढ़ सकता है।

चुनौतियाँ:

अतिथिपरकता का अभाव:

कभी-कभी स्थानीय लोग पर्यटकों के प्रति उदासीनता दिखा सकते हैं।

नीतिगत समर्थन की कमी:

सरकार की ओर से पर्याप्त नीतिगत और वित्तीय समर्थन न मिलना।

स्थायी पर्यटन का अभाव:

दीर्घकालिक दृष्टिकोण के बिना पर्यटन गतिविधियाँ अस्थिर हो सकती हैं।

निष्कर्ष:

थारू बहुल क्षेत्रों में ग्रामीण पर्यटन का प्रभाव बहुआयामी है। यह न केवल आर्थिक और सांस्कृतिक लाभ प्रदान करता है, बल्कि इसके माध्यम से सामाजिक और पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान भी किया जा सकता है। हालाँकि, स्थायी और संतुलित विकास के लिए स्थानीय समुदाय की भागीदारी और पर्यावरणीय संवेदनशीलता पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रंथ

1. मिश्रा, आर. (2015). भारतीय ग्रामीण पर्यटन: अवधारणा और विकास. नई दिल्ली: प्रकाशन संस्थान।
2. शर्मा, एम., & यादव, पी. (2020). लखीमपुर खीरी जिले में ग्रामीण पर्यटन की संभावनाएँ: एक अध्ययन. ग्रामीण विकास जर्नल, 12(3), 45-52।
3. उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग. (2022). लखीमपुर खीरी: ग्रामीण पर्यटन की दिशा में एक पहल. लखनऊ: उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग।
4. भारत पर्यटन मंत्रालय. (2023). उत्तर प्रदेश में ग्रामीण पर्यटन. <https://www.incredibleindia.org>
5. सिंह, ए. (2018). लखीमपुर खीरी के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरें. लोक संस्कृति मासिक पत्रिका, 5(7), 28-34।
6. त्रिवेदी, के. (2017). ग्रामीण पर्यटन और सतत विकास. जयपुर: वैदिक प्रकाशन।
7. वर्मा, एन. (2018). उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थलों की गाथा. आगरा: राजस्थानी पब्लिशिंग हाउस।
8. पांडेय, जी., & गुप्ता, आर. (2019). ग्रामीण विकास में पर्यटन का योगदान: लखीमपुर खीरी का एक विश्लेषण. सामाजिक विज्ञान अनुसंधान पत्रिका, 8(2), 59-67।
9. चौधरी, पी. (2021). उत्तर भारत में ग्रामीण पर्यटन का बढ़ता प्रभाव. भारतीय विकास समीक्षा, 10(4), 23-30।
10. नीति आयोग. (2020). ग्रामीण भारत में सतत पर्यटन: दिशा निर्देश. नई दिल्ली: नीति आयोग।
11. उत्तर प्रदेश राज्य योजना आयोग. (2022). लखीमपुर खीरी जिले में ग्रामीण पर्यटन के विकास की योजना. लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार।
12. ग्रामीण पर्यटन विकास बोर्ड. (2023). उत्तर प्रदेश के ग्रामीण पर्यटन स्थलों की सूची. <https://www.ruralup-tourism.gov.in>
13. गुप्ता, ए. (2022). लखीमपुर खीरी के वन्यजीव अभयारण्य और पर्यटन. पर्यावरण संरक्षण मासिक पत्रिका, 11(5), 35-42।
14. यादव, के. (2020). ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पर्यटन का योगदान: एक समीक्षात्मक अध्ययन. आर्थिक और सामाजिक विकास पत्रिका, 9(1), 15-22।

